




वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



वार्षिक रिपोर्ट

2015-16



केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग
36, जनपथ, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष : +91 11 2335303 • फेक्स: +91 11 23753923
www.cercind.gov.in

अध्यक्षीय वक्तव्य

वर्ष 2015–16 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने भारत में विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

आयोग नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में सदैव से सक्रिय बना रहा है। इसके लिए आयोग नवीकरणीय ऊर्जा की प्रकृति एवं अनिश्चितता पर विचार करते हुए नवीकरण ऊर्जा उत्पादन (पवन एवं सौर जैसे) के लिए अनुसूची से विचलनों के संचालन, पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण लिए फ्रेमवर्क सृजित करने के लिए आवश्यकता का पता लगाया है। आयोग ने पवन एवं सौर तकनीक के लिए पूर्वानुमान एवं अनुसूचीकरण तंत्र के लिए फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है। इस फ्रेमवर्क में आरएलडीसी तथा पवन / सौर उत्पादक द्वारा पूर्वानुमान की आवश्यकता है। केन्द्रीयकृत पूर्वानुमान ग्रिड प्रबंधन परिप्रेक्ष से है और आवश्यकताओं के संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जबकि उत्पादक द्वारा पूर्वानुमान का लक्ष्य अनुसूची से विचलनों को कम से कम करना है।

परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए असंतुलन संचालन एवं पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण पर फ्रेमवर्क के भाग के रूप में आयोग ने आईईजीसी तथा डीएसएम विनियमों में संशोधन किए हैं जिसका लक्ष्य स्थिर और सुरक्षित ग्रिड प्रचालन तथा राज्य की सीमाओं से बाहर विद्युत के विक्रय के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के लिए वाणिज्यिक तंत्र उपलब्ध करवाना है। इससे यह संभव होगा कि वे आरएलडीसी के साथ विद्युत के अनुसूचीकरण को आरंभ कर सके। इस तंत्र में अन्तरराज्यिक बाजार में सहभागिता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को अनुमति है जिसमें उन्हें अनुसूची के अनुसार अदा किया जाता है और विचलनों को प्रादेशिक डीएसएम पूल के साथ निपटाया जाता है।

वर्ष के दौरान आयोग द्वारा लिए गए उपायों में एक महत्वपूर्ण उपाय सहायक सेवाओं के लिए फ्रेमवर्क का सृजन था जो विद्युत प्रणाली विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सेवाएं देना और ग्राहकों को ऊर्जा डीलीवर के प्राथमिक कार्य को प्रोत्साहित करना था। इन्हें इन कार्यों के लिए विभिन्न समय फ्रेम में प्रणाली प्रचालक द्वारा नियोजित किया जाता है। (क) भार उत्पादन संतुलन बनाए रखना (फ्रिक्वेंसी नियंत्रण) (ख) वॉल्टेज एवं रिएक्टिव विद्युत प्रोत्साहन बनाए रखना (ग) उत्पादन एवं पारेषण रिजर्व बनाए रखना।

आयोग द्वारा आरंभ किया गया दूसरा अनुपूरक मार्किट डिजाइन राउण्ड दि क्लॉक संव्यवहारों के लिए विस्तारित बाजार सत्र की अनुमति थी। इस उपाय का लक्ष्य बेहतर भार उत्पादन प्रबंधन था और यह पवन तथा सौर जैसे परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बड़े पैमाने पर समाकलन था।

इस वर्ष के दौरान आयोग ने अन्तराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग के तंत्र को तर्कसंगत बनाया और विभिन्न परिदृश्यों के अधीन पारेषण प्रभारों के आवंटन, स्लैबिंग का पता लगाया।

आयोग का यह विश्वास है कि समय के साथ विशेष रूप से विद्युत अधिनियम 2003 की अधिनियमन और प्रचालीकरण से विद्युत क्षेत्र में केविविआ की भूमिका बाजार में विद्युत क्षेत्र के “टैरिफ सेटर” से बढ़कर “विकास के लिए साधक” के रूप में विस्तृत हुई। इस संदर्भ में आयोग ने अपनी परिवर्तित भूमिका को व्यवहार में लाने और इसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करने के लिए नए लोगों / मुहर को अनुमोदित किया।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने अपने संसाधन उपलब्ध करवाते हुए विनियामक फोरम (एफओआर), भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) और दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम फोरम (साफिर) की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। आयोग विनियामक फोरम (एफओआर), भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) और दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम फोरम (साफिर) को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है।

विनियामक फोरम (एफओआर) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अधीन विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत एक निगमित निकाय है। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/जेईआरसी के अध्यक्ष विनियामक फोरम के सदस्य हैं। फोरम ने वर्ष के दौरान 7 बैठकें आयोजित की और कई विवेचनीय मुद्दों पर सर्वसम्मति प्राप्त की। फोरम ने “क्रास सज्जिड़ी में कमी के लिए रोडमैप” “विद्युत की खुदरा बिक्री में प्रतिस्पर्धा आरंभ करने के लिए रोलआउट प्लान (कैरिज एवं कंटेन्ट के पृक्करण)”, “वितरण कंपनियों के कार्यनि पादन” और “आरईसी फ्रेमवर्क की समीक्षा” पर अध्ययन किए।

आयोग अपने उत्तरदायित्व के निर्वहण में सभी स्टेकहोल्डरों से उनके सतत सहयोग की कामना करता है।

गिरीश भा. प्रधान

विषय सूची

1. आयोग	11
2. मिशन विवरण	15
3. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण	19
4. पूर्व वर्ष एक अवलोकन	27
5. विनियामक प्रक्रियाएं तथा कार्यवाहियां	33
6. वर्ष 2015–16 के दौरान गतिविधियां	37
7. उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष	77
8. 2015–16 के दौरान जारी अधिसूचनाएं	81
9. वर्ष 2016–17 के लिए कार्यसूची	85
10. खातों की वार्षिक विवरणी	89
11. आयोग का मानव संसाधन	93
अनुबंध	97



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

संक्षेप अक्षरों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एबीटी	उपलब्धता आधारित टैरिफ
एडीएमएस	स्वचालित मांग प्रबंधन योजना
ईआरए	एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक अधिकरण
एपीपीसी	औसत पूल क्रय लागत
एपीटीईएल / एटीई	विद्युत का अपीलीय न्यायाधीकरण
एयूएफआर	फ्रीक्वेंसी रिले
बीईई	ऊर्जा कुशलता ब्यूरों
बीपीटीए	बल्क विद्युत पारेषण करार
बीयू	बिलियन यूनिट
सीएसी	केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति
सीसीजीटी	समन्वित साईकिल गैस टर्बाइन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीपी	केप्टिव उत्पादन संयंत्र
सीआईएल	कोयला इंडिया लि.
सीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
सीपीआरआई	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सीपीएसयू	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीटीयू	केन्द्रीय पारेषण कंपनी
डीएम	डे अहेड मार्केट
डिस्काम	वितरण कंपनी
डीवीसी	दामोदर घाटी निगम
ईए	विद्युत अधिनियम
ईआर	पूर्वी क्षेत्र
ईआरसी	विद्युत विनियामक आयोग
ईआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ईआरपीसी	पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एफजीएमओ	फ्री गवर्नर मोड प्रचालन
एफआई	वित्तीय संस्था
एफओआईआर	भारतीय विनियामक फोरम

एफओआर	विनियामक फोरम
एफएसए	ईधन आपूर्ति करार
जीसीवी	सकल क्लोफिक मूल्य
जीएफए	सकल नियत आस्तियां
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	गैस विद्युत केन्द्र
जीएसईएस	ग्रिड सुरक्षा विशेषज्ञ प्रणाली
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
एसपीएस	हाइड्रो विद्युत केन्द्र
आईसी	स्थापित क्षमता
आईडीसी	निर्माण के दौरान हित
आईईजीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड
आईईएक्स	भारतीय उर्जा विनियम
आईपीपी	स्वतंत्र क्रय उत्पादक
आईएसजीएस	अंतर-राज्यिक उत्पादन प्रणाली
आईएसटीएस	अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली
जेर्डआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
जेर्नएनएसएम	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन
जेवी	संयुक्त उद्यम
केवी	किलो वॉल्ट
केडब्ल्यू	किलोवाट
केडब्ल्यूएच	किलोवोट घंटा
लीलो	लूप इन लूप आउट
एलटीए	दीर्घकालिक पहुंच
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमएमसी	बाजार मानिटरिंग कक्ष
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमटीओए	मध्यकालिक निर्बाध पहुंच
एमयू	मिलियन यूनिट



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमवाईटी	बहुवर्ष टैरिफ
एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
निपको	उत्तर-पूर्वी विद्युत ऊर्जा कंपनी
एनईआर	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
एनईआरएलडीसी	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनईआरपीसी	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एनएचपीसी	राष्ट्रीय हाईड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा निगम
एनएलसी	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन
एनएलडीसी	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनपीसी	राष्ट्रीय विद्युत समिति
एनआर	उत्तर क्षेत्र
एनआरएलडीसी	उत्तर क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एनआरपीसी	उत्तर क्षेत्र विद्युत समिति
एनटीपीसी	राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन
ओएंडएम	प्रचालन तथा रखरखाव
ओसीसी	प्रचालन समन्वय समिति
ओसीजीटी	निर्बाध चक्र गैस टर्बाइन
ओटीसी	ओवर डि काउंटर
पीएफ	संयंत्र उपलब्धता घटक
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि
पीएलएफ	संयंत्र भार घटक
पीएमयू	फेजर परिमापन यूनिट
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
पीओसी	प्वाइंट ऑफ कनैक्शन
पोसोको	विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम लि.
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएसडीएफ	विद्युत प्रणाली विकास निधि
पीएक्सआईएल	भारतीय विद्युत विनियम लि.
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईए	क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा
आरईसी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र

आईएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीएमओ	नियंत्रित गवर्नर मोड प्रचालन
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
आरएलएनजी	पुनर्गैसकृत लिक्वीफाईट प्राकृत गैस
आरओसीई	नियोजित पूँजी पर रिटर्न
आरओई	इक्विटी पर रिटर्न
आरओआर	रन ॲफ दी रिवर
आरपीसी	क्षेत्रीय विद्युत समिति
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता
आरआरआई	विनियामक अनुसंधान संस्थान
साफिर	दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम
स्काडा	पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एससीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएचआर	स्टेशन हीट दर
एसजीवीएनएल	सतलज जल विद्युत निगम लि.
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
एसआर	दक्षिणी क्षेत्र
एसआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एसआरपीसी	दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति
एसएसयू	राज्य क्षेत्र कंपनियां
एसटीओए	अल्पकालिक निर्बाध पहुंच
एसटीपीएस	सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीयू	राज्य पारेषण कंपनी
टीएएम	टर्म एहेड बाजार
टीएएमपी	बड़े पत्तनों की ट्रेफिक अधिकरण
टीएचडीसी	ठिहरी हाइड्रो विकास निगम
टीपीएस	थर्मल विद्युत केन्द्र
टीएसए	पारेषण सेवा करार

1

आयोग

1. आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री शरद की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने "सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्डों का गठन" करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि "टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यावसायिकता आ सकेगी।"

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ—साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।

इस प्रकार, केंद्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ तर्कसंगतता आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केंद्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

आयोग अर्ध-न्यायिक हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विद्याओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।



अधिदेश

जैसाकि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है :—

- (क) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;
- (ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;
- (ग) विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;
- (घ) विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;
- (ङ) किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी और उनकी अंतर-राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञाप्ति जारी करना;
- (च) उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;
- (छ) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उदगृहीत करना;
- (ज) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;
- (झ) अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;
- (ञ) विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;
- (ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।
- (ठ) केंद्रीय सरकार को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(2) के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना
 - (i) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;
 - (ii) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता का संवर्धन करना;
 - (iii) विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन; और
 - (iv) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

2

मिशन विवरण

2. मिशन विवरण

आयोग की थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढ़ावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अंतर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाठने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह देने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्य :—

- क. भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी), उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना।
- ख. एक कारगर टैरिफ अवधारण तंत्र तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।
- ग. अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना।
- घ. अंतर-राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।
- ड. विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।
- च. सभी पण्धारियों के लिए जानकारी देने में सुधार लाना।
- छ. थोक ऊर्जा तथा पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तनों को सुकर बनाना।
- ज. प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के सृजन के प्रथम उपाय के रूप में, पर्यावरणीय, सुरक्षा तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमा के भीतर पूँजी तथा प्रबंधन के लिए प्रवेश तथा निकासी की बाधाओं के संबंध में सलाह देना।

मार्गदर्शक सिद्धान्त

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धान्तों द्वारा किया जाता है:

- क. सभी पण्धारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण।
- ख. पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना।
- ग. एक ओर विचारों में संगत रहते हुए, विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना।
- घ. यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पण्धारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासंभव पण्धारियों की आशाओं के अनुरूप हों।
- ड. विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना।
- च. विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।

3

अध्यक्ष एवं
सदस्यों का
संक्षिप्त विवरण



श्री गिरीश भा. प्रधान

अध्यक्ष

(22 अक्टूबर 2013– कार्यरत)

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर दोनों के 37 वर्षों से अधिक सिविल सेवा कैरियर का अनुभव रखने वाले श्री गिरीश भा. प्रधान का जन्म 20 दिसम्बर 1952 को मुंबई में हुआ। इन्होंने सेंट जेवियर स्कूल, जयपुर, राजस्थान (1969) से स्कूल की शिक्षा प्राप्त की तथा सेंट स्टीफन कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास (आनर्स) में (1970–73) में स्नातक डिग्री प्राप्त की। इन्होंने वर्ष (1973–75) में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री (इतिहास) में प्राप्त की, स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कार्लेटन विश्वविद्यालय, ओटावा, कनाडा से लोक प्रशासन स्नातकोत्तर (एमपीए 1984–85) की डिग्री प्राप्त की एवं नेशनल डिफेंस कालेज (एनडीसी 1992) से स्ट्रेटेजिक अध्ययन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा, श्री प्रधान ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सेवा कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

वर्ष 1977 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडरग्रेज्युट स्तर पर इतिहास पढ़ाया एवं स्टेट बैंक ग्रुप में प्रावेशनरी अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्हें वर्ष 1977 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में महाराष्ट्र का कैडर आवंटित किया गया एवं इन्होंने राज्य एवं जिला स्तर पर महाराष्ट्र राज्य में कार्य किया। उन्होंने महाराष्ट्र के शोलापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे, नागपुर एवं पुणे जैसे विभिन्न जिलों में विनियामक एवं विकासात्मक कार्यों को संचालित किया।

वे वर्ष 1980–81 में सिंधु दुर्ग के नए जिले से निकटता से संबद्ध रहे। बाद में, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य एवं सचिव के रूप में कार्य किया। श्री प्रधान पुणे के नगरपालिका आयुक्त एवं मुंबई के अपर नगरपालिका आयुक्त रहे। यशवंत राव चव्हाण ऐकेडमी आफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक के रूप में वे उस संस्था को देश का उच्च सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान बनाने में अग्रणी रहे। स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा सुधारों के लिए उनके पास मोनोग्राफ है।

श्री प्रधान ने राष्ट्रीय स्तर पर, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति, गृह कार्य एवं विद्युत मंत्रालय में कार्य किया है। इन्होंने वर्ष 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में निदेशक तथा राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव दोनों के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 2002 से 2003 तक लोक सभा के स्पीकर के सचिव के रूप में कार्य किया।

श्री प्रधान ने नवम्बर 2003 में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया जहां उन्होंने योजना, समन्वयन, ऊर्जा कुशलता, पारेषण एवं ओएम सहित विभिन्न विषयों में महत्वपूर्ण कार्य किया। वे जनवरी, 2008 में अपर सचिव के रूप में पदोन्नत हुए और पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. से संबंधित मामलों एवं उनकी केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं, पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, प्रचालन एवं



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

मानिटरिंग, समन्वयन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन एवं विद्युत मंत्रालय के सूचना तकनीक प्रभाग से संबंधित मामलों को शामिल करते हुए नीति एवं योजना, पारेषण में कार्य किया। उन्होंने दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री प्रधान 1 फरवरी, 2011 से विद्युत मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में पदोन्नत किए गए और अक्टूबर, 2011 में उन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया।

उक्त के अलावा, श्री प्रधान ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित विवेच्य रिपोर्टों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका राज्य तथा केन्द्रीय स्तर दोनों पर विद्युत क्षेत्र में (12 वर्षों) का एक दीर्घकालीन अनुभव रहा है। वे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अंतर्गत एक मिशन जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन नामक मिशन में सक्रिय रूप से शामिल रहे जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा में विश्व लीडर के रूप में भारत को स्थापित करना रहा है।



श्री ए.के.सिंघल
सदस्य
(9 अक्टूबर, 2013 – कार्यरत)

व्यवसाय से चार्टड अकाउंटेंट, श्री ए.के.सिंघल का उत्कृष्ट कैरियर रहा है जिसमें सिद्धान्तों के अनुपालन की विशिष्टता विद्यमान रही है। उनका निगमित वित्त प्रबंधन में 37 वर्षों से अधिक का समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण अनुभव हैं। उन्होंने 8 वर्षों से अधिक एनटीपीसी लि. (महाराष्ट्र कंपनी) के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया।

एनटीपीसी में, श्री सिंघल ने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लेकर बोर्ड को बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और कंपनी की लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान की। वे संगठन के वित्तीय प्रबंधन के संपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार थे जिसमें स्वदेशी एवं विश्व स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन संग्रहण करना, निधियों का अनुकूलतम उपयोग करना, बजट नियंत्रण एवं निवेश निर्णय शामिल है। एनटीपीसी में 12 वर्षों की अवधि के दौरान कंपनी के लिए उन्होंने इकिवटी के आईपीओ, एफपीओ एवं ओएफएस जैसे बड़े महत्वपूर्ण संव्यवहार किए, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से अत्यधिक बड़ी दीर्घकालिक ऋण सुविधाएं लीं एवं यूएसडी 2 बिलियन मध्यकालिक नोट कार्यक्रम की स्थापना की एवं उसके अंतर्गत नोट्स जारी किए। सीएफओ के रूप में उन्होंने पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना की और बेहतर निगमित सुशासन प्रणालियों का अनुपालन किया।

उन्होंने विलेयन एवं अधिग्रहणों को शामिल करने वाले निर्णयों में सक्रिय भूमिका अदा की जिसमें उत्पादन, पारेषण, कोयला खनन जैसे विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की गहन जानकारी एवं इसके प्रचालन तथा परिरक्षण के लिए अवधारण, निर्माण से नवीकरणों को ध्यान में रखते हुए कारोबार का बेकर्वर्ड एवं फारवर्ड समाकलन शामिल है। उन्होंने निवेशकारी समुदाय तथा कंपनी के प्रबंधन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया। उन्होंने अनुभव प्राप्ति के लिए निर्माणाधीन यूनिटों का दौरा किया। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान संबद्ध शासकीय कार्यों के लिए कई देशों का दौरा भी किया।

श्रेष्ठता एवं सुदृढ कार्य नैतिकता के लिए श्री सिंघल स्थायी कारबार की सफलता के लिए केवल सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं विनम्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके निर्देशन एवं नेतृत्व में एनटीपीसी ने वित्तीय रिपोर्टिंग एवं निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए। श्री सिंघल को विभिन्न फोरमों में सर्वोत्तम सीएफओ के रूप में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें आईसीएआई (दो बार) आईएमए (लाईफटाइम एचीवमेंट अवार्ड), सीएनबीसी टीवी 18, एएसबीए टॉप रेंकर शामिल हैं और वे 9 डाट 9 मीडिया सीएफओ संस्थान द्वारा देश के सर्वोच्च 100 सीएफओ में तीन बार श्रेष्ठ रेंक पर भी रहे।

श्री सिंघल निगमित सामाजिक प्रतिबद्धता (सीएसआर) के लिए विभिन्न प्रकार की पहल के लिए प्रेरक बने रहे। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रत्येक सीएसआर पहल का लक्ष्य निम्नतम स्तर के लोगों के जीवन में सुधार लाना है और उन्हें ध्यान में रखकर ही उन्होंने कार्य किए ताकि उनको अंत तक उसका लाभ मिल सके। एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री सिंघल ने ईपीआई, क्रिबको एवं एनएफएल में विभिन्न पदों पर कार्य किया। श्री सिंघल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने विद्युत क्षेत्र विनियामक के रूप में उच्चतर उत्तरदायित्वों को ग्रहण करते हुए, 9 अक्टूबर 2013 को आयोग में पदभार ग्रहण किया।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



श्री ए.एस.बरख्झी
सदस्य
(5 अगस्त 2014— कार्यरत)

श्री ए.एस.बरख्झी, मैकेनिकल इंजिनियर व एमबीए का विद्युत क्षेत्र में 39 वर्षों से अधिक का कुल अनुभव रहा है। श्री बरख्झी ने वर्ष 1974 में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (नई दिल्ली) में अपना कैरियर आरंभ किया जबकि प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन था। उन्होंने वर्ष 1974 की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा (सीपीईएस) का कार्य सौंपा गया। उन्होंने वर्ष 1975 में केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग में कार्यभार ग्रहण किया और दोबारा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में तैनात किए गए।

वर्ष 1979 में श्री बरख्झी को भारत सरकार द्वारा विदेश कार्य पर जल एवं विद्युत विभाग, आबूधाबी सरकार के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। श्री बरख्झी ने अपने परिरक्षण विभाग में उम अल नार(पश्चिम) विद्युत संयंत्र में कार्य किया। इस संयंत्र में 6 आयल फायर्ड विद्युत उत्पादनकारी यूनिट और 6 डिसेलीनेशन संयंत्र हैं। वर्ष 1984 में आबूधाबी से प्रत्यावर्तन पर श्री बरख्झी ने अपने मूल विभाग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण किया जहां उन्होंने विद्युत संयंत्रों तथा थर्मल संयंत्रों की ऊर्जा आडिट के आरएंडएम में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। वर्ष 2002 में उन्हें सीईए का निदेशक (प्रशासन) बनाया गया और वर्ष 2004 में उन्हें मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया और योजना विंग में तैनात किया गया — मुख्य इंजीनियर के रूप में वे समग्र रूप से देश के लिए उत्पादनकारी योजना के लिए उत्तरदायी थे। वे वर्ष 2007 और वर्ष 2011 में राष्ट्रीय विद्युत योजनाओं को सामने लाने में प्रेरक रहे। वे 12वीं योजना के लिए विद्युत में कार्यकारी समूह के सदस्य सचिव भी थे जब वे सदस्य (योजना), सीईए थे। वे सदस्य (हाइड्रो) और सदस्य (जीएंडओडी), सीईए भी रहे।

वे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर रहे और जुलाई 2011 में भारत सरकार के पदेन सचिव भी रहे। वे उत्पादनकारी योजना, पारेषण योजना और समग्र रूप से देश के लिए भार पूर्वानुमान के लिए भी उत्तरदायी रहे। उन्होंने हाइड्रो परियोजनाओं को सहमति प्रदान करने के लिए समिति की अध्यक्षता की। वे इस अवधि के दौरान अध्यक्ष, सीबीआईपी और अध्यक्ष ईईसी भी रहे। श्री बरख्झी 2011 से 2013 की अवधि के दौरान कई समितियों के सदस्य या अध्यक्ष रहे।

कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों को सीईए के अध्यक्ष के रूप में उनकी अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया गया जिसमें 17वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण, अतिविवेचनीय यूनिटों के लिए मानव विनिर्देशन, 2011–12 की सामान्य समीक्षा, कार्बनडाईआक्साइड बेस लाइन डाटा विद्युत क्षेत्र से सीटीसी की समाप्ति, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इनपुट इत्यादि शामिल हैं।

श्री बरख्झी ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य के रूप में 5 अगस्त 2014 को कार्यभार ग्रहण किया।



डॉ. एम. के. अय्यर
सदस्य
(10 अगस्त 2015 – कार्यरत)

10 अगस्त, 2015 को सदस्य के रूप में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व डॉ. एम. के. अय्यर ने 5 वर्षों की अवधि के लिए गुजरात विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (वित्त) के रूप में कार्य किया और गुजरात विद्युत विनियामक आयोग ने कई विनियामक मुद्दों को सफलता से संचालित किया। गुजरात विद्युत विनियामक आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में बहुवर्ष टैरिफ विनियम, सौर, पवन एवं बायोमास के नवीकरणीय टैरिफ आदेश, निर्बाध पहुंच विनियम और इसका इसका प्रवर्तन, टैरिफ की तर्कसंगतता, ईधन विद्युत क्रय समायोजन फार्मला के माध्यम से विद्युत खरीद को पासथ्रू करना और अन्य विनियामक मुद्दों का स्कोर तैयार करना ताकि उपभोक्ता हित और कम्पनी हित के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। अगस्त 2010 गुजरात विद्युत विनियामक आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के समय से बड़ी संख्या में आदेश जारी किए गए जिसका गुजरात में विद्युत क्षेत्र की सुचारू कार्यप्रणाली में प्रभाव रहा है।

डॉ. एम. के. अय्यर भौतिकी में स्नातक हैं। एमबीए (वित्त) और प्रबंधन में पी.एच.डी. हैं और स्टेक होल्डरों के लिए समुचित महत्व पैदा करने के लिए रणनीतिक इनपुट में योगदान का सृदृढ़ रिकॉर्ड है। उन्होंने वित्त, मानव संसाधन और आई.टी. जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 31 वर्ष के लिए राज्य कम्पनी को सहयोग किया है और समूचे संरथागत नक्शों को सहायता प्रदान की है। उन्होंने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपनी सक्षमताएं प्रदर्शित की हैं जिनमें निगमित योजना, नीति विकास, सुधार और पुनर्संरचना, वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, एच.आर. एवं औद्योगिक संबंध, प्रशिक्षण, आई.टी. पहल, वाणिज्यिक और विनियामक मामले शामिल हैं। उन्होंने सुधार परियोजना प्रबंधन समूह के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड के गतिविधियों के 'वित्तीय पुनर्संरचनात्मक योजना' में प्रभावी रूप से सहभागिता की है।

उनका विश्लेषणात्मक, प्रशासनिक, कठिनता को दूर करने की कुशलताएं, कुशल टीम लीडर, प्रशिक्षक और प्रेरक की विशेषताएं हैं ताकि परिचालनगत उत्पादकता, श्रेष्ठ सम्प्रेषण, योग्यताओं को बढ़ाने के लिए कार्यात्मक टीमों के प्रयासों के समन्वित करने की योग्यता है।

गुजरात आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे गुजरात ऊर्जा पारेषण कारपोरेशन लिमिटेड, वडोदरा, में वरिष्ठ मुख्य महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए) के रूप में कार्य कर रहे थे। पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड/अनबंडल्ड जीबी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वरिष्ठ प्रमुख महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए) आई.टी./एच.आर. तथा सीआईओ गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, महाप्रबंधक (लेखा), महाप्रबंधक (एचआर), मुख्य वित्त प्रबंधक (बजट एवं योजना), मुख्य वित्त प्रबंधक (परियोजना एवं योजना / स्टोर क्रय) इत्यादि के रूप में कार्य किया और पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड के सुधार/पुनर्संरचना को सफलतापूर्वक संचालित किया तथा आई.टी. पहल को कार्यान्वित किया एवं अंतिम से अंतिम ईआरपी कार्यान्वयन को सभी अनबंडल्ड 7 कम्पनियों में कार्यान्वित किया।

4

पूर्व वर्ष एक अवलोकन

4. पूर्व वर्ष एक अवलोकन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा के अधीन कुल संस्थापित क्षमता 42849.38 मेगावाट थी। इसमें से पवन ऊर्जा और सौर की क्रमशः 26866.66 मेगावाट और 6762.85 की क्षमता थी। शेष क्षमता लघु हाइड्रो विद्युत, बायोमास, ऊर्जा इत्यादि के लिए अवशिष्ट के बीच शेयर की गई थी। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पाया जिसमें सौर से 100 जीडब्ल्यू पवन से 60 जीडब्ल्यू बायो पावर से 10 जीडब्ल्यू और लघु हाइड्रो पावर से 5 जी डब्ल्यू शामिल है। इस लक्ष्य में सिद्धांत रूप से 40 जीडब्ल्यू रूफ टॉप और बड़े तथा मध्यम ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से 60 जीडब्ल्यू शामिल है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य से भारत कई विकसित देशों से आगे निकलते हुए विश्व में सबसे बड़े हरित ऊर्जा उत्पादकों में से एक हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वृद्धि के लिए लक्ष्य को आग बढ़ाते हुए आयोग ने कई उपाय किए हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चितता और विभिन्न प्रकार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इनफर्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (पवन एवं सौर जैसे) के लिए अनुसूची से विचलनों के संचालन, पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण लिए फ्रेमवर्क सृजित करने के लिए आवश्यकता का पता लगाया है। आयोग ने पवन एवं सौर तकनीक के लिए पूर्वानुमान एवं अनुसूचीकरण तंत्र के लिए फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है। इस फ्रेमवर्क में आरएलडीसी तथा पवन/सौर उत्पादक द्वारा पूर्वानुमान की आवश्यकता है। केन्द्रीयकृत पूर्वानुमान ग्रिड प्रबंधन परिप्रेक्ष से है और आवश्यकताओं के संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जबकि उत्पादक द्वारा पूर्वानुमान का लक्ष्य अनुसूची से विचलनों को कम से कम करना है। इसके बाद आईईजीसी तथा डीएसएम विनियमों के लिए संशोधन किए गए।

भारतीय विद्युत ग्रिड में संशोधन में सौर एवं पवन उत्पादकों को कवर किया गया है जो

प्रादेशिक इकाइयां हैं। इसका उद्देश्य उचित ढंग से राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी मात्रा को समन्वित करना है। अनुसूचीकरण सरल ग्रिड प्रबंधन का एक अनिवार्य घटक है। यह संशोधन यह रेखांकित करता है कि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और उत्पादक किस प्रकार सहक्रिया करेंगे ताकि पूर्वानुमान पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अनुसूची को तैयार किया जा सके। इन अनुसूचियों को दिन में सोलह पुनरीक्षणों तक प्रत्येक 1.5 घण्टे में संशोधित किया जा सकेगा। इससे पूर्वानुमान दशमलव प्रणाली के उच्चतर शुद्धता को सुनिश्चित करेगा जिससे ग्रिड प्रचालकों के लिए संभावित अधिकतम दृश्यता प्रदान की जा सकेगी कि किस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत वे ग्रिड में अंतःक्षेपण करने के लिए प्रत्याशित कर सकते हैं। इसमें संशोधनों को संतुलित करने के लिए योजना में मदद मिलेगी जिससे नवीकरणीय ऊर्जा से स्रोतों की प्रकृति के कारण भार उत्पादन असंतुलन को पर्याप्त रूप से कम किया जा सकेगा। इससे विचलन के लिए किसी प्रभार को अधिकतम करने के लिए उत्पादकों को मदद मिलेगी चूंकि वे टाईम ब्लाक के निकट बेहतर पूर्वानुमान कर सकेंगे।

डीएसम विनियमों में संशोधन से राज्य की सीमाओं से बाहर विद्युत के विक्रय के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के लिए वाणिज्यिक तंत्र उपलब्ध होगा। इससे यह संभव होगा कि वे आरएलडीसी के साथ विद्युत का अनुसूचीकरण आरंभ कर सकें। इस तंत्र से अंतरराज्यिक बाजार में सहभागिता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को अनुमति होगी जिसमें वे अनुसूची के अनुसार प्रदत्त होंगे और विचलनों को प्रादेशिक डीएसएम पूल के साथ व्यवस्थित किया जाएगा। इन स्रोतों की प्रकृति को देखते हुए उपलब्ध क्षमता के 15 प्रतिशत का बैण्ड की अनुमति दी गई है जिसमें उत्पादक पर कोई राजस्व प्रभार नहीं होगा। इस त्रुटि बैण्ड के आगे श्रेणीबद्ध विचलन प्रभार लागू होगा जिसके द्वारा पूर्वानुमान प्रणालियों की शुद्धता में सुधार के लिए उत्पादक को गैर प्रोत्साहन होगा। इसके अलावा फ्रेमवर्क को इस तरह से तैयार किया गया कि गेमिंग की संभाव्यता को कम से कम किया जाए।

आयोग ने केविविआ (सहायक सेवा प्रचालन) विनियम, 2015 अधिसूचित किया। रिजर्व विनियम सहायक सेवा का उद्देश्य “विनियम अप” सेवा (जो ऐसी



केन्द्रीय विद्युत विनियमक आयोग

क्षमता प्रदान करता है जिसे उत्पादन में वृद्धि के लिए नोडल एजेन्सी के अनुदेश या सिग्नल के लिए प्रतिक्रिया दी जा सकती है।) और 'विनियम डाउन' सेवा जो ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसे उत्पादन में कमी के लिए नोडल एजेन्सी के अनुदेश या सिग्नल के लिए प्रतिक्रिया दी जा सकती है।) दोनों को सहायता प्रदान करना है।

रिजर्व विनियम सहायक सेवा का उद्देश्य वांछित स्तर पर फिक्वेंसी स्तर को बहाल करना और पारेषण नेटवर्क में संकुलता को उन्मुक्त करना है। विशेष रूप से यह विनियम देश में सहायक सेवाओं को आरंभ करने के लिए प्रथम कदम है जिससे ग्रिड में विभवसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड प्रचालक को मदद मिलेगी। रिजर्व विनियम सहायक सेवा से "विनियम अप" सेवा (जो ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसे उत्पादन में वृद्धि के लिए नोडल एजेन्सी के अनुदेश या सिग्नल के लिए प्रतिक्रिया दी जा सकती है।) और "विनियम डाउन" सेवा जो ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसे उत्पादन में कमी के लिए नोडल एजेन्सी के अनुदेश या सिग्नल के लिए प्रतिक्रिया दी जा सकती है।) दोनों को सहायता प्रदान करना है।

आयोग ने पावर एक्सचेंजों में राउण्ड दि क्लॉक संब्यहवहारों के लिए विस्तारित बाजार को अनुमति दी है। इसका लक्ष्य वितरण कंपनियों और उत्पादकों को सहायता प्रदान करना है ताकि अपनी प्रणालियों के बेहतर प्रबंधन और संतुलन लाया जा सके। इससे पवन एवं सौर क्षमताओं के बड़े पैमाने पर समाकलन में मदद मिलेगी। 24x7 उत्पाद से कड़े मांग पक्ष प्रबंधन के अधीन बाजार की आकस्मिक अपेक्षाओं को बड़ी सीमा तक प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

केविविआ (अन्तर्राजिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 01.07.2011 को प्रवृत्त हुआ। इन विनियमों में राष्ट्रीय विद्युत नीति में विचार किए गए प्रवाह की मात्रा, दूरी और निर्देश के सिद्धांतों पर आधारित पारेषण प्रभारों की शेयरिंग पर विचार किया गया। विनियमों के प्रचालन पर अर्जित अनुभव के आधार पर इन विनियमों में आयोग के संशोधन किए गए जिसमें पीओसी प्रभारों और हानियों की संगणना के लिए संशोधित तंत्र की व्यवस्था है। इस तंत्र में अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित क्षेत्र अर्थात्

किसी पता लगाए हिताधिकारी के बिना के लिए दीर्घकालिक पहुंच सहित उत्पादकों के लिए अंतःक्षेपण नोट पर और आहरण नोट पर पारेषण प्रभारों का आवंटन शामिल है जिसमें पारेषण प्रभारों की संगणना प्रयोग के लिए या तीन से नौ तक पीओसी और पीओसी दरों के लिए स्लैबों में वृद्धि के लिए औसत अंतःक्षेपण/निकासी के स्थान पर अधिकतम अंतःक्षेपण/निकासी पर आधारित होगा।

हरित ऊर्जा के उन्नयन के उपाय के रूप में किसी प्रकार के पारेषण प्रभार और हानियों को 30.06.2017 तक आरंभ होने वाले संयंत्रों के लिए सौर आधारित उत्पादन के उपयोगी जीवन के लिए अन्तर्राजिक पारेषण प्रणालियों के प्रयोग के लिए उदग्रहीत किया गया है। इसके अलावा विभवसनीय लाभों के लिए विभवसीनिय सहायता प्रभार जो समन्वित ग्रिड में प्रचालन के स्थान पर इकाइयों को उपचित हुए हैं उन्हें आरंभ किय गया है।

27.03.2015 को भारत सरकार विद्युत मंत्रालय ने गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रयोग के लिए योजना अनुमोदित की है जिसके अन्य बातों के साथ-साथ पीएसडीएफ निधि का उपयोग किया गया है। इस योजना में गैस आधारित संयंत्रों तथा देसी गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों को आयातित स्पॉट "ईबिडआरएलएनजी" की आपूर्ति पर विचार किया गया है। यह योजना गैस आधारित संयंत्रों के लिए और देसी गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों के लिए पात्र हैं जिन्होंने अप्रैल-जनवरी 2014-15 के दौरान प्राप्त वास्तविक एवरेज पीएलएफ लक्षित पीएलएफ से कम था। इस योजना के कार्यान्वयन को सरल बनाने के उद्देश्य से आयोग ने केविविआ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2015 अधिसूचित किया। 03.07.2015 को अधिसूचित किया जिसके द्वारा विद्युत प्रणाल के विकास के हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कोई योजना जिसमें योजना के भाग के रूप में पीएसडीएफ से सहायता अपेक्षित है वह योजना पीएसडीएफ से सहायता के लिए पात्र होगी।

विद्युत मंत्रालय ने मौजूदा टैरिफ नीति में संशोधनों को प्रस्तावित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादक आस्तियों के अधिकतम प्रयोग, हाइड्रो विद्युत उत्पादन को विकास, नवीकरणीय ऊर्जा

का उन्नयन आदि शामिल है। आयोग ने टैरिफ नीति के लिए प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कई पहलूओं पर विचार किया। संशोधित टैरिफ नीति 28.01.2016 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई।

विनियामक फोरम (एफओआर) विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया। इस फोरम में केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष इस फोरम के अध्यक्ष हैं। केविविआ विनियामक फोरम सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है। विनियामक फोरम की सात बैठके 2015–16 के दौरान आयोजित की गई जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श किया गया और सिफारिशों की गई। पुणे में 29 सितम्बर – 01 अक्टूबर, 2015 के दौरान आयोजित विनियामक फोरम की 50वीं बैठक के दौरान विनियामक फोरम सचिवालय ने विनियामक फोरम की अध्ययन रिपोर्टों (वर्ष 2005 की विनियामक फोरम की शुरुआत से विभिन्न विषयों पर 50 रिपोर्टों) के कमपैडियम के 7 संकलनों को संकलित और मुद्रित किया गया और विनियामक फोरम की बैठकों (2005 और मार्च, 2015 के बीच आयोजित) के कार्यवृत्तों के 7 खण्डों को संकलित व मुद्रित किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान विनियामक फोरम में “क्रॉस सब्सिडी में कमी के लिए रोडमैप अध्ययन” विद्युत की खुदरा बिक्री में प्रतियोगिता की शुरुआत के लिए रोलआउट योजना (कैरिज और कंटेंट का पृथक्करण) “वितरण कंपनियों के कार्यनि पादन” और “आरईसी फ्रेमवर्क की समीक्षा” पर अध्ययनों को पूरा किया गया।

भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) 1999 में निर्मित सोसायटी है जिसमें विद्युत, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, एयरपोर्ट, बड़े पोर्ट इत्यादि जैसे

विभिन्न क्षेत्रों के विनियमों का प्रतिनिधित्व है। यह विनियामक क्रियाविधि और पद्धतियों में उभरते हुए विषयों पर विचार–विमर्श के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म है ताकि भारत में विनियामकों के समक्ष चुनौतियों की पूर्ति के लिए सामान्य रणनीतियां विकसित की जा सके और सूचना तथा अनुभवों का आदान–प्रदान किया जा सके। भारतीय विनियामक फोरम के सदस्यों में सभी राज्य विद्युत विनियामकों के अलावा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग तथा बड़े पोर्टों के टैरिफ प्राधिकरण के सदस्य शामिल हैं। भारतीय विनियामक फोरम को सचिवीय सेवाएं केविविआ द्वारा दी जाती है। वर्ष के दौरान गवर्निंग बॉडी की तीन बैठकें वार्षिक महासभा और अनुसंधान सम्मेलन की की एक बैठक आयोजित की गई।

दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम फोरम (साफिर) दक्षिण एशियन देशों के अवसंरचना विनियामकों एक फोरम है जो 1999 से अस्तित्व में आया। साफिर के सचिवालय के रूप में केविविआ ने 16–18 नवम्बर, 2015 के दौरान भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में अवसंरचना विनियम एवं सुधारों पर कोर पाठ्यक्रम आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। साफिर की 22वीं स्टियरिंग समिति की बैठक 14 जनवरी, 2016 को भारत, नई दिल्ली में साफिर की दसवीं कार्यकारी बैठक के साथ आयोजित की गई। साफिर ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में विद्युत व्यापार की वृद्धि और विद्युत क्षेत्र के सतत विकास में आईआरएडीडी के सहयोग से अवसंरचना सम्मेलन आयोजित किया और अपने सदस्यों के लिए 15.01.2016 को नीति, विनियामक मुद्दे / चुनौतियों पर सम्मेलन आयोजित किया।

5

विनियामक क्रियाविधियाँ
एवं प्रक्रिया

5. विनियमक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

केंद्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है:


1. विनियमों को अधिसूचित करता है
2. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है:
 - ◆ टैरिफ का अवधारणा करने
 - ◆ अनुज्ञाप्ति जारी करने
 - ◆ प्रकीर्ण मामले

क विनियमों के लिए क्रियाविधि

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर की तैयारी किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारीवृद्ध स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके

बाद, परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पण्धारियों (स्टेक होल्डरों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। आक्षेप और सुझावों की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है।

प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार-विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किए जाते हैं। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रारूप विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्रवाई की जाती है। इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पण्धारियों से टीका टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। आक्षेप और सुझाव प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।



याचिकाओं से संबंधित आदेशों के लिए क्रियाविधि

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं:

1. उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;
2. विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण और

अंतर-राज्यिक व्यापार में अनुज्ञाप्ति प्रदान करने।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं:

1. विविध याचिकाएं
2. पुनर्विलोकन याचिकाएं



आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के प्रति सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदकों से, टैरिफ तथा अनुज्ञाप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा भी की जाती है। तत्पश्चात्, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी को, आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अनुमति है।

ख टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सृजन के पूर्व, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात् एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और नीपको, का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निर्धारण और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पण्डारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात् आयोग ने टैरिफ के निर्धारणों एवं शर्तों को तीन वर्ष की अवधि, अर्थात् 2001-04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम, 2003 (जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत

विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात्, आयोग ने 2004-09 की पांच वर्ष की अवधि तथा मार्च, 2009 में 2009-14 की पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण और शर्तों को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में केन्द्र/स्टेशन/राज्य-वार उत्पादन टैरिफ तथा लाइन या प्रणाली-वार पारेषण टैरिफ को निर्धारण करने का उपबंध है। आयोग ने 21 फरवरी 2014 की अधिसूचना द्वारा केविविआ (टैरिफ के निर्धारण और शर्तें) विनियम, 2014 जारी किए जो 1.4.2014 से प्रभावी हैं।

टैरिफ समय-समय पर यथा लागू टैरिफ के निर्धारणों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निर्धारण और शर्तों में वित्तीय मानदंड और तकनीकी मानदंड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूँजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आंशिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूँजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक। थर्मल केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभाव, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं।

टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ के लिए, लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिए उसकी स्वीकृत पूँजी लागत, आधार ईंधन कीमत और सकल कैर्लोरीफिक मूल्य (जीसीवी) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न-भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये केंद्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और क्रेता केंद्रों से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं।

6

2015—16 के दौरान गतिविधियाँ

6. 2015–16 के दौरान गतिविधियां

6.1 कानूनी कार्यवाहियां

वर्ष 2015–16 के दौरान 783 याचिकाओं को गतवर्ष अर्थात् 2014–15 से आगे ले जाया गया। इसके अलावा 1.4.2015 और 31.3.2016 के दौरान 335 याचिकाओं को दायर/रजिस्टर्ड किया गया जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 1118 हो गई। इनमें से 611 याचिकाएं वर्ष 2015–16 के दौरान निपटा दी गई। निपटाई गई याचिकाओं की विस्तृत प्रारिथति के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दी गए हैं।

आयोग ने अपने समक्ष अनिर्णित याचिकाओं की बढ़ती संख्या के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया। यह देखा गया कि 2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ की निवंधन और शर्तों को जारी करने के बाद केन्द्रीय आयोग को मौजूदा आस्तियों (जो 01.04.2014 से पूर्व आरंभ की गई थी) के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कंपनियों से पर्याप्त संख्या में याचिकाएं प्राप्त हुई और नई आस्तियां जिनकी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख टैरिफ अवधि 2014–19 के दौरान घटित हुई।

आयोग ने अपनी संबंधित वार्षिक राजस्व अपेक्षा प्रस्ताव में अंतिम टैरिफ प्राप्त करने के लिए वितरण कंपनियों या हिताधिकारियों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से तेजी से याचिकाओं के निपटान का निर्णय किया। इस प्रक्रिया में आयोग ने कई सक्रिय उपाय किए और जिसके परिणामतः वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग ने 611 याचिकाओं का निपटान किया।

6.2 वर्ष 2015–16 में जारी किए गए विनियम/प्रमुख निर्णय

6.2.1 केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015

डीएसएम विनियमों में संशोधन से राज्य की सीमाओं से बाहर विद्युत के विक्रय के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के लिए वाणिज्यिक तंत्र उपलब्ध होगा। इससे यह संभव होगा कि वे आरएलडीसी के साथ विद्युत का अनुसूचीकरण आरंभ कर सकें। इस तंत्र से अंतरराज्यिक बाजार में सहभागिता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को अनुमति होगी जिसमें वे अनुसूची के अनुसार प्रदत्त होंगे और विचलनों को प्रादेशिक डीएसएम पूल के साथ व्यवस्थित किया जाएगा। इन स्रोतों की प्रकृति को देखते हुए उपलब्ध क्षमता के 15 प्रतिशत का बैण्ड की अनुमति दी गई है जिसमें उत्पादक पर कोई राजस्व प्रभार नहीं होगा। इस त्रुटि बैण्ड के आगे श्रेणीबद्ध विचलन प्रभार लागू होगा जिसके द्वारा पूर्वानुमान प्रणालियों की शुद्धता में सुधार के लिए उत्पादक को गैर प्रोत्साहन होगा। इसके अलावा फ्रेमवर्क को इस तरह से तैयार किया गया कि गेमिंग की संभाव्यता को कम से कम किया जाए।

6.2.2 केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015

भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में संशोधन में परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और असंतुलन संचालन पर फ्रेमवर्क का भाग है। यह फ्रेमवर्क सौर एवं पवन उत्पादकों को कवर करता है जो प्रादेशिक कंपनियां हैं। इसका उद्देश्य सतत ढंग से राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी मात्रता का समाकलित करना है। अनुसूचीकरण सरल ग्रिड प्रबंधन का एक अनिवार्य घटक है। यह संशोधन रेखांकित करता है कि किस प्रकार प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और उत्पादक सहक्रिया करेंगे ताकि पूर्वानुमान पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अनुसूची को तैयार किया जा सके। यह अनुसूचियां दिन में 16 पुनरीक्षण तक प्रत्येक 1.5 घण्टों में संशोधित की जाएंगी। इससे पूर्वानुमान दशमलव प्रणाली की उच्च शुद्धता को सुनिश्चित करती है जिससे ग्रिड प्रचालकों को अधिकतम दृश्यता संभावता प्रदान की जा सके कि किस प्रकार नवीकरणी ऊर्जा शक्ति वे ग्रिड में



अंतःक्षेपित किया जाने की आशा कर सकते हैं। इससे संसाधनों को संतुलित करने के लिए योजना में मदद मिलेगी और इससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रकृति के कारण भार उत्पादन असंतुलन को पर्याप्त रूप से कम किया जा सकेगा। इससे विचलन के लिए किसी प्रकार के प्रभारों को अधिकतम करने के लिए उत्पादकों को मदद मिलेगी चूंकि वे टाईम ब्लॉक के बेहतर निकट पूर्वानुमान के लिए समर्थ होंगे।

6.2.3 केविविआ (सहायक सेवा प्रचालन) विनियम, 2015

आयोग ने केविविआ (सहायक सेवा प्रचालन) विनियम, 2015 अधिसूचित किया। रिजर्व विनियम सहायक सेवा का उद्देश्य “विनियम अप” सेवा (जो ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसे उत्पादन में वृद्धि के लिए नोडल एजेन्सी के अनुदेश या सिग्नल के लिए प्रतिक्रिया दी जा सकती है।) और “विनियम डाउन” सेवा जो ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसे उत्पादन में कमी के लिए नोडल एजेन्सी के अनुदेश या सिग्नल के लिए प्रतिक्रिया दी जा सकती है। दोनों को सहायता प्रदान करना है।

अधिनियम अप सेवा अन्तरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों के “अनापेक्षित अधिशेष” का प्रयोग करेगी जिनका टैरिफ उनकी पूर्ण क्षमता के लिए आयोग द्वारा निर्धारित या स्वीकार किया जाएगा। अनपेक्षित अधिशेष से अभिप्राय उत्पादन केन्द्र में रिजर्व क्षमता है जिसकी अपेक्षा नहीं की गई है और प्रेषण के लिए उपलब्ध है और आयोग की संगत विनियमों के अनुसार दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक संव्यवहारों के अधीन इसकी कुल अनूसूची एवं उत्पादन केन्द्र की घोषित क्षमता के बीच अन्तर के रूप में संगणित किया गया है। दूसरी तरफ विनियम डाउन सेवा किसी पात्र उत्पादक द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है। उत्पादक एवं उनके हिताधिकारियों दोनों के लिए प्रोत्साहन को फ्रेमवर्क में निर्मित किया गया है।

6.2.4 केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण के

लिए संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना एवं संबद्ध मामले) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2015

भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के उन्नयन के लिए सौर पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 12.12.2014 के पत्र के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में कम से कम 25 सौर पार्क स्थापित करने के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार की सूची प्रेषित की है जिसका लक्ष्य पांच वर्षों की अवधि में सौर ऊर्जा की 20,000 मेगावाट संस्थापित संस्था का लक्ष्य रखा है। सौर पार्क विकासकर्ता सौर पार्क के विकास में नोडल एजेन्सी होंगे और सौर पार्क में स्थापित किए जाने सौर ऊर्जा उत्पादकों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे।

सौर पार्क में स्थापित किए जाने वो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण सुविधाओं का कार्यान्वयन में यह अपेक्षा है कि पात्र कंपनी केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण के लिए संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना एवं संबद्ध मामले) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2009 (संयोजकता विनियम) के अनुसार केन्द्रीय पारेषण कंपनियों को संयोजकता एवं दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन करेंगे। चूंकि केवल उत्पादन कंपनी या बल्कि उपभोक्ताओं संयोजकता विनियमों के अधीन संयोजकता एवं दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे। अतः आयोग ने संयोजकता एवं दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन करने के लिए सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता को पात्र कंपनी बनाने की आवश्यकता अनुभव की। तदानुसार संयोजकता विनियम को संयोजकता एवं दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन करने हेतु सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता को पात्र कंपनी बनाने के लिए संशोधित किया गया। विनियमों के अनुसार कोई कंपनी जिसे सौर ऊर्जा विकासकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। वह

संयोजकता एवं दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

6.2.5 केविविआ (केन्द्रीय पारेषण कंपनी को अन्तरराज्यिक पारेषण योजना) के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010

आयोग ने केन्द्रीय पारेषण कंपनी को अन्तरराज्यिक पारेषण योजना) के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010 के कार्यनि पादन के लिए अनुमोदन को अधिसूचित किया ताकि पूर्व विनियामक अनुमोदन से अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली के निष्पादन के कार्य के लिए केन्द्रीय पारेषण कंपनी को समर्थ किया जा सके। इन विनियमों के अधीन केन्द्रीय पारेषण कंपनी आईएसटीएस योजनाओं के लिए विनियामक अनुमोदन के लिए आवेदन हेतु प्राधिकृत है जिसके लिए उत्पादकों ने दीर्घकालिक पहुंच की मांग की है जिसके लिए हिताधिकारियों के अन्दर पीपीए उन क्षेत्रों के अन्दर और बाहर विद्युत के विश्वसनीय, कुशल गारण्टीकृत आर्थिक प्रवाह के लिए केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा चुनिंदा प्रणाली सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए आईएसटीएस योजनाओं के लिए हस्ताक्षरित किया गया है जिसके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा हिताधिकारियों यदि चयन किया गया है उनके साथ परामर्श किया गया है।

सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता जो सौर पार्क में स्थित किए जाने वाले सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए निकासी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है उसे केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण के लिए संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2015 के लिए लागू करने के लिए संशोधन के माध्यम से पात्र बनाया गया है।

6.2.6 केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015

आयोग ने अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच को विनियमित करने और सरल बनाने के लिए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 अधिसूचित किया। प्राप्त अनुभव के आधार पर आयोग ने अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के सुचारू प्रचालन के लिए कुछेक उपबंधों को तरक्सिंगत बनाने के लिए विनियमों में संशोधन की आवश्यका महसूस की। तदानुसार आयोग ने उचित क्रियाविधि के पालन के बाद केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (तीसरा संशोधन) को अधिसूचित किया। संशोधनों में निम्नलिखित पहलुओं को कवर किया गया है:-

- (क) अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच को सरल बनाने के लिए एनएलडीसी, आरएलडीसी और एसएलडीसी द्वारा प्रभारित किए जाने वाले प्रचालन प्रभारों की संभावना को वर्णित किया गया है।
- (ख) प्रचालन प्रभारों की दरें संशोधित की गई हैं।
- (ग) द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए सहमति हेतु आवेदन करते समय आरएलडीसी/एसएलडीसी के लिए निर्बाध पहुंच ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथपत्र की विषयवस्तु को वर्णित किया गया है।

6.2.7 केविविआ (विविध उपबंध) आदेश 2015

केविविआ को विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 98 की धारा 3 के अधीन स्थापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3(2) में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय आयोग इस प्रकार का सतत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर रखते हुए उक्त नाम से निगमित निकाय होगा। आयोग ने केविविआ (विविध उपबंध) आदेश 2015 के माध्यम से आयोग की मुहर को अधिसूचित किया।



विद्युत अधिनियम, 2003 10.06.2003 से प्रचालन में आया और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 98 निरस्त हुआ। उक्त अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 98 के अधीन स्थापित विद्युत अधिनियम 2003 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय आयोग समझा जाएगा। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 76(3) में व्यवस्था है कि केन्द्रीय आयोग उक्त नाम से निगमित निकाय होगा जिसका वही सतत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी।

आयोग ने आयोग की मुहर परिवर्तित करने का निर्णय किया है। इस मुहर को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से परामर्श करते हुए तैयार किया गया है। आयोग ने नई मुहर को स्वीकार किया है जिसे 01.06.2015 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। आयोग की नई मुहर 24.07.2015 से शासकीय रूप से प्रयुक्त की जा रही है।

6.2.8 केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015

केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010 01.07.2011 से प्रवृत्त हुआ। इन विनियमों में राष्ट्रीय विद्युत नीति में दिए गए प्रवाह की मात्रा और दूरी, निर्देश के सिद्धांत के आधार पर पारेषण प्रभारों की शेयरिंग पर विचार किया गया। विनियमों के प्रचालन से प्राप्त अनुभव के आधार पर आयोग ने तीसरा संशोधन प्रस्तावित किया और पूर्व प्रकाशनों की उचित क्रियाविधि के अनुपालन के बाद केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 07.04.2015 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया। उक्त विनियम 01.05.2015 को लागू हुए। तीसरे संशोधन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

क. पारेषण प्रभार लक्षित क्षेत्र अर्थात् किसी चुनिंदा हिताधिकारी के बिना के लिए

दीर्घकालिक पहुंच सहित उत्पादकों के लिए अंतक्षेपण नोड और निकासी नोड पर केवल आवंटित किया जाएगा। इससे पारेषण के वास्तविक प्रयोग के अनुरूप पारेषण प्रभारों का आवंटन होगा।

- ख. पारेषण प्रभार या तो प्रयोग करने के लिए औसत अन्तःक्षेपण/निकासी के स्थान पर अधिकतम अन्तःक्षेपण/निकासी पर आधारित होगा।
- ग. एकसमान प्रभारों को दिया गया है।
- घ. पीओसी दरों और हानियों के लिए स्लैब की संख्या 3 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है।
- ङ. नेटवर्क फैला दिया गया है और समूचा नेटवर्क आधार मामले में पीओसी प्रभारों और हानियों की संगणना के लिए विचार किया जाएगा।
- च. किसी प्रकार का पारेषण प्रभार और हानियां 30.06.17 तक आरंभ होने वाले संयंत्रों के लिए सौर आधारित उत्पादन के उपयोगी जीवन के लिए अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए उद्ग्रहीत नहीं की जाएगी।
- छ. विश्वसनीयता लाभों के लिए विश्वसनीयता सहायता प्रभार जो समन्वित ग्रिड में प्रचालन के स्थान पर कंपनियों के लिए उपचित है उसे आरंभ किया गया।
- ज. विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की मांग की पूर्ति के लिए सृजित एचवीडीसी प्रणाली के लिए प्रभार इस प्रकार के क्षेत्रों के मांग अंचलों की कंपनियों द्वारा प्रदत्त होंगे।
- झ. किसी क्षेत्र के लिए इसटीओ-ए के लिए

प्रदत्त प्रभार लक्षित क्षेत्र में दीर्घकालिक पहुंच के लिए प्रदत्त प्रभारों से आफसेट होंगे।

6.2.9 केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015

एमएनआरई की सिफारिश पर केविविआ ने 05.01.2015 को नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों में दूसरा संशोधन अधिसूचित किया जिसमें वार्षिक आधार क्लॉरिफिक मूल्य के अनुसार 15 प्रतिशत तक बायोमास परियोजनाओं के लिए फॉसिल ईंधन के उपयोग की अनुमति दी। दूसरे संशोधन के कारण के विवरण में यह पाया गया कि यद्यपि मानक स्टेशन हीट दर 100 प्रतिशत बायोमास के उपयोग पर विचार करते हुए विनिर्दिष्ट की गई थी तथापि एसएचआर उस स्थिति में प्रभारित किया जाएगा यदि वार्षिक आधार पर क्लॉरिफिक मूल्य के अनुसार 15 प्रतिशत तक फॉसिल ईंधन प्रयुक्त किया जाता है।

इस प्रकार इस मामले का पता लगाने के उद्देश्य से आयोग ने केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 में तीसरा संशोधन जारी किया जिसमें क्रमशः स्टेशन हीट दर और क्लॉरिफिक मूल्य से संबंधित विनियम 38 और 43 को संशोधित किया। मौजूदा संशोधन में ड्रेवलिंग ग्रेड बॉयलरों का प्रयोग करने वाली बायोमास परियोजनाओं के लिए एसएचआर 4126 केसीएएल / किलोवाट घण्टे विनिर्दिष्ट किया गया है और 4063 केसीएएल / किलोवाट घण्टे का एसएचआर एएफबीसी बॉयलरों का प्रयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए विनिर्दिष्ट है। इसी प्रकार क्लॉरिफिक अंशदान का 15 प्रतिशत तक फॉसिल ईंधन का प्रयोग करने वाली बायोमास परियोजनाओं के लिए क्लैरिफिक मूल्य 3174 केसीएएल / किलोग्राम विनिर्दिष्ट है।

6.2.10 केविविआ (अन्तर्राज्यिक पारेषण

प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015

भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने ज्ञापन संख्या 4/2/15/टीएच-1 दिनांक 27.03.2015 के माध्यम से “गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रयोग के लिए योजना” स्वीकृत की जिसमें पारेषण प्रभारों और हानियों से छूट की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना की उक्त अपेक्षा के कार्यान्वयन के उद्देश्य से आयोग ने केविविआ (अन्तर्राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010 (शेयरिंग विनियम) में संशोधन को अधिसूचित किया। शेयरिंग विनियमों के चौथे संशोधन में यह व्यवस्था है कि आईएसटीएस नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों और हानियों के लिए वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए ई-बिड आरएलएनजी से वृद्धिशील गैस आधारित उत्पादन के लिए प्रभारित नहीं किया जाएगा।

6.2.11 केविविआ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015

भारत सरकार विद्युत मंत्रालय ने 27.03.2015 के ज्ञापन संख्या 4/2/15-टीएच-1 के माध्यम से “गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रयोग के लिए योजना” स्वीकृत की। उक्त योजना में अप्रैल–जनवरी 2014–15 के दौरान और लक्ष्य पीएलएफ तक गैस आधारित संयंत्र द्वारा प्राप्त पीएलएफ आधार से अधिक वृद्धिशील पीएफ के लिए पीएसडीएफ से सहायता की व्यवस्था है। इस योजना में गैस आधारित संयंत्रों के लिए “ई-बिड आरएलएनजी” आयातित की आपूर्ति तथा स्ट्रेडिंग संयंत्रों तथा देसी गैस प्राप्त करने वालों संयंत्रों के लिए 2016–17 और वित्तीय 2015–16 के लिए गैर मानसून 07 माह के लिए 30 प्रतिशत और 5 मानसून माह के लिए 25 प्रतिशत के लक्षित पीएलएफ तक घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों पर विचार किया गया।



योजना के उक्त अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से आयोग ने केविविआ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014 (पीएसडीएफ विनियम) में संशोधन को अधिसूचित किया। पीएसडीएफ विनियम के प्रथम संशोधन में यह व्यवस्था है कि विद्युत प्रणाली के विकास के हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कोई योजना जिसमें योजना के भाग के रूप में पीएसडीएफ से सहायता अपेक्षित है वह पीएसडीएफ से सहायता के लिए पात्र होंगी।

6.3 विद्युत बाजार: व्यापार, पावर एक्सचेंज और निर्बाध पहुंच

6.3.1 अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी

आयोग ने विद्युत व्यापार गतिविधियों के विनियमन के लिए फरवरी, 2009 में केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने की क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 को अधिसूचित किया।

31.03.2016 को आयोग ने विद्युत में अन्तरराज्यिक व्यापार के लिए 75 आवेदकों को व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान की। इसमें 35 व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने अनुज्ञप्तियों को अभ्यर्पित किया। शेष 40 अनुज्ञप्तिधारियों में 27 अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान अल्पकालिक व्यापार किया। वर्ष 2015–16 के दौरान विद्युत में अन्तरराज्यिक व्यापार के लिए दो अनुज्ञप्तियां जारी की गईं।

आयोग ने 11.01.2010 की अधिसूचना के माध्यम से केविविआ (व्यापार मार्जिन का निर्धारण) विनियम 2010 जारी किया। इन विनियमों के अनुसार विद्युत के अन्तरराज्यिक व्यापार के लिए उन अनुज्ञप्तिधारियों को 7पैसे/किलोवाट घण्टे से अधिक व्यापार मार्जिन को प्रभारित करने की अनुमति नहीं है यदि विद्युत की विक्रय कीमत 3रुपये/किलोवाट घण्टे से अधिक है और

4पैसे/किलोवाट घण्टे जहां बिक्री कीमत 3रुपये/किलोवाट घण्टे से कम या बराबर है। मार्जिन में अनुसूचित विद्युत, निर्बाध पहुंच और पारेषण हानियों के लिए प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार शामिल है। व्यापार मार्जिन विद्युत की अनुसूचित मात्रा पर प्रभारित किया जाता है।

6.3.2 पावर एक्सचेंज

दो पावर एक्सचेंज अर्थात् भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लि (आईईएक्स) नई दिल्ली, और मैसर्स पावर एक्सचेंज इंडिया लि(पीएक्सआईएल)मुंबई भारत में प्रचालन में है। आईईएक्स और पीएक्सआईएल में क्रमशः 27 जून 2008 और 22 अक्टूबर 2008 से प्रचालनों को आरंभ किया।

जनवरी 2010 में आयोग ने विद्युत बाजार के विनियमों और विकास के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम 2010 जारी किया। इस विनियम का उद्देश्य व्यापक बाजार ढांचे के सृजन में मदद करना था और विद्युत बाजार में सभी प्रकार के संभव उत्पादों के संव्यवहार, कार्यनिष्ठादान और उसका कान्ट्रैक्ट करना था। इसके बाद पावर एक्सचेंज की पारदर्शी निगमित सुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) प्रथम संशोधन, विनियम 2014 के माध्यम से विनियम बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हकताओं और अनर्हकताओं के व्यवस्था की।

6.3.3 बाजार निगरानी प्रकोष्ठ

अगस्त 2008 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में एक बाजार निगरानी प्रकोष्ठ (एमएमसी) स्थापित किया गया था। अगस्त 2008 से एमएमसी विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार पर मासिक रिपोर्ट जारी कर रहा है और इस रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाल रहा है।

विद्युत का अल्पकालिक संव्यवहार व्यापार

अनुज्ञप्तिधारियों (द्विपक्षीय संव्यवहार) पावर एक्सचेंजों और अननुसूचित विनिमयों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत के प्रति निर्देश करता है। (i) रिपोर्ट का उद्देश्य है कि विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य में परवर्तियों पर ध्यान देना। (ii) बाजार के व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करता (iii) स्टेक होल्डरों को संगत बाजार सूचना प्रसारित करना।

एमएमसी व्यापार अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा दी जारी द्विपक्षीय संविदाओं/ओटीसी संविदाएं पर एक

मासिक रिपोर्ट निकालता है। जिसका शीर्षक ओटीसी संविदाओं की साप्ताहिक रिपोर्टिंग : मासिक विश्लेषण है। रिपोर्ट में (i) एक अग्रवक्र जो भावी अवधि के लिए स्थानिक कीमतों की वर्तमान दिन की आशा को दर्शाता है और (ii) कार्य के उपरान्त विश्लेषण है जो गत माह के विद्युत परिदानों के संबंध में विद्युत केन्द्रों के तुलना में औसत ओटीसी कीमत को दर्शाता है। एमएमसी अल्पकालिक संव्यवहार पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी निकालता है। अल्पकालिक संव्यवहारों में प्रवृत्तियों को नीचे संव्यवहारों में दिया गया है।

विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा (बिलियन यूनिट)				
वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से विद्युत संव्यवहार	पावर एक्सचेंजों (आई ईएक्स और पीएक्स आईएल) के माध्यम से विद्युत संव्यवहार	यूआई की मात्रा	डिस्काम के बीच प्रत्यक्षतः संव्यवहारित विद्युत
2009-10	26.72	7.19	25.81	6.19
2010-11	27.70	15.52	28.08	10.25
2011-12	35.84	15.54	27.76	15.37
2012-13	36.12	23.54	24.76	14.52
2013-14	35.11	30.67	21.47	17.38
2014-15	34.56	29.40	19.45	15.58
2015-16	35.43	35.01	20.75	24.04

कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा			
वर्ष	विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा
2009-10	65.90	771.55	9%
2010-11	81.56	811.14	10%
2011-12	94.51	876.89	11%
2012-13	98.94	912.06	11%
2013-14	104.64	967.15	11%
2014-15	98.99	1048.67	9%
2015-16	115.23	1107.82	10%



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष	व्यापार अनुज्ञापिधारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (₹ / किलोवाट घंटा)	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (डीएमटीएम) (₹ / किलोवाट घंटा)	डीएसएम की कीमत (₹ / किलोवाट घंटा)
2009-10	5.26	4.96	4.62
2010-11	4.79	3.47	3.91
2011-12	4.18	3.57	4.09
2012-13	4.33	3.67	3.86
2013-14	4.29	2.90	2.05
2014-15	4.28	3.50	2.26
2015-16	4.11	2.72	1.93

6.3.4. बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजनार्थ अभिवृद्धि कारकों तथा अन्य मानकों की अधिसूचना

वर्ष 2005 में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए “वितरण अनुज्ञापिधारियों द्वारा विद्युत की अवाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण के लिए मार्ग निर्देश” के अनुसार आयोग से बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजन के लिए प्रत्येक 6 माह में विभिन्न घटकों और अन्य मानकों की अधिसूचना अपेक्षित है। तदानुसार आयोग ने 07.04.2015 और 09.10.2015 के अधिसूचना के माध्यम से उत्पादन परियोजनाओं के लिए वृद्धि घटकों और अन्य मानकों को अधिसूचित किया और 31.03.2015 और 05.10.2015 की अधिसूचना के माध्यम से पारेषण परियोजनाओं के लिए वृद्धि घटकों और अन्य पैरामीटरों को अधिसूचित किया।

6.4 थर्मल उत्पादन

केन्द्रीय आयोग केन्द्रीय क्षेत्र की थर्मल पावर उत्पादन कंपनियों अर्थात् एनटीपीसी लि., उत्तर-पूर्वी विद्युत पावर कार्पोरेशन लि. (नीपको), नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन(एनएलसी), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), संयुक्त उद्यम कंपनियों जैसे कंपनियों के टैरिफ को नियमित करता है जिसमें सीपीएसयू और आईपीपी शामिल है जिन्होंने आरंभ की गई प्रतिस्पर्धा टैरिफ आधारित बोली की निर्धारित अवधि से पूर्व दीर्घकालीन हिताधिकारियों के साथ पीपीए हस्ताक्षरित किया।

6.4.1 थर्मल उत्पादन का टैरिफ निर्धारण

6.4.1.1 एनटीपीसी लिमिटेड के थर्मल उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ

क. 31.03.2016 को एनटीपीसी लिमिटेड की उत्पादनकारी केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 38191.64 मैगावाट (वाणिज्यिक) थी जिसमें कोयले पर आधारित 34175 मैगावाट तथा प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित 4016.64 मैगावाट शामिल है। वर्ष 2015-16 के दौरान एनटीपीसी ने बड़ एसटीपीएस-II में 660 मेगावाट में नई क्षमता को जोड़ा। 31.03.2016 को संस्थापित क्षमता तथा एनटीपीसी के प्रत्येक उत्पादनकारी स्टेशन/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुबंध II** में दी गई है।

ख. 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने एनटीपीसी के नीचे दिए गए नए स्टेशन के लिए 2009-14 के टैरिफ के स्वीकृति प्रदान की।

क. मौदा एसटीपीएस, स्टेज-I
(2X500MW)

ख. विंध्याचल एसटीपीएस, स्टेज-IV
(2X500MW)

ग. 2009-14 की अवधि के लिए रिहन्द एसटीपीएस, स्टेज-IV (2X500MW)

ग. 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ का द्रौद्धंग अप

आयोग ने केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें), विनियम 2009 के विनियम 6(1) के परन्तुक के

अनुसार 1.4.2009 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित (9) एनटीपीसी केन्द्रों के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण को अनुमोदित किया:



- क. तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-I) (1000 मेगावाट)
- ख. सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2000 मेगावाट)
- ग. टांडा थर्मल पावर स्टेशन (440 मेगावाट)
- घ. रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (1000 मेगावाट)
- ङ. कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-III (500 मेगावाट)
- च. फिरोज गांधी उनचाहर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-I) (420 मेगावाट)
- छ. फिरोज गांधी उनचाहर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-II) (420 मेगावाट)
- ज. सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (1000 मेगावाट)
- झ. सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (1000 मेगावाट)

घ. 2009–14 की अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों पर पुनरीक्षण याचिकाएं:

एनटीपीसी द्वारा दाखिल एनटीपीसी उत्पादन केन्द्रों की 2009–14 की अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों पर निम्नलिखित 3 पुनरीक्षण याचिकाओं को आयोग द्वारा निपटाया गया:

- क. 01.04.2009 से 31.03.2014 की अवधि के लिए कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I - II (2100 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण याचिका संख्या 230/जीटी-13 में 05.11.2014 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण।
- ख. 31.01.2010 से 31.03.2014 की अवधि के लिए नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (2x490 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण याचिका संख्या 17/जीटी-13 में 04.12.2014 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण।



ग. 01.04.2009 से 31.03.2014 की अवधि के लिए कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-III (500 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में याचिका संख्या 208/जीटी-13 और 305/जीटी-14 में 31.08.2015 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण।

ड 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने 2009–14 अवधि के लिए टीपीएस स्टेज-I (2x500 मेगावाट) और टीपीएस स्टेज-IV (2x500 मेगावाट) के लिए टैरिफ अनुमोदित किया।

6.4.1.2 नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के थर्मल उत्पादन केन्द्रों का टैरिफ

31.03.2015 को नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 2740 मेगावाट थी। संस्थापित क्षमता और एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध-III में दी गई है।

थर्मल पावर स्टेशन-1 तमिलनाडु राज्य को समुचित विद्युत की आपूर्ति करता है। थर्मल पावर स्टेशन-2 (स्टेज 1 और 2) और थर्मल पावर स्टेशन 1(विस्तार) दक्षिण क्षेत्र अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के संघटकों को विद्युत की आपूर्ति करता है। राजस्थान में बरसिंगसर में थर्मल पावर स्टेशन आधारित सीएफबीसी टेक्नालॉजी राजस्थान की वितरण कंपनियों को विद्युत की आपूर्ति करता है।

2009–14 अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने 31.03.2014 तक यूनिट-I और यूनिट-II के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अवधि के लिए नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के सीएफबीसी तकनीक आधारित बरसिंगसर थर्मल पावर संयंत्र के लिए टैरिफ अनुमोदित किया।

आयोग ने 2010–11 से 2013–14 की अवधि के लिए माइन-2 विस्तार लिग्नाइट लागत को शामिल करने के कारण पूल लिग्नाइट कीमत के पुनरीक्षण के लिए याचिका संख्या 68/एमपी/13 में

07.05.2015 के आयोग के आदेश के पुनरीक्षण को 21.01.2016 के आदेश के माध्यम से निपटान किया।

6.4.1.3 दामोदर घाटी निगम के थर्मल उत्पादन केन्द्रों के टैरिफ

अ. 31.3.2015 को दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 6210 मेगावाट थी। वर्ष 2015–16 के दौरान डीवीसी ने कोडरमा टीपीएस (2x500 मेगावाट) 500 मेगावाट क्षमता के यूनिट 2 के आंश सहित थर्मल उत्पादन क्षमता में 500 मेगावाट को जोड़ा। 31.3.2015 को संस्थापित क्षमता और डीवीसी की थर्मल उत्पादन केन्द्रों के प्रत्येक यूनिट को आरंभ करने की तारीख अनुबंध-IV में दी गई है।

2009–14 अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से (18.07.2013) से 31.03.2014 तक कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन (2x500 मेगावाट) के यूनिट-I के लिए 06.07.2015 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित किया।

आयोग ने यूनिट-I (15.05.2012) और यूनिट-II (05.03.2013) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2014 तक दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन यूनिट-I और यूनिट-II (2x500 मेगावाट) के यूनिट-I और यूनिट-II के लिए टैरिफ अनुमोदित किया।

6.4.1.4 उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम का टैरिफ (नीपको)

31.3.2015 को नीपको का गैस आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित क्षमता 375 मेगावाट की अर्थात् असम जीपीएस (291 मेगावाट) और अगरतला जीपीएस (84 मेगावाट)। यह दोनों केन्द्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हिताधिकारियों को विद्युत की आपूर्ति करते हैं। असम गैस विद्युत केन्द्र संयुक्त साईकिल मोड में चलते हैं जबकि अगरतला गैस पावर केन्द्र मुक्त साईकिल में चलते हैं। दोनों केन्द्रों में लघु क्षमता के टर्बाइन (50 मेगावाट यूनिट आकार से कम) हैं। प्रत्येक उत्पादन केन्द्र की संस्थापित

क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध—V में दी गई है।

2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ का अंतिम ट्रॉइंग अप

आयोग ने 2009–14 से 2013–14 के दौरान उपगत वास्तविक पूँजी व्यय पर आधारित नीपको के अगरतला गैस टरबाइन पावर परियोजना (4×21 मेगावाट) तथा 2009–14 की अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूँजी व्यय सहित पूँजी व्यय के संबंध में ट्रॉइंग अप कार्य के बाद असम गैस आधारित विद्युत परियोजना (291 मेगावाट) के संबंध में 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ का पुनरीक्षण अनुमोदित किया।

2009–14 की अवधि के लिए पुनरीक्षण याचिका

याचिका संख्या 237/जीटी/13 में 06.04.2015 के आयोग के आदेश द्वारा पीड़ित जिसके द्वारा आयोग ने 2009–14 की अवधि के लिए मूल्हास की संगणना तथा संयंत्र के शेष उपयोगी जीवन की संगणना के आधार पर उक्त आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए असम गैस आधारित पावर परियोजना (291 मेगावाट), नीपको के टैरिफ को अवधारित किया।

आयोग ने अभिमत सहित पुनरीक्षण याचिका को 26.11.2015 के आदेश के माध्यम से निपटान किया कि गैर ईंजन पर बड़ा आर एण्ड एम कार्य किये जाने का प्रस्ताव है और व्यय के फेस में पुनरीक्षण द्वारा टैरिफ अवधि 2014–19 के दौरान पूरा होने का प्रस्ताव है और आर एवं एम का लाभ अगली टैरिफ अवधि (2014–19) के दौरान हिताधिकारियों को आगे बढ़ाई जाएगी, संयंत्रों को शेष उपयोगी जीवन की संगणना के लिए तथा 2009–14 की अवधि के लिए मूल्हास की संगणना के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना इस याचिका में और अधिक बनी नहीं रहती। तदानुसार पुनरीक्षण याचिका निष्फल के रूप में खारिज की जाती है।

2014–19 अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने निम्नानुसार टैरिफ अनुमोदित किया।

क. 01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र (291 मेगावाट)

ख. 01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए नीपको के अगरतला गैस टरबाइन विद्युत परियोजना (4×21 मेगावाट)

नीपको ने केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अनुसार 31.03.2019 तक गैस टरबाइन/स्टील टरबाइन यूनिट की प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अवधि के लिए त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत संयंत्र (101 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या 48/जीटी/15 दाखिल की।

आयोग ने याचिकाकर्ता के प्रक्रिया आरंभ होने के बाद टैरिफ विनियम, 2014 के उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2019 तक उत्पादन केन्द्र के टैरिफ के अवधारण के लिए उपयुक्त आवेदन सहित आयोग से संपर्क करने के लिए याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता सहित निष्फल के रूप में इस याचिका का 27.11.2015 के आदेश के माध्यम से निपटान किया।

एनटीपीसी, एनएलसी, डीवीसी और नीपको जैसे सीपीएसयू से संबंधित थर्मल केन्द्रों के लिए 31.03.2016 के अनुसार ऊर्जा प्रभार अनुबंध—VI में संलग्न है।

6.4.1.5 संयुक्त उद्यम कंपनियों के थर्मल केन्द्रों के लिए टैरिफ (2009–14)

आयोग ने संयुक्त उद्यम कंपनियों के निम्नलिखित थर्मल पावर स्टेशनों के लिए टैरिफ अनुमोदित किया:

क. 2009–14 की अवधि के लिए एनटीपीसी तमिलनाडु ऊर्जा कंपनी लि. के वेलुर थर्मल पावर परियोजना (3×500 मेगावाट)।

ख. वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख से अर्थात् 26.04.2013 से 31.03.2014 तक अरावली पावर



कारपोरेशन लि. के इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना (3×500 मेगावाट) का यूनिट-III (500 मेगावाट)।

- ग. यूनिट-I के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अर्थात् 01.11.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए कान्ती बिजली उत्पादन निगम लि. के मुजफ्फरपुर थर्मल पावर योजना परियोजना, स्टेज-I (2×110 मेगावाट) तथा 31.10.2013 को स्वीकृत पूंजी लागत पर आधारित द्रौद्धिंग अप कार्य के बाद संशोधित नियत प्रभार और यूनिट-I की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (01.11.2013) से 31.03.2014 तक उपगत वास्तविक पूंजी व्यय।
- घ. ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लि. की पलाटना संयुक्त साइकिल गैस टरबाइन विद्युत परियोजना (2×363.3 मेगावाट) की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (04.01.2014) से 31.03.2014 तक ब्लॉक-I (363.3 मेगावाट)

6.4.1.6 स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों के थर्मल उत्पादन केन्द्रों का टैरिफ

क. टोरंट पावर लि.

टैरिफ अवधि 2009–14

आयोग ने याचिका संख्या 221/जीटी/13 में 01.10.2014 के आदेश द्वारा निर्धारित टैरिफ के द्रौद्धिंग अप के बाद वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2014 तक अवधि के लिए टोरंट पावर लि. के सुजैन पावर संयंत्र (1147.5 मेगावाट) के वार्षिक नियत प्रभारों के पुनरीक्षण को 25.06.2015 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित किया।

आयोग ने याचिका संख्या 175/जीटी/13 में 06.12.2013 के आदेश द्वारा अनुमत पूंजी व्यय की द्रौद्धिंग अप के बाद वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (04.04.2013) से 31.03.2014 की अवधि के लिए टोरंट पावर लि. के यूनो सुजैन पावर संयंत्र (382.5

मेगावाट) के वार्षिक नियत प्रभारों को 30.10.2015 के आदेश के माध्यम से संशोधित किया।

टैरिफ अवधि 2014–19

आयोग ने 01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए टोरंट पावर लि. के सुजैन मैगा पावर संयंत्र (1147.5 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ को अनुमोदित किया।

ख. उद्भूपी पावर कारपोरेशन लि.

टैरिफ अवधि 2009–14

2014 की अपील संख्या 108 में 15.05.2015 के अपीलीय विद्युत न्यायधिकरण के निर्णय के अनुसार यूनिट-II के लिए 19.08.2012 से 31.03.2014 और उत्पादन केन्द्र (यूनिट-I और यूनिट-II) के लिए 11.11.2014 से 18.08.2012 तक की अवधि के लिए उद्भूपी थर्मल पावर स्टेशन (2×600 मेगावाट) के टैरिफ को संशोधित किया।

ग. जीएमआर कम्लांग एनर्जी लि.

टैरिफ अवधि 2009–14

आयोग ने 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए ग्रिडको के लिए जीएमआर कम्लांग एनर्जी लि. के कम्लांग पावर संयंत्र (2×350 मेगावाट) से 262.5 मेगावाट सकल क्षमता बिक्री के संबंध में उत्पादन टैरिफ को निर्धारित किया।

6.5 थर्मल उत्पादन में आयोग द्वारा पता लगाए गए अन्य मुद्दे

6.5.1 प्रत्यर्थी 1 और 2 के लिए (हरियाणा राज्य में स्थित) के लिए आपूर्ति की समन्वित योजना से संबंधित विवादों के मामले में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 एवं 62 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका / आवेदन

झज्जर पावर लि. ने हरियाणा राज्य में 1320 मेगावाट (2×660 मेगावाट) की क्षमता सहित महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट को स्थापित, स्वामित्व एवं परिचालित किया। झज्जर पावर लि. ने उत्तर

हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. तथा याचिकाकर्ता के बीच अन्य मुद्राओं में क्षमता प्रभारों के भुगतान एवं वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के संबंध में विवादों के अधिनिर्णय के लिए याचिका दाखिल की।

आयोग ने 25.01.2016 के आदेश के माध्यम से मामले के अधिनिर्णय के बाद विविध मामलों पर निर्णय दिया और कुछ महत्वपूर्ण मुद्रे नीचे दिए गए हैं।

क. हरियाणा कंपनियों की मत में कोई बाध्यता नहीं है कि चूंकि विद्युत परियोजना में हरियाणा राज्य में स्थित है। अतः इसे एचईआरसी विनियमों द्वारा संचालित किया जाता है। तदानुसार यह निर्णय दिया गया कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी एबीटी विनियम तथा इस आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिडकोड द्वारा अधिशासित होते हैं। तदानुसार यह निर्देश है कि विगत तथा भावी सभी अधिक या कम अंतः क्षेपण के मामलों को केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 या समय—समय से यथा लागू केविविआ (अननुसूचीत अंतःपरिवर्तन प्रभार) विनियम, 2009, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार निपटाए जाते हैं।

ख. उपलब्ध आवश्यक उपाय अवाप्त कर्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए

कोयला प्राप्त करने के लिए पीपीए की अधीन किए गए लेकिन हरियाणा कंपनी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में विलंब के कारण रोके गए।

- ग. विद्युत परियोजना के सीओडी हरियाणा कंपनी और टीपीटी सीएल के साथ पीपीए के उपबंधों का अनुपालन करने के बाद 29.03.2012 को वैध रूप से घोषित किए गए।
- घ. आयोग के विनियम पीपीए के अनुच्छे 8.3 और 8.4 के अनुसार उपलब्धता और प्रेषण के प्रयोजन के लिए लागू होंगे।

6.5.2 बलशाली घटनाओं तथा विधि में परिवर्तन (प्रचालन अवधि) के कारण क्षतिपूर्ति के लिए पीटीसी और जीएमआर के बीच प्रविष्ट 12.03.2009 के बैक-टू-बैक पीपीए और हरियाणा एण्ड पीटीसी इण्डिया लि. में डिस्कॉम के बीच निष्पादित 07.08.2008 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12, 13 और 17 तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासी अवाप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका

आयोग ने विभिन्न सरकारी एजेन्सियों की अधिसूचनाएं, उद्घोषणा इत्यादि तथा पीपीए के अधीन उपबंधों को ध्यान में रखते हुए विधि घटनाओं में सभी परिवर्तन के विस्तृत परीक्षण के बाद निम्नानुसार 03.02.2016 के आदेश में निर्णय किया।

घटक	विधि स्थितियों में परिवर्तन
कोयले पर रॉयल्टी	अनुमत
विलन ऊर्जा उपकर का उदग्रहण	अनुमत
कोयले पर उत्पाद शुल्क	अनुमत
जीसीवी आधारित कीमत के लिए यूएचवी आधारित कीमत से परिवर्तन	गैर अनुमत
लिंकेज कोयले की मात्रा में कमी	अनुमत
रेलवे भाड़ा प्रभार	गैर अनुमत
वैट और मैट	गैर अनुमत
जल प्रभारों में वृद्धि	गैर अनुमत



6.5.3 याचिका संख्या 15/एम/14 के विविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 44(छूट की शक्ति) के उपबंधों के अनुसार नीपको के अगरतला गैस टरबाइन पावर स्टेशन तथा असम गैस आधारित पावर स्टेशन के हीट दर मानदण्डों की छूट

नीपको लि. ने याचिका दाखिल की जिसमें असम गैस आधारित पावर प्लांट और अगरतला गैस टरबाइन प्लांट के हीट दर के मानदण्डों में छूट की मांग की। याचिकाकर्ता ने इस कारण निवेदन किया कि (i) या एफएसएन मोड या आंशिक भार पर गैस टरबाइन का प्रचालन (ii) यूनिट पिछले 15 वर्षों से प्रचालन में है और आयु घटक पर विचार करने की आवश्यकता है। ;पपपद्ध उच्च तापमान के कारण गैस टरबाइन आउटपुट में कमी और (iv) एजीटीपीपी की हीट दर, उच्च आर्द्रता गैस टरबाइन आउटपुट में कमी में वृद्धि हुई है।

याचिकाकर्ता तथा प्रत्यर्थी एवं रिकॉर्ड पर दस्तावेजों की जांच के बाद 05.02.2016 के आदेश में आयोग ने 2009–14 अवधि के लिए उत्पादन केन्द्रों के लिए हीट दर मानदण्डों की छूट का कोई कारण नहीं पाया और तदानुसार याचिका का निपटान किया।

6.5.4 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान जिले में गरचरम में एनटीपीसी लि. के 5 मेगावाट सौर पीवी परियोजना के लिए जेनरिक टैरिफ की प्रयोज्यता से संबद्ध मामले के संबंध में विवाद के अधिनिर्णय के लिए केविविआ (कारोबार का संलालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 और 119 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका

एनटीपीसी लि. ने 5 मेगावाट सौर पीवी परियोजना के लिए जेनरिक टैरिफ की प्रयोज्यता से संबद्ध मामले के संबंध में विवाद के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका दाखिल की। एनटीपीसी ने निवेदन किया कि चूंकि परियोजना 31.03.2013 को अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान आरंभ हुई थी अतएव स्तरीकृत टैरिफ याचिका संख्या 256/2010 में

09.11.2010 के आयोग के आदेशानुसार 12.94 रुपये/प्रतिकिलोवाट घण्टे (वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ प्राप्त करने सहित) और 15.39 रुपये/प्रतिकिलोवाट घण्टे (वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ प्राप्त करने के बिना) होगा।

प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने 31.03.2013 के 00.00 घण्टे से परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख घोषित की। प्रत्यर्थी के अनुसार याचिकाकर्ता ने चरणबद्ध ढंग से अर्थात् अंडमान निकोबार विद्युत ग्रिड के साथ अपने इन्वर्टर संख्या 30.3.2013 को 3 और 4, 31.03.2013 को 1 और 2 तथा 01.04.2013 को 5 और 6 सिंक्रॉनाइज करते हुए चरणबद्ध रूप से परियोजना को आंरभ किया और 15.04.2013 को इसे पूरा किया।

आयोग ने निवेदनों और दस्तावेजी साक्ष्यों इत्यादि को विश्लेषित करने के बाद 09.02.2016 के आदेश में यह पाया कि 01.04.2012 से 31.03.2017 तक प्रभावी नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों के विनियम, 2008 की सूची स्पष्ट है जिसमें विशेष वर्ष के लिए निर्धारित जेनरिक टैरिफ की प्रयोज्यता अगले वर्ष के लिए वैध होगी यदि संयंत्र अगले वर्ष के अंत से पूर्व पूर्णता आंरभ किया गया है। यह उस स्थिति में लागू नहीं होगा यदि पीपीए वित्तीय वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ जो वित्तीय वर्ष के दो वर्ष (या अधिक) पूर्व था जिसमें सौर पीवी परियोजना का आरंभ हुआ। तदानुसार याचिका संख्या 243/एसएम/12 में 28.02.2013 के आदेश के माध्यम से वर्ष 2013–14 के लिए सौर पीवी के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 8.75 (बिना वृद्धिशील मूल्यहास) और 7.87 रुपये (वृद्धिशील मूल्यहास सहित) का जेनरिक टैरिफ याचिकाकर्ता के लिए लागू होगा।

6.5.5 कोयले के परिवहन के लिए अपेक्षित रेल अवसंरचना के वृद्धि के लिए भारतीय रेल के माध्यम से उपगत व्यय पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की मांग करते हुए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 54 और 55 के अधीन याचिका

एनटीपीसी ने याचिका दाखिल की जिसमें टैरिफ के प्रयोजन के लिए विद्युत परियोजनाओं की पूंजी लागत में कोयल के परिवहन के लिए अपेक्षित

रेल अवसंरचना (10.12.2012 की रेल बोर्ड नीति के अनुसार) के क्षमता वृद्धि और/या रेल संयोजकता को समय से पूरा होने के लिए भारतीय रेलवे के माध्यम से उपगत व्यय पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन की मांग की गई।

तथापि आयोग ने परियोजना की पूँजी लागत में इस प्रकार के व्यय पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

6.5.6 22.04.2009 से 31.07.2011 की अवधि तक के लिए भिलाई विस्तार विद्युत संयंत्र (2ग250 मेगावाट) के संबंध में यूआई प्रभारों की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के अध्याय-III के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका

एनटीपीसी – सेल पावर कंपनी लि. (एनएसपीसीएल) ने यूआई प्रभारों के भुगतान के संबंध में याचिका संख्या 53/एनपी/12 में 01.10.2014 के आयोग के आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग की जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रत्यर्थी, छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र यूआई प्रभारों की संगणना के लिए गलत तरीके से उक्त आदेश की गलत व्याख्या कर रहा है।

05.05.2015 को सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि सीएसपीटीसीएल को आयोग के आदेश के कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं है और सहमति व्यक्त की कि केन्द्रीय पारेषण कंपनी से प्रत्यक्ष संयोजकता 170 मेगावाट तक सीमित नहीं है लेकिन 22.04.2009 से 31.07.2011 तक की अवधि के दौरान सभी आईएसटीएस विद्युत के लिए लागू है जब केन्द्र का अनुसूचीकरण सीएसएलडीसी द्वारा किया गया। प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि के निवेदन को ध्यान में लेते हुए आयोग ने 19.02.2016 के आदेश के माध्यम से सीएसएलडीसी को निर्देश दिया कि 170 मेगावाट की सीमा लागू किए बिना 22.09.2009 से 31.07.2011 तक की अवधि के लिए यूआई लेखांकन को संशोधित किया जाए।

6.5.7 याचिका संख्या 33/एमपी/2014 एवं आई.ए. संख्या 62/2014 – केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 21 के अनुसार एनटीपीसी और डीवीसी द्वारा व्यौरे प्रस्तुत न करने के परिणाम के रूप में उत्पन्न विवाद

टाटा पावर दिल्ली वितरण लि. ने उक्त याचिका दाखिल की जिसमें ऊर्जा प्रभारों के अवधारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए समय-समय से यथासंशोधित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के फॉर्म 15 में उल्लिखित व्यौरों तथा सहायक दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने के लिए एनटीपीसी लि. और दामोदर वैली कारपोरेशन लि. को उचित निर्देश की मांग की गई।

आयोग ने 19.02.2016 के आदेश में विभिन्न मुद्दों पर विचारविमर्श किया और उत्पादन कंपनियों को कड़े निर्देश दिए गए जिनका टैरिफ निम्नलिखित का कड़ाई से पालन करने के लिए आयोग द्वारा विनियमित किया जा रहा है।

- (i) टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 30(7) तथा उसके अधीन प्रथम परन्तुक के अनुसार संबंधित हिताधिकारियों को अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध करवाना।
- (ii) टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 30(7) के अधीन द्वितीयक परन्तुक के अनुसार यथा अपेक्षित व्यौरे संबंधित की वेबसाइट पर तीन माह की अवधि के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे।
- (iii) हिताधिकारियों को बिलिंग प्राप्त आधार पर जीसीवी के अनुसार कड़ाई से किए जाएंगे। यह दिल्ली के उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अध्याधिन होगा।

आयोग ने निर्देश दिया कि हिताधिकारियों को प्राप्त आधार के रूप में कोयले के जीसीवी के आधार पर अदा करना अपेक्षित है। सभी उत्पादन कंपनियों को तंत्र संस्थापित करेंगे और प्राप्त आधार



के रूप में कोयले के जीसीवी के परिमापन के लिए सुविधाओं को संस्थापित करेंगे यदि पहले ऐसा नहीं किया गया और प्राप्त आधार पर परिमापन करेंगे और उसे टैरिफ विनियमों 2014 के विनियम 30(7) के अनुसार हिताधिकारियों से शेयर करेंगे। हिताधिकारियों से विनियमों के पैरामीटरों के अन्दर उनके अनुप्रश्नों को कड़ाई से सीमित करने का निर्देश है।

संख्या 62/2014 में याचिकाकर्ता ने सितम्बर, 2015 तक या प्रचलित विनियमों के अनुसार आयोग की संतुष्टि के लिए ईंधन इनवाइस के ब्यारे प्रस्तुत करने की अपेक्षा सहित अनुपालन को दर्शाने के लिए प्रत्यर्थियों को 01.04.2014 से परवर्ती लागत में किसी वृद्धि की वसूली के लिए प्रत्यर्थियों को नियंत्रित करने के लिए निर्देशों हेतु प्रार्थना की है।

तथापि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थियों को ईंधन ऊर्जा प्रभार में वृद्धि के गैर भुगतान के संबंध में किसी निर्देश जारी करने के लिए प्रवृत्त नहीं था चूंकि टैरिफ विनियम, 2014 का विनियम 30(7) का प्रयोजन ऊर्जा प्रभारों के संचालन में पारदर्शिता लाना है।

6.5.8 आयोग ने अरावली पावर कंपनी (प्रा. लि.) द्वारा दाखिल याचिका संख्या 160/एमपी/2013 29.02.2016 के माध्यम से निपटान किया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 अर्थात् बीएसईएस यमुना पावर लि. और बीएसईसी राजधानी पावर लि. को निर्देश दिया कि विलंबित भुगतान अधिभारों सहित देय बकाया का भुगतान करें।

6.5.9 याचिका संख्या 81/एम/2013: प्रतिस्पर्धात्मक बोली और हरियाणा तथा पीटीसी इण्डिया लि. में डिस्कॉम के बीच निष्पादित 07.08.2008 के विद्युत व्यय क्रय करार के अनुच्छेद 12, 13 और 17 तथा विधि में परिवर्तन और घटनाओं के कारण (निर्माण अवधि) क्षतिपूर्ति के लिए जीएमआर और पीटीसी के विरुद्ध प्रविष्ट 12.03.2009 के बेक-टू-बेक पीपीए के माध्यम से विद्युत की अवाप्ति को अभिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क के

साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।

आयोग ने इस निर्देश के साथ याचिका का निपटान किया कि वीज़ा नीति के कारण परियोजना पर कार्य के निष्पादन में विलंब को छोड़कर उसके अधीन याचिका संख्या 1 के सभी दावों को रद्द किया गया है। वीज़ा नीति के कारण विलंब के लिए याचिकाकर्ता हरियाणा पीपीए के अनुच्छेद 4.6.1 के अधीन उदग्रहणीय दण्ड के परित्याग के अतिरिक्त तीन माह तक परियोजना के स्कोट के स्थगन के लाभ के लिए हकदार होंगे। विधि में परिवर्तन के अधीन याचिकाकर्ता के सभी दावे सेवा पर व्यय के प्रभाव सहित सिविल कार्य पर सेवाकर को छोड़कर रद्द किए गए हैं।

6.5.10 केविविआ टोटल (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और संयोजकता प्रदान करना तथा संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(के) के अधीन याचिका जिसमें 31.03.2016 के आगे (4x600 मेगावाट) विद्युत संयंत्र के यूनिट-4 के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इनफर्म विद्युत के अंतः क्षेपण की स्वीकृति अनुमति की मांग की गई।

जिंदल पावर लि. ने याचिका दाखिल की जिसमें 30.09.2016 से छत्तीसगढ़ राज्य में तमनार रायगढ़ जिले में थर्मल पावर परियोजना 2400 मेगावाट (4x600 मेगावाट) के यूनिट 4 के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा तक छ: माह की अवधि के आगे पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के दौरान ग्रिड में इनफर्म विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए आयोग की अनुमति की मांग की गई। 28.03.2016 के आदेश के माध्यम निम्नलिखित निर्देशों के साथ याचिका का निपटान किया गया:

“याचिकाकर्ता द्वारा सामना की गई समस्याओं पर विचार करते हुए हम 30.09.2016 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख तक, जो भी पहले हो, यूनिट-4 के पूर्ण भार परीक्षण सहित

परीक्षणों को आरंभ करने के लिए ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति देते हैं। हम इस तारीख तक परियोजना की यूनिट-4 के वाणिज्यिक प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयासों हेतु याचिकाकर्ता से आशा रखते हैं।”

6.6 हाइड्रो उत्पादन

आयोग ने वर्ष 2015-16 के दौरान सीपीएसयू द्वारा अर्थात् एनएचपीसी, एनएचडीसी, नीपको, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी, डीवीसी, एनटीपीसी, बीबीएमबी और मैसर्स जयप्रकाश पावर वेन्चर लि. द्वारा स्वामित्व के आईपीपी केन्द्र जो 14462.93 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता रखने वाले उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं द्वारा स्वामित्व के 35 केन्द्रीय क्षेत्र हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के विनियमित टैरिफ हैं। इनके ब्यौरे अनुबंध-VII में दिए गए हैं।

2009-14 अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए ढूँढ़ अप कार्य, नए आरंभ किए गए केन्द्रों (2009-14) के अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन, 2014-19 अवधि के लिए टैरिफ का अनुमोदन, पुनरीक्षण याचिकाएं, विविध याचिकाएं, आरएण्डएम याचिकाएं इत्यादि के संबंध में उत्तरी हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के संबंध में 43 याचिकाएं वर्ष 2015-16 के दौरान ली गईं। आयोग ने 2015-16 के दौरान हाइड्रो परियोजनाओं की 26 याचिकाओं (22 जीटी, 03 एमपी और 01 आरपी) के संबंध में आदेश डिलीवर किए। ब्यौरे अनुबंध-VIII में दिए गए हैं।

43 याचिकाओं की वर्ष 2015-16 के दौरान सुनवाई की गई। इसके बाद निम्नलिखित हाइड्रो केन्द्रों के अंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिकाओं का निपटान किया गया।

- (i) एनएचपीसी की नीमू बजगू हाइड्रो पावर स्टेशन ($3 \times 15 = 45$ मेगावाट) की 2009-14 अवधि के लिए टैरिफ
- (ii) एनएचपीसी की यूरी-II हाइड्रो पावर स्टेशन ($4 \times 60 = 240$ मेगावाट) की 2009-14 अवधि के लिए टैरिफ
- (iii) एनएचपीसी की पार्बती-II हाइड्रो पावर

स्टेशन ($3 \times 130 = 390$ मेगावाट) की 2008-09 अवधि के लिए टैरिफ

निम्नलिखित हाइड्रो केन्द्र की 2014-19 अवधि के दौरान आरंभ की गई नई परियोजनाओं के अनंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिकाएं निम्नानुसार निपटाई गईं।

- (i) एनटीपीसी का कोलदम हाइड्रो स्टेशन ($4 \times 200 = 800$ मेगावाट)

निम्नलिखित हाइड्रो स्टेशन की पुनरीक्षण याचिकाएं निम्नानुसार निपटाई गईं।

- (i) एनएचपीसी की टीएलडीपी-3 हाइड्रो स्टेशन ($4 \times 33 = 132$ मेगावाट)– 2009-14 अवधि के लिए टैरिफ

वास्तविक पूंजी व्यय (2012-14) पर आधारित 2009-14 अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए निम्नलिखित हाइड्रो स्टेशनों की ढूँढ़ अप याचिकाएं

- (i) एनएचपीसी का टनकपुर एच.ई. स्टेशन ($3 \times 31.4 = 94.20$ मेगावाट)

- (ii) एनएचपीसी का रनगित एच.ई. स्टेशन ($3 \times 20 = 60$ मेगावाट)

- (iii) एनएचपीसी का चमेरा एच.ई. स्टेशन ($3 \times 180 = 540$ मेगावाट)

- (iv) एनएचपीसी का धौलीगंगा पावर स्टेशन ($4 \times 70 = 280$ मेगावाट)

- (v) एनएचपीसी का लोकटक एच.ई. स्टेशन ($3 \times 35 = 105$ मेगावाट)

- (vi) एनएचपीसी का बैरासियूल एच.ई. स्टेशन ($3 \times 60 = 180$ मेगावाट)

- (vii) एनएचपीसी का सलाल एच.ई. स्टेशन ($6 \times 115 = 690$ मेगावाट)

- (viii) नीपको का कोपीली एच.ई. स्टेशन ($4 \times 50 = 200$ मेगावाट)

- (ix) नीपको का खंदोंग एच.ई. स्टेशन ($2 \times 25 = 50$ मेगावाट)



(x) नीपको का कोपीली-II एच.इ. स्टेशन
($1 \times 25 = 25$ मेगावाट)

(xi) नीपको का रंगानदी एच.इ. स्टेशन
($3 \times 135 = 405$ मेगावाट)

(xii) नीपको का दोयंग एच.इ. स्टेशन
($3 \times 25 = 75$ मेगावाट)

(xiii) बीबीएमबी (बीबीएमबी के छ: स्टेशन),
2900.73 मेगावाट

2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित हाइड्रो केन्द्रों की याचिकाओं का निपटान किया:

(i) एनएचपीसी का टनकपुर एच.इ. स्टेशन
($3 \times 31 - 4 = 94 - 20$ मेगावाट)

(ii) एनएचपीसी का रनगित एच.इ. स्टेशन
($3 \times 20 = 60$ मेगावाट)

(iii) एनएचपीसी का चमेरा एच.इ. स्टेशन
($3 \times 180 = 540$ मेगावाट)

(iv) एनएचपीसी का धौलीगंगा पावर स्टेशन
($4 \times 70 = 280$ मेगावाट)

(v) एनएचपीसी का लोकटक एच.इ. स्टेशन
($3 \times 35 = 105$ मेगावाट)

(vi) एनएचपीसी का बैरासियूल एच.इ. स्टेशन ($3 \times 60 = 180$ मेगावाट)

(vii) एनएचपीसी का सलाल एच.इ. स्टेशन
($6 \times 115 = 690$ मेगावाट)

(viii) नीपको का कोपीली एच.इ. स्टेशन
($4 \times 50 = 200$ मेगावाट)

(ix) नीपको का खंदोंग एच.इ. स्टेशन
($2 \times 25 = 50$ मेगावाट)

(x) नीपको का कोपीली-II एच.इ. स्टेशन
($1 \times 25 = 25$ मेगावाट)

(xi) नीपको का रंगानदी एच.इ. स्टेशन
($3 \times 135 = 405$ मेगावाट)

(xii) नीपको का दोयंग एच.इ. स्टेशन
($3 \times 25 = 75$ मेगावाट)

उत्पादन यूनिटों को अंतिम रूप के 'फ्री गवर्नर मोड ऑपरेशन' से संबंधित समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।



6.7 नवीकरणीय ऊर्जा

6.7.1 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आरंभ किए जाने वाली सौर पीवी और सौर थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए बेंच मार्क पूँजी लागत मानदण्ड के निर्धारिण के मामले में आदेश (स्व:प्रेरणा आदेश एसएम/005/2015 दिनांक 31.03.2015)

आयोग ने 605.82 लाख रुपये प्रति मेगावाट पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सौर पीवी पावर परियोजनाओं के लिए बेंचमार्क पूँजी लागत मानदण्ड निर्धारित किया।

1200 लाख रुपये प्रति मेगावाट वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सौर थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए बेंचमार्क पूँजी लागत मानदण्ड निर्धारित किया।

6.7.2 केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2012 के विनियम 8 के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए जेनरिक स्तरीकृत उत्पादन टैरिफ का निर्धारण याचिका संख्या एस/004/2015 (स्व:प्रेरणा) से आदेश की (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम) तारीख 06.02.2012 को अधिसूचित किया। नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के निम्नलिखित श्रेणियों के टैरिफ के निर्धारण के लिए क्रियाविधि और निबंधन व शर्तों की व्यवस्था है:

- क. पवन ऊर्जा परियोजना
- ख. लघु हाइड्रो परियोजना
- ग. बायोमास पावर परियोजना
- घ. गैर फॉसिल ईंधन आधारित सहउत्पादन संयंत्र
- ड. सौर फोटो वोल्टेक पावर परियोजना
- च. सौर थर्मल पावर परियोजना
- छ. बायोमास गैसी फायर आधारित विद्युत परियोजना



ज. बायोमास आधारित पावर परियोजना

नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों के विनियम 8 के खण्ड 1 में यह व्यवस्था है कि “आयोग नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के लिए नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के आरंभ में अग्रिम रूप से कम से कम छः माह में स्वःप्रेरणा याचिका के आधार पर जेनरिक टैरिफ को निर्धारित करेगा जिसके लिए मानदण्ड विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए हैं।” आयोग ने 08.02.2012 को नवीकरणी ऊर्जा टैरिफ विनियम अधिसूचित किए और उसके बाद नियंत्रण अवधि के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में जेनरिक स्वःप्रेरणा टैरिफ आदेश जारी किए। नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों के विनियम 8(1) के अधीन अधिदेश के निर्वाह में 31.03.2015 से आदेश के माध्यम से नियंत्रण अवधि के चौथे वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16) के लिए नवीकरणी ऊर्जा परियोजनाओं के जेनरिक टैरिफ को निर्धारित किया। टैरिफ के ब्यौरे अनुबंध-IX में दिए गए हैं।

6.8 पारेषण

देश में पारेषण प्रणाली में तेज गति से विकास हो रहा है और आयोग टैरिफ के निर्धारण, ट्रूइंग अप याचिकाएं तथा संयोजकता से संबंद्ध विविध याचिकाएं, निर्बाध पहुंच, अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों की शेयरिंग तथा विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं ग्रिड संबद्ध मुद्दों से संबंधित वृहत कार्य का संचालन करता है।

टैरिफ विनियम 2014:

आयोग ने 01.04.2014 से आरंभ 31.03.2019 तक की अवधि के लिए 12.03.2014 के शासकीय अधिसूचना के माध्यम से केविविआ (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 जारी किया। कई टैरिफ याचिकाएं 31.03.2014 तक और 2014–19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण तक उपगत पूँजी व्यय की ट्रूइंग अप के लिए अन्य अनुज्ञाप्तिधारियों और पावर ग्रिड द्वारा दाखिल किए गए।

क. पारेषण टैरिफः

आयोग ने टैरिफ अवधि 2014–19 के दौरान आरंभ की जाने वाली प्रत्याशित/आरंभ की गई पारेषण आस्तियों के लिए अनंतिम आदेशों सहित अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध याचिकाओं में कई आदेश जारी किए। अधिकांश टैरिफ याचिकाएं केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के अधीन 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंग अप से संबद्ध पावर ग्रिड द्वारा दाखिल की गई और केविविआ के अधीन (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए दाखिल की गई और कई याचिकाएं केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन 2015–16 के दौरान आरंभ की जाने वाली प्रत्याशित/आरंभ की गई आस्तियों के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए थी।

आयोग ने 01.04.2009 से 31.03.2014 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस व प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 5 के अधीन फीस व प्रभारों की ट्रूइंग अप के संबंध में आदेश जारी किए।

ख. ग्रिड अनुशासन की मॉनिटरिंग व प्रवर्तनः

अन्य बातों के साथ–साथ भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में यह व्यवस्था है कि एनएलडीसी राष्ट्रीय ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा और प्रचालन की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा और आरएलडीसी संबंधित क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समन्वित प्रचालन और प्रचालनों की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

एनएलडीसी और आरएलडीसी ने कंपनियों द्वारा ग्रिड कोड के उल्लंघनों के संबंध में कई याचिकाएं दाखिल की। आयोग ने उल्लंघनों में अन्तर्ग्रस्त पार्टियों की सुनवाई के बाद कंपनियों द्वारा ग्रिड अनुशासन के प्रवर्तन और मॉनिटरिंग के लिए कई आदेश जारी किए। आयोग के कुछ आदेश सक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं।

(1) याचिका संख्या 113/एमपी/2014 में 27.11.2015 का आदेश: विभवसनीयता, चयनात्मकता, गति और संवेदनशीलता वाली सुरक्षा प्रणालियां उपलब्ध करवाने के मामले में और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 की विनियम 3(ई) के साथ पठित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 के विनियम 5.2(1) के अनुसार उन्हें कार्यात्मक रखते हुए, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की राज्यों प्रणालियों में फ्रिक्वेंसी रिलेज के अधीन ऑटोमेटिक के माध्यम से पर्याप्त भार शैँडिंग उपलब्ध करवाना, उन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के विनियम 5 के साथ पठित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 के विनियम 5.2(एन) के अनुसार उन्हें कार्यात्मक रखना और उनकी सीमाओं के निकट पारेषण प्रणाली के प्रचालन के लिए एनईआर ग्रिड में प्रणाली संरक्षण योजना उपलब्ध करवाना तथा उत्तरी-पूर्वी ग्रिड एवं अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय ग्रिड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 के विनियम 5.2(ओ) के अनुसार कैसकेड ट्रिपिंग, विवेचनीय घटकों की ट्रिपिंग जैसी रिस्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा एवं उनकी सीमाओं के निकट पारेषण प्रणाली के प्रचालन के लिए एनईआर ग्रिड में प्रणाली सुरक्षा संरक्षण योजनाएं उपलब्ध करवाना।

आयोग ने ऊपरिलिखित आदेश के माध्यम से यह पाया कि निर्धारित पैरामीटरों के अन्दर ग्रिड सुरक्षा और प्रचालन का अत्यधिक महत्व है और इस संबंध में किसी प्रकार के समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह भी पाया गया कि एनईआर के अन्य संघटक ग्रिड कोड के विनियम 5.2(एन), 5.2(आर) और 5.4.2(ई) के उपबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम एनईआर के

संघटकों को निर्देश देते हैं कि वे आदेश के जारी होने से एक माह के अंदर ग्रिड कोड के उपबंधों का पालन करने के लिए अपनी प्रणालियां बनाएं जिसके न होने की विधियों में अधिनियम की धारा 142 और अन्य संगत उपबंधों के अधीन समुचित कार्रवाई ग्रिड कोड के उपबंधों के गैर-अनुपालन के लिए उनके विरुद्ध की जाएगी। एनईआरपीसी और एनईआरएलडीसी को निर्देश दिया जाता है कि वे सेटिंग के नीचे यदि कोई है, डीएफ/डीटी तथा यूएफआर के प्रचालन के संबंध में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें और संबंधित राज्यों/कंपनियों द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवाई जाए। एनईआरपीसी को निर्देश है कि वे संरक्षक प्रणाली कमी को ठीक करने के लिए पीएसडीएफ से एनईआर के संघटकों द्वारा दी गई निधि अपेक्षा की पर्याप्तता के संबंध रिपोर्ट प्रस्तुत करें और आदेश के जारी होने से दो माह के अंदर एनईआर के सभी संघटकों के संबंध में संरक्षण लेखा परीक्षाओं टिप्पणियों की विधियों प्रस्तुत करें।

(2) याचिका संख्या 60/एमपी/2015 में 27.11.2015 का आदेश: केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के भाग 7(4) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(एफ) के अधीन याचिका के मामले में जिसमें केरल प्रणाली में डीएफ/डीटी संरक्षण योजना तथा एयूएफआर की स्काडा दृश्यता के मामले में केविविआ के समक्ष एसआरएलडीसी द्वारा दाखिल याचिका संख्या 263/एमपी/2012 में आयोग के आदेश दिनांक 19.12.2013 के कार्यान्वयन के लिए समय विस्तार की मांग करना।

याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद आयोग ने पाया कि याचिकाकर्ता ने 100 प्रतिशत भार राहत पूरी की और स्काडा प्रणाली सहित फीडरों के रिलेज की मैपिंग का 73 प्रतिशत प्राप्त किया। इसके अलावा फीडरों के साथ मैपिंग रिलेज की पूरा करने के लिए



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई टाईम लाइन पहले ही समाप्त हो गई है। आयोग ने 31.12.2015 तक एसआरपीसी को केएसईबीएल की स्काडा प्रणाली के लिए मैप की गई डीएफ/डीटी रिलेज और यूएफआर को पूरा करने के संबंध में पुष्टि रिपोर्ट दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया।

एसआर के अन्य संगठनों के संबंध में आयोग ने यह पाया कि 08.09.2015 और 27.10.2015 की ओसीसी कार्यवृत्तों को देखने पर यह पता चला कि भार राहत और डीएफ/डीटी योजना एसआर के सभी राज्यों द्वारा 100 प्रतिशत कार्यान्वयन की गई है। तथापि एसआरएलडीसी के लिए स्काडा मैपिंग अभी पूरी नहीं हुई है। आयोग ने ग्रिड कोड के विनियम 5.2(एन) और 5.2(ई) का पालन करने के लिए 31.12.2015 तक याचिकाकर्ता को समय की अनुमति दी और याचिका संख्या 263/एमपी/2012 के आदेश में आयोग के निर्देश दिए गए हैं। यदि याचिकाकर्ता इस आदेश के अनुपालन में असफल रहता है तो अधिनियम की धारा 142 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा जैसा कि याचिका संख्या 263/एमपी/2012 में 19.12.2013 के हमारे आदेश में पहले ही पाया गया है। इसके अलावा आयोग ने एसआपीसी को निर्देश दिया कि 31.01.2016 तक दक्षिण क्षेत्रों के सभी संघटनों के संबंध में स्काडा प्रणाली सहित रिलेस की मैपिंग के कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करें।

- (3) **याचिका संख्या 95/एमपी/2015 में 27.04.2015 का आदेश:** केविविआ (कारोबार का संचलन) विनियम, 1999 के विनियम 116 के साथ पठित विनियम 111 के अधीन याचिका के मामले में जिसमें याचिका संख्या 146/एमपी/2013 में 19.12.2013 के आयोग के आदेश के कार्यान्वयन के लिए समय विस्तार की मांग की गई।

आयोग ने याचिकाकर्ता के निवेदन पर विचार करने के बाद एसआरएलडीसी और एसआरपीसी ने यह पाया कि याचिकाकर्ता ने संरक्षण लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई आरंभ की। तथापि याचिकाकर्ता ने कुछेक कठिनाइयों के कारण समय विस्तार की मांग की। सुनवाई के दौरान एसआरपीसी और एसआरएलडीसी के प्रतिनिधियों ने यह निवेदन किया कि कार्यान्वयन के चरणों पर विचार करते हुए 31.12.2015 तक के समय संरक्षण लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के चरण-1 और चरण-2 पर कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है। याचिकाकर्ता के निवेदनों को नोट करते हुए एसआपीसी और एसआरएलडीसी तथा संरक्षण लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सामग्री की प्राप्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां के लिए आयोग ने याचिका संख्या 146/एमपी/2013 में 19.12.2013 के आदेश में हमारे निर्देशों के पूरा करने के लिए 31.12.2015 तक याचिकाकर्ता को समय की अनुमति दी। आयोग ने एसआरपीसी को निर्देश दिया कि वह एपट्रेंसको के 11 नम्बर 220 केवी उपकेन्द्रों और 7 नम्बर 400 केवी उपकेन्द्रों के संबंध में संरक्षण लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में, संरक्षण समन्वय उप समिति की बैठकों में संरक्षण लेखा परीक्षा की बैठकों तथा एसआरपी के विचारविमर्श के बाद दक्षिण क्षेत्र में किए गए आवधिक संरक्षण लेखा परीक्षा का समन्वय करते हुए स्थिति को मॉनिटरिंग करें और आयोग को द्विमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

- (4) **याचिका संख्या 420/एमपी/2014 में 05.01.2016 का आदेश:** दक्षिण प्रादेशिक भार प्रेषण में अन्य बातों के साथ—साथ याचिका दाखिल की जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए एसएलडीसी को निर्देश की मांग की कि उपलब्ध पवन टरबाइन की

एलवीआरटी सेटिंग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (ग्रिड संयोजकता के लिए तकनीकी मानदण्ड) विनियम, 2007 के अनुसार संस्थापित किए जाएं।

आयोग ने उपरीलिखित आदेश के माध्यम से यह पाया कि एलवीआरटी को स्टॉल टाईप डब्ल्यूटीजी को छोड़कर 66 केवी और उससे अधिक के वॉल्टेज स्तर से संबद्ध और 15.04.2014 से पूर्व आरंभ किए गए सभी पवन टरबाइन के लिए कार्यान्वित किया जाना चाहिए जो एवीआरटी से संबद्ध रेट्रो फिटिङ किए जाने वाले तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हैं। तथापि आईडब्ल्यूटीएमए के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह विचार है कि मौजूदा रूप में एलवीआरटी को संस्थापित क्षमता के बराबर या 500 किलोवाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाले को 15.04.2014 से पूर्व आरंभ किए गए सभी पवन टरबाइन (स्टाल टाईप को छोड़कर) के लिए कार्यान्वित किए जाने चाहिए। 500 किलोवाट से कम के पवन टरबाइन के मामले में और 15.04.2014 के पूर्व स्थापित (स्टाल टाईप को छोड़कर) के मामले में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अनुरोध किया गया कि इन टरबाइनों में एलवीआरटी की स्थापना की तकनीकी व्यवहारिता के संबंध में अध्ययन आयोजित करें और इस आदेश के जारी होने के छः महीने के अंदर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग ने यह भी पाया कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण वॉल्टेज स्तर संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने की प्रक्रिया में था जिसके ऊपर एलवीआरटी उपबंध अनिवार्य होंगे और वॉल्टेज स्तर के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आवश्यक विनियम/स्पष्टीकरण जारी होने के बाद जिसके बाद एलवीआरटी अनिवार्य होंगे अतः वही अपेक्षा ग्रिड की सुरक्षा और रक्षा को ध्यान में रखते हुए 15.04.2014 से पूर्व स्थापित डब्ल्यूजीटी के मामले में भी लागू होंगे। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि डब्ल्यूजीटी जिसका उपयोगी जीवन अगले

पांच वर्षों में समाप्त होने जा रहा है उसे एलवीआरटी की स्थापना से छूट होगी।

सौर उत्पादकों द्वारा एलवीआरटी की स्थापना के संबंध में आयोग ने नोट किया कि मौजूदा स्थिति में संस्थापित सौर क्षमता बढ़ी नहीं है लेकिन सौर ऊर्जा में बड़ी क्षमता वृद्धि पर निकट भविष्य में विचार किया गया है और इसलिए निर्देश दिया कि सौर उत्पादक जिनकी बोली प्रक्रिया अभी आरंभ नहीं हुई है अर्थात् एनआईटी इस आदेश की तारीख तक जारी नहीं किया गया है उसके लिए उनके उत्पादन केन्द्रों में एलवीआरटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आयोग ने संयोजकता विनियमों के लिए सीईए तकनीकी मानकों में आवश्यक संसोधन जारी करने पर विचार करने का अनुरोध किया ताकि यथासंभव रूफ टॉप सहित सभी प्रकार के सौर संयंत्रों के लिए एलवीआरटी को अनिवार्य बनाया जा सके।

एलवीआरटी संस्थापन की ऑफ सेटिंग लागत के लिए टाईम फ्रेम और वाणिज्यिक तंत्र के संबंध में जहां यह तकनीकी रूप से व्यवहारिय है वहां आयोग ने निर्देश दिया कि 15.04.2014 से पूर्व मौजूदा स्टॉल टाईप के डब्ल्यूटीजी को उनके उपयोगी जीवन तक ग्रिड में प्रवालन की अनुमति दी जाएगी। 225 किलोवाट से 750 किलोवाट और 800 किलोवाट से और अधिक के विभिन्न प्रकार के टरबाइन में एलवीआरटी के कार्यान्वयन के लिए आईडब्ल्यूटीएम में द्वारा प्रस्तुत टाईम लाइन क्रमशः दो से तीन वर्ष और एक से तीन वर्ष हैं। चूंकि इस नेटवर्क में राज्य नेटवर्क में कोई भार उत्पादन असंतुलन आईएसटीएस को प्रभावित करता है इसलिए यह अपेक्षा है कि राज्य नेटवर्क के अन्दर सभी प्रकार के डब्ल्यूटीजी एलवीआरटी के साथ उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस प्रकार आयोग ने संगत विनियमों या आदेशों में उचित उपबंध करते हुए सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से अनुरोध



किया कि डब्ल्यूटीजी में एलवीआरटी की अनिवार्य स्थापना की व्यवस्था की जाए जो उनके क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। आयोग ने 'स्टाल टाईप के डब्ल्यूटीजी' को छोड़कर 500 किलोवाट से अधिक या उससे बराबर की क्षमता के सभी डब्ल्यूटीजी को निर्देश दिया कि 420/एमपी/2014 में आदेश के पैरा 29 में निर्देशों के अनुसार दो वर्षों के अंदर एलवीआरटी सहित अनुपालन किया जाए।

आयोग ने यह पाया कि एलवीआरटी विशेषता के साथ रेट्रो फिटिंग डब्ल्यूटीजी एक नई अपेक्षा है जो बोली के समय पर अस्तित्व में नहीं रहती और उस पर 'विधि में परिवर्तन' के अधीन विचार किया जाए। एसईआर से अनुरोध है कि संबंधित पीपीए में 'विधि में परिवर्तन' के अधीन एलवीआरटी सहित रेट्रो फिटिंग की लागत के अनुमति पर विचार किया जाए। आयोग ने पवन मिल स्वामियों को निर्देश दिया जो निर्बाध पहुंच/बैंकिंग के माध्यम से बिक्री के लिए विद्युत की कीमत उद्यृत करते समय एलवीआरटी विशेषता सहित रेट्रो फिटिंग डब्ल्यूटीजी के लिए उनके द्वारा उपगत पूँजी व्यय को ध्यान में रखे। यदि संस्थापित एलवीआरटी की अनुमानित लागत टरबाइन में पूँजी निवेश की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक है तो आरपीसी एलवीआरटी सहित रेट्रो फिटिंग डब्ल्यूटीजी सहित के लिए पीएसडीएफ/एनसीईएफ/ग्रीन फण्ड से निधि की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव कर सकता है। डब्ल्यूटीजी के संबंध में जिन्हें इस आदेश के जारी होने से उनके उपयोगी जीवन को पूरा किया है और वे जिनका अगले दो वर्ष में अपना उपयोगी जीवन पूरा करने की संभावना है उन्हें पीएसडीएफ/एनसीईएफ के अधीन एलवीआरटी सहित रेट्रो फिटिंग नहीं किया जाना चाहिए और इसे सेवा से बहार रखना चाहिए। स्थापना की मॉनिटरिंग और मौजूदा डब्ल्यूटीजी पर स्थापित

एलवीआरटी के कार्यनि पादन के संबंध में आयोग ने एसएलडीसी को निर्देश दिया कि तिमाही रिपोर्टें तैयार करें और आरपीसी को प्रस्तुत करें। आरपीसी को निर्देश दिया कि आरएलडीसी को परामर्श करते हुए एसएलडीसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को वैध करें और विधि के अनुसार आयोग को किसी प्रकार की त्रुटि और गैर अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट करें।

टाईप परीक्षण प्रमाण के संबंध में आयोग ने यह पाया कि लागू मानकों के अनुसार सभी डब्ल्यूटीजी के लिए टाईप परीक्षण अनिवार्य की जानी चाहिए। प्रमाणन/लागत शेयरिंग इत्यादि के लिए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टाइम लाइन सहित टाइप परीक्षण प्रमाण कार्यान्वित करने के लिए पद्धतियां सीईए के साथ परामर्श करते हुए संबंधित आरपीसी द्वारा उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा उचित पूर्वानुमान और अनुसूचीकरण तथा मांग प्राकलन के संबंध में आयोग ने यह पाया कि ग्रिड कोड के अनुसार पवन तथा सौर उत्पादकों से अनुरोध है कि आरभ में या और किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में तकनीकी विनिर्देशों के बारे में संबंधित आरएलडीसी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएं। पवन और सौर उत्पादकों से जो प्रादेशिक कंपनियां हैं उनसे उनके उत्पादनों का पूर्वानुमान अपेक्षित है और संबंधित आरएलडीसी से इस प्रकार के उत्पादन केन्द्रों के लिए अनुसूची तैयार करना अपेक्षित है। तदानुसार आयोग ने लागू विनियमों के अनुसार उनकी ऊर्जा के पूर्वानुमान अनुसूची के लिए सभी सौर/पवन उत्पादकों को निर्देश दिया। अंतःराज्यिक सौर/पवन उत्पादकों के लिए आयोग ने ग्रिड कोड के उपबंधों के समनुरूप उचित विनियमों/आदेशों को जारी रखने के लिए राज्य आयोगों से अनुरोध किया।

- (5) वर्ष 2015-16 के दौरान ग्रिड अनुशासन के प्रवर्तन और मॉनिटरिंग के लिए आयोग द्वारा निपटाई गई अन्य याचिकाओं में याचिका संख्या 93 / एमपी / 2015, 59 / एमपी / 2015, 86 / एमपी / 2014, 374 / एमपी / 2014, 302 / एमपी / 2013, 35 / एमपी / 2014, 59 / एमपी / 2014 इत्यादि शामिल है।

ग. निर्बाध पहुंच का प्रवर्तन

निर्बाध पहुंच विद्युत अधिनियम 2003 का एक महत्वपूर्ण घटक है। आयोग को अन्तर्राजिक पारेषण प्रणलियों के लिए निर्बाध पहुंच को सरल बनाने के कार्य का दायित्व सौंपा गया है। आयोग ने केविविआ (अन्तर्राजिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच तथा संयोजकता प्रदान करना व संबद्ध मामले) विनियम, 2009 और केविविआ (अन्तर्राजिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 जारी किया जिसमें अन्तर्राजिक प्रणाली में मध्यकालिक निर्बाध पहुंच एवं अल्पकालिक पहुंच, दीर्घकालिक पहुंच को सरल बनाया गया है। 2015-16 की अवधि के दौरान आयोग ने अन्तर्राजिक प्रणाली में निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए याचिकाओं का निपटान किया।

- (1) **याचिका संख्या 74 / एमपी / 2014 में 2.11.2015 का आदेश:** याचिकाकर्ता भूषण स्टील एण्ड पावर लि. ने संयोजकता विनियम, 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका दाखिल की है जिसमें 30.04.2013 के इसके आवेदन के अनुसार दीर्घकालिक पहुंच के सहमति प्रदान करने हेतु डब्ल्यूबीएसएलडीसी और डब्ल्यूईएसईटीसीएल को निर्देशों की मांग की गई है।

आयोग ने पाटियों की सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया कि चूंकि विवाद अन्तर्राजिक दीर्घकालिक पहुंच के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन के लिए डब्ल्यूबीएसएलडीसी और डब्ल्यूईएसईटीसीएल की गैर प्रत्युत्तर के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः विवाद आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है।

याचिकाकर्ता ने इस आयोग के क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है। इसके अलाव आयोग ने यह पाया कि डब्ल्यूबीएसएलडीसी / डब्ल्यूईएसईटीसीएल / डब्ल्यूबीईसईडीसी एल से अपेक्षित है कि संयोजकता विनियम और डब्ल्यूबीईआरसी ओए विनियमों के अनुपालन में अपनी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह करें। तथापि उन्होंने उक्त विनियम के अनुसार याचिकाकर्ता के आवेदन पर अपने निर्णय प्रेषित नहीं किए हैं जो सांविधिक अपेक्षाओं का स्पष्ट उल्लंघन है और सांविधिक विनियमों के गैर अनुपालन के औचित्य के प्रयासों को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। सांविधिक प्राधिकारी और विनियमित इकाइयां विनियमों के अनुसार तथा संयोजकता विनियम एवं डब्ल्यूबीईआरसी ओए विनियमों के मामले में कड़ाई से कार्य करने के लिए सांविधिक दायित्वों के अधीन है। आयोग ने यह भी पाया कि 14.9 एमवीए की स्वीकृत भार सहित डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के उपभोक्ता के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति पर विचार करते हुए 14.9 एमवी पावर के लिए निर्बाध पहुंच के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर पारेषण दबावों के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता चूंकि याचिकाकर्ता की अपेक्षा मौजूदा पारेषण और वितरण प्रणाली के अंदर समायोजित की जाती है। याचिकाकर्ता संयोजकता विनियमों के विनियम 10(2) की अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्याधीन सहमति प्रदान करने के लिए हकदार है। तदानुसार आयोग ने अपेक्षाओं की पूर्ति के संबंध में उन्हें संतुष्ट करने के बाद 14.9 एमवीए के लिए याचिकाकर्ता को सहमति प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया है ताकि एलटीए के लिए आवेदन करने हेतु याचिकाकर्ता समर्थ हो सके। आयोग ने आगे यह भी निर्देश दिया कि इस आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर अनुपालन किया जाएगा।



(2) याचिका संख्या 210/एमपी/2014 तथा याचिका संख्या 47/2014 में 16.

10.15 का आदेश: याचिकाकर्ता ए.डी. हाइड्रो पावर प्रा. लि. ने केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2004 के विनियम 35 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम की धारा) 79(1)(ग) के अधीन मौजूदा याचिका दाखिल की है।

आयोग ने दिनांक 16.10.2015 के आदेश के माध्यम से यह पाया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने संस्थापित क्षमता फ्री पावर रहित मान संस्थापित क्षमता के लिए बीपीटीए के लिए हस्ताक्षर के लिए 29.07.2009 के पत्र के माध्यम से पीजीसीआईएल को लिखित अनुरोध किया जो बीटीपीए हस्ताक्षर की तारीख के पूर्व था और पीजीसीआईएल ने संस्थापित क्षमता की अपेक्षा कम मात्रा के लिए बीपीटीए के हस्ताक्षर के लिए अन्य उत्पादकों को अनुमति दी। यद्यपि इन उत्पादकों को याचिकाकर्ता के मामले की तरह केवल आई.एस.टी.एस. से संबद्ध है इसलिए याचिकाकर्ता फ्री पावर रहित मान संस्थापित क्षमता की मात्रा के लिए एलटीए/बीपीटीए के लिए हकदार है। तदानुसार पीजीसीआईएल को पहले 12 वर्षों के लिए 12 प्रतिशत की कटौती करते हुए याचिकाकर्ता के एलटीए को कम करने का निर्देश है और एलटीए की प्रभावी तारीख से कार्यान्वयन करार के अनुसार शेष 28 वर्ष के लिए 18 प्रतिशत है और तदानुसार बीपीटीए/टीएसए को संशोधित करने का निर्देश है। आयोग ने आगे यह पाया कि पारेषण प्रभारों की देयता केवल तभी उत्पन्न होती है यदि व्यक्ति या कंपनी ने एलटीए या एमटीओ प्राप्त किया है। यदि व्यक्ति या कंपनी एसटीओ के माध्यम से ऊर्जा का विक्रय कर रही है तो यह एसटीओए प्रभारों को अदा करने के लिए

उत्तरदायी है न कि पारेषण प्रभारों को। नलागढ़ उपकेन्द्र में याचिकाकर्ता द्वारा डिलीवरी योग्य ऊर्जा के 12 प्रतिशत की डिलीवरी के बाद उक्त ऊर्जा हिमाचल प्रदेश सरकार की संपत्ति हो जाती है। चूंकि राज्य सरकार एसटीओए प्राप्त करते हुए विद्युत को बेचना चाहती है अतः यह केवल एसटीओए प्रभारों को अदा करने के लिए उत्तरदायी है न कि पारेषण प्रभारों को। उस मामले में एसटीओए के अधीन हिमाचल प्रदेश द्वारा विद्युत की बिक्री प्रचलित विनियमों के अनुसार होगी। आयोग ने यह भी पाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार एसटीओए प्राप्त करते हुए फ्री विद्युत का विक्रय कर रही है अर्थात् क्षमता का एसटीओए के माध्यम से फ्री विद्युत बेचते हुए प्रयुक्त किया जा रहा है और एकत्रित प्रभार आईएसटीएस में उनके शेयर के अनुपात में डीआईसी को संवितरित किया जा रहा है। तदानुसार सीटीयू को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से परियोजना के फ्री पावर संघटक को तदनुरूपी अंतर संबद्ध व्हाइंट से इसके द्वारा एकत्रित पारेषण प्रभारों को वापस करने का निर्देश है जब तक कि याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया एलटीए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज सहित इस आदेश के अनुसार संशोधित किया जाता है। इस प्रकार की वापसी के लिए प्रभार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फ्री पावर की बिक्री के लिए एसटीओए प्रभारों के भुगतान के कारण याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त एसटीओए प्रभारों, यदि कोई है के लाभ की ऑफ सेटिंग के बाद आदेश जारी होने से 03 महीने की अवधि के अंदर एसटीओए के माध्यम से वसूल की गई रकम से समायोजित की जाएगी।

(3) याचिका संख्या 197/एमपी/2015 में

05.11.15 का आदेश: याचिकाकर्ता भारतीय रेलवे ने केविविआ (अन्तरराज्यिक

पारेषण में संयोजकता दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 12 के साथ पठित विनियम 7 के अंतर्गत मौजूदा याचिका दाखिल की।

आयोग ने 05.11.2015 के आदेश के माध्यम से यह निर्णय लिया कि जहां तक भारतीय रेलवे का संबंध है उन्हें विद्युत के पारेषण या वितरण के लिए उपयुक्त आयोग से किसी प्रकार का लाइसेंस लिए बिना रेलवे को विद्युत की आपूर्ति के प्रयोजन के लिए पारेषण लाइनों के निर्माण और वितरण स्थापनाओं के लिए रेलवे अधिनियम के उपबंधों द्वारा अधिशासित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में भारतीय रेलवे को रेलवे के कार्य से संबद्ध विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पारेषण और वितरण की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए रेलवे अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कंपनी के रूप में माना जा सकता है।

आयोग यह भी पाया कि उक्त आदेश में विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय किया कि चूंकि भारतीय रेलवे अधिनियम की अधीन रेलवे के कार्य के संबंध में विद्युत आपूर्ति और वितरण के लिए एक प्राधिकृत कंपनी है इसलिए याचिकाकर्ता वितरण अनुज्ञाप्तिधारी को लागू उपबंधों के अनुसार रेलवे के कार्य के संबंध में निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए पात्र होगा। याचिकाकर्ता को वितरण अनुज्ञाप्ति की स्थिति प्रदान करने के संबंध में आयोग ने यह निर्णय किया कि याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम की धारा 14 के तीसरे परन्तुक के अंतर्गत माना गया अनुज्ञाप्तिधारी है और उपयुक्त आयोग द्वारा इस आशय के लिए घोषणा हेतु कोई अपेक्षा नहीं है।

आयोग ने यह भी पाया कि राज्य के अंदर स्थित आईएसटीएस से निकासी प्वाइंट अनुसूचीकरण के प्रयोजन के लिए एकमात्र

कंपनी के रूप में माना जाएगा। राज्य में स्थित टीएसएस के समूह और आईएसटीएस से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध समूह को एक “विखण्डित नियंत्रण क्षेत्र” के रूप में माना जा सकता है और आईएसटीएस प्रभारों और हानियों इत्यादि की अनुसूचीकरण, मीटिंग, संतुलन, प्रयोज्यता का उत्तरदायित्व संबंधित आरएलडीसी को होगा। राज्य और राज्य नेटवर्क से संबद्ध में स्थित टीएसएस के लिए यह कार्य संबंधित एसएलडीसी को होंगे। आयोग ने भारतीय रेलवे के नेटवर्क और सुविधाओं के लिए उत्पादन केन्द्रों या अन्य स्रोतों से संयोजकता विनियमों के अनुसार एलटीए और एमटीओए के लिए सभी संबद्ध आरएलडीसी, एसटीयू और एसएलडीसी को निर्देश दिया।

(4) आई. ए. 19/2015 तथा आई. ए. 17/2015 सहित याचिका संख्या 92/एमपी/2015 में 03.07.2015 का आदेश, आई. ए. 11/2015 सहित याचिका संख्या 99/एमपी/2015 : आयोग ने याचिका संख्या 92/एमपी/2014 और संबद्ध याचिकाओं में 16.02.2015 के अपने आदेश के माध्यम से संयोजकता विनियम 2009 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए सीटीयू द्वारा प्राप्त एमटीओए और एलटीए के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए सिद्धांतों और एलटीए के आवेदनों पर विचार करते हुए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्युत के आवंटन के संव्यवहार के संबंध में कुछेक निर्देश जारी किए। सीटीयू ने आयोग के कुछ निर्देशों के प्रभाव के लिए सामना की गई कठिनाईयों को आयोग के नोटिस में लाने के लिए याचिका संख्या 92/एमपी/2015 दाखिल की।

आयोग ने 03.07.2015 के आदेश के माध्यम से सभी प्रत्यर्थियों और सीटीयू के मत पर विचार करने के बाद निर्देश जारी किए।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

- आयोग ने एलटीए और एमटीओए आवेदकों की तुलना में आवंटन के अपेक्षाकृत प्राथमिकता जैसे मुद्दों का पता लगाया और उन हिताधिकारियों के संव्यवहार का पता लगाया जिन्हें संयोजकता विनियमों विनियम 2(1)(एम) के अनुसार दीर्घकालिक ग्राहकों, विद्युत मंत्रालय द्वारा आवंटन की अवधि के विस्तार के लिए पूर्व आवेदन की आवश्यकता और उनके एलटीए के विस्तार के लिए माने गए एलटीए ग्राहकों के अधिकार, संयोजकता विनियमों तथा 16.02.2015 के आदेश में आयोग के निर्देशों के उपबंधों के अनुसार 13.03.2015 के एजेंटा नोट में सीटीयू द्वारा एटीसी की संगणना के रूप में विद्युत मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों में अभ्यर्पित विद्युत को आवंटित किया गया।
- (5) **याचिका संख्या 92/एमपी/2015 में 25.07.2015 का आदेश:** आई. ए. संख्या 92/एमपी/2014 सहित 43/2014, 51/2014, 52/2014, 56/2014 और 59/2014, याचिका संख्या 376/एमपी/2014, 382/एमपी/2014, 393/एमपी/2014 और पुनरीक्षण याचिका संख्या 25/आरपी/2014 में 16.02.2015 के आदेश में दिए गए कुछ निर्देशों के कार्यान्वयन में कठिनाइयों के संबंध में निर्देशों की मांग करते हुए याचिका के मामले में।
- सीटीयू द्वारा फलैग किए गए एक मामला क्षमता के निर्धारण और अधिक त्याग प्रभारों के निर्धारण के संबंध में था। प्रत्यर्थियों की निवेदनों तथा इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि क्षमता के निर्धारण के संबंध में सिफारिशों और अधित्याग प्रभारों की संगणना प्राप्त नहीं की गई है। अतः आयोग ने क्षमता तथा अधित्याग प्रभारों के सभी पहलू की जांच के लिए सीटीयू, सीईए, पोसोको, विद्युत उत्पादकों के एसोसिएशन तथा आयोग के स्टाफ प्रतिनिधियों सहित

एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। आयोग ने समिति के लिए संदर्भ के अनुसार निम्नानुसार निर्णय लिया:

- (क) उन घटनाओं/परिस्थितियों का पता लगाना जिनकी संयोजकता विनियमों के उपबंधों के अनुसार एलटीए ग्राहक द्वारा दीर्घकालिक पहुंच अधिकार के अधित्याग के परिणाम की संभावना है।
- (ख) अन्तरराज्यिक प्रणाली के नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक ग्राहक द्वारा दीर्घकालिक पहुंच अधिकार के अधित्याग के मामले में निर्धारण/मूल्यांकन के लिए पद्धतियां सुझाना।
- (ग) अधित्याग प्रभारों की संगणना के लिए वैकल्पिक पद्धति
- (घ) अधित्याग प्रभारों की वसूली का ढंग और पद्धति
- (ङ) कोई अन्य सुझाव जिसे समिति इस आदेश के परिशिष्ट—ख के अनुसार पार्टियों द्वारा संदर्भ के अनुसार सुझाव को ध्यान में रखते हुए उचित विचार करती है।
- (च) संयोजकता विनियमों के मौजूदा उपबंधों के लिए अपेक्षित परिवर्तनों को, यदि कोई है सुझाव दें ताकि आई.एस.टी.एस. नेटवर्क की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साधारण उचित और सामयिक क्षतिपूर्ति की संगणना और दीर्घकालिक पहुंच अधिकार के अधित्याग की प्रक्रिया बनाई जा सके।
- उक्त समिति ने अपने सुझावों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए स्टेक होल्डरों के साथ अपनी बैठक पूरी की और आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाने की प्रक्रिया में है।
- 2015–16 के दौरान निर्बाध पहुंच के परिवर्तन के लिए आयोग द्वारा निपटाई गई अन्य याचिकाओं में आई.ए.-45/2015 के

साथ 311 / एमपी / 2014, आई.ए.2 / 2015 के साथ 69 / एमपी / 2015, 111 / एमपी / 2014, 209 / एमपी / 2015, 526 / एमपी / 2014, 517 / एमपी / 2014, 31 / एमपी / 2016 शामिल हैं।

पारेषण आस्ति के कार्यान्वयन के लिए विनियामक अनुमोदन

भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के उन्नयन के लिए सौर पार्क स्थापित करने की योजना की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 12.12.2014 के पत्र के माध्यम से 2014–15 से 2018–19 की पांच वर्ष की अवधि में सौर ऊर्जा की 20,000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता से अधिक के लक्ष्य सहित देश के विभिन्न भागों में कम से कम 25 सौलर पार्कों की स्थापना के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार की सूची प्रेषित की है। जहां तक पारेषण और निकासी सुविधा का संबंध है एमएनआरई ने बताया है कि एक या अधिक पूलिंग स्टेशनों से ऊर्जा के लिए निकट के सौर पार्क उपकेन्द्रों की स्थापना का उत्तरदायित्व सीटीयू या एसटीयू का केन्द्रीय/राज्य आयोग द्वारा अधिसूचित विभिन्न विनियमों में निर्धारित आवश्यक तकनीकी और वाणिज्यिक क्रियाविधि के अनुपालन के बाद होगा। तदनुसार सीटीयू ने क्रमशः याचिका संख्या 29 / एमपी / 2015, 228 / एमपी / 2015, आई.ए.30 / 2015 सहित और आई.ए. संख्या 2016 सहित 1 / एमपी / 2016 के माध्यम से आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान में सौर पार्कों से संबद्ध पारेषण प्रणाली के निकासी के लिए विनियामक अनुमोदन के लिए आयोग से संपर्क किया है।

आयोग ने याचिका संख्या 29 / एमपी / 2015 में 06.08.2015 के आदेश के माध्यम से तीन चरणों में सौर पार्क से संबद्ध पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन विनियमों के विनियम 3 के अधीन विनियामक अनुमोदन की सहमति दी। इसके अलावा आई.ए.30 / 2015 के साथ याचिका संख्या 228 / एमपी / 2015 में 24.11.2015 के आदेश के

माध्यम से रेवा, मध्यप्रदेश में 750 मेगावाट अल्ट्रामेगा सौर ऊर्जा परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान किया, आई.ए. संख्या 2 / 2016 के साथ याचिका संख्या 1 / एमपी / 2016 में 31.03.2016 के आदेश के माध्यम से राजस्थान की जैसलमेर जिलों और भादला में सौर ऊर्जा पार्कों से संबद्ध पारेषण प्रणाली के कार्यनिष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान किया।

सौर पार्क में उत्पादन परियोजना से मिलान करती हुई पारेषण प्रणाली के विकास के संबंध में आयोग ने एसपीपीटी से समन्वय के लिए सीटीयू को निर्देश दिया जो आंतरिक पारेषण प्रणाली के विकास के लिए उत्तरदायी है। सीटीयू को उक्त आदेश के अनुबंध के अनुसार तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

सौर उत्पादन के आंभ में विलंब के कारण पारेषण प्रभारों की वसूली के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि सौर ऊर्जा उत्पादकों के आंभ में विलंब के लिए पारेषण प्रभारों को केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2015 और केविविआ (केन्द्रीय पारेषण कंपनी को अन्तरराज्यिक पारेषण योजना के कार्यनिष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करनो) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 के कारणों के विवरण के अनुसार इस प्रकार के सौर उत्पादकों / एसपीपीडी द्वारा अदा किया जाएगा।

(घ) पारेषण अनुज्ञाप्ति

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में यह व्यवस्था है कि उपयुक्त आयोग धारा 15 के अधीन इसे किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को अनुज्ञाप्ति प्रदान कर सकता है (क) पारेषण अनुज्ञाप्ति के रूप में विद्युत के पारेषण के लिए या (ख) वितरण अनुज्ञाप्तिधारी के रूप में विद्युत के संवितरण के लिए या (ग) विद्युत व्यापार के रूप में विद्युत में व्यापार के लिए।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग ने कई आदेशों के माध्यम से कई कंपनियों को पारेषण अनुज्ञितियां प्रदान की जो अधिनियम के धारा 63 के अधीन “पारेषण सेवा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली और पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतियोगिता के प्रोत्साहन के लिए मार्ग निर्देश” तथा “पोरेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा मार्ग निर्देश” के अनुसार पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महेभवरम ट्रांसमिशन लि. (218 / टीएल / 2015), पावर ग्रिड वरौरा ट्रांसमिशन लि. (126 / टीएल / 2015) गदरवाड़ा (बी) 128 / टीएल / 2015), अलीपुरद्वारा ट्रांसमिशन लि. (6 / टीएल / 2016) पावर ग्रिड दक्षिण इन्टरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लि. (300 / टीएल / 2015) सिपत ट्रांसमिशन लि. (279 / टीएल / 2015) रायपुर राजनंदन गांव वरौरा ट्रांसमिशन लि. (287 / टीएल / 2015) और छत्तीसगढ़ परिस्चमी क्षेत्र ट्रांसमिशन लि. (288 / टीएल / 2015) जैसी कंपनियों को दिए गए।

छ पारेषण टैरिफ का अंगीकार

अधिनियम, 2003 की धारा 63 में यह व्यवस्था है कि उपयुक्त आयोग टैरिफ को अपनाएगा यदि इस प्रकार का टैरिफ केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शिता प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

आयोग ने 2015–16 के दौरान कई आदेशों के माध्यम से महेभवरम पारेषण लि. की पारेषण प्रणाली (219 / एडीपी / 2015), पावर ग्रिड वरौरा ट्रांसमिशन लि. (125 / एडीपी / 2015) गदरवाड़ा (बी) ट्रांसमिशन लि. (127 / एडीपी / 2015), डीजीई एन ट्रांसमिशन कंपनी लि. (103 / एडीपी / 2015), विंध्याचल, जबलपुर ट्रांसमिशन लि. (88 / एडीपी / 2015), अलीपुरद्वारा ट्रांसमिशन लि. (4 / एडीपी / 2016) पावर ग्रिड दक्षिण इन्टरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लि. (299 / एडीपी / 2015) सिपत ट्रांसमिशन लि. (286 / एडीपी / 2015), रायपुर राजनंदन गांव वरौरा ट्रांसमिशन लि. (285 / एडीपी / 2015) और

छत्तीसगढ़ परिस्चमी क्षेत्र ट्रांसमिशन लि. (284 / एडीपी / 2015) के संबंध में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से निर्धारित पोरेषण टैरिफ अपनाया गया।

च. स्वप्रेरणा याचिकाएं

- (1) **याचिका संख्या 16 / एसएम / 2015 में 18.12.2015 का आदेश :** अन्तरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों से अनुसूचित अधिशेष ऊर्जा के अनुसूचीकरण के संबंध में याचिक संख्या 310 / एमपी / 2014 में 05.10.2015 के आयोग के आदेश के कार्यान्वयन में सामना की गई कठिनाई के मामले में।

याचिका संख्या 310 / एमपी / 2014 में 05.10.2015 के आदेश के पैरा 32 (ई) में आयोग ने एनएलडीसी / आरएलडीसी / आईएसजीसी को स्वतंत्रता प्रदान की ताकि उक्त आदेश में निर्देशों के कार्यान्वयन में सामना की गई किसी कठिनाई को आयोग के ध्यान में लाया जाए। सदस्य सचिव ने अपने 03.12.2015 के पत्र में दक्षिणी क्षेत्र विद्युत समिति को उक्त 05.10.2015 के आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में कुछेक कठिनाईयों को रेखांकित किया। सदस्य सचिव एसआरपीसी ने आगे अनुरोध किया कि यूआरएस विद्युत का अनुसूचीकरण यूआरएस पावर के सतत प्रयोग के लिए आरएलडीसी / पोसोको द्वारा जारी रखा जाएगा। सदस्य सचिव एसआरपीसी द्वारा रेखांकित मुददों के महत्व पर विचार करते हुए आयोग ने यह पाया कि इस मामले को दक्षिण क्षेत्र में एनएलडीसी, एसआरएलडीसी, एसआरपीसी, आईएसजीसी को शामिल करते हुए तथा दक्षिण क्षेत्र के हिताधिकारियों को शामिल करते हुए सुना जाए। इस याचिका में सुनवाई 05.01.2016 और 23.01.2016 को हुई। आयोग अंतिम आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है।

- (2) याचिका संख्या 008 / एसएम / 2014 में 14.12.2015 का आदेश: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 29 तथा केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 और केविविआ (ग्रिड की संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के विनियम 6(4)(क) के विनियम 5.2 (आर) 5.4.2(ए)(जी)(एच) और (आई), 6.4.12, 6.5.20, 6.5.27, 5.7.4 (सी)(जी) के गैर अनुपालन के मामले में।

लगभग 2.30 बजे 30.07.2012 को उत्तरी-पूर्वी ग्रिड फेल हुआ और उत्तरी-पूर्वी तथा उत्तरी-पूर्वी ग्रिड 31.07.2012 को लगभग 13.00 बजे फेल हुआ। ग्रिड व्यवधान की महत्ता को देखते हुए आयोग ने पोसोको और सीटीयू को ग्रिड असफलता की जांच का निर्देश दिया और आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। पोसोको तथा सीटीयू द्वारा संयुक्त विस्तृत जांच पूरा करने के बाद पोसोको ने इस संबंध में 09.8.2012 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर और संबंधी पार्टियों की सुनवाई के बाद आयोग ने याचिका संख्या 167 / एसएम / 2012 में 22.02.2014 के आदेश के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एनटीपीसी (सिपत), पावर ग्रिड, डब्ल्यूआरएलडीसी और एनआरएलडीसी ने विद्युत अधिनियम 2003, केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड की संयोजकता के लिए तकनीकी मानदण्ड) विनियम और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन किया है।

मामले की 21.08.2014, 30.09.2014 और 12.02.2015 को सुनवाई हुई। इन

सुनवाईयों के दौरान प्रत्येक प्रत्यर्थी ने दावा किया कि उन्होंने ग्रिड की सुरक्षित कार्यप्रणाली के लिए अधिनियम और ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और वे 30.07.2012 को 2.30 को घटित ग्रिड व्यवधान के लिए और 31.07.2012 को 13.00 बजे ग्रिड व्यवधान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। तथापि आयोग ने 14.12.2015 के अंतिम आदेश के माध्यम से ग्रिड कोड के उपबंधों के गैर अनुपालन तथा आरएलडीसी के निर्देशों की अवहेलना के लिए प्रत्यर्थियों के आचरण पर अप्रसन्नता व्यक्त की। विशेष रूप से उस मामले में जहां ग्रिड सुरक्षा शामिल है चूंकि प्रत्यर्थी यह प्रमाणित करने में असफल रहे कि उन्होंने 30.07.2012 और 31.07.2012 को ग्रिड व्यवधानों से पूर्व प्रणाली ऑपरेटरों के निर्देशों का अनुपालन किया है। आयोग ने अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों के गैर अनुपालन के लिए अधिनियम की धारा 142 की अधीन एनटीपीसी को छोड़कर प्रत्यर्थियों पर दण्ड लगाया।

- (3) याचिका संख्या 009 / एसएम / 2005 में 05.08.2015 का आदेश: पारेषण में संकुलता पर सीएसी उप समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के मामले में।

केन्द्रीय परामर्श समिति ने 12.05.2014 को आयोजित अपनी बैठक में सीएसी के सदस्यों में से उप समिति गठित करने का निर्णय किया ताकि पारेषण में संकुलता से संबद्ध मुददों की जांच की जा सके। पारेषण में संकुलता से संबंधित उप समिति विद्युत मंत्रालय, केविविआ, सीईए, एमईआरसी, एपीपी, ग्रिडको, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुम्बई, पावर ग्रिड और पोसोको के सदस्यों सहित 11.07.2014 के पत्र के माध्यम से केविविआ द्वारा गठित की गई।

उप समिति ने 08.06.2015 को पारेषण में संकुलता पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उप



समिति ने पारेषण ने संकुलता को कम करने के लिए उपायों की सिफारिश की जिसके लिए सीईए, एनआरसीई, सीटीयू, पोसोको, पावर ग्रिड, आरपीसी तथा केविविआ द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और इसकी सिफारिशों को स्वीकार किया।

आयोग ने उपरिलिखित सभी संस्थाओं/कंपनियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक संस्था/कंपनी के अधीन दर्शाए गए बिंदुओं पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई आवश्यक है और तिमाही के अंत से 15 दिन के अंदर आयोग को “तिमाही” की गई कार्रवाई रिपोर्ट” जिससे रिपोर्ट संबंधित है उसे प्रस्तुत करें।

उपरिलिखित याचिका में सुनवाई 19.01.2016 और 23.02.2016 को हुई। आयोग अंतिम आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है।

(4) वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निपटाई गई अन्य स्वप्रेरणा याचिकाओं में याचिका संख्या 8/एसएम/2015, 11/एसएम/2014, 6/एसएम/2014, 10/एसएम/2015, 13/एसएम/2015, 14/एसएम/2015 अंत र 16/एसएम/2015 इत्यादि शामिल है।

6.9 वर्ष 2015–16 के दौरान सरकार को सांविधिक सलाह

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(2) में शामिल उपबंधों के अनुसार केविविआ को राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति, प्रतिस्पर्धा, विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, कार्यशलता और मितव्ययिता का विकास, विद्युत उद्योग में निवेश का उन्नयन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को लिखित अन्य मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सूचित करने का अधिदेश है। शुरुआत से इन उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय आयोग ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित महत्व के विभिन्न 23 विषयों पर केन्द्र

सरकार को सूचित की है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान केविविआ ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बड़े पैमाने पर समाकलन और विश्वसनीय ग्रिड प्रबंधन प्राप्ति के लिए राज्यों के लिए रोड मैप पर सरकार को सूचित किया।

6.10 2015–16 के दौरान अन्य गतिविधियाँ

6.10.1 राजभाषा

6.10.1.1 राजभाषा का कार्यान्वयन और प्रोत्साहन

2015–16 के दौरान केविविआ राजभाषा के कार्यान्वयन, उन्नयन और प्रोत्साहन के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया।

माननीय अध्यक्ष केविविआ की अध्यक्षता में हिंदी पखवाड़ा 01.09.2015 से 14.09.2015 तक आयोजित किया गया। “इंटरनेट युग में हिंदी का प्रयोग” पर एक वाद–विवाद प्रतियोगिता केविविआ के माननीय सदस्य श्री ए. के. बरखी की अध्यक्षता में 05.06.2015 को आयोजित की गई। कम्प्यूटर में हिंदी (यूनिकोड) सचिव की केविविआ की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला 26 और 28 अगस्त, 2015 को आयोजित की गई। 10.09.2015 को सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। 09.11.2015 को किंज प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें विधि, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, प्रशासन, वित्त, साहित्य, कला, राजभाषा नीति, और प्रशासनिक शब्दावली से संबंध प्रश्नों को शामिल किया गया। 29.12.2015 को हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें दो प्रतिष्ठित कवियों को आमंत्रित किया गया। सचिव केविविआ और केविविआ के कई वरिष्ठ अधिकारी और स्टाफ इस अवसर पर उपस्थित रहे।

इसके अलावा हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठके क्रमशः 27.06.2015, 29.09.2015, 27.11.2015 और 11.03.2016 को आयोजित की गई जिसमें वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान की गई प्रगति की समीक्षा की गई और

शासकीय व्यवहारों में हिंदी के प्रयोग की योजनाओं को तैयार किया गया।

6.10.1.2 आंतरिक हिंदी पत्रिका “सौदामनी”

आयोग आंतरिक पत्रिका सौदामनी हिंदी में प्रकाशित करता है। इस पत्रिका में वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान आयोग में आयोजित सेमिनारों, कार्यशालाओं, बैठक/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा आयोग में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों (अर्थात् निबंध, लेख, कविताएं इत्यादि) को प्रकाशित किया जाता है। इस मैगजीन में मुख्य रूप से आयोग में आयोजित राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाली सभी कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है।

6.10.1.3 स्वच्छ भारत अभियान

“स्वच्छ भारत अभियान” के संबंध में विभिन्न गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित की गई। अनुच्छेद लेखन, सलोगन लेखन इत्यादि सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या अधिकारियों/स्टाफ ने भाग लिया और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कृत सलोगनों को केविविआ की पत्रिका सौदामनी में प्रकाशित किया गया। केविविआ परिसर में स्वच्छता अभियान कार्यान्वित किया गया जिसका लक्ष्य रिकार्ड का बेहतर प्रबंधन, कार्यस्थल व वातावरण इत्यादि को ठीक करना रहा। इस अभियान के भाग के रूप में लगभग 2741 फाइलों की छंटनी की गई।

6.10.1.4 वार्षिक दिवस व्याख्यान

आयोग केविविआ का वार्षिक दिवस मनाने के लिए “वार्षिक दिवस व्याख्यान माला” का आयोजन करता है जिसमें प्रत्येक वर्ष वार्षिक दिवस व्याख्यान के लिए प्रतिष्ठित वक्ता को आमंत्रित किया जाते हैं ताकि केविविआ के अधिकारियों, कर्माचारियों के साथ

वक्ता के विचारों और अनुभव के आदन प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया जा सके जिसे उसके बाद में प्रकाशित किया गया। आयोग ने 24.07.2015 को अपना 17वां वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर श्री एम.जी. अकबर सदस्य राज्यसभा ने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में विद्युत तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों की गतिशील भूमिका पर वार्षिक दिवस व्याख्यान डिलीवर किया। उन्होंने चुनौतियों और प्राथमिकताओं के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया तथा कार्य की उत्पादकता में वृद्धि, सेवाओं के सृजन, गरीबी के उन्मूलन तथा ज्ञान के विस्तार में विद्युत की भूमिका पर बल देते हुए विद्युत के महत्व को रेखांकित किया।

6.10.1.5 सीसीएमएस (ईकोर्ट) की स्थापना के लिए पहल

प्रणाली को सूचना की पहुंच के लिए कुशल, मितव्यी और प्रभावी ढंग सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय उपाय के रूप में आयोग ने “कोर्ट केस मेनेजमेन्ट, ऑटोमेशन सिस्टम” सीसीएमएस को आरंभ किया। इस प्रणाली में परंपरागत ई-फाइलिंग और ई-हियरिंग साफ्टवेयर के नियोजन को शामिल किया गया। नई प्रणाली का उद्देश्य डिजिटीकृत याचिकाओं/उत्तरों/अनुस्मारकों/टिप्पणियों/आपत्तियों आदि की फाइलिंग को प्रोत्साहित करना है ताकि स्टेकहोल्डरों इत्यादि को संगत मामलों के अद्यतन स्थिति प्रदान करने के लिए एसएमएस/ईमेल सेवाओं का प्रयोग करते हुए परंपरागत रिपोर्टों के उत्पादन, डिजिटीकृत याचिकाओं, आरओपी की पहुंच की व्यवस्था की जा सके। इस प्रणाली से समन्वित लोचशील, गतिशील डाटाबेस विकसित करने के लिए आयोग को समर्थ करने की आशा है जो विभिन्न डाटा विभलेषण उपकरणों का प्रयोग करते हुए निर्णय लेने के लिए आयोग को समर्थ बनाएगा।

सीसीएमएस परियोजना द्वारा की गई प्रणाली सुधार और कुशल, किफायती की मान्यता में केरल सरकार ने कोवलम, केरल में 19–20 फरवरी,



2016 के दौरान आयोजित नॉलेज एक्सचेंज समिट अवार्ड 2016 में डिजिटल इण्डिया इनिशिएटिव श्रेणी में परियोजना अवार्ड की गई है।

6.10.1.6 केविविआ का नया लोगो

आयोग यह समझता है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के विनियमन और प्रचालनकरण के संबंध में विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में केविविआ की भूमिका “टैरिफ सैटर” से बढ़कर “विद्युत क्षेत्र और बाजार के विकास के लिए सुविधाजनक हो गई है। इसलिए आयोग द्वारा महसूस किया गया कि नया लोगो प्रतीक/मुहर परिवर्तित वास्तविकता के अनुरूप तैयार की जाए जो केविविआ की मौजूदा भूमिका को दर्शाता है। केविविआ का नया लोगो 24.07.2015 को लाया गया और श्री पीयूष गोयल, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, कोयला एवं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा रिलीज किया गया।

6.10.2 केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति

वर्ष 2015–16 में केविविआ की केन्द्रीय परामर्श समिति के सदस्यों के साथ विनियामक फोरम का विचारविमर्श नई दिल्ली में 11.06.2015 को आयोजित किया गया। केन्द्रीय परामर्श समिति के सदस्यों के साथ विनियामक फोरम के सदस्यों के विचारविमर्श के दौरान निम्नलिखित विषय विचारविमर्श के लिए सामने आए।

1. मौजूदा स्थापित क्षमता 260 जीडब्ल्यू से बढ़ गई लेकिन प्रणाली द्वारा पीक भार 142 जीडब्ल्यू से अधिक नहीं रहा और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए नोड शेडिंग अपरयुक्त क्षमता का विरोधाभास बना रहा। यह देखने में आया है कि डिस्कॉम केस-1 रूट के माध्यम से विद्युत अवाप्ति के लिए उदासीन रहे हैं। इस प्रकार कोई नए उत्पादन परियोजनाएं सामने नहीं आ रही हैं। डीजल के माध्यम से विद्युत उत्पादन एक खर्चीला विकल्प है। इस प्रकार

डिस्कॉम को केस-1 रूट के माध्यम से विद्युत की खरीद के लिए आगे करना चाहिए और नोट शेडिंग से बचना चाहिए।

2. राज्य पारेषण कंपनियों को विद्युत के अंतःराज्यिक पारेषण जारी करने का पता लगाते समय अत्यंत अनुदार दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्हें अधिक पारेषण क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पारेषण परियोजना में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की अपेक्षा है।
3. राज्य कंपनियों की मान्य हानियां कंपनियों के पता न लगाई गई वित्तीय हानियों 80 हजार करोड़ रुपये को पार कर गई है। हानियों के संचयन के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ आवधिक आधार पर टैरिफ का गैर पुनरीक्षण, डिस्कॉम द्वारा प्राप्त ऋणों पर ब्याज लागत को बढ़ाना, एटी एवं सी हानियों को नियंत्रण की कमी, नेटवर्क इत्यादि के उन्नयन और वृद्धि में पूंजी निवेश की कमी शामिल है।
4. स्टेक होल्डरों से प्राप्त मूल्यवान सुझावों को प्रायः तकनीकि कारणों से ईआरसी द्वारा रद्द किया जाता है यद्यपि इस तरह ईआरसी का ध्यान देना अपेक्षित है।
5. समय से विनियामक हस्तक्षेप समस्याओं को कम करने में निश्चित रूप से सहायक होंगे।
6. ईआरसी के पास बड़ी संख्याओं में याचिकाएं ईआरसी के पास लम्बित हैं और इन्हें कम करने का साचा तैयार किया जा सकता है।
7. डिस्कॉम को व्यापक रूप से तकनीक का प्रयोग करते हुए ताकि हानियों को कम करने में सफलता प्राप्त की जा



सके यदि सीओसी की वसूली संपूर्ण डिस्कॉम क्षेत्र के लिए संभव नहीं तथापि कम से कम उपायों को शहर/नगर के क्षेत्रों में आरंभिक रूप से सीओएस की वसूली को आरंभ करने के लिए किए जाने चाहिए।

उक्त विषयों को नोट कर लिया गया है। तथापि निम्नलिखित अभिमत विनियामकों द्वारा किए गए।

1. डिस्कॉम वित्तीय दुरुसत चिंता का विषय बनी हुई है। सैद्धांतिक रूप से मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन इस समस्या का पता लगाने के लिए अपेक्षित है।
2. चार वर्षों के लिए सभी ईआरसी वार्षिक रूप से टैरिफ ओदश स्वप्रेरणा ओदश जारी कर रहे हैं।।
3. आयोगों में प्राप्त याचिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है (अर्थात् केविविआ ने 2008–09 में 196 की तुलना में 2014–15 में 652 याचिकाएं प्राप्त की। याचिकाओं की जटिलता को कम नहीं माना जा सकता इसके अलावा अनंतिम टैरिफ के अवधारण जैसी साधारण

याचिकाओं में लंबी सुनवाई हो रही है और आयोग के प्रयास याचिकाओं के निपटान के लिए किए जा रहे हैं।

4. जहां तक एटी एण्ड सी हानियों का संबंध है कंपनियों को सामान्यता विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। निर्देशों के गैर अनुपालन के कारण हुई इस प्रकार की हानियों को कंपनियों द्वारा वहन किया जाता है।
5. यदि टैरिफ आपूर्ति की लागत को दर्शाते हुए निर्धारित किए जाते हैं तो देशी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ पारेषण में हानियों के अंतर के कारण वाणिज्यिक टैरिफ की अपेक्षा अधिक होंगे। इस प्रकार विनियामक टैरिफ तैयार करते समय सतर्क दृष्टिकोण रखते हैं।
6. अधिकांश राज्यों में कृषि उपभोक्ता को मीटर नहीं किया जाता और यह उच्च रूप से सब्सिडी प्राप्त करते हैं। उपभोक्ताओं के इस क्षेत्र की मीटरिंग से यह परिणाम होते हैं। (क) हानि स्तरों का सही परिमापन (ख) बेहतर विद्युत



प्राप्ति योजना (ग) श्रेणियों के अपेक्षित सब्सिडी का उचित पराकलन। इसके तभी प्राप्त किया जा सकता है। यदि कृषि फीडरों का पृथक्करण किया जाता है। तथापि इस प्रकार का पृथक्करण कुछ राज्यों में किया गया है और इस प्रकार का पृथक्करण के लिए शामिल लागत ऊँची है।

7. वितरण, कारोबार की वित्तीय संभाविता विद्युत क्रय की उच्च लागत के कारण प्रभावित होती है। ईधन की बढ़ती लागत तथा अन्य लागतों के कारण उच्च उत्पादन लागत होती है और इस पर विचार करने की अपेक्षा है कि उत्पादन लागत को किस प्रकार कम किया जाये।
8. यह भी सुझाव दिया गया कि सस्ती विद्युत के आवंटन को कम भुगतान की क्षमता के उपभोक्ता श्रेणी में आवंटन की संभाविता पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया जाए।

6.10.3 विनियामक फोरम (एफओआर) भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) और दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम फोरम (साफिर)

विनियामक फोरम की गतिविधियां:

क्र.सं.	कार्यक्रम के बारे	आयोजन स्थल	आयोजन की अवधि
1.	विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों के लिए नवां क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	सिंगापुर में विदेशी संघटक आईआईटी कानपुर में देशी संघटक	21–26.11.2015
2.	सीजीआएफ के अधिकारियों के लिए और ओमबोडोमैन के लिए उपभोक्ता हित के संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीटीआई फरीदाबाद	25–26.02.2016
3.	विनियम के विधिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीटीआई फरीदाबाद	28–29.03.2016

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया। केविविआ इस फोरम के केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष इस फोरम के अध्यक्ष हैं। केविविआ विनियामक फोरम सचिविय सेवाएं प्रदान करता है। विनियामक फोरम की सात बैठके 2015–16 के दौरान आयोजित की गई जिनमें विभिन्न विषयों पर विचार किया गया और सिफारिशें की गई। पुणे में 29 सितम्बर से 01 अक्टूबर, 2015 के दौरान आयोजित विनियमक फोरम की 50वीं बैठक के दौरान विनियामक फोरम सचिवालय ने विनियामक फोरम अध्ययन रिपोर्टों के सात खण्डों को संकलित और मुद्रित किया। (2005 में विनियामक फोरम के आरंभ से प्रकाशित किए गए और विभिन्न विषयों 50 रिपोर्ट प्रकाशित की गई) और विनियामक फोरम की बैठकों (2005 और मार्च 2015 के बीच आयोजित) के कार्यवृत्त के 7 खण्ड प्रकाशित किए गए। अध्यक्ष, केविविआ/विनियामक फोरम तथा महाराष्ट्र विद्युत विनियामक फोरम के अध्यक्ष तथा पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष ने सार संग्रह के सभी खण्डों और अध्ययन रिपोर्टों को रिलीज किया।

विनियामक फोरम ने 2015–16 में निम्नलिखित अध्ययनों को पूरा किया।



- क. क्रॉस सब्सिडी में कमी के लिए रोडमैप पर अध्ययन।
- ख. विद्युत की खुदरा बिक्री में प्रतिस्पर्धा की शुरूआत के लिए रोलआउट योजना (कैरिज और विषयवस्तु को अलग अलग करना)
- ग. वितरण कंपनियों का कार्यनि पादन।
- घ. आरईसी फ्रेमवर्क की समीक्षा

निम्नलिखित सतत अध्ययन किए जा रहे हैं:

- क. लागत एवं टैरिफ की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ-विवेचनीय विभलेषण
- ख. वितरण हानि कमी कंपनियों के लिए रणनीतियां और उत्तम पद्धतियां
- ग. सीजीआरएफ और ओमबडसमैन की कार्यप्रणाली की समीक्षा

विनियामक फोरम विद्युत क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर विनियामक आयोग के अधिकारियों के

लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

भारतीय विनियामक फोरम की गतिविधियां:

आयोग भारतीय विनियामक फोरम के लिए सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है जिसमें न केवल अध्यक्ष शामिल होते हैं बल्कि टीएमपी, पीएनजीआरबी, सीसीआई, ईआरए जैसी अन्य विनियामक प्राधिकारियों और विद्युत विनियामक आयोगों के सदस्य भी शामिल होते हैं। भारतीय विनियामक फोरम भारत में विभिन्न बुनियादी क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुभवों के आदान प्रदान के लिए प्लेटफार्म के रूप में मूल रूप से तैयार किया गया। यह फोरम मौजूदा स्थिति में विनियामक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया में है। भारतीय विनियामक फोरम अपने सदस्यता आधार के विकास के लिए कार्य कर रहा है। यह भी ध्यान में लाया गया कि श्रीकृष्णन, अध्यक्ष, पीएनजीआरबी और अध्यक्ष भारतीय विनियामक फोरम की अवधि 16.08.2015 को समाप्त हो रही है। इस प्रकार श्री गिरीश भा. प्रधान, अध्यक्ष, केविविआ का 17.08.2016 से अध्यक्ष, भारतीय विनियामक फोरम के रूप में चयन किया गया। यद्यपि अधिशासी निकाय की 39वीं और 40वीं बैठक नई दिल्ली में



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

13.08.2015 और 01.12.2015 को आयोजित की गई, भारतीय विनियामक फोरम की 16वीं वार्षिक जनरल बॉडी बैठक दिल्ली में 10.06.2016 को 38वीं गवर्निंग बॉडी की बैठके के साथ आयोजित की गई।

साफिर की गतिविधियां संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और फील्ड में सक्रिय व्यक्तियों से संबद्ध क्षेत्रों के अवसंरचात्मक विनियमाकों के नेटवर्क के रूप में (जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं) के नेटवर्क के रूप में 1999 में स्थापित एक अन्तरराष्ट्रीय फोरम है। इसमें सदस्यों की चार श्रेणियां हैं अर्थात् शैक्षणिक संस्थाएं, उपभोक्ता निकाय/एनजीओ, निगमित/कंपनियों और विनियामक निकाय हैं। इनका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना है, विनियामक सुधार प्रक्रियाओं और अनुभवों से संबंधित डाटा बैंक उपलब्ध करवाना है, ज्ञान तथा विशेषज्ञता का लाभदायक विनियम करना है और वैशिक उत्तम प्रक्रियाओं का तेजी से कार्यान्वयन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है।

केविविआ साफिर को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है। इसे नोटिस में लाया गया कि श्री शामद्रुप के थिनले, अध्यक्ष साफिर और सीईओ भूटान विद्युत प्राधिकरण की अवधि समाप्त होने जा रही है और

इसलिए इस बैठक में नेपाल और पाकिस्तान के देशों से किसी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में कार्यकारी समिति के सदस्यों में साफिर के अगले अध्यक्ष के रूप में श्री गिरीश भा. प्रधान, अध्यक्ष केविविआ को नामित करने का प्रस्ताव किया। वर्ष 2015–16 में साफिर ने 16–18.11.2015 के दौरान एएससीआई, हैदराबाद भारत में अवसंरचना विनियम और सुधारों पर कोर पाठ्यक्रम आयोजित किया। साफिर की 22वीं स्टीयरिंग समिति की बैठक 14.01.2016 को नई दिल्ली में साफिर की 10वीं कार्यकारी समिति के साथ आयोजित की गई। साफिर ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में नीति, विनियामक मुद्दों/चुनौतियों में विद्युत व्यापार की वृद्धि और विद्युत क्षेत्र के सतत विकास पर आईआरएडीई के साथ सहयोग से अवसंरचनात्मक सम्मेलन आयोजित किया और अपने सदस्यों के लिए 15.01.2016 को मार्ग प्रशस्ति किया।

6.10.4 से मिनार / सम्मेलन / प्रशिक्षण / एक्सचेंज कार्यक्रम

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और स्टाफ द्वारा सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/एक्सचेंज कार्यक्रम/संयंत्र दौरे के ब्यौरे **अनुबंध-X** और **अनुबंध-XI** में दिए गए हैं।

7

उपभोक्ताओं के लाभ
तथा क्षेत्र के विकास
के लिए विनियामक
प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

7. उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

क. उपभोक्ताओं के लाभ

केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से एक नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना है जिनमें वे उपभोक्ता तथा प्रदायकर्ता शामिल हैं जो सभी स्टेक होल्डरों के प्रति उचित और पारदर्शी और तटस्थ रवैया अपनाते हैं। उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा उपायों के लिए केविविआ द्वारा शुरू की गई पहल निम्नानुसार है:

1. ग्रिड प्रचालन की सुरक्षा

क. ग्रिड नियंत्रण के लिए सतत प्रयासों से बेहतर ग्रिड फ्रिक्वेंसी और ग्रिड प्रचालन हुआ। इसमें उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।

2. बाजार मॉनिटरिंग

क. अल्पकालिक बाजार कीमते स्थिर रही। अल्पकालिक संव्यवहारों में 115.23 बिलियन यूनिट को स्पर्श किया जिससे पिछले वर्ष से 16.24 बिलियन यूनिट की वृद्धि हुई। पावर एक्सचेंजों पर औसत आगामी दिवस कीमत प्रति यूनिट 2.72 रुपये पर स्थिर रहा। निम्नतर थोक बिक्री कीमते (अल्पकाल के माध्यम से) का उपभोक्ता टैरिफ पर नरम प्रभाव रहा।
ख. सभी स्टेक होल्डरों द्वारा ग्रिड फ्रीक्वेंसी मानदंडों का अनुपालन जिससे उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की बेहतर गुणवत्ता हुई।

3. हरित ऊर्जा का उन्नयन

क. ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य सहित परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा के समाकलन के लिए प्रभावी विनियामक फ्रेमवर्क।

ख. उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित वातावरण के लिए विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करना।

ख. क्षेत्र का विकास

क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

1. नवीकरणीय ऊर्जा पर बल

क. पवन एवं सौर तकनीक के लिए पूर्वानुमान और अनुसूचीकरण तथा विचलन के लिए फ्रेमवर्क का लक्ष्य परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बनाए रखना है।

2. ग्रिड अनुशासन

क. फ्रिक्वेंसी बैण्ड को कड़ा करने और ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के माध्यम से ग्रिड प्रचालन में अनुशासन सुनिश्चित करने के सतत प्रयास।

ख. पहल से ग्रिड प्रचालन की सुरक्षा आसान बनाया गया जो उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं सहित सभी स्टेक होल्डरों के हित में है।

3. बाजार विकास

क. सहायक सेवा प्रचालन के माध्यम से आयोग ने ग्रिड सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परवर्ती एवं भार संचालन के लिए अनुपूरक बाजार तंत्र को सरल किया।

ख. आयोग ने पावर एक्सचेंजों पर बाजर सत्र के विस्तार को अनुमति दी जिससे बाजार की आकस्मित आवश्यकताओं का प्रबंधन किया गया और उनकी बेहतर प्रणालियों के संतुलन की अनुमति दी गई।

8

वर्ष 2015—16
के दौरान जारी
की गई अधिसूचनाएं

8. वर्ष 2015–16 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	राजपत्र तारीख	विनियम
1.	117	07.04.2015	30 सितम्बर 2015 तक बोली खोलने के लिए पारेषण सेवा (10 अक्टूबर 2008 तक यथासंशोधित) के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बाली मार्गनिर्देश
2.	118	07.04.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों की शेयरिंग व हानियाँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015
3.	125	10.04.2015	वितरण अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा विद्युत की अवाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ की अवधारण के लिए मार्गनिर्देश – 01.04.2015 से 30.09.2015 के बीच की अवधि के लिए वार्षिक वृद्धि दर
4.	165	15.05.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015
5.	170	19.05.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता को अन्तरराज्यिक पारेषण योजना के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) (पहला संशोधन) विनियम, 2015
6.	171	19.05.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में सयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (पांचवा संशोधन) विनियम 2015
7.	201	01.06.2015	आयोग की मुहर के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विविध प्रावधान) आदेश, 2015 (केविविआ (विविध प्रावधान) आदेश 1999 को संशोधित करना)
8.	238	08.07.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम 2015
9.	239	08.07.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों की शेयरिंग व हानियाँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015
10.	250	14.07.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015
11.	269	06.08.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आरएलडीसी के फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015
12.	271	10.08.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015
13.	272	10.08.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2015
14.	281	19.08.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाओं का संचालन) विनियम, 2015



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

15.	354	23.10.2015	वितरण अनुज्ञापित्तिधारियों द्वारा विद्युत की अवाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ की अवधारण के लिए मार्गनिर्देश – 01.04.2015 से 30.09.2015 के बीच की अवधि के लिए वार्षिक वृद्धि दर
16.	355	23.10.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015
17.	356	23.10.2015	दिनांक 19.01.2005 वितरण अनुज्ञापित्तिधारियों द्वारा विद्युत की अवाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ की अवधारण के लिए मार्गनिर्देश – 01.10.2015 से 31.03.2016 के बीच की अवधि के लिए वार्षिक वृद्धि दर
18.	357	23.10.2015	(31 मार्च 2016 तक बोली खोलने के लिए) बोली मूल्यांकन के लिए वार्षिक वृद्धि दर – पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश
19.	379	24.11.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (की निबंधन एवं शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2015
20.	384	04.12.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015
21.	385	04.12.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आंतरिक / बाहर चिकित्सा सुविधाएं) (पहला संशोधन) विनियम, 2015
22.	110	28.03.2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015
23.	111	30.03.2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विविध प्रावधान) आदेश, 2016
24.	112	30.03.2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को जारी करना और मान्यता के लिए निबंधन एवं शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016
25.	117	31.03.2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016

9

वर्ष 2016–17

के लिए

कार्यसूची

9. वर्ष 2016–17 के लिए कार्यसूची

- क. ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित विनियम।
- ख. विचलन व्यवस्थापन तंत्र से सम्बन्धित विनियमों में संशोधन ताकि नवीकरणीय ऊर्जा पावर के प्रभावी समाकलन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समृथ राज्यों को सुकर बनाया जा सकें।
- ग. थर्मल पावर संयन्त्रों के लिए और आर.ई पावर के प्रभावी समाकलन के लिए न्यूनतम तकनीक को संशोधित करने के लिए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में संशोधन।
- घ. ओ.ए. संव्यवहारों के लिए निर्बाध पहुंच से सम्बन्धित विनियमों संशोधन।
- ङ. 24x7 राऊड दी क्लॉक अंतः दिवस / आकस्मिक बाजार के प्रचालन की समीक्षा।
- च. विद्युत के अन्तरराज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली से सम्बन्धित विनियम।
- छ. क्रास बार्डर व्यापार के विनियम।

10

लेखों का वार्षिक विवरण

10. लेखों का वार्षिक विवरण

वर्ष 2015–16 के दौरान, 34.96 करोड़ रुपये की राशि विद्युत मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि (भारत के लोक लेखा के अन्तर्गत रखी गई) से रिलीज की गई। वर्ष 2014–15 की 9.37 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष वर्ष 2015–16 के लिए अग्रसित की गई जिससे ये राशि वर्ष 2015–16 के लिए 44.33 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधि हो गई। इसमें 33.55 करोड़ रुपये की राशि वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई और 10.78 करोड़ रुपये की शेष राशि वर्ष 2016–17 में ले जाई गई।

इसके अलावा, वर्ष 2014–15 में अर्जित 0.80 करोड़ रुपये का ब्याज और वर्ष 2015–16 में अर्जित 1.02 करोड़ रुपये का ब्याज वर्ष 2015–16 में विद्युत मंत्रालय को प्रषित किया गया। इसके अलावा, फीस के कारण प्राप्त 102.82 करोड़ रुपये की रकम भारत के लोक लेखा के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि लेखा में उसे रखने के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रषित किया गया। इसके बौरे अनुबंध—XII में दिये गये हैं।

11

आयोग का मानव संसाधन

11. आयोग का मानव संसाधन

आयोग का अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यनिष्ठादान के लिए अंत्यंत व्यापक अधिदेश है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में आयोग की कुशलता इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, विधि, पर्यावरण, प्रबंध सूचना प्रणाली और अन्य संबद्ध कुशलताओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव सहित इसके स्टाफ की गुणवत्ता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है।

संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध XIII** में दिए गए हैं। इसके अलावा, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले मानव संसाधन का उपयोग करता है। इनहाउस कुशलताओं और उपलब्ध अनुभव को पूरा करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए इसने विनियम बनाये हैं।

क्रम.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	1	1	0
2.	प्रमुख	4	4	0
3.	संयुक्त प्रमुख	5	3	2
4.	उप प्रमुख	13	13	0
5.	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	0	1
6.	सहायक प्रमुख	16	13	3
7.	न्यायपीठ अधिकारी	2	2	0
8.	सहायक सचिव	2	1	1
9.	वेतन एवं लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	2	0
10.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1	1	0
11.	प्रधान निजी सचिव	3	3	0
12.	निजी सचिव	5	5	0
13.	सहायक	6	6	0
14.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	0	1
15.	निजी सहायक	7	0	7
16.	आशुलिपिक	3	1	2
17.	हिंदी टंकक(अ.श्र.लि.)	1	0	1
18.	स्वागती एवं टेलिफोन आपरेटर	1	1	0
19.	ड्राईवर	4	4	0
20.	वरिष्ठ चपरासी/ दफतरी	2	2	0
21.	चपरासी	2	2	0
	कुल	82	64	18



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2015–16 के दौरान भर्ती

क्र.सं.	पद का नाम	भरे गए पदों की संख्या
1.	प्रमुख (इंजी.)	1
2.	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	1
3.	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	1
4.	उप प्रमुख (इंजी.)	1
5.	वरिष्ठ पीपीएस	1
6.	न्यायपीठ अधिकारी	1
7.	सहायक प्रमुख (विधि)	1
8.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1
9.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1
10.	निजी सचिव	3
11.	सहायक अनुभाग अधिकारी	1
	कुल	13

अनुबंध

अनुबन्ध-।

**केविविआ के समक्ष दाखिल की गई याचिकाओं की स्थिति
(1.4.2015 से 31.3.2016)**

पिछले वर्ष 2014-2015 से आगे लाई गई	याचिका संख्या 2015- 2016 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	कुल	निपटाई गई	31.3.2016 को लंबित
783	335	1118	611	507

01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान निपटाई गई याचिकाओं की सूची

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
1	एमपी / 452 / 2014	14.12.2014	आरएपीपी पारेषण कम्पनी लि. आरटीसीएल	निम्नलिखित पारेषण लाइनः आरएपीपी शुजलपुर 400 केवी डी/सी के लिए परियोजना हेतु ऋणकर्ता/प्रतिभूति द्रस्टी के लाभ के लिए परियोजना अस्तियों पर दृष्टि बंधक के गैर सत्यापित विलेख के अनुसरण में प्रतिभूति द्रस्टी के पक्ष में प्रतिभूति सृजन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 (3) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन।	1.4.2015	विविध याचिका
2	237 / जीटी / 2013	13.06.2013	उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लि.	(नीपको) के असम गैस आधारित विद्युत परियोजना के टैरिफ का पुनरीक्षण।	6.4.2015	उत्पादन याचिका
3	एमपी / 451 / 2014	14.12.2014	पुर्लिया एंड खडगपुर ट्रांसमिशन कंपनी लि. और एसबी आईसीएपी द्रस्टी कम्पनी लि.	निम्नलिखित पारेषण लाइनः पुरुलिया पीएसपी (पश्चिम बंगाल, राँची (पीजी) 400 केवी डीसी लाइन और खडगपुर (डब्ल्यूबीएसई टीसीएल)–चायबसा (पीजी) 400 केवी डीसी के लिए परियोजना हेतु ऋणदाता (प्रतिभूति द्रस्टी के लाभ के लिए परियोजना अस्तियों पर ¹ दृष्टिबंधक के गैर सत्यापित विलेख के अनुसरण में प्रतिभूति द्रस्टी के पक्ष में प्रतिभूति सृजन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 (3) के अधीन अनुमोदन के लए आवेदन।	1.4.2015	विविध याचिका
4	005 / एसएम / 2015	08.04.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान लागू सौर थर्मल पावर परियोजनाओं एवं सौलर पीवी पावर परियोजना के लिए बैंचमार्क पूँजी लागत मानदण्ड का निर्धारण।	31.3.2015	स्वप्रेरणा याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
5	224 /टीटी/ 2012	31.08.2012	उत्तर पूर्व पारेषण कम्पनी लि.	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कम्पनी लि. नई दिल्ली के गैंस आधारित जीबीसीसीपीपी से संबद्ध अन्य आस्तियों एवं 400 केवी डीसी पलटन-सिल्वर टिविन मूज कंडक्टर पारेषण लाइन 247 किलोमीटर के लिए पारेषण टैरिफ।	1.4.2015	पारेषण याचिका
6	097 /एमपी/ 2015	01.04.2015	एनएलसी	यूनिट एक के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा तक या 30.06.2015 तक जो भी पहले हो यूआई तंत्र के अधीन इनफर्म पावर के अन्तःक्षेपण के लिए यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए आयोगों से अनुमति मांगने के लिए याचिका।	1.4.2015	विविध याचिका
7	004 /एसएम/ 2015	08.04.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निर्वाचन व शर्तों) विनियम 2012 के विनियम 8 अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए जेनेरिक स्तरीकृत उत्पादन टैरिफ का अवधारण।	31.3.2015	स्वप्रेरणा याचिका
8	156 /एमपी/ 2012	10.07.2012	स्पैक्ट्रम ऊर्जा उत्पादन लि.	बीपीटीए दीर्घकालिक पहुंच करार दिनांक 24.12.2010 और त्रिपक्षीय टीएसए 15.12.2011 की समाप्ति	6.4.2015	विविध याचिका
9	127 /2012	20.04.2012	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	वेमागिरी पारेषण प्रणाली लि. द्वारा स्थापित की जारी पारेषण प्रणाली के पारेषण प्रभारों को अपनाना	6.4.2015	अंगीकार याचिका
10	128 /टीएल/ 2012	07.05.2012	वेमागिरी पारेषण प्रणाली लि. गुड़गांव	वेमागिरी पारेषण प्रणाली लि. को पारेषण लाइसेंस के संबंध में	6.4.2015	व्यापार अनुज्ञाप्ति
11	121 /एमपी/ 2011	26.03.2011	एनटीपीसी लि.	एनटीपीसी केन्द्रों में जल प्रभारों में असमान्य वृद्धि के कारण उपगत अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए याचिका	10.4.2015	विविध याचिका
12	079 /एमपी/ 2015	23.02.2015	एनआरएसएस एनआरएसएस XXXI (ए)	एनआरएसएसएक्सएक्सआई (बी) पारेषण लि. द्वारा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन और सृजन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन	15.4.2015	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
13	284 / जीटी / 2013	24.10.2013	एनटीपीसी लि.	द्यूनिंग अप अभ्यास के बाद 01.04.2009 से 31.03.2014 तक फिरोज गांधी उनचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	16.4.2015	उत्पादन याचिका
14	टीटी / 377 / 2014	28.09.2014	एनटीपीसी लि.	31.03.2019 तक प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से अवधि के लिए एनटीपीसी लि. के 400 केवी डीसी दादरी लोनी रोड पारेषण लाइन के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	20.4.2015	पारेषण याचिका
15	066 / जीटी / 2012	19.01.2012	दामोदर घाटी निगम	दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 1 के लिए टैरिफ का अनुमोदन	20.4.2015	उत्पादन याचिका
16	036 / एमपी / 2015	29.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	765 केवी एससी रायचूर-सोलापुर पारेषण लाइन की आरंभ की जा रही न्यू ग्रिड और एसआर ग्रिड के बीच पारेषण विभवसनीयता मार्जन निर्धारित करने के लिए याचिका	8.6.2015	विविध याचिका
17	113 / आरसी / 2015	17.04.2015	पावरग्रिड विज़ग पारेषण लि.	विज़ग पारेषण लि. के अंतर्राजिक पारेषण अनुज्ञाप्ति के नाम के परिवर्तन के लिए याचिका	21.4.2015	विनियामक अनुपालन
18	108 / एमपी / 2015	10.04.2015	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लि.	विद्युत के अन्तर परिवर्तन लिए और द्रायल रन से संबंधित मानदण्डों में रियायत के लिए और रायखेदा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में याचिकाकर्ताओं के विद्युत संयंत्र के यूनिट 1 (685 मेगावाट) के द्रायल प्रचालन के लिए निर्धारित अवधि के आगे तीन महीनों के विस्तार के लिए याचिका	22.4.2015	विविध याचिका
19	109 / एमपी / 2015	10.04.2015	जिंदल इण्डिया थर्मल पावर लिमिटेड	केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(आई)(के) के अधीन छूट के लिए इनफर्म पावर के रूप में याचिकाकर्ता कम्पनी के यूनिट 1 से ऊर्जा के अंतक्षेपण के विचार करने की याचिका	22.4.2015	विविध याचिका
20	201 / टीटी / 2012	21.08.2012	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी ग्रिड भाग 2 के केन्द्रीय भाग के लिए पारेषण टैरिफ 765 केवी प्रणाली का अवधारण	6.5.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
21	एमपी / 520 / 2014	14.12.2014	विश वायु इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी	शपथ पत्र के साथ तमिलनाडु में आधारित याचिकाकर्ता के 10.4 मेगावाट परियोजना एवं याचिकाकर्ता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों को जारी करने की मांग करते हुए याचिका	27.4.2015	विविध याचिका
22	एमपी / 010 / 2014	24.01.2014	शमनूर सूगर्स लि.	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 का हस्तक्षेप करते हुए और उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता को अन्तरराज्यिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के दौरान याचिकाकर्ता से एकत्रित वापसी और बैकअप आपूर्ति प्रभारों के लिए प्रतिवादी को इस माननीय आयोग से निर्देश के लिए	29.4.2015	विविध याचिका
23	105 / टीटी / 2012	28.12.2012	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में कल्पकम पीएफबी आर से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत कल्पकम पीएफबीआर सिरुचेरी	29.4.2015	पारेषण याचिका
24	एमपी / 126 / 2014	30.06.2014	तमिलनाडु विद्युत उपभोक्ता एसोसिएशन (टीईसीए)	यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड की संयोजकता के लिए तकनीकी मानदण्ड) विनियम 2007 की तीन और विनियम 2(8), 2(34) पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 24 और 111 के अधीन याचिका	29.4.2015	विविध याचिका
25	078 / टीटी / 2012	14.03.2012	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र की स्कीम डब्ल्यूआर एसएस 2 के अधीन सिओनी-वर्धा टीएल के लिए पारेषण टैरिफ	30.4.2015	पारेषण याचिका
26	एमपी / 077 / 2014	25.04.2014	तिमारपुर औखला वैस्ट प्रबंधन कम्पनी लि.	समर्थनकारी शपथपत्र सहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र विनियम 2010 को जारी करने के लिए और मान्यता के लिए आवेदन	30.4.2015	विविध याचिका
27	001 / आरपी / 2015	30.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009-14 के लिए उत्तरी क्षेत्र के एनआर एसएस 13 (एनआरएसएस 3) से संबद्ध मामले में याचिका संख्या 79 / टीटी / 2012 में केविविआ के आदेश दिनांक 31.01.2014 की समीक्षा के लिए याचिका	30.4.2015	पुनरीक्षण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
28	229 / 2010	08.06.2010	एपीसीपीएल	अरावली पावर कम्पनी प्रा. लि. की इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना के टैरिफ का अनुमोदन	6.5.2015	पारेषण याचिका
29	13 / आरपी / 2011	05.08.2011	एपीपीजीसीएल	याचिका संख्या 9 / एम / 2011 में 28.6.2011 की आदेश की समीक्षा	7.5.2015	पुनरीक्षण याचिका
30	37 / टीटी / 2011	29.07.2011	जेपी पावर ग्रिड लि.	करचम वांगतू हाइड्रो विद्युत परियोजना से विद्युत की निकासी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ का अवधारण	7.5.2015	पारेषण याचिका
31	068 / एमपी / 2013	04.04.2013	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	मझे 2 विस्तार को शामिल करने के कारण पूल लिग्नाइट कीमत का पुनरीक्षण	7.5.2015	विविध याचिका
32	जीटी / 236 / 2014	24.08.2014	एनएचपीसी लि.	सलाल विद्युत केन्द्र के संबंध में 2014–19 के संबंध में टैरिफ याचिका और 2009–14 अवधि के लिए एफसी की टयूनिंग अप के लिए टैरिफ याचिका का अनुमोदन	12.5.2015	उत्पादन याचिका
33	053 / टीटी / 2013	07.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	वर्धा में एफएससी सहित 400 केवी डीसी रायपुर वर्धा टीएल के लिए पारेषण टैरिफ	12.5.2015	पारेषण याचिका
34	065 / एमपी / 2013	03.04.2013	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	एनएलसी माइनस में सीआईएसएफ को मजदूरी पुरनरीक्षण और वेतन पुनरीक्षण के कारण एनएलसी माइनस द्वारा उपगत ओ एण्ड एम व्यय में वृद्धि	12.5.2015	विविध याचिका
35	106 / टीटी / 2013	08.05.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	डीवीसी और मैथन राइट बैंक उत्पादन परियोजनाओं को स्टार्टअप पावर के लिए पारेषण प्रणाली का पारेषण टैरिफ	13.5.2015	पारेषण याचिका
36	083 / एमपी / 2015	03.02.2015	तेलंगाना पारेषण निगम लि.	केविविआ (भारतीय विद्युतग्रिड कोड के विनियम 5.2(1) के अनुसार विभवसनीयता, चयनात्मकता, गति और संवेदनशीलता वाले संरक्षण प्रणालियों के संबंध में और उन्हें कार्यात्मक बनाने के लिए केविविआ के आदेश के कार्यान्वयन के लिए समय विस्तार के लिए याचिका	14.5.2015	विविध याचिका
37	337 / 2010	29.12.2010	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	बिलिंग वसूली और पारेषण प्रभार गतिविधि के संवितरण के कारण उत्पन्न कड़िनाइयों को दूर करने के लिए	18.5.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
38	260 / जीटी / 2013	10.10.2013	एनटीपीसी लि.	दूर्योग अप कार्य करने के बाद 14.2009 से 31.3.2014 तक नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन दाददी स्टेज-1 (840 मेगावाट) के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	20.5.2015	उत्पादन याचिका
39	109 / टीटी / 2013	13.05.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	765 केवी पूलिंग केन्द्रों के लिए सामान्य स्कीम के अधीन 240 एमवीएआर बस रिएक्टर आगरा के लिए पारेषण टैरिफ	20.5.2015	पारेषण याचिका
40	197 / टीटी / 2012	14.08.2012	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरांचल में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत संबद्ध बेज सहित सितारगंज में सितारगंज आईसीटी-1 में ठनकपुर-बरेली पारेषण लाइन	25.5.2015	पारेषण याचिका
41	एमपी / 064 / 2014	03.04.2014	श्रीनाथ	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन विनियम 2010 के जारी करने और मान्यता के लिए याचिका	29.5.2015	विविध याचिका
42	257 / 2010	15.09.2010	प्रगति पावर निगम लि. पीपीसीएल	पीपीसीएल के प्रगति-3 1371 एमडब्ल्यू सीसीपीएस का टैरिफ	26.5.2015	पारेषण याचिका
43	एमपी / 146 / 2014	11.07.2014	वेस्टन रीजन पारेषण (महाराष्ट्र) प्रा. लि.	30.11.2013 को पुणे-ओरंगाबाद लाइन को आरंभ करने की घोषणा के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(आई)(एफ) के अधीन याचिका	28.5.2015	विविध याचिका
44	088 / एडीपी / 2015	08.04.2015	विंध्याचल जबलपुर पारेषण लि.	विंध्याचल-5 से संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्थापित करने के लिए विंध्याचल जबलपुर पारेषण लि. के लिए पारेषण प्रभारों के स्वीकार के लिए आवेदन	28.5.2015	अंगीकार याचिका
45	185 / टीटी / 2013	07.10.2013	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कम्पनी (ओटीपीसी)	पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी विद्युत केन्द्रों से पश्चिम क्षेत्र में अधिशेष विद्युत के पारेषण के लिए 1.4.2009 से 31.3.2014 तक संबद्ध उपकेन्द्र बेज और 220 केवी डीसी राउरकेला-तरक्को-बुद्धिपदर-कोरबा (ओटीसी भाग) को शामिल करते हुए ओपीटीसीएल के पारेषण प्रणाली के संबंध में विलिंग प्रभार	29.5.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
46	072/एमपी/2015	11.02.2015	रिलायन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 के अधीन रिलायन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि. के पक्ष में पारेषण अनुज्ञाप्ति के कार्य के लिए याचिका	3.6.2015	विविध याचिका
47	आरसी/007/2014	24.01.2014	पावर एक्सचेंज इण्डिया लि. पीएक्सआईएल	पावर एक्सचेंज इण्डिया लि. में आगामी दिवस कांट्रैक्ट में फलेक्सिबल ब्लाक बोलियों आरंभ करने के लिए अनुमति मांगना	8.6.2015	विनियामक अनुपालन
48	042/टीटी/2013	18.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र द्वारा एनईआर/ईआर अधिशेष विद्युत के आयात के लिए पारेषण योजनाओं के धीन बोंगेगांव में 2 नम्बर 400 केवी लाइन बेज और 400 केवी सिलिगुड़ी एसएस के 2 नम्बर 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 2 नम्बर 400 केवी लाइन बेज का पारेषण टैरिफ	10.6.2015	पारेषण याचिका
49	061/टीटी/2013	14.02.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	सासन एवं मुन्द्रा यूननपीपी के लिए उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत 400/220 केवी सिकर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी 80एमवीएआर बस रिएक्टर का पारेषण टैरिफ	9.6.2015	पारेषण याचिका
50	103/एडीपी/2015	09.04.2015	डीजीईएन पारेषण कम्पनी लि.	निर्माण निजी प्रचालन और रखरखाव आधार पर टोरेंट पावर लि. की डीजीईएन टीपीएस (12 एमडब्ल्यू) से संबद्ध पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत पारेषण प्रभारों के स्वीकार के लिए आवेदन	10.6.2015	अंगीकार याचिका
51	045/टीटी/2013	21.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	केंग हाइड्रो विद्युत परियोजना से सहित पारेषण प्रणाली के अंतर्गत अन्य आस्तियों एवं 400केवी डी/सी बलीपारा-बोंगेगांव (क्वेद) पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ	15.6.2015	पारेषण याचिका
52	जीटी/235/2014	24.08.2014	एनएचपीसी लि.	बैरासूल विद्युत केन्द्र के संबंध में वर्ष 2014-19 के लिए 2009-14 और टैरिफ याचिका के लिए एफसी की द्रव्युईंग अप के लिए टैरिफ याचिका का अनुमोदन	17.6.2015	उत्पादन याचिका
53	089/टीएल/2015	27.04.2015	विध्याचल जबलपुर पारेषण लि.	विध्याचल जबलपुर पारेषण लि. के लिए पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	15.6.2015	व्यापार अनुज्ञाप्ति



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
54	162 / टीटी / 2013	23.08.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सेट ए/डीपीआर 1 में आईपीपी उत्पादन परियोजना के लिए रायपुर एवं रायगढ़ (कोटरा) में पूलिंग स्टेशन की स्थापना के अंतर्गत संबद्ध बेज सहित रायपुर (दुर्ग) और रायगढ़/कोटरा में रिएक्टर एवं संबद्ध बेज तथा (3) आईसीटीएस सहित (2) 400 केरी डीसी रायगढ़ पीएस (नजदीक कोटरा) रायगढ़ (मौजूद) एस/एस टी/एल से संबद्ध 400 केरी डी/सी रायपुर (मौजूद)–रायपुर पीएस (दुर्ग) के लिए पारेषण टैरिफ	18.6.2015	पारेषण याचिका
55	120 / टीटी / 2013	19.03.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	बिलासपुर पूर पूलिंग स्टेशन और उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क के लिए पारेषण टैरिफ, पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा आयाता और पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क हेतु सामान्य योजना और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र से आयात तथा पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से एनईआर/एसआर/डब्ल्यू आर	18.06.2015	पारेषण याचिका
56	256 / टीटी / 2013	19.09.2013	महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लि.	पीओसी पारेषण प्रभारों में शामिल करने के लिए याचिका संख्या 15/एसएम/2012 के विरुद्ध केविविआ के आदेश दिनांक 14.03.2012 महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी के संबंध में टैरिफ	18.5.2015	पारेषण याचिका
57	एमपी / 314 / 2014	20.09.2014	डीबी पावर लि.	शपथ पत्र सहित 20.12.2013 के एलटीए के प्रचालनीकरण/अनुशूलीकरण के लिए उपयुक्त निर्देश मांगने के लिए याचिका	17.6.2015	विविध याचिका
58	127 / एडीपी / 2015	08.05.2015	गदरवाड़ा (बी) ट्रांसको लि.	एनटीपीसी (भाग ख) के गदरवाड़ा एसटीपीएस से संबद्ध पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए भारतीय पावरग्रिड कारपोरेशन लि. की पूर्णतया 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली अनुषंगी गदरवाड़ा (बी) पारेषण लि. के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत पारेषण प्रभारों के स्वीकार के लिए याचिका	23.6.2015	अंगीकार याचिका
59	242 / जीटी / 2013	09.07.2013	एनटीपीसी लि.	राजीव गांधी समन्वित साइकिल पावर परियोजना क्यामकुलम चरण 1 के टैरिफ का अनुमोदन	24.6.2015	उत्पादन याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
60	125 / एडीपी / 2015	08.05.2015	गदरवाड़ा (ए) ट्रांसको लि.	एनटीपीसी (भाग ख) के गदरवाड़ा एसटीपीएस (2 X800 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए भारतीय पावरग्रिड कारपोरेशन लि. की पूर्णतया 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली अनुषंगी गदरवाड़ा (ए) पारेषण लि. के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत पारेषण प्रभारों के स्वीकार के लिए याचिका	23.6.2015	अंगीकार याचिका
61	104 / टीएल / 2015	09.04.2015	डीजीईएन पारेषण कम्पनी लि.	डीजीईएन पारेषण कम्पनी लि. को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन। 220 केवी डी/सी लाइन द्वारा नवसारी-भेस्टन द्वारा डीजीईएन टीपीएस बदोदरा से संबद्ध टोरंट पावर लि. के डीजी ईएन टीपीएस (12 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए	24.6.2015	व्यापार अनुज्ञाप्ति
62	जीटी / 218 / 2014	24.08.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.03.2014 की अवधि के लिए राजीव गांधी समन्वित साइकिल विद्युत परियोजना कायकुलम (359.58 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण	24.6.2015	उत्पादन याचिका
63	जीटी / 523 / 2014	14.12.2014	टोरंट पावर लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम 2009 (टैरिफ विनियम 2009) के अनुसार टोरंट पावर लि. के सुरुजैन 1147.5 मेगावाट विद्युत संयंत्र के टैरिफ की द्रृढ़ीय अप के लिए याचिका	25.6.2015	उत्पादन याचिका
64	टीटी / 295 / 2013	06.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ ब्लाक 2009–14 अवधि के लिए पश्चिमी और उत्तरी में विध्याचल 4 एवं रिहन्द 3 (1000 मेगावाट) उत्पादन परियोजना (ग्रुप 3) से संबद्ध आस्तियों के लिए पारेषण टैरिफ	17.7.2015	पारेषण याचिका
65	267 / एसएम / 2012	19.12.2012	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	सरदार सरोवर नर्मदा लि. की पारेषण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के अंतर्राजिक पारेषण और उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के उत्पादन के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए आवेदन दाखिल करना	30.6.2015	स्वप्रेरणा याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
66	099 / टीटी / 2013	26.04.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र द्वारा एनईआर/ईआर अधिशोष के आयात के लिए पारेषण योजनाओं के अंतर्गत बिहारशरीफ और अन्य घटकों का पारेषण टैरिफ	30.6.2015	पारेषण याचिका
67	170 / एमपी / 2015	25.06.2015	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	यूनिट 1 के सीओडी की घोषणा तक या 30.09.2015 तक जो भी पहले हो यूआई मैकेनिज्म के अंतर्गत इन्फर्म पावर के अंतक्षेपण के लिए यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए आयोगों की अनुमति की मांग करने वाली याचिका	2.7.2015	विविध याचिका
68	227 / टीटी / 2013	05.03.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में बड़ उत्पादन परियोजना ($3 \times 660\text{MW}$) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत आरईसी के अनुमोदन के बाद बलिया एसएस में संबद्ध बेज सहित बड़—बलिया 400 केवी डीसी (क्वेद) के लिए संशोधित पारेषण टैरिफ	30.6.2015	पारेषण याचिका
69	219 / जीटी / 0205.2013	05.2013	डीवीसी	कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट # 1 and 2 ($2 \times 500\text{MW} = 1000\text{MW}$) के लिए टैरिफ का अनुमोदन	6.7.2015	उत्पादन याचिका
70	099 / एमपी / 2015	26.03.2015	केएसके महानदी पावर लि.	नवंबर 2013 में प्राप्त आवेदनों के लिए भारतीय पावरग्रिड कारपोरेशन सीटीयू द्वारा दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के प्रचालनीकरण और आवंटन के संबंध में मार्गनिर्देशों के लिए याचिका	3.7.2015	विविध याचिका
71	टीटी / 290 / 2013	06.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ 2009–14 के लिए चमेरा 3 एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत जलंधर के लाइन रिएक्टर एवं बेज सहित 400 केवी डी/सी चमेरा पूलिंग स्टेशन जलंधर टी/एल का पारेषण टैरिफ	7.7.2015	पारेषण याचिका
72	001 / एसएम / 2015	28.01.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	सूर्यचक्र लि. द्वारा फीस विनियम 2012 के भुगतान का गैर अनुपालन	9.7.2015	स्वप्रेरणा याचिका
73	एसएम / 013 / 2014	27.08.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	केविविआ (फीस का भुगतान) विनियम 2012 का गैर अनुपालन	6.7.2015	स्वप्रेरणा याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
74	043 / टीटी / 2013	16.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2014 तक पूर्वी क्षेत्र के लिए रिएक्टरों एवं स्पेयर आईटीसी के प्रावधान के अंतर्गत रिएक्टर एवं स्पेयर आईसीटी	10.7.2015	पारेषण याचिका
75	197 / जीटी / 2013	03.04.2013	एनएलसी	सीएफबीसी तकनीक आधारित एनएलसी बरीसिंहसार थर्मल पावर स्टेशन के लिए टैरिफ का निर्धारण	10.7.2015	उत्पादन याचिका
76	157 / एमपी / 2013	03.04.2013	टीएचडीसी इंपिडया लि.	याचिकाकर्ता—टीएसडी इंपिडया लि. के उत्पादन केन्द्रों के लिए दिवस (मेगावाट) के लिए घोषित क्षमता का पुनरीक्षण	10.7.2015	विविध याचिका
77	128 / टीएल / 2015	08.05.2015	गदरवाड़ा (बी) ट्रांसको लि.	गदरवाड़ा (बी) पारेषण लि. को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए याचिका	10.7.2015	व्यापार अनुज्ञाप्ति
78	285 / एमपी / 2013	24.10.2013	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि. केएसईबी लि.	एनटीपीसी के ऊर्जा प्रभार बिलों में अपनाई गई द्वितीयक ईंधन तेल उपभोग दर पर विवाद के अधिनिर्णय के लिए विविध याचिका	10.7.2015	विविध याचिका
79	387 / जीटी / 2014	09.10.2014	टीएचडीसी इंपिडया लि.	1.4.2009 से 31.03.2014 की अवधि के लिए टिहरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर योजना स्टेज-I (4X250MW) के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	13.7.2015	उत्पादन याचिका
80	138 / आरसी / 2015	20.05.2015	भारतीय एक्सचेंज एनर्जी लि. (आईईएक्स)	पावर एक्सचेंजों में विस्तारित मार्केट सत्र के संबंध में याचिका संख्या 06/SM/2015 में 8.4.2015 के केविविआ के आदेश के अनुपालन में विनियामक अनुपालन आवेदन	15.7.2015	विनियामक अनुपालन
81	006 / एसएम / 2015	20.05.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	पावर एक्सचेंजों पर विस्तारित बाजार सत्र	15.7.2015	स्वप्रेरणा याचिका
82	163 / टीटी / 2013	23.08.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लॉक 2009-14 के लिए उत्तरी क्षेत्र भाग पार्ट 1 में रूपांतरण क्षमता को बढ़ाने के अंतर्गत मोगा (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.7.2013) में 500 MVA 400/220 KV ICT के लिए पारेषण टैरिफ	20.7.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
83	048 / जीटी / 2015	17.02.2015	टीएचडीसी इंपिड्या लि.	2014–19 के लिए टिहरी एचएच पीपी स्टेज-1 (1000 मेगावाट) के टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका	21.7.2015	उत्पादन याचिका
84	एमपी / 112 / 2014	11.06.2014	दक्षिणी गुजरात विज कम्पनी लि.	याचिका संख्या 245/MP/2012 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित 8.6.2013 के आदेश के अनुपालन के लिए विद्युत अधिनियम 2003की धारा 142 के साथ पठित धारा 79(i) ^(c) के अधीन याचिका	22.7.2015	विविध याचिका
85	एमपी / 521 / 2014	10.12.2014	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए इकिवटी पर सकल रिटर्न के लिए निगमित कर अपनाने के लिए याचिका और वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयकर अधिनियम की 43 बी के अंतर्गत अधिवार्षिकी निधि के लिए अंशादान की गैर अनुमति तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में उसकी अनुमति पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 (निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिए विचार करने के लिए सकल निगमित कर दर सहित इकिवटी पर रिटर्न पर दावा करने के लिए याचिका	5.8.2015	विविध याचिका
86	283 / एमपी / 2012	31.12.2012	कोस्टल आंध्रा पावर लि.	पीपीए सहित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासनकारी प्राप्ति	4.8.2015	विविध याचिका
87	एसएम / 011 / 2014	20.08.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 38 और 39 का गैर अनुपालन	5.8.2015	स्वप्रेरणा याचिका
88	052 / आरसी / 2015	02.03.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पावर एक्सचेंज इंपिड्या लि. के स्वतंत्र निदेशक मण्डल के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल में शामिल करने के लिए नाम के अनुमोदन हेतु याचिका	5.8.2015	विनियामक अनुपालन
89	126 / टीएल / 2015	08.05.2015	गदरवाड़ा (ए) ट्रांसको लि.	गदरवाड़ा ए ट्रांसको लि. को पारेषण अनुज्ञाति प्रदान करने के लिए याचिका	5.8.2015	व्यापार अनुज्ञाति
90	254 / जीटी / 2013	19.09.2013	एनटीपीसी लि	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए फिरोज गांधी उनचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-3 (210 मेगावाट) का संशोधित टैरिफ	7.8.2015	उत्पादन याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
91	एमपी/059/2014	31.03.2014	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोसोको	पूर्वी क्षेत्र ग्रिड तथा अंतर्राम्बध भारतीय ग्रिड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम 2010 के विनियम के 3(ङ) के साथ पठित कविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम 2012 के विनियम 5.2 (1) के अनुसार उन्हें कार्यात्मक रखने और विभवसनीयता, चयनात्मकता, गति और संवेदना रखते हुए सुरक्षा प्रणालियां प्रदान करना	6.8.2015	विविध याचिका
92	054/टीटी/2013	10.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	मनेसर (NRSS-XIII) में 125 एमवीए बस रिएक्टर के लिए पारेषण टैरिफ	10.8.2015	पारेषण याचिका
93	029/एमपी/2015	22.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	अनंतपुर जिला में 1000 मेगावाट की क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के नि पादन के लिए अनुमोदन के लिए याचिका	6.8.2015	विविध याचिका
94	259/टीटी/2013	10.10.2013	डब्ल्यूबीएसई टीसीएल	1.4.2011 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए 220 केवी सिंगल सर्किट संतालदीह—चंदील पारेषण लाइन (डब्ल्यू बीएसईटीसीएल द्वारा स्वामित्व का भाग) एवं 400 केवी सिंगल सर्किट कोलाघाट—बरीपदा पारेषण लाइन (डब्ल्यू बीएसईटीसीएल द्वारा स्वामित्व का भाग) के लिए टैरिफ	8.6.2015	पारेषण याचिका
95	200/टीटी/2013	08.07.2013	भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी)	दो राज्यों को जोड़ने वाले अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों के टैरिफ का अवधारण	7.8.2015	पारेषण याचिका
96	031/टीटी/2013	16.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र (युप 2) में बस रिएक्टरों के प्रावधान से पारेषण टैरिफ	7.8.2015	पारेषण याचिका
97	172/एमपी/2013 with I.A No 29/2013	11.09.2013	झारखण्ड इंटेरेटिड पावर लि.	झारखण्ड समन्वित पावर लि. और झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड तथा 17 अन्य के बीच 10.9.2008 के पीपीए में प्रविष्ट तिलईया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के मामले में	7.8.2015	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
98	एमपी/310/2014	12.09.2014	सासन पावर लि.	सासन अल्ट्रा मेंगा पावर परियोजना की अनुसूचित अनपेक्षित विद्युत के लिए विनियम/निर्देश के लिए याचिका और अनुसूचित अनपेक्षित विद्युत के लिए भार प्रेषण केन्द्रों को निर्देश	5.10.2015	विविध याचिका
99	एसएम/012/2014	01.08.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विविआ	केविविआ (व्यापार अनुज्ञाप्ति और अन्य संबद्ध मामलों के लिए क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 का गैर अनुपालन	13.08.2015	स्वप्रेरणा याचिका
100	टीटी/300/2013	06.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ 2009–2014 अवधि के लिए सासन एवं मुन्द्रा यूएनपीपी के लिए उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन बेज सहित 400जेवी डी/सी आगरा–सीकर पलाइन का पारेषण टैरिफ	13.8.2015	पारेषण याचिका
101	109/टीटी/2012	06.06.2012	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) संबद्ध बेज (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.11.2011) सहित 400/220 केवी पुणे एस/एस में आईसीटी 3 (ii) टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए उत्तरी क्षेत्र में डब्ल्यूआरएसएस 6 योजना के अधीन संबद्ध बेज (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2012) काल्पनिक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2012) सहित वर्धा एसएस में आईसीटी 3 सहित संबद्ध बेज की समन्वित आस्तियां	17.08.2015	पारेषण याचिका
102	171/टीटी/2015	06.07.2015	लेनको कॉडापल्ली पावर लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 की धारा 79(l)(b) & 79 (i) (c) r/w विनियम 4, 5 – 54 के अधीन याचिका	17.8.2015	विविध याचिका
103	एमपी/374/2014	28.09.2014	तमिलनाडु पारेषण निगम लि.	याचिका संख्या 146/MP/2013 में 20.2.2014 के माननीय आयोग के आदेश के कार्यान्वयन में समय का विस्तार मांगने की याचिका	18.8.2015	विविध याचिका
104	एमपी/086/2014	12.05.2014	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि. केएसईबी लि.	दक्षिण क्षेत्र ग्रिड और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ग्रिड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें विभवसनीयता, चयनात्मकता, गति और संवेदना रखते हुए सुरक्षा	18.8.2015	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				प्रणालियां प्रदान करने के मामले एसआरएलडीसी द्वारा दाखिल आई.ए 36/2013 सहित याचिका संख्या 146/एम/2013 में 19.12.2013 के माननीय आयोग के आदेश के कार्यान्वयन के लिए समय के विस्तार की मांग की याचिका		
105	टीटी/288/2013	05.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में रामपुर एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन रामपुर में 400 केवी डीसी नाथपा झाकरी-नल्लागढ़ (ट्रिपल स्नोबर्ड) लाइन के लीलों के लिए टैरिफ ब्लॉक 2009-14 के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ	25.8.2015	पारेषण याचिका
106	111/एमपी/2014	06.06.2014	हिन्दुस्तान विद्युत उत्पादन कम्पनी प्रा. लि.	शपथ पत्र सहित केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के साथ पठित केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 99 के विनियम 24 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 और 94 के अधीन याचिका	24.8.2015	विविध याचिका
107	13/आरपी/2015	30.06.2015	मैसर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (इंडिया) लि.	याचिका संख्या 341/SM/2013 में I.A. 20/2015 में 26.6.2015 के आदेश की समीक्षा की मांग करना	24.8.2015	पुनरीक्षण याचिका
108	जीटी/320/2013	12.12.2013	एनटीपीसी लि.	द्रौद्यांश अप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशर स्टेज-2 (200 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण	26.8.2015	उत्पादन याचिका
109	जीटी/208/2014	14.08.2014	एनटीपीसी लि.	कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशर स्टेज-2 (200 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण	26.8.2015.	उत्पादन याचिका
110	090/एमपी/2015	24.04.2015	कुड़गी पारेषण लि	टीएसए के उपबंधों के अनुसार स्कॉड के विस्तार के अनुमोदन के लिए याचिका	27.8.2015	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
111	010/आरसी/2013	07.01.2013	शमनूर सुगर्स लि.	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अधीन शिकायत	28.8.2015	विनियामक अनुपालन
112	177/एमपी/2015	07.07.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के संबंध में 2014–15 के लिए सलाकती और बांगेगांव उपकेन्द्रों में विशेष बल (सीआईएसएफ) के नियोजन के लिए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए याचिका	27.8.2015	विविध याचिका
113	199/जीटी/2013	07.11.2013	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कम्पनी (ओटीपीसी)	ओपीटीसी 726.6 (2x363.3) MW पलटाना समन्वित साइलि गैस टरबाइन पावर प्रोजेक्ट के टैरिफ के अनुमोदन के लिए	31.8.2015	उत्पादन याचिका
114	जीटी/305/2014	11.09.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए कोरबा सुपर थर्मल स्टेशन स्टेज-3 (500 मेगावाट) के टैरिफ के अंतिम द्रूयींग अप के लिए याचिका का अनुमोदन	31.8.2015	उत्पादन याचिका
115	208/जीटी/2013	18.11.2013	एनटीपीसी लि.	कोरबा सुपर थर्मल स्टेशन स्टेज-3 (द्रूयींग अप कार्य के बाद) के टैरिफ का अनुमोदन	31.8.2015	उत्पादन याचिका
116	240/टीटी/2013	02.07.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में मौजूद (यूएलडीसी) माइक्रोवेव लिंग के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संप्रेषण प्रणाली के लिए फीस व प्रभारों का अवधारण	1.9.2015	पारेषण याचिका
117	070/जीटी/2013	05.04.2013	एनटीपीसी लि.	विंध्याचल सुपर थर्मल स्टेशन स्टेज-4 (1000 मेगावाट) के लिए टैरिफ	2.9.2015	उत्पादन याचिका
118	जीटी/297/2014	11.09.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए विंध्याचल एसटीपी एस स्टेज-4 (2X500 MW) के टैरिफ के अंतिम द्रूयींग अप के लिए याचिका का अनुमोदन	2.9.2015	उत्पादन याचिका
119	332/2010	20.12.2010	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	वरंगल एस/एस और अन्य आस्तियों में रमागुंडम-खमाम टीएल की लीलों की समन्वित आस्तियों के लिए पारेषण टैरिफ	3.9.2015	पारेषण याचिका
120	156/2008	12.05.2008	आरईटीएल	कर्नाटक पावर पारेषण कारपॉरेशन लि./कर्नाटक राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा याचिका संख्या 147/2008 में 28.11.2008 के आदेश का जानबूझकर अवज्ञा ;पद्धति केविहिआ	2.9.2015	व्यापार अनुज्ञाप्ति

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				(अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 के विनियम 8 (3) का उल्लंघन		
121	196 / एमपी / 2015	09.03.2015	वैस्ट प्रबंधन एसोसिएशन	एमएसडब्ल्यू का प्रयोग करते हुए रैंकिन साइकिल कर्बर्शन आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के लिए जनरिक टैरिफ के अवधारण के लिए जिसे ईंधन के रूप में आरडीएफ सहित एमएच डब्ल्यू और इसके व्युत्पन को शामिल करते हुए विचार किया जाएगा उसके लिए मानदण्डों के निर्धारण के विविध याचिका	2.9.2015	विविध याचिका
122	142 / एमपी / 2012	14.06.2012	भारतीय पावरग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पीजीसीआईएल को हिताधिकारियों द्वारा पारेषण प्रभारों की गैर अदायगी	2.9.2015	विविध याचिका
123	019 / एमपी / 2013	20.02.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	सीटीयू में परियोजना की वेस्टिंग के लिए और लाइसेंस का रेवोकेशन	2.9.2015	विविध याचिका
124	020 / एमपी / 2013	19.02.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	सीटीयू में परियोजना की वेस्टिंग के लिए और लाइसेंस का रेवोकेशन	2.9.2015	विविध याचिका
125	जीटी/ 237 / 2014	24.08.2014	एनएचपीसी लि. एनएचपीसी	चमेरा-1 पावर स्टेशन के संबंध में 2014–19 के लिए टैरिफ याचिका और 2009–14 अवधि के लिए एएफसी की द्र्याईग अप के लिए टैरिफ याचिका का अनुमोदन	4.9.2015	उत्पादन याचिका
126	एमपी / 078 / 2014	01.05.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	याचिका संख्या 78/MP/2013 के संबंध में दिनांक 3.2.2014 के केविविआ के आदेश के मामले में याचिका, केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के अधीन बाध्यता के निष्पादन के लिए प्रतिवादी हिताधिकारी / डीआईसी को निर्देश के लिए प्रार्थना	14.9.2015	विविध याचिका
127	194 / एसएम / 2013	08.10.2013	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	विद्युत विकास विभाग जम्मू एवं कश्मीर द्वारा आहरित अनुसूची की अधिकता में आहरित ऊर्जा के लिए	4.9.2015	स्वप्रेरणा याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			केविविआ	अननुसूचित अंतपरिवर्तन प्रभारों के भुगतान में छूट		
128	214 / एमपी / 2015	10.09.2015	निपको	आरंभिक सिंक्रॉनाइजेशन की तारीख से 6 महीने के आगे त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजना से इनफर्म पावर के अंतक्षेपण के लिए अवधि के विस्तार की मांग करने की याचिका	14.9.2015	विविध याचिका
129	214 / टीटी / 2013	06.09.2013	पारेषण निगम आंध्रा प्रदेश लि.	ए.पी. एवं अन्य पड़ोसी राज्यों (प्राकृति अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों) के बीच संबद्ध पारेषण लाइनों	30.3.2016	पारेषण याचिका
130	एमपी / 526 / 2014	29.12.2014	नोएडा पावर कम्पनी लि.	शपथ पत्र सहित अन्तरराज्यिक स्रोतों से आयात विद्युत के लिए एलटीए आवेदन संख्या P-90G/I12 तारीख 10.12.2013 के अनुसार दीर्घकालिक पहुंच की मांग करने की याचिका	15.9.2015	विविध याचिका
131	209 / एमपी / 2015	26.08.2015	मैसर्स आरकेएम पावरजन पावर लि.	शपथ पत्र सहित नए उत्पादन केन्द्रों 2014 के लिए स्टार्ट अप विद्युत के आहरण के लिए क्रियाविधि के खण्ड 6.4 और केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निबंध पहुंच प्रदान करना एवं संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 (7) & 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(f) के अधीन याचिका	7.9.2015	विविध याचिका
132	257 / टीटी / 2013	20.09.2013	दामोदर घाटी निगम	याचिका संख्या 15/SM/2012 में 25.4.2013 के आदेश के माध्यम से माननीय आयोग के निर्देश के अनुसार अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों के लिए टैरिफ	17.9.2015	पारेषण याचिका
133	246 / टीटी / 2013	26.08.2013	हरियाणा विद्युत प्रशासन लि.	स्वप्रेरणा याचिका संख्या 15 / 2012 में केविविआ के आदेश के अनुपालन में पीओसी मकैनिज्म के अंतर्गत एचवीपीएनएल की प्राकृतिक अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों का टैरिफ	17.9.2015	पारेषण याचिका
134	जीटी / 228 / 2014	24.08.2014	एनएचपीसी लि.	लेकतक विद्युत केन्द्र के संबंध में 2014–19 के लिए टैरिफ याचिका एवं अवधि 2009–14 के लिए पूँजी व्यय की ट्रॉयइंग अप का अनुमोदन	18.9.2015	उत्पादन याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
135	105 / एमपी / 2015	09.04.2015	एनटीपीसी लि.	सिंगरौली लघु हाइड्रो 8 MW(2X4 MW) के लिए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना एवं संबद्ध मामले) विनियम 2009 प्रदान करने के लिए याचिका	17.9.2015	विविध याचिका
136	253 / जीटी / 2013	13.09.2013	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन (431.586MW) के टैरिफ का पुनरीक्षण	18.9.2015	उत्पादन याचिका
137	005 / आरपी / 2015	16.03.2015	एनएचपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए TLDP-III HE परियोजना के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में याचिका संख्या 115 / 13 में माननीय आयोग द्वारा पारित 22.1.2015 के आदेश की समीक्षा	18.9.2015	पुनरीक्षण याचिका
138	जीटी / 333 / 2014	21.09.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए फरीदाबाद GPS (431.586 MW) की अंतिम द्रयूँईंग अप के लिए याचिका	18.9.2015	उत्पादन याचिका
139	एमपी / 053 / 2014	21.03.2014	ईएमसीओ एनर्जी लि.	विद्युत क्रय करार की शर्तों के अनुसार विद्युत के गैर अनुसूचीकरण के कारण उत्पन्न क्षमता प्रभारों की वसूली के लिए विद्युत विभाग दादरा एवं नगर हवेली तथा एमको एनर्जी लि. के बीच निष्पादित 21.3.2013 का विद्युत क्रय करार	17.9.2015	विविध याचिका
140	007 / आरपी / 2015	24.03.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	याचिका संख्या 207/TT/2012 में पारित 16.1.2015 के आदेश की समीक्षा	18.9.2015	पुनरीक्षण याचिका
141	जीटी / 455 / 2014	14.12.2014	उत्तर पूर्वी विद्युत पावर निगम लि.	नीपको, शिलॉग की कोपीली इलैक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेज-2 (25 MW) के संबंध में 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित पूंजी व्यय के संबंध में 2009–14 की अवधि के लिए द्रयूँईंग अप कार्य के लिए 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन	18.9.2015	उत्पादन याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
142	069 / जीटी / 2013	05.04.2013	एनटीपीसी लि.	मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-1 के टैरिफ का अनुमोदन	21.9.2015	उत्पादन याचिका
143	169 / एमपी / 2015	24.06.2015	रिलायंस इंफ्रा, पश्चिमी क्षेत्र पारेषण (महाराष्ट्र) प्रा. लि. और एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कम्पनी लि.	ऋणी द्वारा ऋणदाता की प्रतिस्थापन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	21.9.2015	विविध याचिका
144	176 / एमपी / 2015	06.07.2015	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	महाराष्ट्र और कनार्टक राज्य में पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना 2 के पैकेज बी के संबंध में (i) एल एण्ड टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि. और (ii) इंडसइंड बैंक लि. के लाभ के लिए और उनकी और से कार्य कर रहे सिक्योरिटी ट्रस्टी एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कम्पनी लि. के पक्ष में ऋणी द्वारा प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए याचिका	22.9.2015	विविध याचिका
145	159 / एमपी / 2015	10.06.2015	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लि. पोसोको	एवरेज पावर प्रा. लि. द्वारा निकासी अनुसूची की अधिकता में विचलन प्रभारों के भुगतान में और विचलन (डीएसएम) प्रभारों के गैर भुगतान के लिए साखपत्र खोलने में चूक पर याचिका	23.9.2015	विविध याचिका
146	टीटी / 550 / 2014	29.12.2014	एच.पी.पावर निगम लि.	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लॉक 2014-19 के लिए उत्तरी ग्रिड के लिए 220 केवी प्रणाली से संबद्ध केरियन से चमरा-2 तक आस्ती 220 / 33 केवी पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	23.9.2015	पारेषण याचिका
147	011 / आरपी / 2015	08.06.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	याचिका संख्या 99/TT/2012 में 24.03.2015 के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका	23.9.2015	पुनरीक्षण याचिका
148	126 / एमपी / 2013 with I.A No 14 / 2013	24.06.2013	टाटा मोटर्स लि.	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करना	23.9.2015	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
149	220/एमपी/2015	17.09.2015	जिंदल पावर लि.	30.9.2015 से आगे $4 \times 600 \text{ MW}$ पावर प्लाट के यूनिट 4 के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतक्षेपण की अनुमति के लिए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना एवं संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत विनियम 2003 की धारा 79(I) (k) के अधीन याचिका	23.9.2015	विविध याचिका
150	192/एमपी/2015	30.07.2015	भारतीय पावर प्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	2014–15 के लिए विशेष सुरक्षा बल के नियोजन के लिए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निवधन व शर्तें) विनियम 2014 की कठिनाई को दूर करने के लिए विनियम 55 की शक्तियों और छूट के लिए विनियम 54 के अधीन अनुमोदन के लिए विविध याचिका	23.9.2015	विविध याचिका
151	जीटी/458/2014	14.12.2014	उत्तर पूर्वी विद्युत पावर निगम लि.	नीपको, शिलॉग की दोयांग हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लाट स्टेज-2 (25 MW) के संबंध में 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूँजी व्यय सहित पूँजी व्यय के संबंध में 2009–14 की अवधि के लिए ट्र्यूइंग अप कार्य के लिए 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन	28.9.2015	उत्पादन याचिका
152	जीटी/457/2014	14.12.2014	उत्तर पूर्वी विद्युत पावर निगम लि.	नीपको, शिलॉग की रंगानदी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लाट स्टेज-2 (405 MW) के संबंध में 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूँजी व्यय सहित पूँजी व्यय के संबंध में 2009–14 की अवधि के लिए ट्र्यूइंग अप कार्य के लिए 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन	28.9.2015	उत्पादन याचिका
153	212/टीटी/2013	06.09.2013	तमिलनाडु पारेषण निगम लि.	तमिलनाडु राज्य (1) चितौड़–तिरुवलम 230 केवी एससी लाइन (2) वीरानदहली–होसरू 230 केवी	28.9.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				एससी लाइन (3) मोज़यर-थेनी 230 केरी एससी (4) इटुकी-उदुमलपेट 230 केरी एससी तक तंत्रासकों द्वारा स्वामित्व की अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों के संबंध में पारेषण टैरिफ		
154	टीटी/186/2014	04.08.2014	टोरंट पावर लि.	टोरंट पावर लि. के सुजैन 1147.5 मेगावाट मेंगा पावर प्लांट के उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका जिसे इसके बाद उत्पादन केन्द्र की याचिका या 1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए (जिसे इसके बाद टैरिफ अवधि के रूप में उल्लेख किया गया) के लिए सुजैन प्लांट कहा गया है	6.10.2015	उत्पादन याचिका
155	517/एमपी/2014.	14.12.2014	उड्डीपी ऊर्जा निगम लि. (यूपीसीएल)	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(I) ^(c) के अधीन याचिका के ज्ञापन का अनुमोदन	5.10.2015	विविध याचिका
156	टीटी/454/2014	14.12.2014	उत्तर पूर्वी विद्युत पावर निगम लि.	नीपको, शिलौंग की खंडोंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेज-2 (405 MW) के संबंध में 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूँजी व्यय सहित पूँजी व्यय के संबंध में 2009-14 की अवधि के लिए ट्रयोइंग अप कार्य के लिए 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन	6.10.2015	उत्पादन याचिका
157	094/एमपी/2015	09.04.2015	रिलायंस एनर्जी ट्रेडिंग लि.	श्रेणी 1 से श्रेणी 4 तक रिलायंस एनर्जी ट्रेडिंग लि. के अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञाप्ति की डाउन ग्रेडिंग	28.9.2015	विविध याचिका
158	टीटी/163/2014	22.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) टैरिफ ब्लॉक 2009-14 के लिए पारेषण टैरिफ ट्रयोइंग अप (ii) पूर्वी पश्चिमी अन्तरक्षेत्रीय लिंक के अंदीन 400 केरी डी/सी रायपुर एवं राऊरकेला विस्तार के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	7.10.2015	पारेषण याचिका
159	टीटी/161/2014	22.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	(i) टैरिफ ब्लॉक 2009-14 के लिए पारेषण टैरिफ ट्रयोइंग अप (ii) पश्चिमी क्षेत्र में (ckt. I & ckt.	7.10.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			(पीजीसीआईएल)	II) अन्तर्रक्षेत्रीय लिंक के अधीन 400 केवी डी/सी कोल्हापुर-मापूसा विस्तार के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
160	टीटी/151/2014	17.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रयूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) आस्ती 1 के लिए टैरिफ ब्लॉक 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ: 400 केवी गंधार एससी पारेषण लाइन एवं संबद्ध बेस सहित 400 केवी गंधार बेज एससी पारेषण लाइन एवं आस्ती 2: परिश्चमी क्षेत्र में गंधार गैस पावर स्टेशन (स्टेज1) से संबद्ध देहगाम में उपकेन्द्र सहित 400 केवी गंधार देहगाम डीसी पारेषण लाइन एवं संबद्ध बेज सहित 400 केवी गंधार देहगाम डीसी पारेषण लाइन एवं संबद्ध बेज सहित 220 केवी गंधार भरौच डीसी पारेषण लाइन के अवधारण के लिए अनुमोदन	7.10.2015	पारेषण याचिका
161	टीटी/152/2014	17.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रयूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पश्चिमी क्षेत्र में चन्द्रपुर उपकेन्द्र में संबद्ध उपकरणों सहित 50 एमवीएआर रिएक्टर के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण लाइन के अवधारण के लिए अनुमोदन	7.10.2015	पारेषण याचिका
162	टीटी/153/2014	17.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रयूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पश्चिमी क्षेत्र में भद्रावती-चन्द्रपुर उपकेन्द्र में संबद्ध उपकरणों सहित 50 एमवीएआर रिएक्टर के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण लाइन के अवधारण के लिए अनुमोदन	7.10.2015	पारेषण याचिका
163	टीटी/155/2014	17.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रयूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पश्चिमी क्षेत्र में 400 केवी डी/सी के लिए थ्राइस्टर नियंत्रित श्रंखला क्षतिपूर्ति एवं नियत के लिए 2014-19 टैरिफ	7.10.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				ब्लाक के लिए पारेषण लाइन के अवधारण के लिए अनुमोदन		
164	टीटी/159/2014	22.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रयूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पश्चिमी क्षेत्र में तारापुर आटोमेटिक स्टेज 3 और 4 से संबंध तारापुर पारेषण प्रणाली के समन्वित आस्तियों के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण लाइन के अवधारण के लिए अनुमोदन	7.10.2015	पारेषण याचिका
165	टीटी/162/2014	22.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रयूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पश्चिमी क्षेत्र में कोरबा–बुद्धिपदर 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण लाइन के अवधारण के लिए अनुमोदन	7.10.2015	पारेषण याचिका
166	टीटी/160/2014	22.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रयूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पश्चिमी क्षेत्र में 400 केवी डी/सी रायपुर–चन्द्रपुर (भद्रावती) 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण लाइन के अवधारण के लिए अनुमोदन	7.10.2015	पारेषण याचिका
167	163/एमपी/2015	10.07.2015	जेपी पावरग्रिड लि.	मौजूदा रूप से आईडीबीआई द्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के सिक्योरिटी द्रस्टी के पक्ष में सिक्योरिटी के अनुसरण में और सृजन के लिए याचिका	6.10.2015	विविध याचिका
168	जीटी/456/2014	14.12.2014	उत्तर पूर्वी विद्युत पावर निगम लि.	नीपको, शिलौग की कोपीली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेज-2 (200 MW) के संबंध में 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूँजी व्यय सहित पूँजी व्यय के संबंध में 2009–14 की अवधि के लिए ट्रयूइंग अप कार्य के लिए 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन	7.10.2015	उत्पादन याचिका
169	टीटी/154/2014	17.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रयूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पश्चिमी क्षेत्र में खण्डवा में 400 केवी डी/सी इतरासी–धुले पारेषण लाइन के लीलो और 400	7.10.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				220 केवी खण्डवा एस/एस के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण लाइन के अवधारण के लिए अनुमोदन		
170	112/टीटी/2013	15.05.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा पार्ट ए में फेज 1 उत्पादन परियोजनाओं का पारेषण टैरिफ	7.10.2015	पारेषण याचिका
171	124/आरसी/2015	07.05.2015	भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि.	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अधीन 1.6.2011 से 30.9.2013 और 31.5.2011 तक 3.5.2010 की अवधि के लिए यूआई बिलों के भुगतान के लिए 134एमपी/2011 में पारित 30.10.2014 के आदेश के अनुपालन में निर्देश की मांग करते हुए याचिका	9.10.2015	विनियामक अनुपालन
172	060/टीट/2013	11.02.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	WRSS-V के पारेषण प्रणाली के अधीन 400केवी डी/सी वापी—नवी मुम्बई टीएल एवं अन्य आस्तियों के भाग के लिए पारेषण टैरिफ	9.10.2015	पारेषण याचिका
173	एमएम/006/2014	01.05.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड तथा अंतर्सम्बद्ध भारतीय ग्रिड की प्रतिभूति सुनिश्चित करने के लिए केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के विनियम 5.2(n) का गैर अनुपालन	9.10.2015	स्वप्रेरणा याचिका
174	035/टीटी/2013	07.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	NRSSS-XXII के अधीन अन्य आस्तियों एवं दोनों में बेज सहित 400 केवी डी/सी किशनपुर—सांभा टीएल के लिए पारेषण टैरिफ	9.10.2015	पारेषण याचिका
175	20/आरपी/2015	01.09.2015	उड्हूपी ऊर्जा निगम लि.	याचिका संख्या 160/GT/2012 में 10.7.2015 के आदेश की समीक्षा की मांग करना	12.10.2015	पुनरीक्षण याचिका
176	249/टीटी/2013	23.08.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1 का पारेषण टैरिफः लखीसराय एस/एस में संबद्ध बेज एवं 400 केवी डी/सी केहलगांव बिहारशरीफ टीएल (प्रथम लाइन) का लीलो आस्ती 2: लखीसराय एस/एस में संबद्ध बेज एवं 400 केवी/132 केवी, 200 एमवीए आईसीटी-1 आस्ती 3: लखीसराय एस/एस में संबद्ध बेज एवं 400 केवी/132 केवी, 200 एमवीए आईसीटी-1 आस्ती 4: प्रत्याशित	12.10.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (1.10.2013) से 31.03.2014 तक पूर्वी क्षेत्र में ईआरएसएस 3 से संबद्ध लखीसराय एस/एस में संबद्ध बेज सहित 400 KV, 80 MVAR का पारेषण टैरिफ		
177	टीडीएल/482/2014	14.12.2014	नेवेली लिंग्नाइट कार्पोरेशन लि.	अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञाप्ति (श्रेणी 4) के लिए आवेदन	12.10.2015	व्यापार अनुज्ञाप्ति
178	089/जीटी/2013	01.01.2013	एनएचपीसी लि.	01.4.2013 से 31.3.2014 तक निमू बाज़गो एचई प्रोजेक्ट का उत्पादन टैरिफ	13.10.2015	उत्पादन याचिका
179	टीटी/296/2013	06.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) ओरंगाबाद-ओरंगाबाद (MSETCL) 400 KV D/C (Quad) Line और दोनों अंत में संबद्ध बेज सहित ओरंगाबाद के लिए 400केवी डी/सी अकोला-ओरंगाबाद (MSETCL) की शिफिटग (ii) ओरंगाबाद एस/एस में संबद्ध बेज सहित 400/220 kv 315 MVA ICT-I (iii) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2014 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में मुन्द्रा यूएनपीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन ओरंगाबाद एस/एस में संबद्ध बेज सहित 400/200KV 315 MVA ICT-II के लिए पारेषण टैरिफ	15.10.2015	पारेषण याचिका
180	217/टीटी/2013	26.09.2013	एम.पी. पावर पारेषण कम्पनी लि.	पीओसी की संगणना में शामिल करने के लिए ईएचबी लाइनों के लिए पारेषण टैरिफ	15.10.2015	पारेषण याचिका
181	098/टीटी/2013	26.04.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	स्पेयर अन्तरसंबद्ध ट्रांसफार्मरों के प्रावधान के अधीन भिवाड़ी में स्पेयर आईसीटी के लिए पारेषण टैरिफ	15.10.2015	पारेषण याचिका
182	टीटी/031/2014	22.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लॉक 2009-14 के लिए उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना XXIV (NRSS-XXIV) के अधीन वाणिज्य प्रचालन की तारीख 1.2.2014 से 31.3.2014 तक 400 केवी बलिया (पीजी) उप/केन्द्र (एक्सटेंशन) में 63 MVAR 400 KV लाइन रिएक्टर की 2 संख्या का पारेषण टैरिफ का अवधारण	15.10.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
183	232/टीटी/2013	15.04.2013	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि. केएसईबी लि.	केएसईबी द्वारा स्वामित्व की अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों के संबंध में पारेषण टैरिफ	13.10.2015	पारेषण याचिका
184	011/एस एम/2015	25.05.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	देश में रिजर्व के प्रचालन के लिए रोडमैप	13.10.2015	स्वप्रेरणा याचिका
185	एमपी/073/2014	17.04.2014	जबलपुर पारेषण कम्पनी लि. जेटीसीएल	पारेषण सेवा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली आधारित टैरिफ के लिए सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, 63 और 79 के अधीन याचिका	16.10.2015	विविध याचिका
186	एमपी/210/2014	14.08.2014	एडी हाइड्रो पावर लि.	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 4 के विनियम 35 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(i) ⁽ⁱ⁾ के अधीन याचिका	16.10.2015	विविध याचिका
187	202/टीटी/2013	04.09.2013	मणीपुर सरकार का विद्युत विभाग	दो राज्यों से जुड़ने वाली अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों के टैरिफ का अवधारण	20.10.2015	पारेषण याचिका
188	टीडीएल/394/2014	29.10.2014	गीता पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	व्यापार अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन	20.10.2015	व्यापार अनुज्ञाप्ति
189	210/एमपी/2015	30.07.2015	कांती बिजली उत्पादन निगम लि.	आरंभिक सिंक्रॉनाइजेशन से 6 महीने से आगे केपीयूएनएल के एमटीपीएस स्टेज 2 के यूनिट 3 के पूर्ण भार प्रचालन सहित परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतक्षेपण के लिए अनुमति मांगना	21.10.2015	विविध याचिका
190	एमपी/302/2013	08.11.2013	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोस्टोको	दक्षिण क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम 2012 की 5/2 के साथ पठित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 5.2(f), (g), (h), (i) के गैर अनुपालन और मैन्युअल हस्तक्षेप सहित फ्री गवर्नर मोड ऑपरेशन/आरजीएमओ के अपर्याप्त / गैर निष्पादन के माध्यम से दक्षिण क्षेत्र में रक्षित ग्रिड प्रचालन के मामले में याचिका	23.10.2015	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
191	जीटी/121/2014	25.06.2014	टोरंट पावर लि.	31.03.2014 को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से यूनोसुजैन 382.5 मेगावाट पावर प्लांट के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका—याचिका सं 175/GT/2013 में 6.13.2013 के आदेश में अवधारित टैरिफ के लिए टैरिफ विनियम 2009 के विनियम (1) के अधीन टैरिफ का द्रग्यूइंग अप	30.10.2015	उत्पादन याचिका
192	जीटी/303/2014	11.09.2014	एनटीपीसी लि.	16.9.2011 से 31.3.2014 की अवधि के लिए सीमहादरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (2X500MW) के टैरिफ के अंतिम द्रग्यूइंग अप के लिए याचिका का अनुमोदन	2.11.2015	उत्पादन याचिका
193	जीटी/304/2014	11.09.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए सीमहादरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (2X500MW) के टैरिफ के अंतिम द्रग्यूइंग अप के लिए याचिका का अनुमोदन	2.11.2015	उत्पादन याचिका
194	164/टीटी/2013	23.08.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ ब्लाक 2009–14 के लिए उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में रूपांतरण क्षमता (पार्ट 1) को बढ़ाने के लिए संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए समन्वित आस्तियां के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ	2.11.2015	पारेषण याचिका
195	एमपी/074/2014	17.04.2014	भूषण पावर एण्ड स्टील लि.	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बंध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(i) के अधीन याचिका	2.11.2015	विविध याचिका
196	एसएम/017/2014	22.12.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	यूपीपीसीएल द्वारा निकासी अनुसूची की अधिकता में आहरित ऊजाँ के लिए यूआई/विचलन व्यवस्थापन प्रभार के भुगतान में चूक	2.11.2015	स्वप्रेरणा याचिका
197	155/एमपी/09/2015	06.2015	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. द्वारा निकासी की अधिकता में विललन प्रभारों के भुगतान में चूक	2.11.2015	विविध याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
			पोसोको	और विचलन प्रभारों के गैर भुगतान के लिए साखपत्र खोलने में चूक पर याचिका		
198	टीटी/497/2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1 IX5MVA, 132/33KV, I-ph Spare ICT at Ziro SS (DOCO: 01.04.2013) दिमापुर एसएस में IX100MVA, 220/132 KV, 3-phase Spare ICT आस्ती 2 वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्पेयर ट्रांसफोर्मर और रिएक्टर की उपबंध के अधीन के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	2.11.2015	पारेषण याचिका
199	टीटी/140/2014	10.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्रयूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिण क्षेत्र में 400 केवी डी/सी केगा–सिरसी पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ लाइन के अवधारण के लिए अनुमोदन	5.11.2015	पारेषण याचिका
200	टीटी/123/2014	25.06.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्रयूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिण क्षेत्र में विशेष एनर्जी मीटरों के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ लाइन के अवधारण के लिए अनुमोदन	5.11.2015	पारेषण याचिका
201	टीटी/122/2014	25.06.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) वर्ष 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का द्रयूइंग अप और ;पद्ध दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन संबद्ध बेज सहित हिरयूर में देवयांगरे–हूडी 400 केवी डी/सी लाइन के लीलो एवं 315 एमवीए आटो ट्रांसफोर्मर सहित 1) 400 केवी डीसी लाइन कोलार–होसूर के द्वितीयक सर्किट के लिए होसूर एवं कोलर में अतिरिक्त बेज 2) 400 केवी हिरयूर उपकेन्द्र के समन्वित घटकों के लिए टैरिफ ब्लाक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ	5.11.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
202	टीटी/137/2014	10.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) वर्ष 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का द्रयूइंग अप और (ii) दक्षिण क्षेत्र में 230 केवी नवेली बहूर पारेषण लाइन के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	5.11.2015	पारेषण याचिका
203	टीटी/144/2014	10.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) वर्ष 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का द्रयूइंग अप और (ii) दक्षिण क्षेत्र में नवेली टीपीएस-1 विस्तार स्विचयार्ड में मौजूदा निवेली-त्रिचि 400 केवी डी/सी लाइन के एक सर्किट के लीलो के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	6.11.2015	पारेषण याचिका
204	197/एमपी/2015	13.08.2015	भारतीय रेल (केन्द्रीय रेलवे)	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना एवं संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 12 के साथ पठित विनियम 7 के अधीन याचिका	5.11.2015	विविध याचिका
205	टीटी/138/2014	10.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) वर्ष 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का द्रयूइंग अप और (ii) दक्षिण क्षेत्र में हैदराबाद में 315 MVA 400/220 KV आटो ट्रांसफार्मर और (ii) सीटीपी वृद्धि के अधीन कुडप्पा में 500 एमवीआर रिएक्टर के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	6.11.2015	पारेषण याचिका
206	टीटी/124/2014	25.06.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	;पद्ध वर्ष 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का द्रयूइंग अप और ;पद्ध दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 4 के अधीन अलमाठी में 400 केवी डी/सी लाइन (ख) नेल्लोर श्रीपेरुमबुदुर के दोनों सर्किटों का लीलो (क) महबूब नगर में नागार्जुन सागर रायचूर 400 केवी लाइन का लीलो के समन्वित घटक के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	6.11.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
207	टीटी/143/2014	10.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) वर्ष 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का द्रयूइंग अप और (ii) (ख) दक्षिण क्षेत्र में नियम श्रृंखला प्रतिपूर्ति पैकेज के अधीन कडपा में गुटी, कडपा नागार्जुन सागर सर्किट 1 में गृटी–नीलमंगल पर 40 प्रतिशत नियम श्रृंखला क्षतिपूर्ति (क) गृटी में नीलमंगल लाइन पर 40 प्रतिशत नियम श्रृंखला क्षतिपूर्ति के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण के अवधारण के लिए अनुमोदन	6.11.2015	पारेषण याचिका
208	टीटी/145/2014	10.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) वर्ष 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का द्रयूइंग अप और (ii) दक्षिण क्षेत्र में संबद्ध बेज उपकरणों सहित नागार्जुन सागर उपकेन्द्र में 315 MVA ICT-III के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के पारेषण के अवधारण के लिए अनुमोदन	9.11.2015	पारेषण याचिका
209	टीटी/141/2014	10.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) वर्ष 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का द्रयूइंग अप और (ii) दक्षिण क्षेत्र में गजुवाका में बेक टू बेक केन्द्रों 500 MW HVDC और संबद्ध बेज सहित 400 केवी जयकोर–गजुवाका पारेषण लाइन के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के पारेषण के अवधारण के लिए अनुमोदन	9.11.2015	पारेषण याचिका
210	041/टीटी/2013	08.02.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्तियों का पारेषण टैरिफ़: बलिया एसएस में बस रिएक्टर के अधीन 765 KV, 240 MVAR स्विचेबल लाइन रिएक्टर आस्टी 2: पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से NER/SR/WR से और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात और पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क के लिए सामान्य योजना और पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से NER/SR/WR से एवं पूर्वी क्षेत्र से उत्तर क्षेत्र द्वारा आयात, उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 765 केवी पूलिंग केन्द्र के लिए सामान्य योजना के अधीन (सासान परियोजना के अधीन 765 केवी सासाराम–फतेहपुर के लिए) सासाराम एसएस में 765 केवी लाइन बेज	9.11.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
211	टीटी/166/2014	22.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(क) 220 केवी डी/सी कथमकुलम -एडामन पारेषण लाइन और (ख) टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए दक्षिण क्षेत्र (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.1999) में कथमकुलम पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज सहित 220 केवी डी/सी कथमकुलम पारेषण लाइन के 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के पारेषण टैरिफ द्रयइंग अप का अवधारण के लिए टैरिफ	9.11.2015	पारेषण याचिका
212	004/आरपी/2015	25.02.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में 1.9.2013 को आरंभ किए गए संबद्ध बेज विस्तार सहित थर्मल पावरटेक कारपोरेशन इण्डिया लि. नेल्लोर पुलिस स्टेशन के संबंध में टैरिफ अवधि 2009-14 के लिए याचिका सं. 102/TT/2013 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग पारित 26.12.2014 के आदेश की समीक्षा	10.11.2015	पुनरीक्षण याचिका
213	136/एसएम/2013	11.07.2013	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित अंतपरिवर्तन और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के अनुसार साखपत्र खोलने में चूक	10.11.2015	स्वप्रेरणा याचिका
214	077/जीटी/2013	08.03.2013	जीएमआर-कमलंगा एनर्जी लि.	जीएमआर-कमलंगा एजर्नी लि. के कमलंगा थर्मल पावर प्लांट टैरिफ	12.11.2015	उत्पादन याचिका
215	एमपी/402/2014	29.10.2014	सासन पावर लि.	विधि प्रभावी राजस्व और प्रचालन अवधि के दौरान लागत में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ताओं तथा सासन पावर लि. के बीच निश्पादित 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13.2(ख) और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	18.11.2015	विविध याचिका
216	टीटी/299/2013	06.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में कृष्णपतनम यूएमपीपी-भाग ख से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत घटकों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ	24.11.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
217	टीटी/291/2013	06.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच सिंक्रॉनवस अंतर्संबंध से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन रायचुर-सोलापुर ट्रांसमिशन लाइन (Ant. DOCO : 01.02.2014) के लिए रायचुर-सोलापुर पावर ग्रिड एसएस 765/400 केवी में लाइन बेज और रिएक्टर के लिए अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ	24.11.2015	पारेषण याचिका
218	116/एमपी/2015	24.04.2015	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोसोको	एससार पावर एमपी लि. द्वारा आहरण अनुसूची की अधिकता में विचरण प्रभारों और यूआई प्रभारों के भुगतान में चूक के लिए याचिका और यूआई और डीएसएम प्रभारों के गैर भुगतान के लिए साखपत्र खोलने में चूक	24.11.2015	विविध याचिका
219	टीटी/038/2014	27.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में एम.बी. पावर (एम.पी.) लि. संयोजकता के लिए पारेषण प्रणाली से संबद्ध आस्तियों के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण	24.11.2015	पारेषण याचिका
220	228/एमपी/2015	08.10.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	रेवा मध्यप्रदेश में 750 मेगावाट अल्ट्रा पावर मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली के नि पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए याचिका	24.11.2015	विविध याचिका
221	219/एडीपीटी/2015	24.08.2015	महेभवरम पारेषण लि. एमटीएल	पारेषण प्रभारों के अंगीकार के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन	24.11.2015	अंगीकार याचिका
222	123/एमपी/2015	07.05.2015	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोसोको	वंदना विद्युत लि. द्वारा अनुसूची की अधिकता में अननुसूची विचरण प्रभारों और यूआई प्रभारों के भुगतान में चूक के लिए याचिका और यूआई और डीएसएम प्रभारों के गैर भुगतान के लिए साखपत्र खोलने में चूक	24.11.2015	विविध याचिका
223	एमपी/023/2014	18.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 की छूट के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व	23.11.2015	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				शर्तें) विनियम 2009 और विनियम 24 की छूट के लिए विनियम 44 के अंतर्गत याचिका		
224	टीटी/197/2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) टैरिफ ब्लाक 2009–14 के लिए पारेषण टैरिफ द्र्यूङ्ग अप के अवधारण के लिए अनुमोदन (ii) उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली–विंध्याचल कोरिडोर में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन विंध्याचल एचवी डीवी में बस बसकूपलर बे और (सिंगरौली और सिंगरौली विंध्याचल सेकेण्ड 400 के वी किकेट सीकेवी में विंध्याचल कानपुर एससी लाइन का समनरूपता) सिंगरौली एण्ड में बेस सहित सिंगरौली में 400 के वी विंध्याचल लाइन के लिए टैरिफ ब्लाक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ	26.11.2015	पारेषण याचिका
225	टीटी/214/2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) टैरिफ ब्लाक 2009–14 के लिए पारेषण टैरिफ द्र्यूङ्ग अप (ii) पूर्वी क्षेत्र में 400के तलचर पारेषण प्रणाली के 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	26.11.2015	पारेषण याचिका
226	218/टीएल/2015	24.08.2015	महेभवरम पारेषण लि. एमटीएल	महेभवरम पारेषण लि. को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15(1) के साथ पठित धारा 14 के अंतर्गत आवेदन	23.11.2015	व्यापार अनुज्ञाप्ति
227	008/आरपी/2015	27.05.2015	निपको	1.4.2009 से 31.4.2014 की अवधि के लिए नीपको शिलौंग की असम गैस आधारित पावर प्लांट (291 मेगावाट) एएफसी की पुनरीक्षण की मांग करते हुए याचिका संख्या 237/जीटी/2013 में 6.4.2015 के आदेश की समीक्षा	26.11.2015	पुनरीक्षण याचिका
228	टीटी/429/2014	23.11.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में रिहंद–दादरी एचवीडीसी बाईपोल टर्मिनल के लिए रिहंद वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2011 में स्पेयर कनवरटर ट्रांसफार्मर के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–2014 के लिए द्र्यूङ्ग अप टैरिफ पारेषण के अवधारण के लिए याचिका	26.11.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
229	टीटी/ 508 / 2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में सिलिगुड़ी (न्यू) और सिलिगुड़ी में 400 कैवी बोन्गाई गांव मालदा पारेषण लाइन के लीलो के लिए 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ ओर 2009-2014 के लिए द्र्यूइंग अप टैरिफ पारेषण के अवधारण के लिए याचिका	26.11.2015	पारेषण याचिका
230	122 / एमपी / 2015	06.05.2015	भोपाल धुले पारेषण कम्पनी लि. बीडीटीसीएल	पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए सांविधिक फ्रेमवर्क के लिए अनुमोदन हेतु याचिका	26.11.2015	विविध याचिका
231	टीटी/ 172 / 2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्र्यूइंग अप टैरिफ के लिए (ii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लोकटक एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	26.11.2015	पारेषण याचिका
232	टीटी/ 367 / 2014	28.09.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) वेमागिरी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) 1.4.2008 में 400 कैवी डी/सी गजुवाका विजयवाडा लाइन के दानों सर्किट का लीलो (ii) दक्षिण में दक्षिण क्षेत्र ग्रिड के प्रणाली सुदृढ़ीकरण 6 के अधीन विजयवाडा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2008 में 400/220 कैवी उपकेन्द्र का विस्तार	26.11.2015	पारेषण याचिका
233	टीटी/ 239 / 2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ द्र्यूइंग अप (ii) पूर्वी क्षेत्र में 50 एमवीए आटो ट्रांसफार्मर मालदा उपकेन्द्र 2014-2019 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	26.11.2015	पारेषण याचिका
234	टीटी/ 224 / 2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ द्र्यूइंग अप (ii) पूर्वी क्षेत्र में रंगीता पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	26.11.2015	पारेषण याचिका
235	टीटी/ 169 / 2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ द्र्यूइंग अप (ii) पूर्वी क्षेत्र उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में	26.11.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			(पीजीसीआईएल)	कोपली हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्टेज 1 एक्सटेंशन प्रोजेक्ट (2X50MW) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ		
236	एमपी / 113 / 2014	13.06.2014	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोसोको	सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) द्वितीय संशोधन के विनियम 5.2(ओ)के अनुसार केसकेट ट्रिपिंग, विवेचनीय घटक की ट्रिकींग जैसी स्थितयों के लिए संरक्षण और उनकी सीमाओं के निकट पारेषण प्रणाली के प्रचालन के लिए एनईआर ग्रिड में प्रणाली संरक्षण योजनाएं प्रदान करना और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम 2010 के विनियम 2009 के साथ पठित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (दूसरा संशोधन) के 5.2(एन) के साथ उन्हें कार्यात्मक बनाए रखते हुए उत्तर पूर्व क्षेत्र की राज्य प्रणाली में फ्रिक्वेंसी रिले के अधीन आटोमेटिक के माध्यम से पर्याप्त भार शेडिंग प्रदान करते हुए उन्हें कार्यात्मकता प्रदान करने और विभवसीनय, गतिशील और संवेदनात्मक बनाते हुए संरक्षण प्रणालिया प्रदान करना	27.11.2015	विविध याचिका
237	एमपी / 060 / 2014	31.03.2014	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि. केएसईबी लि.	केरल प्रणाली में एयूएफआर डीएफ / डीटी संरक्षण योजना की स्काडा दृश्यता के मामले में माननीय केविविआ के समक्ष एसआरएलडीसी द्वारा दाखिल याचिका सं. 263 / एनपी 12 में 19.12.2013 के माननीय आयोग के आदेश के कार्यान्वयन के लिए समय विस्तार की मांगते हुए केविविआ (आईईजी सी) विनियम 2010 के भाग 7 (4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 94 (एफ) के अधीन याचिका	27.11.2015	विविध याचिका
238	048 / टीटी / 2013	07.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	वैलूर टीपीएस से संबद्ध अनुपूरक पारेषण प्रणाली के अधीन वैलूर-टीपीएस मेलाकोटियर के अधीन पारेषण टैरिफ	27.11.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
239	टीटी/026/2014	19.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र पार्ट ए में रूपांतरण क्षमता बढ़ाने के अंतर्गत (वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने की अनुमानित तारीख 1.3.2014) लुधियाना एसएस में संबद्ध बेज सहित 400/220/33KV ICT एवं मोगा एस/एस(अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2014) में संबद्ध बेज सहित 500 MVA, 400/220/33 KV ICT-II के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण	27.11.2015	पारेषण याचिका
240	148/जीटी/2015	01.06.2015	निपको	31.3.2019 तक गैस टरबाइन यूनिट (65.42 मेगावाट) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से उत्तर पूर्व इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (इसके बाद नीपको के रूप में उल्लिखित) के टीजीडीपी के रूप में इसके बाद उल्लिखित त्रिपुरा गैस आधारित पावर प्लांट (101 मेगावाट) के अनुमोदन के लिए याचिका	27.11.2015	उत्पादन याचिका
241	टीटी/369/2014	28.09.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण 2 के अधीन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.5.2007) बेज सहित 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन गूटी रायचूर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन एवं (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2007) बेज सहित 400 केवी डीसी लाइन नीलमंगल सोमनहली के समन्वित घटकों के लिए टैरिफ ब्लाक 2014–19 के पारेषण टैरिफ एवं 2009–14 के ट्रैइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण लिए याचिका	30.11.2015	पारेषण याचिका
242	250/एमपी/2015	28.10.2015	एनटीपीसी लि.	बोंगेगांव थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 1 के संदर्भ में 31.3.2016 तक और 21.12.2015 के आगे ग्रिड में इनफर्म पावर अंतक्षेपण के लिए अवधि के विस्तार के लिए अनुमति मांगते हुए विविध याचिका	2.12.2015	विविध याचिका
243	जीटी/301/2014	11.09.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए दादरी गैस पावर स्टेशन (829.78 मेगावाट) के टैरिफ की	7.12.2015	उत्पादन याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				अंतिम ट्रॉइंग अप के लिए याचिका का अनुमोदन		
244	102 /टीटी/ 2013	08.05.2013	भारतीय पावरग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	थर्मल पावरटेक कारपोरेशन लि. नेल्लोर पूलिंग स्टेशन और अन्य घटकों के लिए पारेषण टैरिफ	7.12.2015	पारेषण याचिका
245	जीटी/298/ 2014	11.09.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (1000 मेगावाट) के टैरिफ की अंतिम ट्रॉइंग अप के लिए याचिका का अनुमोदन	7.12.2015	उत्पादन याचिका
246	जीटी/310/ 2013	29.11.2013	एनटीपीसी लि.	ट्रॉइंग अप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (1000 मेगावाट) के संशोधित टैरिफ का अनुमोदन	7.12.2015	उत्पादन याचिका
247	टीटी/203/ 2014	10.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड (पार्ट ए पारेषण प्रणाली) (1.2.2009) के उत्तर पश्चिम भाग में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी कोटा मेट्रा पारेषण लाइन (सीकेट-1 और 2) के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ	8.12.2015	पारेषण याचिका
248	टीटी/368/ 2014	28.09.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2008) में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 5 के अधीन खमाम उपकेन्द्र बे विस्तार सहित एफ (315एमवीए आईसीटी और गजुवाका उपकेन्द्र बे विस्तार सहित 9डी 315 एमवीए आईटीसी सोमानहली में रिएक्टर के लिए स्विचिंग व्यवस्था और कोरर में सेकण्ड 3X167 MVA और गुडी विस्तार सहित 3X167 MVA आई सीटी (सी) कुडपा 400 केवी बे विस्तार सहित (एओ 80 एमवीएआर बस रिएक्टर तथा नेल्लोर 400केवी बे विस्तार 9(ख)) 315 एमवीए आईसीटी के समन्वित घटकों के लिए वर्ष 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 209–14 के लिए ट्रॉइंग	8.12.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
249	044 / टीटी / 2013	29.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पलाटना गैस आधारित पावर परियोजना और बोंगे थर्मल पावर स्टेशन से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन अन्य आस्तियों एवं स्विचिंग स्टेशन सहित मनयानी में 220 केवी मिसा—कथलगुरी पारेषण लाइन के लीलो के लिए पारेषण टैरिफ	7.12.2015	पारेषण याचिका
250	टीटी / 375 / 2014	28.09.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.1991) में पारेषण प्रणाली 400 केवी डी/सी रामगुंदम भद्रावती (चन्द्रपुर) पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ब्लाक 2014–19 के लिए और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्राइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	8.12.2015	पारेषण याचिका
251	टीटी / 359 / 2014	29.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में आरएपीपी-बी प्रोजेक्ट (काल्पनिक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.8.2000) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए अंत में संबद्ध बेज सहित बीएलसीसी प्रणाली सी 220 केवी एसईआरसीपी बी सहित आरएपीपीबी में 220 केवी डीसीआरए पीपी कोटा लाइन के लीलो उदयपुर में संबद्ध बेज सहित 220 केवी एस/सी आरएपीपी उदयपुर पारेषण लाइन क 200 के वि डी/सी आरएपीपीबी चितोडगढ पारेषण लाइन के समन्वित घटक के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्राइंग अप अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	8.12.2015	पारेषण याचिका
252	टीटी / 173 / 2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्राइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तर पूर्व में रांची उपकेन्द्र में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से संबद्ध 220 केवी से संबद्ध रांची उपकेन्द्र (काल्पनिक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.9.2007) में पत्रातूहतिया चबील 220 केवी डीसी लाइन के सेकेण्ड कीट सीकेटी (आस्ट्री 2) और प्रथम सीकेटी	4.12.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				(आस्ती 1) के लीलो के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
253	टीटी/ 176 / 2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्राइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में 220 केवी डीसी बिहारशरीफ बेगुसराय पारेषण लाइन के हाथी दांत रिवर क्रॉसिंग खण्ड के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	7.12.2015	पारेषण याचिका
254	टीटी/ 182 / 2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्राइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में टिहरी–करमान्सा पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	4.12.2015	पारेषण याचिका
255	टीटी/ 175 / 2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्राइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में संबद्ध बेज सहित जमशेदपुर–राऊरकेला (सीकेटी 2) पारेषण लाइन 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	7.12.2015	पारेषण याचिका
256	टीटी/ 198 / 2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्राइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में पुरनिया उपकेन्द्र में पुरनिया–डलकौला 132 केवी एस/सी लाइन और विस्तार के लीलो के 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	7.12.2015	पारेषण याचिका
257	टीटी/ 199 / 2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्राइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में बिहार ग्रिड सुदृढ़ीकरण योजना के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	7.12.2015	पारेषण याचिका
258	200 / टीटी/ 2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्राइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में बोगेगांव–मालदा लाइन पुरनिया और पुरनिया उपकेन्द्र में 400 केवी डी/सी के लीलो के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के	7.12.2015	पारेषण याचिका

वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
259	एमपी / 378 / 2014	28.09.2014	पावर एक्सचेंज इण्डिया लि. (पीएक्सआईएल)	पावर एक्सचेंज इण्डिया लि. में विस्तारित सांयकालिका अगामी दिवस स्पोट (इव-दास) और दो द्विवर्षीय आगामी स्पोट (टूडी-स्पोट) आरंभ करने के लिए अनुमति हेतु मामले में आवेदन	8.12.2015	विविध याचिका
260	टीटी / 222 / 2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में रेनगली उपकेन्द्र में 400 केवी कोलाघाट-रेनगली लाइन पर 63एमवीएआर लाइन रिएक्टर 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	4.12.2015	पारेषण याचिका
261	टीटी / 183 / 2014	01.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी-उत्तरी अंतर-क्षेत्रीय एचवीडीसी के अधीन बिहारशरीफ-सासाराम-सारनाथ पारेषण लाइन के साथ बेज आदि के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	4.12.2015	पारेषण याचिका
262	टीटी / 167 / 2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन संबद्ध बेज सहित श्रीपेरुमबदूर उपकेन्द्र और विजयवाड़ा के नेल्लोर एक्सटेंशन में नए 400 केवी स्विचिंग केन्द्र श्रीपेरुमबदूर लाइन 400 केवी डी/सी नेल्लोर पारेषण लाइन-400केवी डीसी विजयवाड़ा के लिए अनुमोदन	4.12.2015	पारेषण याचिका
263	एमपी / 006 / 2014	27.01.2014	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि.	मैसर्स जिंदल पावर लि. तमनार-पीजीसीआईएल रायपुर पारेषण लाइन के लिए माननीय आयोग द्वारा प्रदान किए गए तथा शपथ पत्र सहित 400/220/33 केवी जिंदल पावर लि. तमनार स्विचयार्ड द्वारा प्रदान किए गए 9.5.2011 की पारेषण अनुज्ञाप्ति को रद्द करने की याचिका	9.12.2015	विविध याचिका
264	185 / एमपी / 2015	07.08.2015	अलबीना पावर ट्रेडिंग लि.	व्यापार अनुज्ञाप्ति के निरस्तीकरण के लिए आवेदन	7.12.2015	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
265	198 / एमपी / 2015	04.08.2015	एनटीपीसी लि.	बड़े सुपर थर्मल पावर स्टेशन, (स्टेज-2) के संदर्भ में 31.08.2015 से 30.11.2015 तक ग्रिड में इन्जेक्ट इंफर्म पावर के लिए अवधि के विस्तार हेतु अनुमति के लिए विविध याचिका	7.12.2015	विविध याचिका
266	टीटी / 537 / 2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तर क्षेत्र में औरत्या गैस पावर प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1989-91) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के ट्रॉइंग अप के अवधारण के लिए याचिका	11.12.2015	पारेषण याचिका
267	223 / एमपी / 2013	27.04.2013	उत्तर पूर्व पारेषण कम्पनी लि. एनईटीसी	पत्र सं. 16 / 2009 दिनांक 16.7.2009 द्वारा एनईटीसीएल को प्रदान किए गए 400 केवी डी / सी टिविन मूल पलटना-बोंगेगांव पारेषण लाइन के लिए पारेषण अनुज्ञाप्ति संख्या 9 / पारेषण / केविविआ दिनांक 16.06.2009 के लिए स्पष्टीकरण	9.12.2015	विविध याचिका
268	235 / जीटी /	21.05.2013	एनटीपीसी लि.	टांडा थर्मल पावर स्टेशन के टैरिफ का अनुमोदन	11.12.2015	उत्पादन याचिका
269	टीटी / 433 / 2014	09.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में कोहालगांव-बिहारशरीफ पारेषण लाइन सेकेप्ड 400 केवी डी / सी के लिए 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रॉइंग अप के अवधारण के लिए याचिका	11.12.2015	पारेषण याचिका
270	टीटी / 364 / 2014	29.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में बरेली (यूपीपीसीएल) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.8.2005) में संबद्ध बैज सहित 400 केवी डी / सी धोलीगांगा एचईपी-बरेली (यूपीपीसीएल) के लिए 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	11.12.2015	पारेषण याचिका
271	560 / टीटी / 2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र के बीच उत्तरी क्षेत्र एवं अंतक्षेत्र लिंक पूर्वी में पारेषण प्रणाली फेज1 कहलगांव स्टेज 1 के लिए टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ	14.12.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				और 2009–14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
272	215 /टीटी/ 2013	22.08.2013	उत्तराखण्ड का ऊर्जा पारेषण निगम	दो राज्यों को जोड़ने वाली अन्तर्राजिक पारेषण लाइन के टैरिफ का अवधारण	11.12.2015	पारेषण याचिका
273	216 /टीटी/ 2013	05.09.2013	असम विद्युत ग्रिड निगम लि.	दो राज्यों को जोड़ने वाली अन्तर्राजिक पारेषण लाइन के टैरिफ का अवधारण	11.12.2015	पारेषण याचिका
274	एसएम/008/ 2014	20.06.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम 2010 के विनियम 3(ज) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड की संयोजकता के लिए तकनीकी मानदण्ड) विनियम 7 के विनियम 6(4)(क) और केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 10 के Regulations 5.2 (r) 5.4.2 (a) (g) (h) and (i) 6.4.12, 6.5.20, 6.5.27, 5.7.4 [®] (g) (iv) and 4.6.3 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 29 का गैर अनुपालन	14.12.2015	स्वप्रेरणा याचिका
275	टीटी/509/ 2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(आस्ती 1) विजयवाड़ा गजुवाका 400 केवी डीसी लाइन और 50 प्रतिशत एमएसई जयपुर में गजुवाका 400 केवी डीसीटीएल (आस्ती 2) और (क) रंगाली इन्द्रावती 400 केवी एससी /टीएल पर 40 प्रतिशत एफएससी (ख) जयपुर में मेरामुंडली जयपुर 400 केवी एससीटीएल पर 40 प्रतिशत एफएससी (आस्ती 3) पूर्वी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र में गजुवाका एचवीडीसी बैक टू बैक प्रोजेक्ट (500 मेगावाट) की क्षमता को बढ़ाने के अधीन गजुवाका में बैक टू बैक कन्द्र 500 मेगावाट एचवीडीसी के लिए टैरिफ ब्लाक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लि ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	17.12.2015	पारेषण याचिका
276	033 /टीटी/ 2013	30.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में सासन यूएमपीपी टीएस (ग्रुप 1) का पारेषण टैरिफ	15.12.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
277	009 / टीटी / 2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में 400 केरी केन्द्रीय पारेषण प्रोजेक्ट 1 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.1992) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ब्लाक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	17.12.2015	पारेषण याचिका
278	248 / टीटी / 2013	23.08.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ ब्लाक 2009–14 के लिए पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से NER/SR/WR via ER और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क के लिए सामान्य योजना एवं पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से NER/SR/WR via ER और पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा आयात, उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 765 केरी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना के अधीन सासाराम एस/एस (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2013) में संबद्ध बेज सहित 765 केरी 3X110 MVAR Bus Reactor के पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	18.12.2015	पारेषण याचिका
279	टीटी / 241 / 2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में बड़-2 टीपीसी (1320 मेगावाट) से संबद्ध तत्काल निकासी प्रणाली के अधीन गोरखपुर एक्सटेंशन में 125 एमवीआर बस रिएक्टर के लिए 1.4.2014 से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	18.12.2015	पारेषण याचिका
280	135 / टीटी / 2012	25.05.2012	जिंदल पावर लि.	वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 and 2013-14 के लिए अनुज्ञाप्त पारेषण कारोबार के लिए टैरिफ और वार्षिक नियत लागत का अनुमादन	18.12.2015	पारेषण याचिका
281	टीटी / 446 / 2014	14.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) 9 (क) मेरठ और मंडोला उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केरी मेरठ–मंडोला सीकेटी-1 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2013) 9 (क) मंडोला उपखण्ड और मेरठ में संबद्ध बेज सहित 400 केरी मेरठ–मंडोला सीकेटी-2 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2003) (ग) मेरठ उपकेन्द्र	17.12.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				में संबद्ध बेज सहित आईसीटी-2 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2003) (घ) मेरठ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित आईसीटी-3 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.7.2003) और स्टेज 2 समन्वित आस्तियां (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2007) (ड) मेरठ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित आईसीटी-1 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.8.2005) ९ (च) संबद्ध बेज सहित 800केवी टिहरी मेरठ सीकेटी-1 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2006) ९ (छ) 800केवी टिहरी मेरठ सीकेटी-2 और 400 केवी एस/सी मेरठ-मुजफ्फरपुर पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2006) और (ज) 220केवी बे और 400केवी सहित मुजफ्फरनगर में आईसीटी को शामिल करते हुए स्टेज 1 समन्वित आस्तियां (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2013) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
282	243 / जीटी / 2013	09.07.2013	एनटीपीसी लि.	तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-1 के टैरिफ का अनुमोदन	21.12.2015	उत्पादन याचिका
283	टीटी / 106 / 2014	02.06.2014	भारतीय पावर प्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: रांची (न्यू) एस/एस एवं रांची (ओल्ड) उपकेन्द्र में 400 केवी लाइन बेज से संबद्ध और 400केवी डी/सी (क्वेद) रांची (न्यू) रांची (ओल्ड) सीकेटी-1 पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2014) आस्ती 2: उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 765 केवी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना के अधीन 765 केवी रांची (न्यू) एसएस में संबद्ध बेज सहित रांची में 765/415 KV, 3X500 MVA ICT-II, पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा और टैरिफ ब्लाक 2009-14 अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में NER/SR/WR और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात और पश्चिमी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए सामान्य योजना के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	21.12.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
284	047 /टीटी/ 2013	22.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र के लिए रिएक्टरों और स्पेयर आईसीटी के प्रावधान के अधीन गूटी एसएस में स्पेयर रिएक्टर और मदुराय एसएस में स्पेयर ट्रांसफार्मर के लिए पारेषण टैरिफ	21.12.2015	पारेषण याचिका
285	जीटी/315/ 2014	20.09.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए सिंगरौली एसटीपी एस, (2000 मेगावाट) के अंतिम ट्रॉइंग अप टैरिफ के लिए याचिका	21.12.2015	उत्पादन याचिका
286	282 /एमपी/ 2015	22.12.2015	डीबी पावर लि.	आरंभिक सिंक्रानाइजेशन से 6महीने से आगे डीबी पावर छत्तीसगढ़ प्लांट यूनिट 2 (600 मेगावाट) के पूर्ण भार प्रेषण सहित परिक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतक्षेपण के लिए अनुमति मांगना	21.12.2015	विविध याचिका
287	टीटी/485/ 2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में (पहले तला अनुपूरक योजना का भाग) पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना की समन्वित आस्ती के लिए टैरिफ ब्लाक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ ओ 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	22.12.2015	पारेषण याचिका
288	टीटी/507/ 2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में जयपुर उपकेन्द्र और मेरामुंडली के विस्तार सहित (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2014)400केवी एससी मेरामुंडली जयपुर पारेषण लाइन के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ ओ 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	22.12.2015	पारेषण याचिका
289	203 /टीटी/ 2013	02.09.2013	ओडीसा राज्य पारेषण निगम लि (ओपीटीसीएल) जनपथ भुवनेश्वर	पीओसी प्रभारों की संगणना में पारेषण आस्तियों को शामिल करना	23.12.2015	पारेषण याचिका
290	25 /आरपी/ 2015	17.11.2015	एनएचपीसी लि.	पीजीसीआईएल की याचिका सं. 91 /टीएल/2012 दिनांक 26.5.2015 टैरिफ आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	29.12.2015	पुनरीक्षण याचिका
291	जीटी/132/ 2014	03.07.2014	एनटीपीसी सैल	21.10.2009 से 31.3.2014 के ट्रॉइंग अप कार्य के बाद भिलाई एक्सपेंशन प्लांट 2x250MW) के टैरिफ के अनुमोदन की याचिका	29.12.2015	उत्पादन याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
292	220/ जीटी/ 2013	22.04.2013	एनटीपीसी सैल पावर कम्पनी प्रा. लि.	भिलाई विस्तार पावर प्लांट के टैरिफ का पुनरीक्षण	29.12.2015	उत्पादन याचिका
293	टीटी/ 027/ 2014	19.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(क) कुरनूल (न्यू) उपकेन्द्र में एन सागर गूटी 400केवी एससी लाइन का लीलो (ख) कुरनूल (न्यू) कुरनूल (एपट्रांसको) 400केवी डी/सी वेद लाइन (ग) 2X1500 MVA ट्रांसफार्मर सहित कुरनूल में नए 765/400 केवी की स्थापना (घ) कुरनूल (एपट्रांसको) उपकेन्द्र का विस्तार और (ड) टैरिफ ब्लाक 2009-14 के लिए दक्षिण क्षेत्र में कृष्णपटनम भाग-सी-1 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन कुरनूल (न्यू) उपकेन्द्र में 1X240 MVAR बस रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 टैरिफ के पारेषण टैरिफ का अवधारण	30.12.2015	पारेषण याचिका
294	टीटी/ 390/ 2014	09.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में मेली में 132केवी रंगीत सिलीगुड़ी पारेषण लाइन के सिलीगुड़ी गंगटोक खण्ड के लीलो द्वारा पूर्वी क्षेत्रों सहित सिक्किम पारेषण प्रणाल के समांकलन के लिए पारेषण लाइन के लिए 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ ओ 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.12.2015	पारेषण याचिका
295	टीटी/ 488/ 2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(क) 400केवी रामगुंडम हैदराबाद डी/सी पारेषण लाइन (ख) 400 केवी एस/सी गूटी नीलमंगल पारेषा लाइन (ग) 400केवी हैदराबाद कुरनूल गूटी पारेषण लाइन और (घ) दक्षिण क्षेत्र में पारेषण प्रणाली रामगुंडम स्टेज-3 के अधीन उपकरण एवं संबद्ध बेज सहित (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.5.2005) 400 केवी एस/सी खम्माल नागर्जुन सागर टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.12.2015	पारेषण याचिका
296	टीटी/ 216/ 2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिण	30.12.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
			लि. (पीजीसीआईएल)	क्षेत्र में मैसूर उपकेन्द्र (1.5.2006) में 2X315MVA, 400/220KV ICTs सहित लीलमंगल मैसूर 400 केरी डीसी पारेषण लाइन के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए दूँड़ग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
297	038 /टीटी/ 2015	29.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009–14 के लिए दूँड़ग अप पारेषण टैरिफ और उत्तरी क्षेत्र (अनुमानित वाणिज्य प्रचालन तारीख 1.10.2007) और पूर्वी क्षेत्र (अनुमानित वाणिज्य प्रचालन तारीख 1.06.2007) के बीच अन्तरक्षेत्रीय आस्ती, उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली और तला एचईपी पूर्व उत्तर इंटर कनेक्टर से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक का अनुमोदन	30.12.2015	पारेषण याचिका
298	078 /टीटी/ 2015	18.02.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में बड़ टीपीएस 2 के अधी गोरखपुर एक्सटेंशन में बड़ 2 के गोरखपुर एक्सटेंशन और (एच) 80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर (प्रभारित एवं बस रिएक्टर) में टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.12.2015	पारेषण याचिका
299	118 /एमपी/ 2015	27.04.2015	सासन पावर लि.	प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की आवापत्ति संचालित करने वाला सांविधिक फ्रेमवर्क और सासन पावर लि. के बीच और विधि को प्रभावित करने वाला राजस्व एवं प्रचालन अधिक के दौरान लागतों में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए आवात कर्ताओं के बीच निष्पादित 7.8.2017 के विद्युत क्रय करार का अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	30.12.2015	विधि याचिका
300	टीटी/405 / 2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ ब्लाक 2014–19 के लिए दक्षिण क्षेत्र ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण XVIII से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन विजयवाडा'–नेल्लोर 400 केरी डीसी लाइन के प्रत्येक सर्किट के दोनों अंत में 1X 63 MVAR लाइन रिएक्टर और विजयवाडा एवं नेल्लोर एपी में 400	30.12.2015	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				220 KV उपकेन्द्र के विस्तार सहित विजयवाड़ा नेल्लोर 400 KV D/C line के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ का अवधारण		
301	161 / टीटी / 2015	15.06.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(क) कुरनूल-रायचूर सेकेण्ड 765 केवी एससी लाइन (क)कुरनूल 765 /400 केवी उपकेन्द्र का विस्तार (ग) दक्षिण क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए अवधि के लिए आंध्रप्रदेश के किशनपटनम क्षेत्र में आईएसजीएस प्रोजेक्ट से संबद्ध सामान्य प्रणाली के अधीन रायचूर 765/400 KV उपकेन्द्र का विस्तार के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए अनुमोदन के लिए याचिका	30.12.2015	पारेषण याचिका
302	टीटी/ 513 / 2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में सिंगरोली पारेषण प्रणाली (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 1982-86) के लिए टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ और वर्ष 2014-19 के लिए ट्रॉइंग अप टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	31.12.2015	पारेषण याचिका
303	298 / एमपी / 2015	30.09.2015	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	श्रेणी 3 से श्रेणी 2 तक अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञाति के उन्नयन के लिए आवेदन	30.12.2015	विविध याचिका
304	टीटी/ 357 / 2014	29.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(1) 400 / 220 केवी कोल्हापुर (एमएसईबी) उपकेन्द्र का विस्तार (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2006) (2) संबद्ध बेज सहित 220केवी डी/सी वापी-मगरवाड़ा पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.5.2008) (3) पश्चिम क्षेत्र में WRSS-III पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज सहित (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.7.2008) से संबद्ध 220केवी डी/सी वापी-खरदवाड़ा पारेषण लाइन की समन्वित आस्तियों के लिए 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ 2009-14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.12.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
305	टीटी/407/2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिण क्षेत्र में मदुराय–त्रिवेन्द्रम 400 केवी डीसी पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	30.12.2015	पारेषण याचिका
306	टीटी/535/2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में 400 केवी कहलांव पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ब्लाक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और वर्ष 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.12.2015	पारेषण याचिका
307	टीटी/424/2014	23.11.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में ककरापर पारेषण प्रणाली के अधीन आस्तियों के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और वर्ष 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.12.2015	पारेषण याचिका
308	टीटी/486/2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2005) में गंगटोक में 132केवी डीसी सिलिगुड़ी–रंगीत लाइन के एक सर्किट के लीलो के लिए टैरिफ ब्लाक के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और वर्ष 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.12.2015	पारेषण याचिका
309	टीटी/435/2014	09.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) तला सिलीगुड़ी पारेषण प्रणाली (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2005) और पूर्वी क्षेत्र में तला सिलीगुड़ी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2006) के शेष भाग के समन्वित घटकों के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	30.12.2015	पारेषण याचिका
310	टीटी/443/2014	09.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में बरीपड़ा में नए 400/220/132केवी उपकेन्द्र की स्थापना और बरीपड़ा में कोलाघाट–रनगाली 400 केवी एस/सी लाइन के लीलो के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	30.12.2015	पारेषण याचिका
311	074/टीटी/2015	04.03.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिण	30.12.2015	पारेषण याचिका

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			लि. (पीजीसीआईएल)	क्षेत्र में तलचर-कोलार बाई-पोल के पारेषण लाइन के स्थानान्तरण क्षमता के उन्नयन के लिए 2014-19 पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
312	22/आरपी/2015	22.07.2014	उत्तराखण्ड ऊर्जा पारेषण निगम लि.	केविविआ (भारतीय ग्रिड कोड) विनियम, 2010 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और आयोग के निर्देशों के गैर अनुपालन के मामले में पुनरीक्षण याचिका	30.12.2015	पुनरीक्षण याचिका
313	टीटी/034/2014	24.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: जमशेदपुर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.10.2013) में संबद्ध बेज और 400 केवी डी/सी जमशेदपुर-बरीपाड़ा पारेषण लाइन का शेष भाग, आस्ती 2: दुर्गापुर एस/एस (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.10.2013) में 400 केवी बेज 2 नम्बर, आस्ती 3: टैरिफ ब्लाक 2009-14 की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में इआरएसएस-1 के अधीन दुर्गापुर एस/एस (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.02.2014) में 400 केवी बेज 2 नम्बर के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण	31.12.2015	पारेषण याचिका
314	टीटी/101/2014	27.05.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	मुन्द्रा यूएमएमपी के अधीन 400/220 केवी में बस रिएक्टर 1 एवं 2 के रूप में प्रभारित 400KV D/C Wardha- Aurangabad TL Ckt# 1&2 के लिए 3X110 MVAR लाइन रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2014 तक पारेषण टैरिफ की अवधारणा का अनुमोदन	31.12.2015	पारेषण याचिका
315	एसएम/005/2014	01.05.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 5.4.2 (d) का गैर अनुपालन	31.12.2015	स्वप्रेरणा याचिका
316	टीटी/307/2013	21.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(1) रायगढ़ पीएस (पास में तमनार) से संबद्ध बेज में 765/400 KV 3*500MVA ICT-2 (2) रायगढ़ पीएस (पास में तमनार) से संबद्ध बेज में 765/400 KV 3*500 MVA ICT-3 (3) 2009-14 टैरिफ ब्लाक अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़	31.12.2015	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				(Set B/WR-IPPB) में आईपीपी उत्पादन परियोजना के लिए चम्पा और रायगढ़ (पास में तमनार) में पूलिंग स्टेशन की स्थापना की अधीन धरमजयगढ़ एस/एस में धरमजयगढ़ एस/एस टी/एल-765 केवी एस/सी चंपा पूलिंग स्टेशन के लिए पारेषण टैरिफ		
317	टीटी/531/2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009-14 और 2014-19 के लिए पूर्वी क्षेत्र में तीस्ता (स्टेज 5) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन रनगेली से बारीपाड़ा तक 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर की शिपिटंग के पारेषण टैरिफ के अवधारण की याचिका	31.12.2015	पारेषण याचिका
318	टीटी/192/2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009-14 टैरिफ ब्लाक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में (विद्युत निकासी के लिए अंतर्रिम/आपात व्यवस्था के अधीन) विध्याचल 4 और रिहन्द 3 (1000 मेगावाट) उत्पादन परियोजना से संबद्ध (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 1.3.2014) 765 एस/सी ग्वालियर-जयपुर पारेषण लाइन की पूर्ति तक आंतरिक आकस्मिक योजना के अधीन बस रिएक्टर के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली ग्वालियर एसएस में संबद्ध बेज सहित 3*80 MVAR 765 केवी लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	31.12.2015	पारेषण याचिका
319	358/टीटी/2014	14.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009-14 दूड़िंग अप के लिए पारेषण टैरिफ और पश्चिमी क्षेत्र में कोरबा विध्याचल पारेषण प्रणाली के अधीन कोरबा (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2007 और विध्याचल में संबद्ध बे उपकरण सहित 400 केवी एससी विध्याचल कोरबा Ckt-II पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	31.12.2015	पारेषण याचिका
320	040/जीटी/2015	29.01.2015	निपको	01.04.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए नीपको शिलांग के रंगानदी हाइड्रो पावर प्लाट (3X 135MW) के टैरिफ का अनुमोदन	5.01.2016 के आदेश और 7.03.2016 के शुद्धिपत्र के माध्यम	उत्पादन याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
					से निपटाया गया	
321	एमपी / 420 / 2014	23.11.2014	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोसोको	केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 (आईईसीसी) 6.5.23(i) एलडीसी को वास्तविक समय एससीडीए उपलब्ध न करवाने और आईईजीसी विनियम 5.3 के अनुसार आवश्यक मांग पराकलन की कमी के अनुसार पवन उत्पादन की गैर अनुसूची, एलवीआरटी संरक्षा की गैर उपलब्धता दिनांक 22.2.2014 के केविविआ के आदेश के अनुसार पवन उत्पादन के आकस्मिक हानि के लिए आकस्मिक मांग असंबद्ध योजना के गैर कार्यान्वयन के कारण ग्रिड सुरक्षा को खतरा	5.1.2016	विविध याचिका
322	जीटी / 232 / 2014	24.08.2014	एनएचपीसी लि.	रनगीता पावर स्टेशन के संबंध में 2014–19 के लिए टैरिफ याचिका और 2009–14 अवधि के लिए ट्रूइंग अप एफसी के लिए टैरिफ याचिका का अनुमोदन	6.1.2016	उत्पादन याचिका
323	टीटी / 556 / 2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में तीस्ता (रटेज 5) एच ईपी के अधीन पारेषण प्रणाली के बारीपाड़ा उपकेन्द्र से संबद्ध बेज (आस्ती 3) में 315 MVA, 400/220 KV ICT-II और 400 KV D/C Teesta 9Stage-V) सिलिगुड़ी पोरण लाइन के सीकेटी-1 (आस्ती 1) सीकेटी-2 (आस्ती 2) की समन्वित आस्तियों के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ और के अवधारण के लिए याचिका	7.1.2016	पारेषण याचिका
324	टीटी / 371 / 2014	28.09.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ और (ii) आस्ती 1 के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ रायपुर और सिपत में उपकेन्द्र बेज सहित (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.8.2008) आस्ती 1 का 400 KV D/C सिपत रायपुर पारेषण	7.1.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				लाइन खण्डवा केन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2008) के लिए 40 प्रतिशत एफएससी क्षतिपूर्ति पैकेज आस्ती 2: पश्चिमी क्षेत्र में WRSS_I पारेषण प्रणाली के अधीन इटारसी (पीजी)-भोपाल (एमपीपीटीसीएल) सीकेटी-2 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.5.2008) से संबद्ध 220 केवी बेज के साथ 315 MVA 400/220KV ICT के अवधारण के लिए अनुमोदन		
325	टीटी / 499 / 2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में तलचर 2 परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन तलचर और कोलार (एसी भाग) अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2003 के समन्वित घटकों (एचवीडीसी भाग)(अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2003) के तलचर और कोलार के समन्वित घटकों के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ और के अवधारण के लिए याचिका	7.1.2016	पारेषण याचिका
326	टीटी / 205 / 2014	10.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) आस्ती 1: कलिवन्तपट्टू में एक 50 एमवी आर रिएक्टर से संबद्ध कोलार-श्री पैरामबदूर 400 केवी एससी लाइन के लीला, मैसूर में 50 एमवीएआर बस रिएक्टर और नरेन्द्र एसएस (ख) नरेन्द्र देव नगरे 400 केवी डीसीटीएल में 50 एमवीएआर रिएक्टर आस्ती 2(घ): हिरीयूर एसएस में सेकेण्ड 315 एमवीएआर आटो ट्रांसफार्मर आस्ती 3(ङ): कलिवन्तपट्टू एसएस 1 315 एमवीएआटो ट्रांसफार्मर (च) दक्षिण क्षेत्र में कैगा 3 एवं 4 (2X235MW) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन उपकरणों एवं संबद्ध बेज सहित कलिवनथपू एसएस में सेकेण्ड 315 एमवीएआर आटो ट्रांसफार्मर के अवधारण के लिए अनुमोदन	8.1.2016	पारेषण याचिका
327	टीटी / 212 / 2014	23.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिण	8.1.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
			लि. (पीजीसीआईएल)	क्षेत्र में कैगा–नरेन्द्र पारेषण प्रणाली के अधीन नेरन्द्र एस/एस (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.9.2006) में 2nd 315MVA ICT और 315MVA ICT (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.11.2005) सहित नरेन्द्र में 400/220KV उपकेन्द्र में, कैगा–नरेन्द्र 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.11.2005) के समन्वित घटकों के लिए के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
328	टीटी/102/2014	29.05.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XIX के अधीन संबद्ध बज सहित तिरवल्लम में मौजूद कोलार–श्रीपैरुमदूर 400 केवी एस/सी लाइन के लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2009 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	8.1.2016	पारेषण याचिका
329	टीटी/213/2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में मालदा में फरक्का–मालदा पारेषण लिंक और 315 एमवीए पारेषण लाइन के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	8.1.2016	पारेषण याचिका
330	टीटी/215/2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में तलचर–मेरामुन्डल पारेषण लाइन 400 केवी डी/सी के लिए पारेषण लाइन के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	22.12.2016	पारेषण याचिका
331	टीटी/555/2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ और पश्चिमी क्षेत्र में कोरबा पारेषण सिस्टम के अधीन आस्टी के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	8.1.2016	पारेषण याचिका
332	060/टीटी/	10.02.2015	भारतीय पावर	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए	8.1.2016	पारेषण



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	द्वूँग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में चूखा पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		याचिका
333	टीटी/223/2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्वूँग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में संबद्ध बेज सहित जयपॉर में 400/220 केवी 315 एमवीए ट्रांसफार्मर के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	8.1.2016	पारेषण याचिका
334	टीटी/397/2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्वूँग अप पारेषण टैरिफ और परिचमी क्षेत्र में विध्याचल स्टेज-1 के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	11.1.2016	पारेषण याचिका
335	टीटी/366/2014	29.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी दुलहस्ती–किशनपुर पारेषण लाइन (आस्ती 1) (ii) उत्तरी क्षेत्र में दुलहस्ती समन्वित पारेषण प्रणाली (आस्ती 2) के अधीन किशनपुर और वमूरा उपकेन्द्रों में संबद्ध सहित 400 केवी किशनपुर–वगूरा पारेषण लाइन के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्वूँग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	11.1.2016	पारेषण याचिका
336	173/टीटी/2015	02.07.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्वूँग अप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी उत्तरी अन्तर प्रादेशिक एचवीडीसी पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज आदि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2002) से संबद्ध 400 केवी सारनाथ–इलाहाबाद लाइन सहित सासाराम एवं इलाहाबाद तथा सहायक प्रणाली में संबद्ध एसी स्विचयार्ड एवं सासाराम में 1X500 MW HVDC बैक टू बैक कन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2002) की समन्वित आस्ती के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए याचिका	11.1.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
337	टीटी/356/2014	29.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ और पश्चिमी क्षेत्र में बीना–नागड़ा डी/सी लाइन के साथ बीना–नागड़ा (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.11.2007) के अधीन पारेषण से संबद्ध और नागड़ा में बीना–नागड़ा पारेषण लाइन 400 केवी डी/सी से संबद्ध बे उपकरण के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	11.1.2016	पारेषण याचिका
338	टीटी/363/2014	29.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009–14 पारेषण टैरिफ के लिए ट्रूइंग अप और उत्तरी क्षेत्र में किशोनपुर मोगा पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	11.1.2016	पारेषण याचिका
339	टीटी/275/2014	10.09.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) आस्टी 1: मोगा उपकेन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.7.2007) में संबद्ध बे ज सहित 315 MVA ICT-IV आस्टी 2: उत्तरी क्षेत्र में अमृतसर और मोगा उपकेन्द्र में रूपांतरण क्षमता की वृद्धि के अधीन मोगा उपकेन्द्र में (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2008) में 400 केवी बस रिएक्टर पीएसईबी की लाइन और अमृतसर उपकेन्द्र में पीएसईबी फीडर बे ज संख्या 2 और संबद्ध बे ज सहित आईसीटी 2 के समन्वित घटकों के लिए 2014–19 के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	11.1.2016	पारेषण याचिका
340	टीटी/493/2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र ओर दक्षिणी क्षेत्र में (आस्टी 1) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.8.1997) और भद्रवती (चन्द्रपुर) एचवीडीसी बेक टू बेक केन्द्र (2x500 MW) (आस्टी 2) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.1997) 400 केवी एस/सी लाइन 2 रामगुंदम हैदराबाद के लिए 2014–19 पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	11.1.2016	पारेषण याचिका
341	टीटी/388/2014	09.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन	2009–14 ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के लिए और पूर्वी क्षेत्र में विंध्याचल	12.1.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			लि. (पीजीसीआईएल)	स्टेज-3 के अधीन आस्तियों के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
342	046 / जीटी / 2015	29.01.2015	निपको	01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए नीपको, शिलांग के कोपीती हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट (4X50 MW) के टैरिफ का अनुमोदन	13.1.2016	उत्पादन याचिका
343	043 / जीटी / 2015	29.01.2015	निपको	01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए नीपको, शिलांग के दोआंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट (75 MW) के टैरिफ का अनुमोदन	13.01.2016 के आदेश और 7.03.2016 के शुद्धिपत्र के माध्यम से निपटाया गया	उत्पादन याचिका
344	042 / जीटी / 2015	29.01.2015	निपको	01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए नीपको, शिलांग के खंदोंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट (2X25 MW) के टैरिफ का अनुमोदन	13.1.2016	उत्पादन याचिका
345	204 / टीटी / 2013	06.09.2013	मेघालय ऊर्जा पारेषण निगम लि.	मेघालय और असम के दो राज्यों को जोड़ने वाली अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों के टैरिफ का अवधारण	14.1.2016	पारेषण याचिका
346	181 / टीटी / 2013	25.09.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009–14 ब्लाक के लिए दक्षिणी क्षेत्र में फाइबर आप्टिक संचार प्रणाली के एवज में मौजूदा एकीकृत लोड डिस्पेच और संचार (यूएलडीसी) माइक्रोवेव लिंक्स के लिए फीस और प्रभारों की अवधारणा	15.1.2016	पारेषण याचिका
347	टीटी / 297 / 2013	06.11.2013	परबती कोलडम पारेषण कम्पनी लि. पीकेटीसीएल	टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए उत्तर क्षेत्र में परबती पूलिंग स्टेशन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.08.2013) के लीलो प्वाइंट के लिए परबती 3 एचझीपी के लीलो के आरंभ 400केरी (व्हेद एससी परबती-कोलडम पारेषण लाइन (CKT-II) के भाग के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ	15.1.2016	पारेषण याचिका

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
348	202/टीडीएल/2015	23.07.2015	फिलीप कमोडिटीज प्रा. लि.	अन्तर्राजिक व्यापार अनुज्ञाप्ति (Cat-IV) के लिए आवेदन	21.1.2016	व्यापार अनुज्ञाप्ति
349	009/आरपी/2015	02.06.2015	नेवेली लिंग्नाइट कार्पोरेशन लि.	2010-11 से 2013-14 की अवधिक के लिए माइन-2 विस्तार लिंग्नाइट लागत को शामिल करने के कारण पूल्ड लिंग्नाइट कीमत के पुनरीक्षण के मामले में याचिका संख्या 68/MP/2013 में कविविआ के 7.5.2015 के आदेश का पुनरीक्षण	21.1.2016	पुनरीक्षण याचिका
350	टीटी/037/2014	25.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(क) कुरनूल-रायचूर सेकेण्ड 765 केवी एस/सी लाइन और कुरनूल 765 केवी/400 केवी तथा रायचूर 765 केवी/400 केवी उपकेन्द्र के विस्तार (ख) 765 केवी/400 केवी नैल्लोर पीएस में संबद्ध बेज सहित 240 एमवीएआर रिएक्टर 1500 MVA, 765/400 KV ICT#2 (ग) टैरिफ ब्लाक 2009-14 के लिए दक्षिण क्षेत्र में आन्ध्रप्रदेश के कृष्णानपटनम क्षेत्र आईएसजीएस परियोजना से संबद्ध सामान्य प्रणाली के अधीन 765 केवी/400 केवी नैल्लोर में संबद्ध बेज सहित 1500 MVA, 765/400 ICT#3 और 240 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ का अवधारण	22.1.2016	पारेषण याचिका
351	टीटी/365/2014	29.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009-14 के लिए ढूँगंग अप पारेषण टैरिफ और पूर्वी क्षेत्र में WRSS-IV पारेषण स्कीम के लिए 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	22.1.2016	पारेषण याचिका
352	जीटी/272/2014	10.09.2014	एनटीपीसी लि.	01.04.2009 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेशन, स्टेज-2, (3x500 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के अवधारण लिए याचिका	22.1.2016	उत्पादन याचिका
353	206/जीटी/2013	29.10.2013	एनटीपीसी लि.	कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-2 के टैरिफ का पुनरीक्षण	22.1.2016	उत्पादन याचिका
354	टीटी/425/	23.11.2014	भारतीय पावर	पश्चिमी क्षेत्र में कावास पारेषण	25.1.2016	पारेषण



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
	2014		ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	प्रणाली के अधीन आस्तियों के लिए 2009–14 और 2014–19 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण की याचिका		याचिका
355	टीटी/430/2014	23.11.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1989 से 1991) अनता पारेषण प्रणाली 220केवी डी/सी के लिए 2009–14 के लिए ट्रूइंग अप और 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण की याचिका	25.1.2016	पारेषण याचिका
356	टीटी/538/2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में जेपोर–तलचर पारेषण प्रणाली 400 केवी के लिए 2009–14 के लिए ट्रूइंग अप और 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण की याचिका	25.1.2016	पारेषण याचिका
357	170/एमपी/2013	06.09.2013	झज्जर पावर लि.	उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. को बिजली की आपूर्ति की समन्वित योजना से संबंधित विवाद	25.1.2016	विविध याचिका
358	टीटी/240/2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 ट्रूइंग अप के लिए पारेषण टैरिफ (ii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दोआंग एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	28.1.2016	पारेषण याचिका
359	टीटी/442/2014	09.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 ट्रूइंग अप के लिए पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में इन्द्रावती (ओएचपीसी) स्थियार्ड में 400/220 केवी ट्रांसफार्मर, 2nd 315 (3X105) MVA के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	28.1.2016	पारेषण याचिका
360	284/एडीओपी/2015	26.11.2015	छत्तीसगढ़–डब्ल्यूआर पारेषण लि.	छत्तीसगढ़–पश्चिमी क्षेत्र पारेषण लि. द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभार के अंगीकार के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा के तहत आवेदन	28.1.2016	अंगीकार याचिका
361	133/टीटी/2015	08.05.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में रिहन्द पारेषण प्रणाली (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.04.1992) के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के	28.1.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
362	टीटी/ 247 / 2014	26.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में रंगनदी-ज़ीरो (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.04.2004) 132 केवी एस/सी के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	28.1.2016	पारेषण याचिका
363	131 / टीटी / 2015	07.05.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कामेंग एचईपी की पारेषण प्रणाली और उत्तर पूर्व/उत्तरी पश्चिमी इन्टरकनेक्टर -1 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन वे सहित 400 केवी बालीपाड़ा उपकेन्द्र में 1X80MVAR, 420KV, 3-Phase बस रिएक्टर के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	28.1.2016	पारेषण याचिका
364	225 / टीटी / 2013	20.02.2013	कर्नाटक पावर पारेषण लि.	कर्नाटक और अन्य पड़ोसी राज्यों (प्राकृतिक अन्तरराज्यिक पारेषण लाइन) के बीच पारेषण लाइनों को जोड़ने का टैरिफ	28.1.2016	पारेषण याचिका
365	टीटी/ 428 / 2014	23.11.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में (अनुमानित प्रचालन की तारीख 1.11.2007) पारेषण प्रणाली उन्नचाहर 3 के अधीन बेज सहित रायबरेली उपकेन्द्र में रायबरेली में 220 केवी डीसी उन्नचाहर-लखनऊ पारेषण लाइन और रायबरेली में 100 MVA, 220/ 132 KV ICT-III के लीलो, रायबरेली में बेज सहित 220 केवी एससी उन्नचाहर-रायबरेली पारेषण लाइन की समन्वित आस्तियों के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	28.1.2016	पारेषण याचिका
366	टीटी/ 360 / 2014	29.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ और उत्तरी क्षेत्र में स्पेशल एनर्जी मीटरों	28.1.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			(पीजीसीआईएल)	के लिए 2014–19 पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
367	टीटी/432/2014	08.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(क) संबद्ध बेज सहित 220 केवी डी/सी उनचार-कानपुर पारेषण लाइन 1 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.1999) (ख) संबद्ध बेज सहित 220 केवी डी/सी उनचार-कानपुर पारेषण लाइन 1(वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2000) (ग) उत्तरी क्षेत्र में उनचार स्टेज 2 (1.12.2000 को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की अनुमानित तारीख) उनचार स्टेज 2 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के 220केवी डी/सी पंकी-मणीपुरी लाइन 2 के 1 सीकेटी का लीला (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2000) की समन्वित आस्तियों के लिए लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	28.1.2016	पारेषण याचिका
368	286/एडीओपी/2015	26.11.2015	सिपत पारेषण लि.	सिपत पारेषण लि. द्वारा स्थापित किए जा रहे पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकार के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन जिसके लिए पारेषण प्रभारों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।	28.1.2016	अंगीकार याचिका
369	टीटी/552/2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009–14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ और पश्चिमी क्षेत्र में सिपत-1 पारेषण प्रणाली के अधीन आस्ती के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	28.1.2016	पारेषण याचिका
370	टीटी/361/2014	29.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना की समन्वित आस्तियों के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.1.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
371	टीटी/ 303 / 2013	20.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(1) (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2013) जबलपुर पूर्वी एसएस (न्यू) में संबद्ध 765/ 400KV, 1500 MVA ICT-I (2) टैरिफ ब्लाक 2009–14 अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में उड़ीसा भाख ख में फेज1 उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज ((अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2013) के साथ 400 केवी डी/सी (क्वेद) जबलपुर पूलिंग एसएस (न्यू) जबलपुर (मौजूद) एसएस/टीएल के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2014 तक पारेषण टैरिफ	29.1.2016	पारेषण याचिका
372	टीटी/ 380 / 2014	28.09.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	01.04.2014 से 31.03.2019 की अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केठलगुडी गैस आधारित समन्वित साइकल प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.1.2016	पारेषण याचिका
373	एमपी/ 440 / 2014	18.11.2014	एस्सार पावर गुजरात लि.	याचिकाकर्ता को प्रदान की संयोजकता के संबंध में प्रस्तुत बैंक गारंटी के नगदीकरण के अवैध धमकी के संबंध में भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन लि. और एस्सार पावर गुजरात लि. के बीच विवाद के अधिनिर्णय के लिए याचिका	29.1.2016	विविध याचिका
374	टीटी/ 481 / 2014	14.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में विध्याचल स्टेज-1 पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.1.2016	पारेषण याचिका
375	टीटी/ 395 / 2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में गोरखपुर–मुज्जफ़रपुर 400 केवी लाइन और रिहन्द–दादरी एचवीडीसी बाई–पोल विशेष सुरक्षा योजना के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ अवधारण के लिए याचिका	29.1.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
376	टीटी/389/2014	09.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में कहलगांव 2 फेज 2 पारेषण प्रणाली के अधीन रांची एसएस में 400 केवी रांची सिपत लाइन (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2009) पर 40 प्रतिशत एफएससी और सिपत एसएस एवं रांची में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी रांची सिपत पारेषण लाइन के समन्वित आस्तियों के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.1.2016	
377	285/एडीओपी/2015	26.11.2015	रायपुर—राजनंदगांव—वरौरा पारेषण लि.	रायपुर राजनंदन गांव बरौरा पारेषण लि. द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के स्वीकार के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन जिसके लिए पारेषण प्रभारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।	29.1.2016	अंगीकार याचिका
378	टीटी/204/2014	10.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिणी क्षेत्र में एनएलसी स्टेज-1 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए (i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	29.1.2016	पारेषण याचिका
379	एसएम/007/2014	01.05.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	याचिका संख्या 168/एमपी/2011 में दिनांक 26.09.2012 आयोग के आदेश का गैर अनुपालन	29.1.2016	स्वप्रेरणा याचिका
380	टीटी/276/2014	10.09.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोपिल–खंदोंग (अतिरिक्त पारेषण गोहपुर–इटानगर) से संबद्ध 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.1.2016	पारेषण याचिका
381	561/टीटी/2014	31.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन	उत्तरी क्षेत्र में 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ और	29.1.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			लि. (पीजीसीआईएल)	रिहान्द स्टेज-2 से संबद्ध पारेषण प्रणाली की समन्वित आस्तियों के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
382	टीटी/431/2014	23.11.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी ग्रिड (भाग-ख) के दक्षिण पश्चिमी भाग में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन संबद्ध बैज सहित (वाणिज्यिक प्रणाली के तारीख 01.08.2010) 400 केवी एस/सी कंकरौली जोधपुर पारेषण टैरिफ 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ढूँग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.1.2016	पारेषण याचिका
383	093/एमपी/2015	17.03.2015	वेस्ट मेनेजमेंट एसोसिएशन	एमएसडब्ल्यू का प्रयोग करने वाले रेनकिन साइकल कमबेशन आधारित पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन के लिए जनवरी टैरिफ के अवधारण के लिए मानदण्डों के अवधारण के लिए याचिका जिसे ईंधन के रूप में आरडीएफ सहित इसके व्युत्पन्न और एमएसडब्ल्यू को शामिल करते हुए विचार किया जाएगा।	Feb 2, 2016	विविध याचिका
384	079/एमपी/2013	26.04.2013	जीएमआर कमलंगा एनर्जी लि.	प्रचालनकारी अवधि के दौरान राजस्व और लागतों को प्रभावित करने वाली विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए पीटीसी इण्डिया लि. और जीएमआर एनर्जी लि. के बीच करार	3.2.2016	विविध याचिका
385	013/आरसी/2013	07.02.2013	परबती कोलडम पारेषण कम्पनी लि. पीकेटीसीएल	शपथपत्र सहित माननीय केविविआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2012 के स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग के लिए विनियामक अनुपालन आवेदन	4.2.2016	विनियामक अनुपालन
386	156/जीटी/2013	09.09.2013	एनएचपीसी लि.	यूआरआई-2 एचई प्रोजेक्ट के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	4.2.2016	उत्पादन याचिका
387	036/टीटी/2013	07.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (NRSSS)-XX के लिए पारेषण टैरिफ	4.2.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
388	एसएम/016/2014	19.11.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	प्रभारी अधिकारी एसएलडीसी झारखण्ड और अध्यक्ष झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सीईए ग्रिड मानक विनियमों और ग्रिडकोड के उपबंधों और निर्देशों का गैर अनुपालन	4.2.2016	स्वप्रेरणा याचिका
389	201/टीटी/2013	02.09.2013	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लि.	दो राज्यों को जोड़ने वाली गैर अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों के टैरिफ का अवधारण	5.2.2016	पारेषण याचिका
390	035/एमपी/2014	24.02.2014	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोसोको	केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के विनियम 4 भाग 7 के अधीन और केविविआ (यूआई प्रभारों और संबद्ध मामले) विनियम 9 के विनियम 12 केविविआ (वास्तविक समय प्रचालनों में संकुलता के उन्मुक्ती के लिए उपाय) विनियम 9 के विनियम 14 के अधीन और कठिनाइयों के निराकरण के लिए केविविआ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम 2010 के विनियम 21 के अधीन आईटी. नई दिल्ली के उपायुक्त से प्राप्त आयकर अधिनियम 61 की धारा 156 के अधीन कम्पनी को सौंपी गई मांग नोटिस के संबंध में याचिका	4.2.2016	विविध याचिका
391	एमपी/015/2014	03.02.2014	उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंध व शर्तें) विनियम 9 के विनियम 44 (छूट की शक्ति) के उपबंधों के अनुसार नीपको के अगरतला गैस टरबाइन पावर स्टेशन और असम गैस आधारित पावर स्टेशन की हीट दर मानदण्डों की छूट के लिए याचिका की सेवा का प्रमाण	5.2.2016	विविध याचिका
392	198/जीटी/2013	07.11.2013	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कम्पनी लि.	31.03.2014 तक यूनिट 1 के वैलूर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के टैरिफ का अनुमोदन	8.2.2016	उत्पादन याचिका
393	टीटी/292/2013	06.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	केविविआ के टैरिफ ब्लाक के 2009-14 की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र भाग ख में सिक्किम में उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत के अंतरण के लिए पारेषण प्रणाली के अंतर्गत	8.2.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				पटना एसएस में संबद्ध बेज सहित 125 MVAR 400 KV Bus Reactor का पारेषण टैरिफ		
394	टीटी/028/2014	19.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009-14 के लिए उत्तरी क्षेत्र में सुदूढ़ीकरण योजना के अधीन 220 केवी हमीरपुर-जालंधर टी/एल (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2014) के प्रथम सीकेटी के लीलो के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले) हमीरपुर में 220 केवी जालंधर हमीरपुर लाइन के लूप-आउट के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण	8.2.2016	पारेषण याचिका
395	जीटी/260/2014	26.08.2014	कांती बिजली उत्पादन निगम लि.	01.11.2012 से 31.03.2014 की अवधि के लिए मुज्जफरपुर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज I (2X110MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	9.2.2016	उत्पादन याचिका
396	101/टीटी/2015	09.04.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) आस्ती 1: संबद्ध बेज सहित (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2009) भिवाड़ी में 400 केवी हिसार बस्सी पारेषण लाइन के लीलो आस्ती 2: संबद्ध बेज सहित भिवाड़ी पारेषण लाइन 400 केवी डी/सी आगरा (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.9.2009) आस्ती 3: 2 नम्बर 63 एमवीएआर मोगा में लाइन रिएक्टर सहित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2010 से संबद्ध 400 केवी डी/सी भिवाड़ी मोगा पारेषण लाइन आस्ती 4: भिवाड़ी उपकेन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2011) में 80 एमवीएआर बस रिएक्टर को शामिल करते हुए उत्तरी क्षेत्र में NRSS-V क्षिण क्षेत्र में से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए समन्वित आस्तियों के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण का अनुमोदन	9.2.2016	पारेषण याचिका
397	299/एडीओपी/2015	07.12.2015	वेमागिरी— II पारेषण लि.	वेमागिरी 2 पारेषण लि. (100 प्रतिशत पूर्णतया निजी स्वामित्व	9.2.2016	अंगीकार याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				की भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन लि. अनुषंगी) के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन पारेषण प्रभारों के अंगीकार के लिए आवेदन		
398	एमपी/381/2014	28.09.2014	एनटीपीसी लि.	दक्षिण अंडमान जिला अंडमान और निकोबार आईसलैण्ड में गरचरमा में एनटीपीसी लि. के 5 मेगावाट सौर परियोजना के लिए जेनरिक टैरिफ की प्रयोजिता से संबद्ध मामले के संबंध में विवादों के अधिनिर्णय के लिए याचिका	9.2.2016	विविध याचिका
399	035/टीटी/2015	29.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में खमाम में खमाम सहित (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.1992) रामगुंदम एसटी पीपी के लिए टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	9.2.2016	पारेषण याचिका
400	207/जीटी/2013	23.10.2013	कांती बिजली उत्पादन निगम लि.	मुज्जफ्पुर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज I (2X110 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए	9.2.2016	उत्पादन याचिका
401	237/टीडीएल/2015	29.09.2015	रिन्यू सौर ऊर्जा प्रा. लि. आरएसईपीएल	श्रेणी 4 में अन्तरराज्यिक पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	11.2.2016	व्यापार अनुज्ञाप्ति
402	500/टीटी/2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती ए: (i) संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी आगरा-बसी पारेषण लाइन (ii) वगूरा उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित $3 \times 105 \text{ MVA}$ 400/220/33 KV ICT-III (iii) उत्तरी क्षेत्र में उत्तर क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 2 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन मणीपुरी में (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.5.2011) में आस्ती ख 40 प्रतिशत केवी डी/सी लाइन वगूरा उपकेन्द्र (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2008) में 220 केवी ज़ेनकोट 3 और 4 बेज समन्वित आस्तियों के लिए टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	11.2.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
403	टीटी/149/2014	17.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में दुलहस्ती पारेषण प्रणाली के अधीन किशनपुर में आईसीटी के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	15.2.2016	पारेषण याचिका
404	जीटी/459/2014	14.12.2014	उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लि.	नीपको, शिलांग के असम गैस पावर प्लांट (291)मेगावाट के संबंध में 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित पूंजी व्यय के संबंध में 2009–14 की अवधि के लिए ट्रूइंग अप कार्य के लिए 1.4.2009 से 31.03.2014 की अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन	15.2.2016	उत्पादन याचिका
405	टीटी/196/2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में चमेरा स्टेज1 पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ब्लाक 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	15.2.2016	पारेषण याचिका
406	टीटी/168/2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में बल्लभगढ़ में कानपुर–भल्लभगढ़ 400 केवी एससी लाइन पर 400 केवी थाइरिस्टर नियंत्रित सीरीज क्षतिपूर्ति परियोजना (फैक्ट डिवाइस) के चरण 1 के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	15.2.2016	पारेषण याचिका
407	टीटी/529/2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) कोपीली (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2010) में 160MVA, 220/132KV, 3-Phase आटो ट्रांस फार्मर (ii) संबद्ध बेज (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.11.2010) सहित 132 केवी एस/सी कोपीली खंडोंग पारेषण लाइन (iii) कोपीली 100MVA, 220/132KV, 3-Phase आटो ट्रांसफार्मर एवं दीमापुर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2011) और (iv) एनईआर में मिसिंग लिंक पारेषण प्रणाली के अधीन 1.4.2011 से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	15.2.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				समन्वित आस्तियां (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2011) 132 के बीं दीमापुर-कोहिमा पारेषण लाइन का लीलों की समन्वित आस्तियां के लिए कोपीली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
408	टीटी/147/2014	17.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में 400 के बीं एस/सी चमेरा-1 किशनपुर पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	15.2.2016	पारेषण याचिका
409	टीटी/045/2014	28.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ ब्लाक 2009-14 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ (Set B/WRI-I-IPPB) में (आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए नजदीक तमनार) चंपा एवं रायगढ़ में पूलिंग केन्द्रों के स्थापना के अंतर्गत रायपुर पीएस में संबद्ध बेज सहित 765 के बीं डीसी चंपा पूलिंग स्टेशन रायपुर पूलिंग स्टेशन पारेषण लाइन के पारेषण टैरिफ	15.2.2016	पारेषण याचिका
410	टीटी/148/2014	17.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र से संबद्ध सलाल 2 पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	15.2.2016	पारेषण याचिका
411	टीटी/480/2014	14.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	SRSS XVIII-A (पहले कम्प पार्ट ए) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2013) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन नेल्लोर एवं गूटी में संबद्ध बेज विस्तार सहित नेल्लोर गूटी 400 के बीं डीसी (क्वेद लाइन) के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ अवधारण के लिए याचिका	15.2.2016	पारेषण याचिका
412	टीटी/189/2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी	15.2.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
			लि. (पीजीसीआईएल)	क्षेत्र में संबद्ध बे उपकरणों सहित बल्लभगढ़ उपकेन्द्र में 315 MVA, 440/220 KV ICT-IV के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
413	281 / टीटी / 2013	09.10.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण 2014 के अधीन संबद्ध बेज (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2014) और 1X315MVA 400/220 kV ट्रांसफार्मर द्वारा भोसूर एसएस के वृद्धि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ	15.2.2016	पारेषण याचिका
414	058 / टीटी / 2013	08.02.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी ग्रिड पार्ट 3 के केन्द्रीय पार्ट के लिए 765 केवी प्रणाली के अधीन 400/220 KV बल्लभगढ़ एसएस के पारेषण टैरिफ विस्तार	15.2.2016	पारेषण याचिका
415	टीटी / 495 / 2014	14.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तर क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 11 के अधीन संबद्ध बेज सहित 400केवी मेरठ-कैथल टीएल के 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	15.2.2016	पारेषण याचिका
416	286 / टीटी / 2013	30.10.2013	उत्तर प्रदेश विद्युत पारेषण निगम लि.	प्वाइंट आफ कनेक्शन, पारेषण प्रभार और हानियों की संगणना में 11 आस्तियों को शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता से संबद्ध प्राकृतिक अन्तरराज्यिक ईएचवी लाइन के लिए टैरिफ का अवधारण	15.2.2016	पारेषण याचिका
417	059 / एमपी / 2015	04.03.2015	एनटीपीसी लि.	टैरिफ के प्रयोजन के लिए विद्युत परियोजनाओं की पूंजी लागत के लिए कोयले के परिवहन के लिए (10.12.2012 की रेलवे बोर्ड नीति के अनुसार) अपेक्षित रेल बुनियादी ढांचे की क्षमता वृद्धि या रेल संबद्धता के समय से पूरा होने के लिए भारतीय रेलवे के माध्यम से उपगत व्यय पर विचार करने के लिए सिद्धांत: अनुमोदन की मांग करने वाली याचिका	15.2.2016	विविध याचिका
418	टीटी / 414 / 2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) चैन्नई	15.2.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			लि. (पीजीसीआईएल)	NTPC-TNEB JV TPS (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.8.2011) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन उत्तरी चैन्स्ट्री टीपीएस स्विचचार्ड में अलमाटी—श्रीपैराम्बूदूर 400 केवी डीसी लाइन के लीलो के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
419	टीटी / 195 / 2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में किशनपुर उपकेन्द्र में किशनपुर—पमपोर पारेषण लाइन 220 केवी डी/सी सर्किट 1 और 2 पर सीरीज कैपेसिटर्स के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	15.2.2016	पारेषण याचिका
420	टीटी / 278 / 2014	10.09.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में समन्वित आस्तियों के लिए अर्थात् आस्ती 1: I(132kV T/L S/C Nirjuli Dikrong T/L) और आस्ती 2: रंगानदी एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख आस्ती 1: 1.10.2001 और आस्ती II 2.3.2003) के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	15.2.2016	पारेषण याचिका
421	टीटी / 554 / 2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र 2 में करचमवांगटू एचईपी के लिए उत्तरी क्षेत्र ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन अब्दुल्लापुर और सोनीपत उपकेन्द्र में 400 केवी संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी अब्दुल्लापुर—सोनीपत टी/एल से संबद्ध 400 KV, 125 MVAR बस रिएक्टर के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	15.2.2016	पारेषण याचिका
422	041 / जीटी / 2015	29.01.2015	निपको	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए नीपको, शिलांग के असम	15.2.2016	उत्पादन याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				गैस आधारित पावर प्लांट (291MW) के टैरिफ का अनुमोदन		
423	टीटी/ 150 / 2014	17.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में चमेरा एचईपी स्टेज 2 पारेषण प्रणाली से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन चमेरा 2 में 400 केवी एससी चमेरा 1 किशनुपर पारेषण लाइन के लीलो के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	16.2.2016	पारेषण याचिका
424	245 / टीटी / 2014	26.08.2013	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि.	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 अर्थात् 1.कोटनीकला—अमरकंटक 2220 केवी लाइन 2. कोटनीकलां—अमरकंटक 2220 केवी लाइन 3. रायगढ़—बुद्धिपदर 220 केवी लाइन 4. कोरबा—बुद्धिपदर 220 केवी लाइन के अधीन प्वाइंट आफ कनेक्शन, पारेषण प्रभारों और हानियों की संगणना में इन आस्तियों को शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता से संबद्ध ईएचवी लाइनों के लिए पारेषण टैरिफ	16.2.2016	पारेषण याचिका
425	एमपी / 187 / 2014	04.08.2014	टाटा पावर ट्रेडिंग कम्पनी लि.	भूटान में दग्धाछू हाइड्रो पावर कारपोरेशन द्वारा विकसित की जा रही हाइड्रो उत्पादन परियोजना से विद्युत के आयात के लिए याचिकाकर्ता के लिए उचित आदेश / मार्गनिर्देश पारित करने के लिए माननीय केन्द्रीय आयोग की आसक्ति के लिए याचिका	16.2.2016	विविध याचिका
426	टीटी / 170 / 2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में 132 केवी एस/सी माऊ—बलिया पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	16.2.2016	पारेषण याचिका
427	120 / टीटी / 2015	27.04.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	थर्मल पावरटेक कारपोरेशन इण्डिया लि. की संयोजकता के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन	16.2.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			(पीजीसीआईएल)	नेल्लोर पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज विस्तार सहित नेल्लोर पूलिंग स्टेशन 400 केवी डीसी (क्वेद) लाइन के लिए थर्मल पावरटेक कारपोरेशन इण्डिया लि. के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूड़िंग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका		
428	टीटी / 447 / 2014	14.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूड़िंग अप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिण क्षेत्र में पारेषण लाइन के साथ बेज आदि के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	16.2.2016	पारेषण याचिका
429	टीटी / 527 / 2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	रामपुर एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पटियाला एवं लुधियाना एसएस में संबद्ध बेज सहित पटियाला व लुधियाना लाइन में आस्ती 2 400 केवी डीसी पटियाला–लुधियाना अस्ती 1 संबद्ध बेज सहित कैथल एसएस में पटियाला–हिसार लाइन के लीलो के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूड़िंग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	17.2.2016	पारेषण याचिका
430	टीटी / 503 / 2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में IX315 MVA 400/220 केवी में वापी उपकेन्द्र (पावर ग्रिड) में स्थापन के अधीन वापी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2013) में 400/220 केवी उपकेन्द्र में 400/220KV, I*315 MVA आटो ट्रांसफार्मर (ICT-III) के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूड़िंग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	17.2.2016	पारेषण याचिका
431	टीटी / 544 / 2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना X के अधीन बेज सहित (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2011) लखनऊ में 400 केवी	17.2.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				डीसी गोरखपुर-लखनऊ पारेषण लाइन पर आस्ती 2 30 प्रतिशत एफएससी एवं आस्ती 1 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.11.2010 से संबद्ध 400 केवी डीसी गोरखपुर लखनऊ पारेषण लाइन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्वाइंग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका		
432	टीटी/ 528 / 2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	चमेरा 2 प्रणाली के अधीन पूलिंग खाइट में 80 एमवीएआर बस रिएक्टर सहित रजेरा में 400 / 220 केवी जीआईएस पूलिंग स्टेशन, 400 केवी एससी चमेरा 2 पूलिंग स्टेशन पारेषा लाइन के अधीन 400 / 220KV 315 MVA ICT_I और 400 / 220KV 315 MVA ICT)II पारेषण लाइन के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्वाइंग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	17.2.2016	पारेषण याचिका
433	217 / टीटी / 2015	08.09.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्वाइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी इन्टर कनेक्टर 1 उत्तर पूर्व से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन बोंगेगांव उपकन्द्र उपकन्द्र 400 केवी और कामेंग एचईपी की पारेषण प्रणाली में फेज 3 बस रिएक्टर के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	18.2.2016	पारेषण याचिका
434	टीटी/ 492 / 2014	14.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में हसन और मैसूर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) के अधीन प्रणाली सुदृढीकरण 9 400 / 220 केवी का विस्तार और हसन-मैसूर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइ के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्वाइंग अप पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	18.2.2016	पारेषण याचिका
435	टीटी/ 494 / 2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन	उत्तरी क्षेत्र में (i) फरीदाबाद-समयपुर बेज सहित 220 केवी डी/सी पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	18.2.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			लि. (पीजीसीआईएल)	सी और (ii) फरीदाबाद गैस आधारित समन्वित साइक्ल पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज सहित फरीदाबाद-पल्ला पारेषण लाइन 220 केवी डी / सी 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ और 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए समन्वित आस्ती के लिए पारेषण टैरिफ के लिए अवधारण का अनुमोदन		
436	057 / टीटी / 2015	10.02.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	NRSS-XIII से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन 2014 पारेषण टैरिफ एवं 2009-14 ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	18.2.2016	पारेषण याचिका
437	टीटी / 444 / 2014	09.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.8.2011) में सिमहादरी 2 उत्पादन प्रोजेक्ट्स सहित पारेषण प्रणाली के अपी सिमहादरी 2 टीपीएस में वेमागिरी-गाजुवाका 400 केवी डी / सी लाइन में लीलो के लिए 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ और 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए समन्वित आस्ती के लिए पारेषण टैरिफ के लिए अवधारण का अनुमोदन	18.2.2016	पारेषण याचिका
438	200 / टीटी / 2015	04.08.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार के सचालन) विनियम 1999 के अधिनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 6 के अधीन अनुमोदन	19.2.2016	पारेषण याचिका
439	टीटी / 489 / 2014	14.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(NRSS-XXI) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2013) के अधीन रुड़की एसएस में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के	19.2.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				लिए दूँड़ग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
440	एमपी / 033 / 2014	24.02.2014	टाटा पावर डिल्ली वितरण लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 21 के अनुसार एनटीपीसी और डीवीसी द्वारा ब्यौरों के प्रस्तुत न करने के परिणामतः उत्पन्न विवाद	19.2.2016	विविध याचिका
441	टीटी / 559 / 2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: 765 केवी एससी मोगा-भिवानी पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2012) आस्ती 2: उत्तरी क्षेत्र पार्ट 1 के केन्द्रीय भाग के लिए 765 केवी प्रणाली से संबद्ध 765 केवी जटठीकला भिवानी पारेषण (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2012) के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूँड़ग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	19.2.2016	पारेषण याचिका
442	जीटी / 226 / 2014	24.08.2014	एनएचपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए टनकपुर पावर स्टेशन की टैरिफ याचिका और 1.4.2009 से 31.3.2014 टनकपुर पावर स्टेशन के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	19.2.2016	उत्पादन याचिका
443	212 / एमपी / 2015	30.07.2015	ग्रीनको एनर्जिस प्रा. लि.	श्रेणी 3 के लिए विद्युत व्यापार अनुज्ञित बढ़ाने के आवेदन	19.2.2016	विविध याचिका
444	एमपी / 462 / 2014	21.11.2014	एनटीपीसी-सैल पावर कम्पनी लि.	याचिका संख्या MP/053/2012 दिनांक 1.10.2014 के माननीय आयोग के आदेश के स्पष्टीकरण के लिए आवेदन	19.2.2016	विविध याचिका
445	153 / एमपी / 2015	08.06.2015	सासन पावर लि.	शपथपत्र सहित प्रचालनकारी अवधि के दौरान विधि कार्यक्रमों में परिवर्तन के लिए क्षतिपूर्ति की संगणना के लिए आवेदन	19.2.2016	विविध याचिका
446	102 / टीटी / 2015	09.04.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	(i) आस्ती 1: पटना उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 KV, 125 MVAR Bus reactor (ii) आस्ती 2: पूर्वी क्षेत्र में ERSS-IV के अधीन रांची में संबद्ध बेज सहित 400KV, 125 MVAR Bus reactor के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14	20.2.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ का अनुमोदन		
447	024 / टीटी / 2015	22.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	NRSS-XVII के अधीन संबद्ध बेज सहित (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2012) 400 केवी डीसी नीमराना-सीकर टी / एल 2014-19 की अवधि के लिए फीस व्यय प्रभार और 2009-14 के लिए ट्रॉइंग अप फीस व्यय प्रभार के अवधारण के लिए याचिका	22.2.2016	पारेषण याचिका
448	247 / टीटी / 2013	23.08.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ ब्लाक 2009-14 के लिए पूर्वी क्षेत्र में NR/WR में सिक्किम उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत के अन्तरण के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन आस्तियों (7 नम्बर) का पारेषण टैरिफ	22.2.2016	पारेषण याचिका
449	टीटी / 539 / 2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में एनएलसी स्टेज 2 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रॉइंग अप फीस व्यय प्रभार के अवधारण के लिए याचिका	22.2.2016	पारेषण याचिका
450	022 / टीटी / 2015	22.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ (IPP-G) में आईपीपी योजनाओं के लिए वर्धा-ओरंगाबाद कोरिडोर में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	22.2.2016	पारेषण याचिका
451	086 / टीटी / 2015	16.03.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर और बेज के अधीन 2 नम्बर 220 केवी लाइन बेज (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.11.2013) से संबद्ध मापूसा (ICT-III) उपकेन्द्र में 400/220KV, 1*315MVA ट्रांसफार्मर के स्थापन के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	22.2.2016	पारेषण याचिका
452	टीटी / 512 / 2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में IX100MVA ट्रांसफार्मर द्वारा रायबरेली (पावरग्रिड) में 220/132KV के वृद्धि के अधीन रायबरेली (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2011) से संबद्ध बेज और 220/132 KV	22.2.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				100MVA ICT के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका		
453	045 / जीटी / 2015	29.01.2015	निपको	1.4.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए नीपको, शिलांग के कोपीली रस्टेज 2 हाइड्रो इलैक्ट्रिक संयत्र ($1 \times 25 \text{ MW}$) के टैरिफ का अनुमोदन	22.2.2016	उत्पादन याचिका
454	टीटी / 479 / 2014	14.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2014–19 के लिए उत्तरी क्षेत्र में टनकपुर पारेषण प्रणाली (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 5.3.1992) के पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	22.2.2016	पारेषण याचिका
455	टीटी / 490 / 2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 7 के अधीन उत्तरी उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 7 से संबद्ध वगूरा एसएस में आस्ती 2: 4जी $400/220\text{KV}, 315 \times 04\text{MVA}$ ICT एवं आस्ती 1: उत्तरी उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 7 से संबद्ध लुधियाना एसएस में 315 एमवीए आईसीटी के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	22.2.2016	पारेषण याचिका
456	टीटी / 406 / 2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) परिचमी क्षेत्र में कोरबा 3 पारेषण प्रणाली के अधीन 400केवी डी/सी कोरबा–रायपुर पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.7.2011) के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	22.2.2016	पारेषण याचिका
457	114 / टीटी / 2015	07.05.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड भाग 2 के केन्द्रीय भाग के लिए 765 केवी प्रणाली से संबद्ध पारेषण आस्तियों (गुप्त 1) के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	22.2.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
458	टीटी/396/2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	परिश्वमी क्षेत्र में WRSS-X पारेषण प्रणाली के अधीन आस्तियों के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूँझंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	23.2.2016	पारेषण याचिका
459	टीटी/417/2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	क. 400 केवी सिमपुरी और मीनाक्षी नैल्लोर डीसी ब्यैद लाइन के लीलो ख. दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के कृष्णपटनम क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजना के लिए नैल्लोर पूलिंग स्टेशन में सामान्य प्रणालियां और संबद्ध बेज (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2013) 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूँझंग अप पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	23.2.2016	पारेषण याचिका
460	टीटी/549/2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में एसआर ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण VII के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूँझंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	23.2.2016	पारेषण याचिका
461	टीटी/557/2014	26.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) संबद्ध बेज सहित 400KV D/C RAPP-Kankroli transmission (ii) कंकरौली उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 50 एमवीएआर बस रिएक्टर (iii) 80 एमवीएआर बस रिएक्टर और समन्वित घटक 2 सहित 400 KV S/C RAPP_Kota line (i) कंकरौली उपकेन्द्र में 220 केवी लाइन 2नम्बर के संबद्ध बेज सहित 400/220 KV 315 MVA ICT-II (ii) कंकरौली उपकेन्द्र में 220 केवी लाइन 2नम्बर के संबद्ध बेज सहित 400/220 KV 315 MVA ICT-II (iii) उत्तरी क्षेत्र में आरएपीपी 5 और 6 (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2009) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन कोटा एवं कंकरौली उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित कंकरौली उपकेन्द्र में कोटा उपकेन्द्र और आईसीटी 3 में आईसीटी 2 और 400/220 KV 315	23.2.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				MVA ICT-I 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूँझंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
462	018 / टीटी / 2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूँझंग अप पारेषण टैरिफ और उत्तरी क्षेत्र में चमेरा 3 इच्छीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन जीआईएस पूलिंग स्टेशन चंबा-चमेरा 3 इच्छीपी (आस्ती 1) से 220 कंवी डी/सी टी/एल के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	23.2.2016	पारेषण याचिका
463	जीटी / 453 / 2014	14.12.2014	उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लि.	नीपको, शिलांग के अगरतला गैस टरबाइन पावर प्लांट (84 मेगावाट) के संबंध में 2009-10 से 2013-14 अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूर्जी व्यय सहित पूर्जी व्यय के संबंध में 2009-14 की अवधि के लिए दूँझंग अप कार्य को पूरा करने के लिए 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन	23.2.2016	उत्पादन याचिका
464	044 / जीटी / 2015	29.01.2015	निपको	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए नीपको, शिलांग की अगरतला गैस टरबाइन पावर प्लांट (84 मेगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन	23.2.2016	उत्पादन याचिका
465	073 / टीटी / 2015	18.02.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-XXII के 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूँझंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	23.2.2016	पारेषण याचिका
466	जीटी / 230 / 2014	24.08.2014	एनएचपीसी लि.	धौलीगंगा पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 के लिए टैरिफ याचिका और 2009-14 की अवधि के लिए एफसी का दूँझंग अप के लिए टैरिफ याचिका	24.02.2016 के आदेश और 26.04.2016 के शुद्धिपत्र द्वारा निपटाया गया	उत्पादन याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
467	147 /टीटी/ 2015	02.06.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XVIII के अधीन होसूर में मौजूद बंगलौर-सलेम 400 केवी एससी लाइन के लिए लीलो के लिए टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और टैरिफ ब्लाक 2009-14 के लिए पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	24.2.2016	पारेषण याचिका
468	100 /टीटी/ 2015	09.04.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) आस्ती 1: आगरा-ग्वालियर उपकेन्द्र में 400 केवी बेज सहित 765 केवी ग्वालियर-आगरा पारेषण लाइन सर्किट 2 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2009) आस्ती 2: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी जैरदा कंकरौली लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.5.2009) को शामिल करते हुए पश्चिमी व उत्तरी क्षेत्र दोनों में उत्तर-पश्चिमी कोरिडोर सुदृढ़ीकरण योजना (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.5.2009 से प्रभावी) से संबद्ध पारेषण प्रणाली की समन्वित आस्ती के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	24.2.2016	पारेषण याचिका
469	टीटी/ 400 / 2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान उपकेन्द्र 400 केवी में 125 एमवीएआर की स्थापना के अधीन राजगढ़ उपकेन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2012) से संबद्ध बेज सहित राजगढ़ उपकेन्द्र 400 / 220 केवी में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ती के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	24.2.2016	पारेषण याचिका
470	297 /टीटी/ 2015	30.11.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ (i) आस्ती का लीलो (ii) आस्ती ख (iii) आस्ती ग मैथन के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम	24.2.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				2014 और केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविआ (सीएणडबी) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन		
471	टीटी/484/2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पर्वा क्षेत्र में नबीनगर टीपीएस के लिए तत्काल निकासी प्रणाली से संबंधित पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए दूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	25.2.2016	पारेषण याचिका
472	010/टीटी/2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 6 के अधीन पारेषण आस्ती के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए दूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	25.2.2016	पारेषण याचिका
473	032/टीटी/2013	22.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में 2009-14 टैरिफ ब्लाक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र पारेषण सुदृढ़ीकरण योजना के लिए पारेषण टैरिफ	Feb 26, 2016	पारेषण याचिका
474	063/टीटी/2015	10.02.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	NRSS-XV से संबद्ध पारेषण लाइन के लिए समन्वित आस्ती के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के अवधारण के लिए अनुमोदन	25.2.2016	पारेषण याचिका
475	टीटी/450/2014	01.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: गया उपकेन्द्र में 765 केवी एस/सी गया—बलिया पारेषण लाइन के लिए 3X80 MVAR स्विचएबल लाइन रिएक्टर आस्ती 2: बस रिएक्टर के रूप में रांची उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765 केवी एस/सी रांची धरमजयगढ़ पारेषण लाइन के लिए 3X80MVAR स्विचएबल लाइन रिएक्टर आस्ती 3: झारखण्ड और पश्चिम बंगाल भाग ए-2 में फेज 1 उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन बस रिएक्टर के रूप में गया उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित वाराणसी पारेषण लाइन—765 केवी एस/सी गया के लिए 3X80 MVAR स्विचएबल लाइन रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक	26.2.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन		
476	191 / टीटी / 2015	30.07.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	लुधियाना (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2011) में आस्ती 2 और मंडोला में आस्ती1 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.11.2010) के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ	26.2.2016	पारेषण याचिका
477	004 / टीटी / 2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(क) दोनों सर्किटों के लीलो के रोजा पावर के लिए व्यवस्था करने के लिए 400केवी डी/सी बरेली–लखनऊ टी/एल सीकेटी के भाग में 15.5 किलोमीटर लूप (ख)उत्तरी क्षेत्र में NRTSS के अधीन भिवाड़ी में 315 MVA 400/220 KV ICT के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण की याचिका	26.2.2016	पारेषण याचिका
478	टीटी / 426 / 2014	23.11.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में विध्याचल स्टेज 2 पारेषण प्रणाली के अधीन आस्ती के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	26.2.2016	पारेषण याचिका
479	003 / टीटी / 2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में कोलडम हाइड्रो–इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	25.2.2016	पारेषण याचिका
480	टीटी / 565 / 2014	31.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(क) आस्ती 1: पटियाला से संबद्ध बेज नालागढ़–कैथल लाइन के लीलो (ख) आस्ती 2: पटियाला उपकेन्द्र में 400/220KV 500 MVA ICT-III (ख) आस्ती 3: पटियाला उपकेन्द्र में बेज से संबद्ध पटियाला उपकेन्द्र में 400KV 125MVAR बस रिएक्टर (ग)आस्ती 4: (NRSS-XIV) उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-XIV के अधीन मलेरकोटला उपकेन्द्र में 400/220 KV 500 MVA	29.2.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				ICT-III के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
481	टीटी/502/2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: वर्धा (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2012) में बे सहित 400केवी डी/सी मौड़ा-वर्धा लाइन (Ckt-I) आस्ती 2: पश्चिमी क्षेत्र में मौड़ा पारेषण प्रणाली के अधीन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2012) वर्धा में बेज सहित 400 केवी डी/सी मौड़ा-वर्धा लाइन (Ckt-II) के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप के अवधारण के लिए याचिका	29.2.2016	पारेषण याचिका
482	225/टीटी/2015	29.09.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में सिपत 2 के अधीन आस्ती के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (व्यापार संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टी और सी टैरिफ) विनियम 2009 के विनियम 6 के अधीन अनुमोदन	29.2.2016	पारेषण याचिका
483	टीटी/504/2014	13.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 10 के अधीन पारेषण आस्ती के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.2.2016	पारेषण याचिका
484	टीटी/511/2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिणी क्षेत्र में तलचर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2011) एचवीडीसी टर्मिनल (कोलार और तलचर दोनों में एक-एक) और कोलार (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2011) में द्वितीय स्पेयर कनवर्टर ट्रांसफार्मर के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.2.2016	पारेषण याचिका
485	टीटी/530/2014	15.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन	आस्ती 1: रंगपो-न्यू मेली लाइन 220केवी डी/सी बस कपलर बे 1	29.2.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			लि. (पीजीसीआईएल)	संख्या सहित रंगपो एवं न्यू मेली में संबद्ध बेज और 220 केवी डी/सी रंगपो—नई दिल्ली लाइन आस्ती 2: नई दिल्ली और संबद्ध बेज में 1 संख्या 31.5 एमवीएआर बस रिएक्टर (फस्ट) आस्ती 3: न्यू मेली और संबद्ध बे में 1 संख्या 31.5 एमवीएआर बस रिएक्टर (सेकेण्ड) आस्ती 4: बस रिएक्टर के रूप में पटना उपकेन्द्र में 400केवी डी/सी पटना किशनगंज लाइन के सीकेटी 1 का 63 एमवीएआर लाइन रिएक्टर आस्ती 5: पूर्वी क्षेत्र में to NR/WR को सिविकम में उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत के अंतरण के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन बस रिएक्टर के रूप में पटना उपकेन्द्र में 400केवी डी/सी पटना किशनगंज लाइन के सीकेटी 2 के 63 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के लिए याचिका		
486	टीटी/505/2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: 400 / 220केवी जालंधर (पावरग्रिड) उपकेन्द्र—1 नम्बर 400 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर का विस्तार आस्ती 2: 400 / 220 केवी अमृतसर (पावरग्रिड) उपकेन्द्र 400केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर का विस्तार आस्ती 3: 400 / 220केवी हिसार (पावरग्रिड) उपकेन्द्र 400केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर का विस्तार आस्ती 4: 400 / 220केवी नालागढ़ (पावरग्रिड) उपकेन्द्र 400केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर का विस्तार उत्तर पूर्व में उत्तरी क्षेत्र बस रिएक्टर योजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली की समन्वित आस्तियों के लिए 2014 –19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए दूझे अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.2.2016	पारेषण याचिका
487	टीटी/181/2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	(क)आस्ती 1: 220केवी इलाहाबाद—रेवा रोड़ डी/सी पारेषण लाइन सीकेटी 1 ख. 220 केवी मोदीपुरम	29.2.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			(पीजीसीआईएल)	नारा पारेषण लाइन के लीलो सीकेटी 2 कम्पनी 220केवी इलाहाबाद-रेवा रोड डी/सी पारेषण लाइन ग. 220 केवी मोदीपुरम सिमभोली पारेषा लाइन का लीलो और ड अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2014 से 220 केवी इलाहाबाद फूफुर एस/सी पारेषण लाइन और आरस्टी 2: उत्तर क्षेत्र में यू०पी० में 220केवी प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2006) 220केवी एस/सी मेरठ शताब्दी नगर पारेषण लाइन को शामिल करते हुए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
488	टीटी/ 245 / 2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(क) नेल्लोर पूलिंग स्टेशन और कुरनूल उपकेन्द्र तथा (ख) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए आन्ध्र प्रदेश के कृष्णपटनम क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजनाओं के संबंध में सामान्य प्रणाली के अधीन नेल्लोर-कुरनूल 765केवी लाइन के दोनों सर्किटों के अंत में कुरनूल में और एक सर्किट के अंत में नेल्लोर में 240MVAR 765KV line reactor के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	29.2.2016	पारेषण याचिका
489	टीटी/ 096 / 2014	23.05.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में कृष्णपटनम यू०पी० पार्ट बी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन सोलापुर एसएस में बस रिएक्टर के रूप में 765केवी एस/सी सोलापुर-पुणे टीएल प्रभारों के लिए 240 एमवीएआर, 765केवी लाइन रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रणाली की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	29.2.2016	पारेषण याचिका
490	288 / टीएल / 2015	26.11.2015	छत्तीसगढ़-पश्चिमी क्षेत्र पारेषण लि.	छत्तीसगढ़-पश्चिमी क्षेत्र पारेषण लि. को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने से संबद्ध केविविआ (पारेषण	29.2.2016	व्यापार अनुज्ञाप्ति



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				अनुज्ञाप्ति और अन्य संबंधित मामले प्रदान करने के लिए शर्तें और प्रक्रिया) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 में पठित के अधीन आवेदन		
491	टीटी / 546 / 2014	26.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: रुड़की उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2009) रुड़की में 400केवी ऋणिकेश मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के लीलो आस्ती 2: रुड़की उपकेन्द्र में (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2009) में संबद्ध बेज सहित 315 MVA 400/ 220 KV ICT-I आस्ती 3: उत्तरी क्षेत्र में रुड़की में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना से संबद्ध रुड़की उपकेन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2010) में संबद्ध बेज सहित 315 MVA 400/ 220 KV ICT-II 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.2.2016	पारेषण याचिका
492	287 / टीएल / 2015	26.11.2015	रायपुर—राजनंदगांव—वरौरा पारेषण लि.	रायपुर—राजनंदगांव—वरौरा पारेषण लि. को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने से संबद्ध में केविविआ(पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 9 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन आवेदन	29.2.2016	व्यापार अनुज्ञाप्ति
493	160 / एमपी / 2013	29.08.2013	अरावली पावर कम्पनी लि.	झज्जर में याचिकाकर्ता के इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से विद्युत के प्रेषण और अनुसूचीकरण	29.2.2016	विविध याचिका
494	241 / टीटी / 2013	09.07.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	220 केवी वापी—खदोली पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ	29.2.2016	पारेषण याचिका
495	110 / टीटी / 2013	13.05.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	एनआरएसएस के अधीन अन्य आस्ती और 400 / 220 केवी बेज सहित 400 / 220 केवी 500 एमवीए आईसीटी 2 के लिए पारेषण टैरिफ	29.2.2016	पारेषण याचिका
496	20 / एमपी / 2016	11.02.2016	लेनको कॉलापल्ली पावर लि.	केविविआ (सी एं बी) विनियम 1991 के विनियम 111 और 116 यथासंशोधित केविविआ (अन्तरराजिक पारेषण में	29.2.2016	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के अन्य लागू उपबंधों और धारा 79,r/w 8.7)b) के अधीन याचिका		
497	001 / एसएम / 2016	24.02.2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	केविविआ (सहायक सेवाओं का प्रचालन) विनियम 2015 के अधीन विनियम सेवाओं की डीलीवरी के लिए मार्कअप का अवधारण	29.2.2016	स्वप्रेरणा याचिका
498	002 / टीटी / 2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 3 के अधीन फतेहबाद उपकेन्द्र 400 / 220 केवी में बेज सहित 400 / 220 केवी आईसीटी 2 के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.2.2016	पारेषण याचिका
499	116 / जीटी / 2013	01.04.2013	टीएचडीसी इण्डिया लि. टीएचडीसीआईएल	कोटेभवर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	7.3.2016	उत्पादन याचिका
500	081 / एमपी / 2013	26.04.2013	जीएमआर कमलंगा एनर्जी लि.	प्रचालन अवधि के दौरान राजस्व और लागत को प्रभावित करने वाले विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति	7.3.2016	विविध याचिका
501	टीटी / 551 / 2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण 11 के अधीन पारेषण आस्ती के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	7.3.2016	पारेषण याचिका
502	049 / जीटी / 2015	17.02.2015	टीएचडीसी इण्डिया लि. टीएचडीसीआईएल	2011-2014 (ट्रूइंग अप) की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	7.3.2016	उत्पादन याचिका
503	034 / टीटी / 2013	11.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	NRSS-XVI में न्यू वनपोह और अन्य तत्वों में बेज सहित टी/एल किशनपुर वगूरा डी/सी के लिए पारेषण टैरिफ	9.3.2016	पारेषण याचिका
504	289 / टीएल /	26.11.2015	सिपत पारेषण लि.	सिपत पारेषण लि. को पारेषण	7.3.2016	व्यापार



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
	2015			अनुज्ञाप्ति प्रदान करने से संबद्ध केविविआ (पारेषण अनुज्ञाप्ति और अन्य संबंधित मामले प्रदान करने के लिए शर्तें और प्रक्रिया) विद्युत अधिनियम 2009 की धारा 14 में पठित के तहत आवेदन		अनुज्ञाप्ति
505	029/आरसी/2015	24.09.2015	हिमाचल बसपा पावर कम्पनी लि.	हिमालच बास्पा पावर कम्पनी लि. के साथ जयप्रकाश पावर वैंचर्स के प्रतिस्थापन की मांग का विनियामक अनुपालन आवेदन	9.3.2016	विनियामक अनुपालन
506	एमपी/013/2014	03.02.2014	उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लि.	पूर्ववर्ती वर्षों के ऊर्जा प्रभार कमी तक ईसीआरके संगणना के लिए परवर्ती वर्षों के लिए ऊर्जा डिजाइन के संशोधन तथा 2009–14 की अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभार कमी की वसूली की स्वीकृति के लिए याचिका की सेवा का प्रमाण रंगनदी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट के लिए किया गया है जहां वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा उत्पादित वास्तविक ऊर्जा उत्पादन कम्पनी (नीपको) के नियंत्रण के बाहर कारणों के लिए अनुमोदित ऊर्जा डिजाइन से कम है।	8.3.2016	विविध याचिका
507	007/टीटी/2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में WRSS IX योजना के अधीन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2011) 220केवी और 400केवी बेज सहित 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	11.3.2016	पारेषण याचिका
508	टीटी/391/2014	09.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कामेंग एचईपी की पारेषण प्रणाली और उत्तरी/पश्चिमी इन्टरकनेक्टड-1-उत्तर पूर्व के अधीन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.07.2012) बेज सहित मीसा उपकेन्द्र में 315 MVA, 400/220KV ICT II के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	11.3.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
509	18/आरपी/2015	24.07.2015	नेवेली लिंगनाइट कार्पोरेशन लि.	आयोग द्वारा पारित याचिका संख्या 197 / जीटी/2013 तारीख 10 जुलाई, 2015 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग	14.3.2016	पुनरीक्षण याचिका
510	001/टीटी/2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में SEWA-II एचईपी (समन्वित तत्व) से संबद्ध पारेषण प्रणाली 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	14.3.2016	पारेषण याचिका
511	टीटी/179/2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में भिवाड़ी पारेषण प्रणाली में ICT-I और ICT-II और बल्लभगढ़–बरसी 400 केवी एससी लाइन के लीलो के साथ 400/220 केवी भिवाड़ी एसएस के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	14.3.2016	पारेषण याचिका
512	टीटी/301/2013	06.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	1) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2013) बेज सहित 765केवी इंदौर एस/एस में 400केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर 2) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2013) बेज सहित 765केवी ग्वालियर एस/एस में बस रिएक्टर-2 और 400केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर-1 3) (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2014) से संबद्ध बेज और 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरस के साथ 765केवी जबलपुर पूलिंग–बीना सीकेटी-1 4) 2009–14 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में ओडीसा पार्ट–सी में फेज-1 उत्पादन परियोजना के अधीन (अनुमानित वाणिज्यिक प्रणाली की तारीख 1.3.2014) बेज सहित और 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरस सहित 765केवी डी/सी जबलपुर पूलिंग स्टेशन–बीना सीकेटी-2 के लिए पारेषण टैरिफ	14.3.2016	पारेषण याचिका
513	टीटी/177/2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी	14.3.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			लि. (पीजीसीआईएल)	क्षेत्र में जनधर-हमीरपुर डी/सी पारेषण लाइन बैज सहित 220केवी के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
514	एमपी/311/ 2014	18.11.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए विनियामक की मंजूरी और दरलीपल्ली टीपीएस से विद्युत की तत्काल निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के लिए दीर्घकालिक पहुंच करार के हस्ताक्षर का अनुमोदन	14.3.2016	विविध याचिका
515	जीटी/518/ 2014	10.12.2014	उड़ौपी ऊर्जा निगम लि.	11.11.2010 से 31.03.2014 दूइंग अप एक्सरसाइज के बाद उड़ौपी थर्मल पावर स्टेशन के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन	14.3.2016	उत्पादन याचिका
516	टीटी/174/ 2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में आगरा (पावर ग्रिड)–आगरा (UPPCL) 400 KV D/C Interconnection के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	14.3.2016	पारेषण याचिका
517	टीटी/193/ 2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए दूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में इलाहाबाद से संबद्ध बैज में ICT-II और सिंगरोली–कानपुर लाइन 2 ICT-I सहित लीलो और इलाहाबाद में एससी सिंगरोली लाइन 1 400केवी उपकेन्द्र के लीलो के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	14.3.2016	पारेषण याचिका
518	टीटी/522/ 2014	14.12.2014	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोस्टोको	1.4.2009 से 31.03.2014 नियंत्रण अवधि के लिए WRLDC प्रभारों के लिए केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 2011 के साथ पठित केविआ (आरएलडीसी के फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 5 के अधीन दूइंग अप आवेदन	14.3.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
519	टीटी/478/2014	14.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 19 के अधीन कैथल उपकेन्द्र में 80 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	14.3.2016	पारेषण याचिका
520	टीटी/501/2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में WRSS VII पारेषण योजना के अधीन संबद्ध बेज (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.11.2010) से संबद्ध देहगांव में IX125 MVAR Bus Reactor और संबद्ध बेज (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2010) संबद्ध बेज सहित खंडवा में आस्ती IX125 MVAR Bus Reactor के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	14.3.2016	पारेषण याचिका
521	279/आरसी/2015	30.09.2015	पावर एक्सचेंज इण्डिया लि. पीएक्सआईएल	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 के विनियम 8(2) के अनुसार विनियम अनापत्ति प्रमाण पत्र/पूर्व स्थायी विलयरेस जारी करने के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र को निर्देशों के लिए याचिका	10.3.2016	विनियामक अनुपालन
522	टीटी/194/2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में कानपुर में लीलो 220 केवी एस पंकी-नौबस्ता पारेषण लाइन के साथ बेज आदि के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	14.3.2016	पारेषण याचिका
523	एमपी/005/2014	17.01.2014	बिजली विभाग गोवा सरकार	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 110, 111, 112, 113 और 15 तथा केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के विनियम 21 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(i) [®] and 79(i)(k) के अधीन याचिका	14.3.2016	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
524	टीटी/ 524 / 2014	17.12.2014	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोसोको	1.4.2009 से 31.03.2014 नियंत्रण अवधि के लिए एनएलडीसी प्रभारों के लिए केविविआ (आरएलडीसी की फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के अधीनियम 5 के अधीन ट्रूइंग अप आवेदन	14.3.2016	पारेषण याचिका
525	टीटी/ 097 / 2014	23.05.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ ब्लाक 2009–14 अवधि के लिए छत्तीसगढ़ (आईपीपीसी) में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय भाग सहित छत्तीसगढ़ में पूलिंग केन्द्रों के समेकन के अधीन वर्धा एसएस बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित की जाने वाली 765KV D/C रायपुर पीएस—वर्धा लाइन 1 Ckt#2 के लिए 3X110 MVAR के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक अवधारण टैरिफ का अनुमोदन	14.3.2016	पारेषण याचिका
526	टीटी/ 298 / 2013	06.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से NER/SR/WR और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात एवं पश्चिमी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए पूर्वी क्षेत्र और सामान्य योजना के माध्यम से NER/SR/WR और पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा आयात, उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 765केवी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना के अंतर्गत रघुनाथपुर टीपीएस रांची पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2013) के लिए 400केवी रांची एस/एस में 2 संख्या 400 केवी लाइन बेज का पारेषण टैरिफ	14.3.2016	पारेषण याचिका
527	टीटी/ 496 / 2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आरस्टी (i) : अमृतसर उपकेन्द्र में बेज 1 और 2 220 केवी वरपल फीडर और अमृतसर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित जालधर एवं अमृतसर आईसीटी 1 में संबद्ध बेज 400 केवी एस/सी जालधर—अमृतसर (ii) संबद्ध बेज सहित गोरखपुर में 315 एमवीए 400/220 के लिए आईसीटी (2 नम्बर 220 केवी लाइन बेज सहित) और (iii) उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण	14.3.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				योजना (पहले तला अनुपूरक योजना) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन बहादुरगढ़ एसएस में 220 केवी नूना माजरा फीडर बेज एवं बहादुरगढ़ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित बहादुरगढ़ 315 एमवीए आईसीटी-1 में संबद्ध बेज सहित बवाना-भिवानी लाइन का लीलो की समन्वित आस्तियों के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्रौंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
528	069 / एमपी / 2015	02.03.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	संबद्ध पारेषण प्रणाली के निशादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने और NKSTPP से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के लिए दीर्घकालिक पहुंच करार के हस्ताक्षर के लिए निर्देश हेतु याचिका	9.3.2016	विविध याचिका
529	013 / टीटी / 2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्रौंग अप पारेषण टैरिफ और (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.7.2010) उत्तरी क्षेत्र के पूर्व-पश्चिम कोरिडोर (समन्वित आस्तियों) की पारेषण क्षमता की वृद्धि से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	14.3.2016	पारेषण याचिका
530	300 / टीएल / 2015	07.12.2015	वेमागिरी- II पारेषण लि.	वेमागिरी 2 पारेषण लि. के लिए पारेषण अनुज्ञाप्ति के संबंध में केविविआ (पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन आवेदन	14.3.2016	व्यापार अनुज्ञाप्ति
531	014 / टीटी / 2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्रौंग अप पारेषण टैरिफ और (प्रभावी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 10.11.2009) (NRSS-VIII) उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-VIII से संबद्ध समन्वित आस्ती के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण की याचिका	15.3.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
532	205 / जीटी / 2013	17.12.2013	एनटीपीसी लि.	रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (1000 मेगावाट) का अवधारण टैरिफ	14.3.2016	उत्पादन याचिका
533	19 / एमपी / 2016	03.02.2016	उत्तर-पूर्व इंटरकनेक्शन कम्पनी लि. और एक अन्य	(i) बॉर्गईगांव सिलिगुड़ी 217.417 kms की लम्बाई 400 केवी क्वेड डी/सी पोरेषण लाइन और (ii) 209.893 किलोमीटर लम्बाई वाली 400 केवी क्वेड डी/सी पोरेषण लाइन पूरनेकट बिहारशरीफ वाली उत्तरी क्षेत्र द्वारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र अधिशेष विद्युत के आयातों की पारेषण परियोजना के लिए डिवेंचर होल्डर/डिवेंचर ट्रस्टी/ऋणदाता के लाभ के लिए परियोजनाओं आस्तियों पर दृष्टिबंधक/निर्दिष्ट करने के माध्यम से भावी पुनरवित संव्यवहारों के लिए डिवेंचर नियास विलेख और अन्य प्रतिभूति सृजित करने वाले दस्तावेंजों के अनुसरण में डिवेंचर ट्रस्टी/ऋणदाता के पक्ष में याचिकाकर्ता की सभी अचल और चल आस्तियों पर प्रतिभूति व्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	14.3.2016	विविध याचिका
534	057 / टीटी / 2013	08.02.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	मुन्द्रा यूएनपीपी के प्रादेशिक प्रणाली से संबद्ध 400 केवी डीसी नवसारी-न्यू मुम्बई (बोएसार) और अन्य आस्तियों के लिए पारेषण टैरिफ	15.3.2016	पारेषण याचिका
535	37 / आरसी / 2016	03.03.2016	राजस्थान अक्षय ऊर्जा एनर्जी निगम लि.	समय-समय से यथासंशोधित केविविआ (पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 14(2) के अधीन राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा कारपोरेशन द्वारा आवेदन	16.3.2016	विनियामक अनुपालन
536	166 / टीटी / 2013	23.08.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(1) रैगर पीएस (नजदीक कोटरा)-रायपुर पीएस (नजदीक तमनार) 765 केवी डी/सी टी/एल से संबद्ध (2) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़	17.3.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				(Set B/ WRI-IPPB) आईपीपी उत्पादन परियोजना के लिए रैगर (नजदीक कोटरा) और रैगर (नजदीक तमनार) में पूलिंग स्टेशन की स्थापना के अधीन से संबद्ध बेज रैगर (नजदीक तमनार) में 765 KV 4*80 MVAR बस रिएक्टर के पारेषण टैरिफ के लिए अनुमोदन		
537	151 / टीटी / 2015	08.06.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	आस्ती 1: टिहरी पूलिंग प्वाइंट (कोटेश्वर)–मेरठ 765 KV 2* एस/सी लाइनों (400 केवी पर प्रभारित) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2012) पर मेरठ (विस्तार) में 50 प्रतिशत सीरीज क्षतिपूर्ति को शामिल करते हुए उत्तरी क्षेत्र में कोटेश्वर एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के समन्वित आस्तियों के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	17.3.2016	पारेषण याचिका
538	टीटी / 142 / 2015	22.05.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-VIII के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन राउरकेला और संबद्ध बेज में 125 MVAR Reactor की संख्या 1 आस्ती 1 के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 की पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	18.3.2016	पारेषण याचिका
539	021 / टीटी / 2015	22.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी पश्चिमी पारेषण कॉरिडोर सुदृढ़ीकरण योजना के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	18.3.2016	पारेषण याचिका
540	184 / टीटी / 2013	13.09.2013	अदानी पावर लि.	(i) संबद्ध उपकेन्द्रों, बेज इलैक्ट्रो लाइन और संबद्ध 400 केवी लाइन से संबद्ध + 500KV मुन्द्रा मोहन्दरगढ़ एचवीडीसी बाइपोल पारेषण लाइन (ii) पारेषण अनुज्ञित प्रदान करने की तारीख	18.3.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				से 31.3.2014 तक नियंत्रण अवधि 2009–14 के लिए संबद्ध प्रणाली सहित 400 केवी डीसी मुन्द्रा देहगांव पारेषण लाइन के लि पारेषण टैरिफ		
541	113 / टीटी / 2013	15.05.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में विद्युताचल IV क III (1000MW) से संबद्ध अन्य आस्तियों एवं 400 KV 1x63 MVAR Bus Reactor के लिए पारेषण टैरिफ	18.3.2016	पारेषण याचिका
542	028 / टीटी / 2015	22.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(NRSS-XII) उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-XII 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	18.3.2016	पारेषण याचिका
543	टीटी / 171 / 2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) 1.4.2014 से 31.3.2019 के लिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अगरतला जीबीपीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	18.3.2016	पारेषण याचिका
544	टीटी / 305 / 2013	21.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं की अनुपूरक पारेषण योजना के अवीन संबद्ध बेज सहित (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2014) धरमजयगढ़ में 765/400 KV, 1X1500 MVAS, ICT-2 के लिए पारेषण टैरिफ	17.3.2016	पारेषण याचिका
545	015 / टीटी / 2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(NRSS-XII) उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-XII 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	18.3.2016	पारेषण याचिका
546	037 / टीटी / 2013	18.01.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी ग्रिड भाग 2 के केन्द्रीय भाग के लिए 765 केवी प्रणाली से संबद्ध पारेषण आस्तियों (समूह 4) के लिए पारेषण टैरिफ	18.3.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
547	012 / टीटी / 2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वो क्षेत्र में फरक्का 1 और 2 एसटीपीएस से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	18.3.2016	पारेषण याचिका
548	टीटी / 532 / 2014	15.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: निर्जली उपकेन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 30.05.2014) में 1X16MVA, 220/132KV ICT और आस्ती 2: एनईआर में टैरिफ ब्लाक अवधि 2014-19 के लिए एनईआर में रिएक्टर और स्केयर ट्रांसफार्मर के उपबंध के अधीन बलीपुरा उपकेन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.04.2014) में 1X63MVAR, 420KV Bus reactor के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	18.3.2016	पारेषण याचिका
549	टीटी / 048 / 2014	05.03.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(1) जबलपुर 765/400 केवी पीएस से संबद्ध 400 KV 125 MVAR बस रिएक्टर-1 (2) जबलपुर 765/400 केवी पीएस से संबद्ध 400 KV 125 MVAR बस रिएक्टर-2 (3) जबलपुर 765 केवी 3*80 एमवीएआर से संबद्ध 400 KV 125 MVAR बस रिएक्टर-1 (4) जबलपुर पीएस में संबद्ध 765 केवी 3*80+1*80(spare) MVAR Bus Reactor-2 (5) जबलपुर 3*500MVA, 765/400 KV ICT-2+1*500 MVA (6) Ck#1 और Ck#2 धरमजयगढ़ के लिए जबलपुर 765/400 KV PS में बस रिएक्टर के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला 6*80 MVAR, 765 KV लाइन रिएक्टर (7) रांची सिपत लाइन के धरमजयगढ़ में संबद्ध बेज सहित भाग में लूप (8) संबद्ध बेज सहित धरमजयगढ़ में बस रिएक्टर 1 765KV, 3*110MVAR (9) रांची सिपत लाइन के धरमजयगढ़ में संबद्ध बेज सहित लूप आउट भाग (10) पारेषण के अधीन संबद्ध बेज	18.3.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				सहित धरमजयगढ़ एस/एस में 765KV, 3*110 MVAR के लिए पारेषण टैरिफ		
550	टीटी/498/2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में रूपांतरण क्षमता और रिएक्टिव क्षतिपूर्ति की वृद्धि के अधीन बिहारशरीफ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 125 MVAR 400KV बस रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 के अवधारण का अनुमोदन	18.3.2016	पारेषण याचिका
551	टीटी/178/2014	25.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिण क्षेत्र में पारेषण लाइन के साथ बेज आदि के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	18.3.2016	पारेषण याचिका
552	टीटी/025/2014	19.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	दक्षिण क्षेत्र में टूटीकोरिन क्षेत्र-भाग ख में कोस्टल एनरजन प्रा. लि. एवं इण्ड-भारत पावर (मद्रास) लि. एलटीओए उत्पादन परियोजनाओं से संबद्ध सामान्य प्रणाली से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन सलेम 400/220 केवी मौजूदा उपकेन्द्र (आस्ती 1) में बे विस्तार और सलेम में (400केवी पर प्रारंभिक रूप से प्रभारित) नए 765/400 केवी पूलिंग स्टेशन सहित 400केवी सलेम पूलिंग स्टेशन सलेम 400केवी डी/सी क्वेद लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ का अवधारण	18.3.2016	पारेषण याचिका
553	टीटी/029/2014	22.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	टैरिफ ब्लाक 2009–14 के लिए दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण क्षेत्र 14 में प्रणाली सुदृढ़ीकरण से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन सोमनहाली उपकेन्द्र (आस्ती 1) तथा धरमपुरी (सलेम न्यू) में सोमनहाली 400 केवी डीसी क्वेद लाइन–400 केवी धरमपुरी (सलेम न्यू) के लिए वाणिज्यिक	18.3.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ का अवधारण		
554	टीटी/491/2014	12.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	बैरासूली परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए द्वांग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	18.3.2016	पारेषण याचिका
555	टीटी/562/2014	31.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: एनएचपीसी में बेज सहित 400 केवी एससी Uri-I-Uri-II इन्टरकनेक्टर पारेषण लाइन आस्ती 2: वगूरा एस/एस में बेज सहित 400 केवी एससी URI-II वबूरा पारेषण लाइन आस्ती 3: उत्तरी क्षेत्र में URI-II एचईपी पारेषण प्रणाली के अधीन किशनपुर में 400 केवी 80 एमवीएआर बस रिएक्टर 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए द्वांग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	15.3.2016	पारेषण याचिका
556	टीटी/362/2014	29.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तर क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009-14 अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र के भाग क में ट्रांसफार्मरों के वृद्धि के अधीन नीमराना में उत्तरी क्षेत्र के लिए 500MVA 400/220KV स्पेयर ट्रांसफार्मर के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	21.3.2016	पारेषण याचिका
557	218/टीटी/2013	06.09.2013	दिल्ली ट्रांसको लि.	14.3.2012 के स्वप्रेरणा आदेश केविविआ के अनुपालन में 4 संख्या 400 केवी बेज सहित पारेषण लाइन 400 केवी बल्लभगढ़-बमनौली डबल सीकेटी एवं 400 केवी मंडोले-बवाना डबल सीकेटी के लिए पारेषण टैरिफ	21.3.2016	पारेषण याचिका
558	टीटी/142/2014	10.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं के अधीन अंतर्रिम आकस्मिक योजना के अधीन वदोदरा पूलिंग एस/एस के अधीन 400 केवी डी/सी वदोदरा से संबद्ध प्रत्यक्ष इन्टरकनेक्शन के लिए (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 5.5.2014) इंदौर वदोदरा टी/एल	18.3.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार	
				<p>765 केवी एवं 765 केवी एस/सी इंदौर बदोदरा (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2014) की पूर्णता तक अंतरिम आकस्मि योजना के अधीन बस रिएक्टर के रूप में आंरभिक रूप से प्रभारित इंदौर में स्विचबल लाइन रिएक्टर (3*80 MVAR, 765 KV) सहित 765/400 केवी इंदौर में बेज के विस्तार के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन</p>			
559	टीटी/105/2014	02.06.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	<p>(i) रांची (ओल्ड) और रांची (न्यू) से संबद्ध बेज सहित 400केवी डी/सी वेव रांची (ओल्ड) और रांची (न्यू) सीकेटी-2 पारेषण लाइन (ii) रांची (ओल्ड) और रांची (न्यू) से संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी वेव रांची (ओल्ड) और रांची (न्यू) सीकेटी-2 पारेषण लाइन (iii) पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा (सासन यूएनपीपी+एनकेपी+मैथान/कोडरमा/मैजिआ/बोकारो/रघुनाथपुर/दुर्गापुर+ पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से एनईआर/एसआर/डब्ल्यूआर से सामान्य) और पश्चिमी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा (सासन यूएनपीपी+एनकेपी+मैथान/कोडरमा/मैजिआ/बोकारो/रघुनाथपुर/दुर्गापुर+ पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से एनईआर/एसआर/डब्ल्यूआर से सामान्य) के लिए नेटवर्क और 765 केवी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना के अधीन 765केवी रांची (न्यू) एस/एस में संबद्ध बेज सहित 765/400 KV, 3x500 MVA ICTI रांची की समन्वित आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन</p>	21.3.2016	पारेषण याचिका	
560	294/टीटी/2015	26.11.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	<p>(i) 2009-14 के लिए ढूँझ अप पारेषण टैरिफ और (ii) आस्ती 1: वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2012 से संबद्ध 400 केवी डी/सी</p>	21.3.2016	पारेषण याचिका	

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				सी मुनेसर नीमराना आस्ती 2: वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2012 नीमराना 500 MVA 400/220KV ICT-I में आस्ती 3: एनआएसएस योजना 15 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2012 315 MVA 400/220 KV ICT-2 के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 14 और केविविआ (सी एण्ड बी) विनियमों के विनियम 86 के अधीन याचिका		
561	016 /टीटी/ 2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी ग्रिड भाग 3 के केन्द्रीय भाग के लिए 765 केवी प्रणाली के अधीन भिवानी उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित भिवानी उपकेन्द्र के 400/220 KV 315 MVA ICT-I & ICT-II में बवान—बहादुरगढ़—हिसार 400 केवी के एक सर्किट के लीलो के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	21.3.2016	पारेषण याचिका
562	030 /टीटी/ 2015	22.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र में ईआरएसएस के अधीन समन्वित आस्तियों के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	21.3.2016	पारेषण याचिका
563	04 /आरपी/ 2016	19.01.2016	एस्सार पावर एमपी लि.	यूआई प्रभारों और विचलन प्रभारों की परिसमाप्ति अवधि के विस्तार के लिए ईपीएमपीएल द्वारा दाखिल याचिका संख्या IA No. 37/2015 Petition No.116/MP/2015 में केविविआ द्वारा पारित 24.11.2015 के केविविआ के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका	21.3.2016	पुनरीक्षण याचिका
564	6 /टीएल/ 2016	08.01.2016	अलीपुरद्वार पारेषण लि.	अलीपुरद्वार पारेषण लि. और पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15(1) के साथ पठित धारा 14 के अधीन आवेदन	21.3.2016	व्यापार अनुज्ञाप्ति
565	टीटी/436 / 2014	30.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन	पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-X के लिए पारेषण प्रणाली	21.3.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			लि. (पीजीसीआईएल)	के अधीन सागरदीगी टीपीएस (WBPDCL) और ब्रह्मपुर एस/एस (पावर ग्रिड) में संबद्ध बेज और 400 केवी डीसी सागरदीगी ब्रह्मपुर टीएल के लिए अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
566	174 / टीटी / 2015	08.07.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	आस्ती 1: 400 केवी इन्ड्रावती एस/एस में संबद्ध बेज और IXI25 MVAR बस रिएक्टर की एक संख्या आस्ती 2: पूर्वी क्षेत्र में ईआरएसएस 8 के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन 400केवी जयपोर एसएस में संबद्ध बेज और बस रिएक्टर IXI25 MVAR बस रिएक्टर का संख्या 1	22.3.2016	पारेषण याचिका
567	टीटी / 202 / 2014	10.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: पश्चिमी क्षेत्र में रायपुर 400 केवी एस/एस में टर्मिनेटिड लाइनों की शिपिटंग और स्पिलिट बस व्यवस्था के अधीन रायपुर बी खण्ड से रायपुर ए के लिए चन्द्रपुर 1 ओर चन्द्रपुर 2 तथा चन्द्रपुर 2 तथा चन्द्रपुर 3 की शिपिटंग के मौजूदा लाइन बेज के बीच व्हाइंड पर दो खण्डों में बस खण्ड के माध्यम से 400 केवी रायपुर बस की स्पिरिटिंग के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	22.3.2016	पारेषण याचिका
568	टीटी / 165 / 2014	22.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में रिएक्टरों की स्थापन के अधीन (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 15.7.2014) शूजलपुर उपकेन्द्र में 420 KV 125MVAR बस रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण के अवधारण के लिए अनुमोदन	22.3.2016	पारेषण याचिका
569	251 / टीटी / 2013	29.08.2013	भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड	आवेदक द्वारा की गई पारेषण गतिविधियां और उत्पादन के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	21.3.2016	उत्पादन याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
570	टीटी/413/2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में (WRSS-XIII) के अधीन 400 केवी वरसाना (गेटको) एसएस अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2014 के विस्तार और 400 केवी बकाउ एस/एस के 400 केवी डीसी पारेषण लाइन बकाउ—वरसाना (गेटको) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	22.3.2016	पारेषण याचिका
571	टीटी/412/2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 2: पश्चिमी क्षेत्र में WRSS-V के अधीन (400केवी डीसी वापी—नवी मुम्बई टीएल के भाग) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2014) API8-AP38 के 400 केवी डीसी वापीकला टीएलडब्ल्यू आई भाग आस्ती 1: लोनीखण्ड—कलवा टीएल 9 (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2015) के लीलो सहित नवी मुम्बई में 400 / 220 केवी नए जीआईएस उपकेन्द्र के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	22.3.2016	पारेषण याचिका
572	17/एसएम/2015	22.12.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केविविआ	वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान लागू सौलर थर्मल पावर परियोजना और सौलर पीवी पावर परियोजना के लिए बैंच मार्क पूर्णी लागत मानदण्ड के अवधारण	23.3.2016	स्वप्रेरणा याचिका
573	238/टीटी/2015	26.10.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: आरा में संबद्ध बेज सहित 1 X 160 MVA 220 lct को जोड़ना और आस्ती 2: पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन मुजफ्फरपुर उपकेन्द्र में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबध्नन व शर्तें) विनियम 2014 तथा केविविआ (सी एण्ड बी) विनियम के विनियम 86 के अधीन याचिका	23.3.2016	पारेषण याचिका
574	232/टीटी/2015	09.10.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-XII के अधीन पुरनिया उपकेन्द्र में 500 एमवीए सहित 315	23.3.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			(पीजीसीआईएल)	MVA 400/220KV ICT I की स्थापना के लिए वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 तथा केविविआ (सीएणडबी) विनियम के विनियम 86 के अधीन याचिका		
575	287 /टीटी/ 2013	05.11.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन टैरिफ ब्लाक 2014–19 अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में अंतरिम व्यवस्था के अधीन वदोदरा पूलिंग उपकेन्द्र को पार करते हुए छत्तीसगढ़ में (वदोदरा 400केवी डी/सी-पिराना पारेषण लाइन से सीधे इन्टर कनेक्शन के लिए) आईपीपी परियोजना के उत्तरी/पश्चिमी भाग में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन एसोज (गोटको) में संबद्ध बेज सहित एसोज पारेषण लाइन-400केवी डी/सी (क्वेद) वदोदरा में बेज के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	23.3.2016	पारेषण याचिका
576	184 /टीटी/ 2015	21.07.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	गोरखपुर लाइन में पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (सीबीआर) 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	23.3.2016	पारेषण याचिका
577	139 /टीटी/ 2015	21.05.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	छत्तीसगढ़ (IPP-E) में आईपीपी योजनाओं के लिए पश्चिमी क्षेत्र के उत्तरी/पश्चिमी भाग में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत (अनुपानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.7.2015) 765/400kV वदोदरा (पावरग्रिड) जीआईएस में बे विस्तार के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	23.3.2016	पारेषण याचिका
578	42 /एमपी/ 2016	11.03.2015	जिंदल पावर लि.	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान	28.3.2016	विविध याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				करना तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(I) (k) ०८f के अधीन याचिका		
579	137 /टीटी/ 2015	18.05.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	उत्तरी क्षेत्र में रामपुर एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन रामपुर में 400 केवी नाथपा—नालागढ़ (ट्रिपल स्नोबर्ड) लाइन के दूसरे सीकेटी के लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से (20.10.2014 से 31.3.2019) पारेषण टैरिफ के अवधारण की याचिका	28.3.2016	पारेषण याचिका
580	267 /टीटी/ 2015	30.10.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तर—पूर्वी क्षेत्र में 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पलाटना जीबीपीपी और बॉगईगांव टीपीएस सहित पारेषण प्रणाली के अधीन वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.8.2015 पूरबा कंचनबारी उपकेन्द्र और सिलचर (न्यू) में संबद्ध बेज सहित 400केवी डबल सर्किट सिलचर पूरबा कंचनबारी पारेषण लाइन के लिए वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 की धारा 86 का अनुमोदन	29.3.2016	पारेषण याचिका
581	228 /जीटी/ 2013	03.04.2013	एनएचपीसी लि.	पारबती एचई परियोजना 3 के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	28.3.2016	उत्पादन याचिका
582	108 /टीटी/ 2013	10.05.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	ग्वालियर एसएस, बस रिएक्टर इंदौर और अन्य आरितियों में बस रिएक्टर, सासन में लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी सतना एसएस में बे विस्तार के लिए पारेषण टैरिफ	28.3.2016	पारेषण याचिका
583	04 /एडीओपी/ 2016	06.01.2016	अलीपुरद्वारा पारेषण लि. द्वारा पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अपनाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन	22.3.2016	अंगीकार याचिका	



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
584	टीटी/404/2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में डीएण्डी के संघशासित प्रदेश में मगरवाडा 400/220 KV GIS की स्थापना के अधीन 80 एमवीआर बस रिएक्टर और संबद्ध बेज सहित डी एण्ड डी के संघशासित प्रदेश में मगरवाडा 400/220 KV GIS (New) में 400 KV D/C नवसारी-बोएसर टी/एल तथा 400/220 KV GIS के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	28.3.2016	पारेषण याचिका
585	टीटी/553/2014	29.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बॉगोगांव टीपीएस परियोजना और पलाटना जीबीपीपी के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	28.3.2016	पारेषण याचिका
586	31/एमपी/2016	03.03.2016	इण्ड-बराथ एनर्जी (उत्कल) लि.	केविविआ (अन्तर्राजिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के उपबंधों और केविविआ (अन्तर्राजिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनिमय 32 के अधीन उपयुक्त निर्देश के लिए याचिका	28.3.2016	विविध याचिका
587	006/टीटी/2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में सिपत-2 अनुपूरक पारेषण प्रणाली के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.3.2016	पारेषण याचिका
588	005/टीटी/2015	15.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिण क्षेत्र में पारेषण लाइन के साथ बेज आदि के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	29.3.2016	पारेषण याचिका
589	टीटी/477/2014	10.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन काटपुतली एस/एस में 80 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए	30.3.2016	पारेषण याचिका

क्र. स.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन		
590	119 / टीटी / 2015	07.05.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए द्रौङ्ग अप पारेषण टैरिफ (ii) आस्ती 1:लखनऊ (मौजूदा) 125एमवीएआर बस रिएक्टर 400 / 220 केवी एस / एस (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2011) आस्ती 2: बलिया में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2011) आस्ती 3: संबद्ध बेज सहित लखनऊ 765/400 kV, 1500 MVA ICT II की समन्वित आस्तियां आस्ती 3(क) संबद्ध बेज सहित बलिया में 765/400kV, 1500 MVA ICT II आस्ती 3(ख) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2012) आस्ती 4: संबद्ध बेज सहित फतेहपुर एस / एस में 765/ 400 kV, 1500 MVA ICT I की समन्वित आस्ती (आस्ती 4 क) संबद्ध बेज सहित फतेहपुर एस / एस में 150 एमवीए आईसीटी-2 (आस्ती 4 ख) एवं फतेहपुर एस / एस में 765केवी सासाराम–फतेहपुर एस / सी टी / एल बेज (आस्ती 4 ग) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2012) आस्ती 5: सामान्य योजना और पूर्णी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा आग्रात, उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 765केवी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना के अधीन फतेहपुर में संबद्ध बेज सहित 400केवी इलाहाबाद–मणीपुरी का लीला (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.8.2012) के अवधारण के लिए याचिका	30.3.2016	पारेषण याचिका
591	132 / टीटी / 2015	07.05.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: मल्टी सर्किट भाग सहित 400केवी डी / सी कोडरमा—गया टी / एल सीकेटी के शेष भाग आस्ती 2: मल्टी सर्किट भाग सहित 400केवी डी / सी कोडरमा—गया टी / एल सीकेटी के शेष भाग आस्ती 3: टैरिफ ब्लाक 2014–19 के लिए पूर्णी क्षेत्र में मैथान राइट बैंक परियोजना और डीवीसी के अधीन अनुपूरक पारेषण प्रणाली से संबद्ध कोडरमा टीपीएस बोकारो	30.3.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				टीपीएस लाइन के लिए पीएलसीसी और बोकारो ईपीएस विस्तार कोडरमा टीपीएस लाइन 400केवी डी/सी के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका		
592	टीटी/ 370 / 2014	28.09.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में सासन यूएमपीपी टी/एस के अधीन इंदौर एस/एस में 400 केवी 63 एमवोएआर बस रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	30.3.2016	पारेषण याचिका
593	186 / टीटी / 2015	11.08.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में सासन एवं मुन्द्रा में गा पावर परियोजना के अधीन आस्तियों के लिए 2014–19 पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	30.3.2016	पारेषण याचिका
594	140 / टीटी / 2015	21.05.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	पश्चिमी क्षेत्र में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.7.2015) वदोदरा में 765/400 kV, 2x1500 MVA GIS की स्थापना के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.3.2016	पारेषण याचिका
595	टीटी/ 190 / 2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में यूरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (4*120MW) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	Mar 31, 2016	पारेषण याचिका
596	031 / टीटी / 2015	29.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में बड़े पारेषण प्रणाली के अधीन आस्तियों के लिए 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009–14 के लिए ट्रॉइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	30.3.2016	पारेषण याचिका
597	टीटी/ 564 / 2014	31.12.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: रायपुर एसएस में 315 एमवोए 400/220/33केवी 3 फेज स्पेयर आईसीटी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.07.2012) आस्ती 2: पुणे एसएस में 315	8.3.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				एमवीए 400 / 220 / 33 केवी 3 फेज स्पेयर आईसीटी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.07.2012) आस्ती 3: वर्धा एसएस में 420 केवी 80 एमवीएआर 3फेज शंट रिएक्टर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.08.2012) आस्ती 4: देहगांव एसएस में 315 एमवीए 400 / 220 / 33 केवी 3 फेज स्पेयर ट्रांसफार्मर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.09.2012) आस्ती 5: जबलपुर में 315 एमवीए 400 / 220 / 33 केवी 3-फेस ट्रांसफार्मर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.09.2012) आस्ती 6: पश्चिमी क्षेत्र में स्पेयर आईसीटी और रिएक्टरों के उपबंध के अधीन इटारसी 400 केवी 125 एमवीएआर 3-फेस स्पेयर रिएक्टर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.01.2013) के लिए 2014-19 ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ के लिए याचिका		
598	टीटी / 519 / 2014	14.12.2014	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोस्को	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की नियंत्रण अवधि के लिए SRLDC प्रभारों के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 3 के साथ पठित केविविआ (आरएलडीसी के फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 5 के अधीन ट्रूइंग अप आवेदन के लिए याचिका	31.3.2016	पारेषण याचिका
599	टीटी / 525 / 2014	17.12.2014	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोस्को	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की नियंत्रण अवधि के लिए NRLDC प्रभारों के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (आरएलडीसी के फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 5 के अधीन ट्रूइंग अप आवेदन के लिए याचिका	18.3.2016	पारेषण याचिका
600	44 / एमपी / 2016	18.03.2016	भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम	यूनिट 2 के सिंक्रॉनाइजेशन तक या 30.7.2016 जो भी पहले हो KKNPP-2 के लिए विचलन व्यवस्थापन तंत्र के अधीन ग्रिड से स्टार्टअप पावर की निकासी की अनुमति के लिए	31.3.2016	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
601	टीटी/047/2014	28.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	छत्तीसगढ़ (पश्चिमी क्षेत्र में आईपी पीडी) में आईपीपीएस उत्पादन परियोजनाओं के लिए पश्चिमी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन आस्तियों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ	29.3.2016	पारेषण याचिका
602	111/टीटी/2013	13.05.2013	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	NRSSXVI से संबद्ध न्यू वानपोह, के लिए पारेषण टैरिफ	31.3.2016	पारेषण याचिका
603	टीटी/040/2014	27.02.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आगामी आईपीपी परियोजनाओं के अनुपूरक पारेषण योजनाओं के अधीन संबद्ध बेज सहित (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2014) धरमजयगढ़ में 765/400KV, 1X1500MVA, ICT-I के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ का अवधारण	23.3.2016	पारेषण याचिका
604	01/एमपी/2016	05.01.2016	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (i) (केन्द्रीय पारेषण कंपनी के लिए अन्तरराज्यिक पारेषण योजना के कार्यनिश्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना) विनियम, 2010 (ii) केविविआ (संचालन एवं कारोबार) विनियम, 1999 के विनियम 11 और 114 तथा (iii) केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) भादला, जिला जौधपुर, राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्कों से संबद्ध पारेषण प्रणाली के कार्यनिश्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए विनियम, 2010 सहित अधिनियम की धारा 79(1) और 79(1)(के) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38(2) के अधीन याचिका	31.3.2016	विविध याचिका
605	280/टीटी/2015	02.11.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से NER/SR/WR से और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात और पश्चिमी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए सामान्य योजना और पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से NER/SR/WR पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा आयात, उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 765केरी पूलिंग स्टेशन	31.3.2016	पारेषण याचिका

क्र. सं.	याविका संख्या	याविका की तारीख	याविकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याविका का प्रकार
				के लिए सामान्य योजना के अंतर्गत आस्तियों की 4 संख्या के लिए वास्तविक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका		
606	टीटी/ 541 / 2014	17.12.2014	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोसोको	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की नियंत्रण अवधि के लिए NERLDC प्रभारों के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (आरएलडीसी के फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 5 के अधीन ट्रूइंग अप आवेदन के लिए याचिका का अनुमोदन	Mar 31, 2016	पारेषण याचिका
607	टीटी/ 542 / 2014	17.12.2014	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि. पोसोको	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की नियंत्रण अवधि के लिए ERLDC प्रभारों के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (आरएलडीसी के फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 5 के अधीन ट्रूइंग अप आवेदन	22.3.2016	पारेषण याचिका
608	110 / टीटी / 2015	10.04.2015	भारतीय पावर ग्रिड पारेषण कार्पोरेशन लि.	उत्तरी क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन 220 केवी जालंधर–हमीरपुर टी/एल के सेकेंड सर्किट के लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.3.2016	पारेषण याचिका
609	टीटी/ 398 / 2014	29.10.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	आस्ती 1: मौकाचुंग (पावर ग्रिड) उपकेन्द्र तथा मरियानी में संबद्ध बेज सहित 220 केवी डी/सी मरियानी (न्यू) मौकाचुंग (पावर ग्रिड) पारेषण लाइन (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.10.2014) आस्ती 2: 132 केवी डी/सी मौकाचुंग (पावर ग्रिड) – 7x10MVA, 220/132 KV ICT-I & II और 220केवी एवं 132 केवी जीआईएस मौकाचुंग (पावर ग्रिड) एस/एस में जीआईएस बेज (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.10.2014) और आस्ती 3: उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2014–19 टैरिफ ब्लाक अवधि के लिए पोनेगांव टीपीएस एवं पलाटना जीबीपीपी से	31.3.2016	पारेषण याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. स.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन 400केवी डी/सी सिलचर-इम्फाल उपकेन्द्र (अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.12.2014) के लिए अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2019 तक पारेषण टैरिफ का अवधारण		
610	टीटी/191/2014	07.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	(i) 2009–14 टैरिफ ब्लाक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में यूपीपीसीएल के पंकी—मुरादनगर 400केवी एस/सी लाइन पर सिरोज क्षतिपूर्ति के लिए टैरिफ ब्लाक 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अनुमोदन	14.3.2016	पारेषण याचिका
611	टीटी/025/2015	22.01.2015	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसीआईएल)	उत्तरी क्षेत्र से सम्बद्ध सल्लल 1 पारेषण प्रणाली के लिए 2014–19 ब्लाक अवधी के लिए फीस एवं प्रभार तथा 2009–14 के लिए फीस व प्रभार के अवधारण के लिए याचिका	23.02.2016	पारेषण याचिका

अनुबन्ध-II

**एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
और 31.03.2016 को संस्थापित क्षमता**

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2015 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी का कोयला आधारित थर्मल उत्पादनकारी स्टेशन			
क्र.	पिट अहेड उत्पादनकारी स्टेशन		
1	रिहंद एसटीपीएस(स्टे-I)	1000.00	01.01.1991
2	रिहंद एसटीपीएस(स्टे-II)	1000.00	01.04.2006
3	रिहंद एसटीपीएस(स्टे-III)	1000.00	27.03.2014
4	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	01.05.1988
5	विंध्याचल एसटीपीएस(स्टे-I)	1260.00	01.02.1992
6	विंध्याचल एसटीपीएस(स्टे-II)	1000.00	01.10.2000
7	विंध्याचल एसटीपीएस(स्टे-III)	1000.00	15.07.2007
8	विंध्याचल एसटीपीएस(स्टे-IV)	1000.00	27.03.2014
	विंध्याचल एसटीपीएस(स्टे-IV)	500.00	30.10.2015
9	कोरबा एसटीपीएस(स्टे-I और II)	2100.00	01.06.1990
10	सिपत एसटीपीएस (स्टे-II)	1000.00	01.01.2009
11	रामागुंडम एसटीपीएस(स्टे-I और II)	2100.00	01.04.1991
12	रामागुंडम एसटीपीएस(स्टे-III)	500.00	25.03.2005
13	तलचर टीपीएस	460.00	01.07.1997
14	तलचर एसटीपीएस (स्टे-I)	1000.00	01.07.1997
15	तलचर एसटीपीएस (स्टे-II)	2000.00	01.08.2005
16	कोरबा एसटीपीएस(स्टे-III)	500.00	21.03.2011
17	सिपत (स्टे-I)	1980.00	01.08.2013
	उप-जोड़	21400.00	



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2015 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र / यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
ख.	गैर-पिट अहेड उत्पादनकारी स्टेशन		
1	एफजीयूटीपीपी टीपीएस (स्टे-I)	420.00	13.2.1992 (अधिग्रहण की तारीख)
2	एफजीयूटीपीपी (स्टे-II)	420.00	01.01.2001
3	एफजीयूटीपीपी (स्टे-III)	210.00	01.01.2007
4	एनसीटीपी दादरी (स्टे-I)	840.00	01.12.1995
5	एनसीटीपी दादरी (स्टे-II)	980.00	30.07.2010
6	फरक्का एसटीपीएस(स्टे I और II)	1600.00	01.07.1996
7	फरक्का एसटीपीएस(स्टे-III)	500.00	04.04.2012
8	टांडा टीपीएस	440.00	14.1.2000 (अधिग्रहण की तारीख)
9	बदरपुर टीपीएस	705.00	01.04.1982
10	कहलगांव एसटीपीएस (स्टे-I)	840.00	01.08.1996
11	कहलगांव एसटीपीएस (स्टे-II)	1500.00	20.03.2010
12	सिंहाद्री (स्टे-I)	1000.00	01.03.2003
13	सिंहाद्री (स्टे-II)	1000.00	30.09.2012
14	मौदा-I	1000.00	30.3.2014
15	बड़ (स्टे-II)	1320.00	18.02.2016
	उप.जोड़		
	कुल एनटीपीसी कोयला (ए+बी)	12775.00	
		34175.00	

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2015 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र / यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी का गैस/तरल ईंधन आधारित स्टेशन			
1.	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997
2.	फरीदाबाद	431.00	01.01.2001
3.	अंटा सीसीजीटी	419.33	01.03.1990
4.	ओरख्या जीपीएस	663.36	01.12.1990
5.	गंधार जीपीएस	657.39	01.11.1995
6.	कवास जीपीएस	656.20	01.09.1993
7.	कयामकुलम सीसीजीटी	359.58	01.03.2000
	कुल एनटीपीसी (गैस)	4016.64	
	कुल एनटीपीसी (कोयला+गैस)	38191.64	

अनुबन्ध-III

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के उत्पादन केन्द्रों / यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2016 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2015 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र / यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	टीपीएस-I	600	21.02.1970
2.	टीपीएस-II (स्टें-I)	630	23.04.1988
3.	टीपीएस-II (स्टें-II)	840	09.04.1994
4.	टीपीएस-I (विस्तार)	420	05.09.2003
5.	CFBC based Barsingsar TPS	250	21.01.2012
	कुल लिग्नाइट	2740	

अनुबन्ध-IV

दामोदर वैली कारपोरेशन के उत्पादन केन्द्रों / यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2016 को संस्थापित क्षमता

उत्पादन केन्द्र	क्षमता (मेगावाट)	आरंभ
थर्मल		
बोकारो 'बी' टीपीएस	(3 X 210) = 630	U-I मार्च 86, U-II नवम्बर 90, U-III अगस्त 93
चन्द्रपुरा टीपीएस	(3 X 130) + (2 X 250) = 890	U-I अक्टूबर 64, U-II मई 65 U-III जुलाई 68, U-VII नवम्बर 11 U-VIII जुलाई 11
दुर्गापुर टीपीएस	(1 X 140) + (1 X 210 MW) = 350	U-III दिसम्बर 66, U-IV सितम्बर 82
मेजिआ टीपीएस	(4 X 210) + (2 X 250) + (2 X 500) = 2340	U-I मार्च 96, U-II मार्च 98 U-III सितम्बर 99, U-IV फरवरी 05 U-V फरवरी 08, U-VI सितम्बर 08 U-VII अगस्त 11, U-VIII अगस्त 12
दुर्गापुर स्टील टीपीएस	(2 X 500) = 1000	U-I मई 12, U-II मार्च 13
कोडरमा टीपीएस	(2 X 500) = 1000 Ind unit commissioned during 2014-15	U-I जुलाई 13, U-II जुन, 2014
कुल थर्मल	6210	



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अनुबन्ध-V

नीपको के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2016 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2015 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र / यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	अगरतला जीपीएस	84	01.08.1998
2.	असम जीपीएस	291	01.04.1999
	कुल	375	

अनुबन्ध-VI

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्रकृति	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	एफसी (पैसे/किलो वाट घण्टा)	ईसीआर (पैसे/किलो वाट घण्टा)	कुल टैरिफ (पैसे/किलो वाट घण्टा)
1	तलचर. I	1000	गैर-पिट	01-जुलाई-97	84.86	114.94	199.80
2	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	पिट हेड	01-मई-88	53.83	94.31	148.14
3	टांडा— I	440	गैर-पिट	20-फरवरी-98	112.16	270.61	382.78
4	रिहंद— II	1000	पिट हेड	01-अप्रैल-06	96.90	133.84	230.74
5	सिमहाद्रि— II	1000	गैर-पिट	30-सितम्बर-12	166.31	166.12	332.43
6	सिमहाद्रि— I	1000	गैर-पिट	01-मार्च-03	102.54	163.68	266.22
7	एफजीयूटीपीएस— II	420	गैर-पिट	01-जनवरी-01	90.98	177.82	268.79
8	एफजीयूटीपीएस— I	420	गैर-पिट	22-मार्च-89	87.65	172.08	259.72
9	उड्हूपी पावर प्लांट	1200	गैर-पिट	19-अगस्त-12	165.02	286.74	451.76
10	कोरबा— III	500	पिट हेड	21-मार्च-11	157.89	81.87	239.76
11	विंध्याचल—IV	1000	पिट हेड	27-मार्च-14	157.67	153.45	311.12
12	मौदा—I	1000	गैर-पिट	30-मार्च-14	195.16	436.72	631.87
13	फरक्का— I&II	1600	पिट हेड	01-जुलाई-96	81.97	217.95	299.92
14	कोरबा— I&II	2100	पिट हेड	01-जून-90	53.51	54.39	107.91
15	रिहंद—I	1000	पिट हेड	01-जनवरी-91	82.29	125.97	208.25
16	फरक्का—III	500	पिट हेड	04-अप्रैल-12	168.52	280.62	449.14
17	रामागुंडम—III	500	गैर-पिट	23-मार्च-05	95.96	108.81	204.77
18	सिपत—II	1000	पिट हेड	01-जनवरी-09	129.58	65.29	194.87
19	रामागुंडम— I&II	2100	गैर-पिट	01-अप्रैल-91	60.79	149.27	210.05

20	कहालगांव— I	840	पिट हेड	01-अगस्त-96	97.13	192.13	289.26
21	विंध्याचल— III	1000	पिट हेड	15-जुलाई-07	112.37	125.24	237.61
22	तलचर टीपीएस	460	पिट हेड	24-मार्च-83	126.33	108.47	234.80
23	विंध्याचल—I	1260	पिट हेड	01-फरवरी-92	64.94	132.68	197.62
24	सिपत—I	1980	पिट हेड	01-अगस्त-12	140.88	136.21	277.09
25	तलचर-II	2000	पिट हेड	01-अगस्त-05	80.86	114.94	195.80
26	कहालगांव-II	1500	पिट हेड	20-मार्च-10	119.80	174.24	294.04
27	बद्रपुर टीपीएस	705	गैर-पिट	01-अप्रैल-82	81.64	209.36	291.00
28	एनसीटीपीएस दादरी—I	840	गैर-पिट	01-दिसम्बर-95	90.19	241.13	331.33
29	विंध्याचल-II	1000	पिट हेड	01-अक्टूबर-00	64.94	125.24	190.18
30	एफजीयूटीपीएस— III	210	गैर-पिट	01-जुलाई-07	141.35	177.16	318.51
31	एनसीटीपीएस-II	980	गैर-पिट	31-जुलाई-10	162.07	233.04	395.11
32	एनसीटीपीएस सैल भिलाई ईएक्सपी	500	गैर-पिट	21-अक्टूबर-09	181.92	133.43	315.36

गैस आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्रों से संबंधित 31.03.2016 तक जारी आदेशों पर आधारित 2013—14 के लिए टैरिफ ब्यौर

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्रकृति	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	एफसी (पैसे/किलो वाट घण्टा)	ईसीआर (पैसे/किलो वाट घण्टा)	कुल टैरिफ (पैसे/किलो वाट घण्टा)
1	यूएनओएसयूजीईएन पावर प्लांट	382.5	04-अप्रैल-13	46,104.25	166.88	398.90	565.78
2	एसयूजीईएन पावर प्लांट	1147.5	15-अगस्त-09	93,549.43	112.87	223.11	335.98
3	फरीदाबाद जीपीएस	431.586	01-जनवरी-01	24,769.64	79.46	161.97	241.43
4	अंता जीपीएस	419.33	01-अगस्त-90	21,171.69	69.90	177.95	247.86
5	दादरी जीपीएस	829.78	01-अप्रैल-97	32,624.39	54.44	269.50	323.93
6	झनोर गंधार	657.39	01-नवम्बर-95	47,540.54	100.13	261.33	361.45
7	औरय्या जीपीएस	663.36	01-दिसंबर-90	25,317.85	52.84	206.71	259.55
8	कवास जीपीएस	656.2	01-नवम्बर-93	37,276.75	78.65	390.41	469.06
9	आरजीसीसीपीपी कथामकुलम	359.58	01-मार्च-00	22,112.94	85.14	434.71	519.85
10	एनटीपीसी—ओएनजीसी आरजीपीपीएल	1967.08	19-मई-09	1,91,329.38	143.08	287.87	430.95



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अनुबन्ध-VII

हाइड्रो उत्पादन कंपनियों की संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन का वर्ष
क.	एनएचपीसी				
1	बैरा सिपूल	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$3 \times 60 = 180$	1982
2	चमेरा - I	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$3 \times 180 = 540$	1994
3	चमेरा - II	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$3 \times 100 = 300$	2004
4	चमेरा - III	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$3 \times 77 = 231$	2012
5	परबती स्टेज -III	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$3 \times 130 = 390$	2014
6	सलाल I एण्ड II	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	$6 \times 115 = 690$	1987/1995
7	यूरी - I	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	$4 \times 120 = 480$	1997
8	यूरी - II	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	$4 \times 60 = 240$	2014
9	दुल्हस्ती	जम्मू और कश्मीर	पॉडेज	$3 \times 130 = 390$	2007
10	नीमो बजगो	जम्मू और कश्मीर	पॉडेज	$3 \times 15 = 45$	2013
11	चटक	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	$4 \times 11 = 44$	2013
12	सेवा-II	जम्मू और कश्मीर	पॉडेज	$4 \times 30 = 120$	2010
13	टनकपुर	उत्तराखण्ड	आरओआर	$3 \times 31.40 = 94.20$	1993
14	धौलीगंगा	उत्तराखण्ड	पॉडेज	$4 \times 70 = 280$	2005
15	तीस्ता - V	सिक्किम	पॉडेज	$3 \times 170 = 510$	2008
16	तीस्ता निम्न डैम -III	सिक्किम	छोटे पॉडेज के	$4 \times 33 = 132$	2013
				साथ आरओआर	
17	रांगित एच.ई. परियोजना	सिक्किम	पॉडेज	$3 \times 20 = 60$	2000
18	लोकटक	मणिपुर	स्टोरेज	$3 \times 35 = 105$	1983
	कुल आई. सी.			4831.20	
ख	एनएचडीसी				
19	झिंदिरा सागर	मध्यप्रदेश	स्टोरेज	$8 \times 125 = 1000$	2005
20	ओंकरेश्वर	मध्यप्रदेश	पॉडेज	$8 \times 65 = 520$	2007
	कुल आई. सी.			1520.00	
ग.	टीएचडीसी				
21	टिहरी	उत्तराखण्ड	स्टोरेज	$4 \times 250 = 1000$	2007
22	कोटेश्वर	उत्तराखण्ड	पॉडेज	$4 \times 100 = 400$	2012
	कुल आई. सी.			1400.00	
घ.	एसजेवीएनएल				
23	नथपा झाकड़ी	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$6 \times 250 = 1500$	2004
24	रामपुर		टेनडम	$6 \times 68.66 = 412$	2014
	कुल आई.सी.			1912.00.00	
ঙ	ডीवीसी				
25	मैथोन	झारखण्ड / प.बंगाल	स्टोरेज	$3 \times 20 = 60$	1958
26	पनचेत	झारखण्ड / प.बंगाल	स्टोरेज	$2 \times 40 = 80$	1991
27	तलिया	झारखण्ड	स्टोरेज	$2 \times 2 = 4$	1953
	कुल आई.सी.			144.00	
চ	নীপকো				
28	রংগানদী	অরুণাচল প্রদেশ	পॉডেজ	$3 \times 135 = 405$	2002
29	কোপীলী স্টেজ-I	অসম	স্টোরেজ	$4 \times 50 = 200$	1997
30	কোপীলী স্টেজ-II	অসম	স্টোরেজ	$1 \times 25 = 25$	2004
31	খন্দংগ	অসম	স্টোরেজ	$2 \times 25 = 50$	1984

32	दोयांग	नागालैण्ड	स्टोरेज	$3 \times 25 = 75$	2000
	कुल आई.सी.			755.00	
छ.	एनटीपीसी				
33	कोलडम	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$4 \times 200 = 800$	2014
	कुल आई.सी.			800.00	
ज.	बीबीएमबी				
34	बीबीएमबी की छः परियोजना	पंजाब	आरओआर / स्टोरेज	2900.73	1960-1983
	कुल आई.सी.			2900.73	
	आईपीपी				
35	करचम वंगटू	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	1000.0	2011
	आई. सी. का कुल योग			14462.93	

अनुबन्ध-VIII

केविविआ की परिधि के अधीन हाइड्रो टैरिफ का समन्वित टैरिफ

2015-16 के लिए केविविआ की परिधि के अधीन हाइड्रो स्टेशन की समन्वित टैरिफ		
एनएचपीसी		
1	बैरा सियूल	1.86
2	लोकटक	3.46
3	सलाल	1.05**
4	टनकपुर	2.80
5	चमेरा-I	2.08
6	यूरी-I	1.56
7	रंगित	3.41
8	चमेरा-II	2.58
9	धौलीगंगा	2.96
10	दुलहस्ती	5.71**
11	तीस्ता-V	2.32
12	सेवा -II	5.53**
13	चमेरा-III	4.27
14	चटक	8.44**
15	टीएलडीपी-III	6.90
16	नीमू बजगो	9.54**
17	यूरी-II	4.87**
18	परबती-III	5.48
एनएचडीसी		
1	इन्द्रा सागर	3.48
2	ऑकारेश्वर	5.32
	टीएचडीसी	
1	टिहरी स्टेज-I	5.68
2	कोटेश्वर	3.78
एसजे वीएनएल		
1	नापथा झाकड़ी	2.88
2	रामपुर	3.22
	नीपको	
1	खदोंग	1.54
2	कोपीलि स्टेज-I	1.01
3	दोयांग	5.25



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

4	रंगानदी	2.11
5	कोपिली स्टेज-II डीवीसी	1.83
1	मैथॉन	3.26
2	पनचेत	1.58
3	तिलया	4.96

- एएफसी / टैरिफ बैरासियूल, लोकतक, टनकपुर चमेरा-1, रंगीत, धौलीगंगा, चमेरा-2, खंदोग, कोपिली, कोपिली स्टेज-1, रंगानदी, कोपिली स्टेज-2, दोयांग, इन्द्रसागर और ओंकारेश्वर के मामले में केविविआ द्वारा अधिसूचित नवीनतम टैरिफ आदेशों पर आधारित है।
- परबती-3 विद्युत का टैरिफ, तीन यूनिटों के लिए 28.03.2016 के केविविआ के आदेश पर आधारित है। अन्य विद्युत केन्द्रों का एएफसी / टैरिफ केविविआ में दाखिल टैरिफ याचिकाओं पर आधारित है।
- ** टैरिफ प्रयुक्त जल के 25 / 12 पैसे क्यूमेक्स @ जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा लगाए गए जल उपयोग प्रभारों को छोड़कर है।

अनुबन्ध-IX

नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2015–16)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
		(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
पवन ऊर्जा			
पवन क्षेत्र -1 (सीयूएफ 20%)	6.60	0.71	5.89
पवन क्षेत्र -2 (सीयूएफ 22%)	6.00	0.65	5.36
पवन क्षेत्र -3 (सीयूएफ 25%)	5.28	0.57	4.71
पवन क्षेत्र -4 (सीयूएफ 30%)	4.40	0.47	3.93
पवन क्षेत्र -5 (सीयूएफ 32%)	4.13	0.44	3.68
लघु हाइड्रो पावर परियोजना			
एचपी, उत्तराखण्ड और एनई राज्य (5 मेगावाट से कम)	4.70	-	-
एचपी, उत्तराखण्ड और एनई राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	3.99	-	-
अन्य राज्य (5 मेगावाट से कम)	5.54	-	-
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	4.69	-	-

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्र प्रदेश	3.07	4.10	7.17	0.18	6.99
हरियाणा	3.13	4.67	7.79	0.18	7.61
महाराष्ट्र	3.14	4.77	7.91	0.18	7.73
पंजाब	3.15	4.88	8.03	0.18	7.85

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
राजस्थान					
राजस्थान	3.07	4.07	7.14	0.18	6.97
तमिलनाडु	3.07	4.03	7.10	0.18	6.92
उत्तर प्रदेश	3.08	4.17	7.25	0.18	7.07
अन्य	3.10	4.39	7.49	0.18	7.31

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्र प्रदेश	3.25	4.20	7.45	0.20	7.25
हरियाणा	3.31	4.78	8.08	0.20	7.89
महाराष्ट्र	3.32	4.88	8.20	0.20	8.00
पंजाब	3.33	4.99	8.32	0.20	8.13
राजस्थान	3.25	4.17	7.42	0.20	7.22
तमिलनाडु	3.25	4.13	7.37	0.20	7.18
उत्तर प्रदेश	3.26	4.27	7.53	0.20	7.33
अन्य	3.28	4.49	7.77	0.20	7.57



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्र प्रदेश	3.21	4.10	7.31	0.20	7.11
हरियाणा	3.26	4.67	7.93	0.20	7.73
महाराष्ट्र	3.27	4.77	8.05	0.20	7.85
पंजाब	3.28	4.88	8.17	0.20	7.97
राजस्थान	3.21	4.07	7.28	0.20	7.08
तमिलनाडु	3.20	4.03	7.24	0.20	7.04
उत्तर प्रदेश	3.22	4.17	7.39	0.20	7.19
अन्य	3.24	4.39	7.62	0.20	7.43

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्र प्रदेश	3.40	4.20	7.59	0.22	7.38
हरियाणा	3.45	4.78	8.23	0.22	8.01
महाराष्ट्र	3.46	4.88	8.34	0.22	8.13
पंजाब	3.47	4.99	8.47	0.22	8.25
राजस्थान	3.39	4.17	7.56	0.22	7.35

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
तमिलनाडु					
तमिलनाडु	3.39	4.13	7.52	0.22	7.30
उत्तर प्रदेश	3.40	4.27	7.67	0.22	7.46
अन्य	3.42	4.49	7.91	0.22	7.70

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्र प्रदेश	3.07	4.04	7.10	0.18	6.92
हरियाणा	3.12	4.60	7.72	0.18	7.54
महाराष्ट्र	3.13	4.70	7.83	0.18	7.65
पंजाब	3.14	4.81	7.95	0.18	7.77
राजस्थान	3.06	4.01	7.08	0.18	6.90
तमिलनाडु	3.06	3.97	7.03	0.18	6.85
उत्तर प्रदेश	3.07	4.11	7.18	0.18	7.00
अन्य	3.09	4.32	7.41	0.18	7.23

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्र प्रदेश	3.25	4.13	7.38	0.20	7.18
हरियाणा	3.30	4.70	8.00	0.20	7.81
महाराष्ट्र	3.31	4.81	8.12	0.20	7.92
पंजाब	3.32	4.92	8.24	0.20	8.04
राजस्थान	3.25	4.10	7.35	0.20	7.15
तमिलनाडु	3.24	4.06	7.30	0.20	7.11
उत्तर प्रदेश	3.25	4.20	7.46	0.20	7.26
अन्य	3.27	4.42	7.69	0.20	7.50



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्र प्रदेश	3.20	4.04	7.24	0.20	7.05
हरियाणा	3.26	4.60	7.85	0.20	7.66
महाराष्ट्र	3.27	4.70	7.97	0.20	7.77
पंजाब	3.28	4.81	8.08	0.20	7.89
राजस्थान	3.20	4.01	7.21	0.20	7.02
तमिलनाडु	3.20	3.97	7.17	0.20	6.97
उत्तर प्रदेश	3.21	4.11	7.32	0.20	7.12
अन्य	3.23	4.32	7.55	0.20	7.35

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्र प्रदेश	3.39	4.13	7.52	0.22	7.31
हरियाणा	3.44	4.70	8.15	0.22	7.93
महाराष्ट्र	3.45	4.81	8.26	0.22	8.05
पंजाब	3.46	4.92	8.38	0.22	8.17
राजस्थान	3.39	4.10	7.49	0.22	7.28
तमिलनाडु	3.38	4.06	7.45	0.22	7.23
उत्तर प्रदेश	3.40	4.20	7.60	0.22	7.38
अन्य	3.42	4.42	7.84	0.22	7.62

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
Bagasse Based Co-generation Project					
आनंदा प्रदेश	3.17	2.77	5.94	0.25	5.70
हरियाणा	2.84	3.94	6.79	0.21	6.58
महाराष्ट्र	2.55	3.89	6.43	0.18	6.25
पंजाब	2.80	3.47	6.27	0.21	6.06
तमिलनाडु	2.46	2.99	5.45	0.18	5.27
उत्तर प्रदेश	3.20	3.09	6.29	0.25	6.05
अन्य	2.79	3.36	6.14	0.21	5.94

सौर पीवी एवं सौर थर्मल					
विवरण			स्तरीकृत कुल लागत (वित्तीय वर्ष 2015–16)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
			(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
सौर पीवी			5.68	0.60	5.08
सौर थर्मल			12.07	1.25	10.82

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
आनंदा प्रदेश	2.61	3.90	6.51	0.13	6.38
हरियाणा	2.67	4.44	7.10	0.13	6.97
महाराष्ट्र	2.68	4.54	7.22	0.13	7.08
पंजाब	2.69	4.64	7.33	0.13	7.19
राजस्थान	2.61	3.87	6.49	0.13	6.35
तमिलनाडु	2.61	3.84	6.44	0.13	6.31
उत्तर प्रदेश	2.62	3.97	6.59	0.13	6.45
अन्य	2.64	4.17	6.81	0.13	6.68

उत्पादन आधारित बायोगैस					
बायोगैस	4.09	3.59	7.68	0.26	7.42



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अनुबन्ध-X

वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग के अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों के सेमिनार/सम्मेलनों/एक्सचेंज कार्यक्रमों में सहभागिता (भारत से बाहर)

क्र. सं.	अवधि	नियुक्त अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	सेमिनार/सम्मेलन/कार्यक्रम का नाम	देश का नाम
1.	16 जून 2015 से 18 जून 2015	श्री एस. के. चटर्जी, संयुक्त प्रमुख (वि.मा)	एशिया विलन एनर्जी फोरम में नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड समन्वय कार्यशाला में सहभागिता	मनीला, फिलीपिंस
2.	23 जुलाई, 2015 से 27 जुलाई 2015	श्री पार्थ सेन, उप-प्रमुख (वित्त) श्री वी. श्रीनिवास, उप-प्रमुख (विधि)	विद्युत उद्योग विनियम के संबंध में जानकारी को शेयर करना	भूटान
3.	27 जुलाई, 2015 से 31 जुलाई 2015	श्री ए. के. सिंघल, सदस्य	एफओआर और यूएसए के ललबीएनएल, सीईसी, सीपीयूसी के बीच समझौता ज्ञापन के अधीन बैठक में सहभागिता	यूएसए
4.	12अक्टूबर, 2015 से 16 अक्टूबर 2015	सुश्री गीतू जोशी, प्रमुख (अर्थशास्त्र)	समन्वित विकास, अनुसंधान कार्य (आईआरएडी) द्वारा आयोजित नॉर्थ पूल प्रादेशिक विद्युत बाजार (ओस्लो, फ्रेडेरिसिया)	जर्मनी
5.	12अक्टूबर, 2015 से 16 अक्टूबर 2015	ए. के. गुप्ता, संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताह 2015 में सहभागिता	जर्मनी
6.	26अक्टूबर, 2015 से 30 अक्टूबर 2015	श्री गिरीश भा. प्रधान, अध्यक्ष, केविविआ	26 अक्टूबर, 2015 से 30 अक्टूबर, 2015 में व्याख्यान और सिंगापुर में 27 अक्टूबर, 2015 से 28 अक्टूबर, 2015 तक एशिया ऊर्जा वित्तीय एवं निवेश सम्मलेन में व्याख्यान	सिंगापुर
7.	22 नवम्बर 15 से 26 नवम्बर 15	सुश्री शिल्पा अग्रवाल, उप-प्रमुख (इंजी.)	ऊर्जा, जलवायु एवं विकास यूनिट, ब्रिटिश उच्चायोग, डीएफआईएफ, नई दिल्ली द्वारा आयोजित लंदन में एक्सचेंज कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त करना	लंदन

अनुबन्ध-XI

वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग के अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों के सेमिनार/सम्मेलनों/एक्सचेंज कार्यक्रमों में सहभागिता (भारत में)

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम	कार्यक्रम	तारीख	स्थान
1	श्री एम. के. आनन्द, प्रमुख (वित्त)			
2	श्री एस. सी. श्रीवास्तव, उप-प्रमुख (इंजी.)			
3	श्री ए. के. गुप्ता, उप-प्रमुख (इंजी.)			
4	श्री पी. के. अवस्थी, उप-प्रमुख (वित्त)			
5	श्री एच. टी. गांधी, उप-प्रमुख (वित्त)	वार्षिक सम्मलेन और आठवां इण्डिया पावर अवार्ड 2015	06 नवम्बर 2015	नई दिल्ली
6	सुश्री शिल्पा अग्रवाल, उप-प्रमुख (इंजी.)			
7	श्री सुकांत गुप्ता, उप-प्रमुख (इंजी.)			
8	श्री जे. सी. हुडा सहायक-प्रमुख (इंजी.)			
9	सुश्री सावित्री सिंह, सहायक-प्रमुख (इंजी.)			
10	श्री रमनजेन्यूलू गली, सहायक-प्रमुख (इंजी.)	Infrastructure Regulation & Reforms	16–18 नवम्बर 2015	हैदराबाद
11	श्री पार्थ सेन, उप-प्रमुख (वित्त)	57 नेशनल कोर्सट कनवेंशन 2015-ICAI	30–31 जनवरी 2016	नई दिल्ली
12	सुश्री शिल्पा अग्रवाल उप-प्रमुख (इंजी.)	पवन ऊर्जा एवं भारतीय पवन विद्युत एसोसिएशन के पूर्वानुमान और अनुसूचीकरण अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला	8–10 फरवरी 2016	चैन्नई
13	श्री रमनजेन्यूलू गली, सहायक-प्रमुख (इंजी.)	सीआईजीआरई टोटोरियल में सहभागिता (एलेक्रमा 2016 से संबद्ध)	15–16 फरवरी 2016	बंगलौर
14	श्री मोनोजीत सेहरावत, सहायक-प्रमुख (विधि)	विनियम के विधिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफओआर प्रशिक्षण)	28–29 मार्च 2016	एनपीटीआई, फरीदाबाद
15	श्री आर. के. तिवारी, न्यायपीठ अधिकारी	विनियम के विधिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफओआर प्रशिक्षण)	28–29 मार्च 2016	एनपीटीआई, फरीदाबाद



अनुबन्ध-XII

वर्ष 2015–16 के लिए परिक्षिक वार्षिक लेखा

31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2016 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां तथा भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी केविविआ के प्रबंधक की है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है।

2. इन पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर पद्धतियों के अनुरूप लेखांकन मानक तथा प्रकटन मानकों आदि के बारे में केवल लेखांकन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका-टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) के अनुपालन के बारे में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहुलओं आदि, यदि कोई हो, को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।
3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानक में यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस बात के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण नहीं हो। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच, राशि के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन सम्मिलित हो। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार पर प्रदान करती है।
4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि:-
 - (i) हमने वह सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
 - (ii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा / प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप से लिए गए हैं;
 - (iii) हमारी राय में, लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य सुंसंगत अभिलेखों का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(1) के अंतर्गत यथापेक्षित (वर्ष 2003 व 2007 के संशोधन सहित) केविविआ द्वारा रख-रखाव किया गया है ऐसा बहियों का हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं:

(क) लेखों पर टिप्पणियां :

1.1 तुलन पत्र

1.1.1 पूंजी निधि एवं देयताएं

चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची संख्या 03) ₹.1672.07 लाख रुपये।

एनडीएमसी ने (14.08.2014) को चन्द्रलोक बिल्डिंग में 1619 स्केयर फीट का अतिरिक्त कार्यालय स्थान आवंटित किया जहां केविविआ का कार्यालय स्थित है। एनडीएमसी ने 260 स्केयर फीट प्रतिमाह की दर पर लाइसेंस फीस निर्धारित की है तथा 10 प्रतिशत की दर पर वार्षिक वृद्धि सहित 5 प्रतिशत सेनीटेशन प्रभार नियत किया है। तथापि केविविआ को उक्त कार्यालय स्पेस उपलब्ध करवाने में विलंब हुआ और यह स्पेस एनडीएमसी द्वारा 18.08.2015 को केविविआ को अंतिम रूप से उपलब्ध करवाया गया तथा इस प्रकार इस तारीख से केविविआ एनडीएमसी को लाइसेंस फीस एवं सेनीटेशन प्रभार अदा करने का दायी है। अब तक एनडीएमसी ने उक्त क्षेत्र की लाइसेंस फीस के लिए केविविआ को कोई बिल नहीं दिया है। तथापि केविविआ ने 18.08.2015 से 31.05.2016 तक की अवधि के लिए 32.79 लाख रुपये की लाइसेंस फीस के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

इससे “चालू देयताएं और प्रावधान” (अनुसूची 03) “केविविआ से समायोज्य / वसूलनीय चालू वर्ष की आय पर “व्यय की अधिकता” का अंडरस्टेटमेन्ट (अनुसूची 02) हुआ है तथा 32.79 लाख रुपये का केविविआ निधि” (अनुसूची 02) का परिणामी ओवरस्टेटमेन्ट हुआ है।

(ख) अनुदान सहायता :

वर्ष के दौरान (मार्च, 2016 में शून्य रूपए प्राप्त किए गए) प्राप्त 34.96 करोड़ की रूपए की अनुदान सहायता में से पूर्ववर्ती वर्ष की अव्ययित बकाया के लिए 9.37 करोड़ रूपए सहित) अर्थात् कुल 44.33 करोड़ रूपये रहा जिसमें केविविआ 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 36.63 करोड़ रूपये का प्रयोग कर सका जिसमें 7.70 करोड़ रूपए का बकाया अप्रयुक्त रह गया।

(ग) प्रबंधन पत्र

वे कमियां, जिन्हें पृथक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया, उसे उपचारात्मक / सुधार कार्वाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केविविआ की जानकारी में लाया गया।

(v) पिछले पैरा में अपने संप्रेक्षण के अधीन, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में तुलन पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा / प्राप्तियां और भुगतान लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त कथित महत्वपूर्ण मामलों और इस पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-1 में उल्लिखित मामलों के अधीन, रहते हुए, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

क) जहां तक तुलन-पत्र का संबंध है, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, और

ख) जहां तक अधिशेष के आय तथा व्यय लेखा का संबंध है। यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(डॉ. आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 अक्टूबर, 2016



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अनुबन्ध-।
{पैरा 4(vi) में उल्लिखित}

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	केविविआ का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा मेनुअल है। वर्ष 2015–16 के लिए केविविआ का वार्षिक लेखा की आंतरिक लेखा परीक्षा इसके अपने अधिकारियों द्वारा इनहाउस आयोजित की गई और रिपोर्ट 20 जून, 2016 को संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई। केविविआ के संव्यवहारों की आंतरिक लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 के लिए पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केविविआ विद्युत मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा के भी अध्याधीन है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	मॉनिटरिंग प्राप्तियां और भुगतान तथा उसके लेखांकन के लिए आंतरिक नियत्रण मैकेनिज्म केविविआ गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2015–16 के लिए नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन केविविआ के अधिकारियों की समिति द्वारा किया गया है जिसमें सहायक प्रमुख (अर्थशास्त्र), सहायक प्रमुख (प्रबंध सूचना प्रणाली) और सहायक सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन) शामिल हैं। तथापि केविविआ द्वारा रखा गया नियत अस्ति रजिस्टर जीएफआर फार्म-40 में उल्लिखित फॉर्मेट के अनुरूप नहीं है।
4.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	केविविआ रु.2,30,566/- की रकम के लिए तीन कर्मियों के संबंध में छुटटी वेतन अंशदान और ग्रेच्युटी के अनिर्णित भुगतान को छोड़कर उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित है जिसे वर्ष 2015–16 के संबंधित पेरेन्ट विभाग को प्रेषित किया जाना है।

वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन

संकल्प

आयोग ने वर्ष 2015–16 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखाओं पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित संकल्प किया:-

“संकल्प करते हैं कि 31.03.2016 को आयोग का तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखाओं सहित प्राप्तियां और संदाय लेखाओं को अनुमोदित किया जाए और किया जाता है।

संकल्प करते हैं कि 31.03.2016 को आयोग का तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए और व्यय लेखा सहित प्राप्तियां और संदाय लेखा पर सचिव और आंतरिक वित्तीय सलाहकार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा हस्ताक्षर किए गए और किए जाएंगे”

हस्ता /—

(शुभा शर्मा)

सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30 जून, 2016



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 31.03.2016	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
पूँजी निधि और दायित्व			
पूँजी निधि	1	519.97	3.77
सीईआरसी निधि	2	26,065.31	19,476.43
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3	1,672.07	1,709.66
कुल		28,257.35	21,189.86
आस्तियां			
नियत आस्तियां	4	519.97	407.42
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	5	27,225.57	20,225.46
जमा राशियां-प्रतिभूति राशियां	6	511.81	509.76
विविध व्यय (बट्टेखते नहीं डाली गई या समायोजित की सीमा तक)	7	-	47.22
कुल		28,257.35	21,189.86
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणि	12		
	13		

हस्ता /—
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 31.03.2016	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
आय			
विद्युत मंत्रालय से अनुदान		3,662.65	3092.98
अन्य आय	8	0.72	1.45
आरथगित आय	4	243.38	12.85
(सहायता अनुदान से अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण)			
कुल (क)		3,906.75	3,107.28
व्यय			
स्थापना खर्च	9	1,069.37	941.09
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	10	2,594.00	2,087.52
अवक्षयण	4	184.46	171.20
पूर्व अवधि मदें (निवल)	11	58.92	0.39
कुल (ख)		3,906.75	3,200.20
पूँजी निधि में अंतरित आय पर व्यय की अधिकता		-	(92.92)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां आकस्मिकता दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणि	12		
	13		

हस्ता /—
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

विवरण	अनुसूची 31.03.2016	चालू वर्ष 31.03.2016	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
आय			
विद्युत मंत्रालय से अनुदान 2014-15 में जारी की गई रकम का अव्ययित शेष चालू अवधि के दौरान सीईआरसी से जारी निधि			
घटाएँ: बचत / सीईआरसी निधि को अंतरित खर्च न किया गया बचत / शेष जोड़ें : बचत / सीईआरसी निधि को समायोज्य / प्राप्त व्यय		3,354.92 307.73	3,092.98
अन्य आय आस्थागित आय (सम्हायता अनुदान से अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण)	8 4	0.72 243.38	1.45 12.85
कुल (क)		3,906.75	3,107.28
व्यय			
स्थापना खर्च अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	9 10	1,069.37 2,594.00	941.09 2,087.52
आरक्षण पूर्व अवधि मदें (निवल)	4 11	184.46 58.92	171.20 0.39
कुल (ख)		3,906.75	3,200.20
व्यय पर आय की अधिकता / कमी के लिए शेष (क-ख)		-	(92.92)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां आकस्मिकता दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणी	12 13		

हस्ता /—
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियाँ

(₹ लाखों में)

अनुसूची 1 – पूँजी निधि:	चालू वर्ष 31.03.2016	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
(क) पूँजी रिजर्व अनुदान सहायता से सृजित आस्तियाँ	Current Year 243.38	3.77 16.62
घटाएँ: अचल आस्तियों पर अवक्षयण के कारण आस्थगित आय (सहायता अनुदान से अर्जित) जोड़ें: अनुदान सहायता निधि पोषित आस्तियों का मूल्य	759.58	12.85
		516.20
उप जोड़ (क)		519.97 3.77
(ख) व्यय से आय की अधिकता का संचित शेष जोड़: आय और व्यय के लेखा से अंतरित कुल आय / व्यय की अधिकता		-
उप जोड़ (ख)		-
कुल योग (क + ख)		519.97 3.77

हस्ता / –
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
सचिव

वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

		(₹ लाखों में)	
अनुसूची 2 : सीईआरसी निधि		चालू वर्ष 31.03.2016	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
वर्ष के प्रारंभ में शेष		चालू वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष	19,476.43 14,424.26
घटाएँ: 2014-15 में रिलीज की गई रकम का खर्च न किया गया शेष	937.10	998.09	
चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज वापस की गई लाइसेंस फीस ब्याज का उत्क्रमण	3,495.90	3,032.00	
	5.31		4,433.00 4,035.39
			15,043.43 10,388.87
<u>जोड़े:</u> प्रत्यक्ष आय:			
फाइलिंग शुल्क / टैरिफ शुल्क	7,277.48	5,038.49	
लाइसेंस फीस	3,428.74	2,838.52	
वार्षिक पंजीकरण शुल्क	58.00	58.00	
विविध शुल्क	19.94	17.32	
			10,784.16 7,952.33
<u>अप्रत्यक्ष आय:</u>			
अर्जित ब्याज (टीडीएस निल)	230.97	171.08	
अन्य आय	32.20	27.06	
			263.17 198.13
<u>जोड़े:</u> अविवादित दंड			26,090.76 18,539.33
<u>जोड़े:</u> वर्ष के दौरान बचत		11.00	-
घटाएँ: केविविआ निधि से समायोज्य/ प्राप्य चालू वर्ष की आय पर व्यय की अधिकता		1,078.08	937.10
		307.73	-
घटाएँ: केविविआ निधि से समायोज्य/ प्राप्य पूर्ववर्ती वर्ष की आय पर व्यय की अधिकता		47.22	-
घटाएँ: अनुदान सहायता से निधिपोषित आस्तियों का मूल्य		759.58	-
कुल योग		26,065.31	19,476.43

हस्ता /—
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अनुसूची - 3 : चालू देयताएं और प्रावधान	(₹ लाखों में)	
	चालू वर्ष 31.03.2016	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
1. विधि क्रेडिट्स	693.40	158.55
2. प्रतिदेय वेतन (सदस्य एवं स्टॉफ)	70.40	64.28
3. प्राप्त अग्रिम (फाइलिंग / टैरिफ शुल्क)		
3.1 लौटाने योग्य/समायोज्य फीस	13.50	11.50
3.2 अपर्याप्त ब्योरे/दस्तावेजों के बिना प्राप्त फीस	7.40	680.44
3.3 अनुज्ञित शुल्क - वित्त वर्ष 15-16	-	14.13
3.4 पारेषण टैरिफ शुल्क - वित्त वर्ष 15-16	-	34.81
3.5 पारेषण टैरिफ शुल्क - वित्त वर्ष 16-17	18.55	5.59
3.6 पारेषण टैरिफ शुल्क - वित्त वर्ष 17-18	11.98	5.42
3.7 पारेषण टैरिफ शुल्क - वित्त वर्ष 18-19	11.74	5.25
4. वैधानिक देयताएं :		
4.1 सीपीएफ समरूप अंशदान	0.24	0.40
4.2 जीपीएफ (वैधानिक व स्वैच्छिक)	0.26	0.29
4.3 ईपीएफ समरूप अंशदान	4.71	3.81
4.4 केविडिएम में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान	9.05	11.48
4.5 सीईआरसी में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान	9.74	10.58
4.6 प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए ग्रेचुटी अंशदान भुगतान	2.48	3.31
4.7 ग्रेचुटी प्रतिदेय - अन्य	6.49	6.49
4.8 गुण बचत संबद्ध बीमा/एलआईसी	0.01	0.01
4.9 ईपीएफ कर्मचारी अंशदान	0.22	0.11
4.10 एनपीएस समरूप अंशदान	0.12	0.17
4.11 जी.पी.एफ. अग्रिम	0.05	0.05
4.12 एचबीए अग्रिम	0.07	0.02
4.13 ईपीएफ स्वैच्छिक अंशदान	0.30	-
4.14 सीपीएफ सांविधिक व स्वैच्छिक	0.08	-
4.15 लाइसेंस फीस (सरकारी आवास)	0.00	-
4.16 अन्य वसूली	0.02	-
5. अन्य चालू दायित्व		
5.1 जुर्माना	431.17	395.27
5.2 प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप	21.25	8.76
5.3 अन्य वसूलियां (कंप्यूटर अग्रिम)	0.00	0.00
5.4 भारत सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	0.00	0.00
5.5 अन्य वसूलियां (कार अग्रिम)	0.08	0.07
5.6 बयाना जमा	2.00	-
कुल (क)	1,315.31	1,420.79
6. प्रावधान		
6.1 छुट्टी नकदीकरण	191.29	145.28
6.2 ग्रेचुटी	161.22	134.33
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
7.1 टीडीएस भुगतान	-	5.25
7.2 संदेय लेखा परीक्षा शुल्क (सी एंड एजी)	4.25	4.01
कुल (ख)	356.76	288.87
कुल योग (क+ख)	1,672.07	1,709.66

हस्ता / –
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
सचिव

अनुमूली 4 . नियत आस्तियां

वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल खंड			मूल्यहास			निवल खंड			
	वर्ष के आंख्य में लागत	समायोजन दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के आंख्य में लागत	पूर्व अवधि अवस्था	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष की समाप्ति कुल	चालू वर्ष में के अंत में	
क. मुर्त आस्तियाः										
लकड़ी का विभाजन एवं नवीकरण फर्मीचर और फिटिंग्स मशीनरी और उपकरण कंप्यूटर / बाह्य उपकरण पुस्तकालय पुस्तकें नवीकरण कार्य लंबित आवंटन	213.48 335.87 234.79 202.32 5.09 -	- 12.13 3.62 38.61 0.30 296.64 21.18 1,012.73	- 348.00 232.42 239.32 5.39 - 148.69 499.99 -	213.48 348.00 232.42 239.32 5.39 296.64 148.69 499.99 -	143.43 245.86 173.53 161.13 4.87 - 20.17 748.99 -	19.00 30.14 26.85 22.46 0.22 - 58.92 58.92 -	- 2.07 1.28 12.89 0.30 38.64 1.01 29.60 99.68 -	162.43 278.07 195.97 194.95 5.39 38.64 21.18 88.52 84.78 -	51.05 69.93 36.45 44.37 (0.00) 38.64 88.52 80.17 963.97 -	70.05 90.01 61.26 41.19 0.22 - 1.01 143.68 143.68
ख. अमृत आस्तियाः										
साप्टवेयर	21.18	148.69	21.18	148.69	20.17	58.92	1.01	29.60	21.18	
कुल	1,012.73	-	499.99	28.78	1,483.94	748.99	58.92	99.68	84.78	
ग. प्रगति में पूँजी संकर्म :										
पूँजी डब्ल्यू आई पी-रिम्स एसआरएस	143.68	3.62	147.30	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	
कुल	143.68	-	3.62	147.30	(0.00)	-	-	-	(0.00)	
कुल योग	1,156.41	-	503.61	176.08	1,483.94	748.99	58.92	99.68	84.78	
पूर्ववर्ती वर्ष	1,135.38	(0.09)	47.24	26.12	1,156.41	602.18	-	155.80	15.40	

हस्ता /—
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

		(₹ लाखों में)	
		चालू वर्ष 31.03.2016	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
अनुसूची 5 — चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
I	चालू आस्तिया		
I.1	बैंक शेष		
	चालू खाता		
	कार्पोरेशन बैंक (आटो स्वीप सहित)	1,078.15	1,017.47
	बचत खाता		
	कार्पोरेशन बैंक (आटो स्वीप सहित)	23.85	0.30
I.2	सीईआरसी निधि खाता (भारत का लोक खाता)	25,586.19	18,618.58
I.3	सावाधिक जमा (मुकदमे से प्राप्ति के लिए दंड)	429.55	393.55
2	ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तिया		
2.1	ऋण		
2.1.1	स्टाफ	4.81	3.54
2.1.2	अन्य	12.66	23.41
2.2	अग्रिम और अन्य रकमें नकद या वस्तु के रूप में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए		
2.2.1	पूर्व संदर्भ	48.45	54.90
2.2.2	विनियामक फोरम	16.00	17.28
2.2.3	भारतीय विनियामक मंच	5.00	4.90
2.2.4	प्राप्त मानदेय	0.05	-
3	आय प्रोद्भूत		
3.1	ब्याज प्रोद्भूत (आटोस्वीप पर)	17.27	43.34
3.2	ब्याज प्रोद्भूत (दंड के लिए एफडीआर पर)	1.62	1.72
4	प्राप्त शुल्क	1.96	46.47
5	कम्पनियम की बिक्री पर प्राप्त रकम	0.01	-
	कुल	27,225.57	20,225.46

हस्ता /—
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
सचिव

वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

अनुसूची 6 : जमा राशियां		चालू वर्ष 31.03.2016	(₹ लाखों में) पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
1	सिक्योरिटी जमा – ब्रॉडबैण्ड	0.02	0.02
2	सिक्योरिटी जमा – एमटीएनएल	0.90	0.90
3	सिक्योरिटी जमा – बिजली, एनडीएमसी		
3.1	- भू तल	1.23	1.23
3.2	- पहला तल	10.24	10.24
3.3	- 3 और 4 मंजिल	12.13	12.13
4	सिक्योरिटी जमा – किराया, एनडीएमसी		
4.1	- भू तल	172.23	172.23
4.2	- पहला तल	26.02	26.02
4.3	- 3 और 4 मंजिल	276.78	276.78
5	सिक्योरिटी जमा – लाइसेंस शुल्क	8.84	8.84
6	सिक्योरिटी जमा – पेट्रोल और स्नेहक	0.40	0.40
7	सिक्योरिटी जमा – कर्मचारियों के लिए पट्टे	1.00	0.96
8	सिक्योरिटी जमा – खुदाई काम के लिए एनडीएमसी	0.17	-
9	सिक्योरिटी जमा – एनडीएमसी मीटर भूतल	1.23	-
10	सिक्योरिटी जमा – एनडीएमसी मीटर पहली मंजिल पीछे की ओर	0.62	-
	जोड़	511.81	509.76

हस्ता / –
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
सचिव

अनुसूची 7 : विविध व्यय (बट्टे खाते में डाली गई या समायोजित की सीमा तक)		चालू वर्ष 31.03.2016	(₹ लाखों में) पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
व्यय पर आय की अधिकता का संचित शेष (आय पर व्यय की अधिकता)		(47.22)	45.70
<u>जोड़े:</u> केविविआ निधि में अंतरित		47.22	(92.92)
जोड़		-	(47.22)

हस्ता / –
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
सचिव

अनुसूची 8 – अन्य आय		चालू वर्ष 31.03.2016	(₹ लाखों में) पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
1	आस्तियों के विक्रय/निपटारे पर लाभ	0.18	1.05
2	घर में कंप्यूटर के प्रयोग के लिए वसूली	0.38	0.40
3	दीर्घकालिक ऋण व्याज	0.16	-
कुल		0.72	1.45

हस्ता / –
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

		(₹ लाखों में)	
		चालू वर्ष 31.03.2016	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
अनुसूची 9 – स्थापना व्यय			
1	<u>वेतन एवं मजूदरी :</u>		
1.1	कर्मचारी वृद्धि / अधिकारी के वेतन	252.43	225.31
1.2	अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन	172.79	168.80
1.3	भत्ते और बोनस	388.04	319.55
1.4	भविष्य निधि में अंशदान	58.89	49.67
2	<u>अन्य निधियों में अंशदान:</u>		
2.1	उपदान	1.27	3.31
2.2	पेशन अंशदान	10.45	11.06
2.3	छुट्टी वेतन अंशदान	10.50	10.31
2.4	उपदान के लिए प्रावधान	30.57	35.16
2.5	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	48.89	15.77
3	<u>कर्मचारिवृद्धि कल्याण खर्च</u>		
3.1	चिकित्सा और स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं	43.71	40.92
3.2	एक समान चार्ज	-	0.12
3.3	अन्य	34.24	31.99
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें):		
4.1	ट्रॉशन फीस / सीईए	5.69	6.66
4.2	एलटीसी	4.85	12.49
4.3	छुट्टी नकदीकरण	2.05	9.86
4.4	पारिश्रमिक व्यय (हिंदी बैठक)	-	0.11
4.5	सेवानिवृत्ति लाभ – अन्य	5.00	-
	कुल	1,069.37	941.09

हस्ता /—
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
सचिव

		(₹ लाखों में)	
अनुसूची 10 – अन्य प्रशासनिक व्यय		चालू वर्ष 31.03.2016	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
1	श्रम एवं प्रसंस्करण खर्च	245.62	206.68
2	विद्युत एवं ऊर्जा	49.36	43.83
3	जल प्रभार	6.60	5.22
4	मरम्मत एवं रख रखाव :		
4.1	कंप्यूटर	5.05	2.57
4.2	भवन	14.24	11.25
4.3	अन्य	12.07	10.44
4.4	एयरकंडीशनर	18.48	15.28
4.5	हार्डवेयर स्पोर्ट – 15 टीवी	1.61	-
5	किराया दर तथा कर	1,209.22	1,076.05
6	वाहन चालन एवं रखरखाव	17.76	14.67
7	डाक व्यय एवं टेलीफोन प्रभार	39.76	33.40
8	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	26.74	19.07
9	यात्रा एवं वाहन:		
9.1	स्वदंश यात्रा व्यय	26.04	18.80
9.2	विदेश यात्रा व्यय	11.18	15.46
9.3	विदेशी विनिमय उच्चावचन पर हानि	-	-
9.4	वाहन	2.71	2.89
10	बैठक /सेमिनार / कार्यशाला संबंधी खर्च	19.40	19.59
11	अभिदाय खर्च	61.04	51.07
12	लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	3.00	2.42
13	व्यवसायिक प्रभार	636.90	364.15
14	विज्ञापन तथा प्रकाशन प्रभार	62.28	72.92
15	अन्य (विनिर्दिष्ट करें):		
15.1	पुस्तक एवं आवधिक पत्रिकाएं	14.25	13.75
15.2	विविध खर्च	1.08	0.30
15.3	टैक्सी/कार पट्टा किराया पर लेने संबंधी प्रभार	49.98	45.63
15.4	बैंक प्रभार	-	0.01
15.5	सूचना प्रणाली-अनुज्ञाप्ति शुल्क आदि	38.23	17.10
15.6	प्रशिक्षण खर्च	0.67	1.07
15.7	नियत आस्तियों के निपटान पर हानि	-	0.01
15.8	बदे खाते समाप्त/क्षतिग्रस्त मदे	-	0.60
15.09	सुविधा प्रबंधन प्रभार (एफएमसी)	19.67	22.70
15.10	विश्वासघात के विरुद्ध बीमा एवं नकदी संचालन	0.12	0.12
15.11	उपभोग्य वस्तु	0.94	0.47
कुल		2,594.00	2,087.52

हस्ता / –
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अनुसूची 11 – अवधि पूर्व मद्दें		चालू वर्ष 31.03.2016	(₹ लाखों में) पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2015
1	भवन की मरम्मत और रखरखाव		0.35
2	पूर्व वर्ष में प्रभारित अधिक अवक्षयण का राईट बैक		(0.04)
3	गुम आस्ति के अवक्षयण को राईट बैक करना		0.06
4	पूर्ववर्ती वर्ष में बेची गई आस्तियों का अवक्षयण		0.02
5	अवक्षयण	58.92	
	कुल	58.92	0.39

हस्ता /—
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
सचिव

31.03.2016 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 12 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन कन्चेशन

वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा कथित न किया जाए वह ऐतिहासिक लागत कन्चेशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोद्भवन नीति पर तैयार किए जाते हैं। लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से विद्युत अधिनियम 2003 (2003 की 36) की धारा 100 की उपधारा (1) के केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए केविविआ (वार्षिक लेखा विवरणी के फार्म एवं रिकार्ड) नियमावली, 2007 के अंतर्गत तैयार किया गया है। लेखों को लेखांकन सिद्धान्तों एवं मानक अनुपालन में तैयार किया गया है।

2. नियत आस्तियां

नियत आस्तियां आवक मालभाड़ा, शुल्क तथा करों तथा अर्जन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों सहित अर्जन की लागत पर कथित की जाती है।

3. मूल्यहास

- (i) नियत आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-गट में दी गई दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य प्रणाली में निकाला गया है।
- (ii) वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में जोड़/कटौतियों के संबंध में 30 सितम्बर तक अर्जित आस्तियों पर पूर्ण मूल्यहास और 30 सितम्बर के पश्चात अर्जित आस्तियों आधी दर से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण वर्ष का मूल्यहास 30 सितम्बर के बाद निपटाई गई/हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है और उस वर्ष के लिए आधी दर पर मूल्यहास 30 सितम्बर से पूर्व निपटाई गई/हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है।
- (iii) 5000/- रुपए या उससे कम की मूल्य की नियत आस्ति को पूंजीगत किया जाता है और पूर्णतः मूल्यहास किया जाता है।

4. अमूर्त आस्तियों का उपाकरण

साप्टवेयर का 5 वर्षों की अवधि के लिए या साप्टवेयर के पूर्ण काल के लिए जो भी कम हो जब तक की अन्यथा कथित न किया गया हो, उपाकरण किया जाता है।

5. केविविआ निधि के लिए लेखांकन संव्यवहार

केविविआ निधि (निधि के प्रयोग का संगठन और ढंग) नियम, 2007 के अनुसार केविविआ निधि खाता भारत के पब्लिक लेखा में खोला गया है। केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस एवं रकम केविविआ निधि में क्रेडिट की जाती है। (भारत के पब्लिक लेखा में रखी गई) केविविआ की निधि से विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई रकम आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में परिगणित की जाती है।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

- (i) सरकारी अनुदान/सब्सिडी को उगाही आधार पर परिगणित किया जाता है।
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 12 के अनुसार तक अनुदान सहायता में से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रभारित मूल्यहास आस्थगित आय के रूप में आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है और तदनुरूपी रकम की पूँजी निधि से कटौती की गई है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में निर्धारित संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को परिगणित किया जाता है। विदेशी विनियम लाभ या हानि यदि कोई है तो उसे लेखा मानक-11 के अनुसार वर्ष के आय एवं व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

8. पट्टा

पट्टा किराया पट्टा निबंधनों के प्रति निर्देश से व्ययित किए जाते हैं।

9. सेवा निवृति फायदे

कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेह उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता को लेखा मानक-15 के अनुसार बीमांकन मूल्य के आधार पर परिगणित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी वेतन एवं पेंशन/ग्रेच्युटी के लिए अंशदान को प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परिगणित किया जाता है।

हस्ता /—
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
सचिव

31.03.2016 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची – 13 आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पणी

1. केविविआ निधि

- (i) केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोजन की निधि) तथा बजट का प्रारूप एवं तैयारी के लिए समय नियम 2007 के अनुसार इन निधियों में अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋणों को शामिल किया जाता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस, समय समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा या अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य रकम में शामिल हैं। निधि (क) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक के लिए (ख) अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपने कार्यों के निर्वाह में केन्द्रीय आयोग के व्यय तथा (ग) अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय के लिए प्रयुक्त होंगे। केन्द्रीय आयोग स्थापना से संबंधित और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए अपने वार्षिक बजट के लिए इन निधियों से रकम रिलीज करने की मांग करेगा।
- (ii) विद्युत मंत्रालय ने “अनुदान सहायता” के रूप में भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई सीईआरसी निधि से रिलीज राशि को मान लिया। मामला भारत के पूर्व अटार्नी जरनल श्री सौराब जी के मद पर अधारित सेबी के दिशा निर्देश में सीईआरसी निधि से आहरण के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ नवम्बर 2011 से फरवरी 2013 तक लिया और इसके बजट व्यय की सीमा तक सीईआरसी में प्राप्त फीस को रोकने के लिए सीईआरसी को अनुमति के लिए दौबारा जुलाई 2013 से अप्रैल 2014 तक लिया। तथापि प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा सहमति नहीं मिली। वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से विद्युत मंत्रालय ने निर्णय (सितम्बर 2015) किया की सीईआरसी निधि से रिलीज अनुदान सहायता के रूप में मानी जायेगी। तदनुसार चालू वर्ष से सीईआरसी का समग्र व्यय उपचित आधार पर सीईआरसी निधि से रिलीज “अनुदान सहायता” से किया गया।
- (iii) केविविआ निधि नियमावली के अनुसार भारत के लोक लेखा के अधीन एक निधि खाता खोला गया है जो गैर व्ययगत और गैर व्याज वहन खाता होगा। वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 10463 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 8726 लाख) केविविआ निधि में जमा किए गए हैं और इसी अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने केविविआ के स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए निधि से ₹ 3496 लाख रुपए की रकम (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 3032 लाख की राशि) रिलीज की जो सीईआरसी निधि (भारत के लोक लेखा) में 31.03.2016 को ₹ 25586 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 18619 लाख) का शेष रखते हुये सीईआरसी के स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए थे।
- (iv) चालू वर्ष के दौरान, ₹ 11047 लाख (पूर्ववर्ष ₹ 8150 लाख) की राशि के सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आय सीईआरसी निधि लेखा (तुलन पत्र की अनुसूची 2) में अन्तरित की गई और ₹ 3496 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष से आगे ले जाई गई बचत को छोड़ कर) आयोग के व्यय की पूर्ति के लिए सीईआरसी निधि से (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 3032 लाख) रिलीज की गई। चालू वर्ष के अन्त में ₹ 1078 लाख की अव्ययित शेष (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 937 लाख) सीईआरसी निधि वापस अन्तरित की गई।



(v) लेखा नीति मे परिवर्तन के कारण चालू वर्ष में ₹ 308 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 47 लाख) के लिए उपचित आधार पर उपगत आय पर व्यय अधिकता मे सीईआरसी निधि को अन्तरित की गई। इसके बाद आय और व्यय खाते मे ना तो कोई अधिकता और ना ही घटा रहा।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में 31 मार्च 2016 को शुन्य (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 400 लाख) मौजूदा कर सहित की पूंजी प्रतिबद्धता रही।

3. पट्टा दायित्व

वाहनों के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भावी दायित्व की राशि 6 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में 14 लाख) रही।

4. नियत आस्तियां

(i) मार्च 2016 के अंत में ₹ 4 लाख की लिखित मूल्य की आस्तियां (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 4 लाख) मार्च 2010 तक विद्युत मंत्रालय से प्राप्त की गई सहायता अनुदान में से अर्जित की गई थी। ये अस्तियां मूल्यहासित हैं एवं पूंजी रिजर्व में तदनुरूपी कटौती से प्रत्येक वर्ष अस्थगित आय के रूप में परिगणित की गई है। वित्त मंत्रालय से प्रमर्श करते हुए विद्युत मंत्रालय ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2015) की भारत के लोक लेखा मे रखी गई सीईआरसी निधि लेखा से रिलीज की गई रकम को अनुदान सहायता के रूप मे माना जाये। तदनुसार सीईआरसी निधि से प्राप्त धन से सृजित नियत आस्तियां ₹ 760 लाख के लिए पूंजीनिधि – आस्थागित आय मे तदनुरूपी क्रेडिट कर सहित पूनः श्रेणीबद्ध की गई। इस प्रकार की आस्तियों पर ₹ 243 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 13 लाख) के मूल्यहास आस्थागित आय मे तदानुरूपी समायोजन सहित आय एवं व्यय लेखा के लिए परिगणित किया गया। इस लेखा संव्यवहार में परिवर्तन के कारण आस्थागित आय एवं व्यय लेखा पर यही प्रभाव रखते हुए ₹ 243 लाख की वृद्धि हुई।

(ii) चंद्रलोक बिल्डिंग का ग्राउन्ड फलोर तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल का मरम्मत कार्य वित्तीय वर्ष के अन्त में लगभग पूरा था तथापि इन मदो पर किया गया व्यय, बिलो की लम्बी प्राप्ती को मरम्मत कार्य के अधीन पूंजीकृत किया गया और आस्तिवार आवंटन तथा कन्टेक्टरों की बिलो की प्राप्ती पर समायोजन एवं आवंटन के अधीन अनन्तिम रूप से अधीन मूल्यहास किया गया।

(iii) आस्तियों का भौतिक सत्यापन अप्रैल 2016 में किया गया। भौतिक सत्यापन में पाई गई कमी / अधिकता जो महत्वपूर्ण नहीं थी।

5. चालू देयताएं :

31 मार्च 2016 तक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अंतर्गत केविविआ द्वारा लगाए गए निवल दंड की राशि ₹ 1778 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 1753 लाख) की थी जिसमें ₹ 1290 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 1276 लाख) विभिन्न विविध न्यायालय में प्रार्टियों द्वारा विवादित रही और सीईआरसी मे उनके द्वारा जमा नहीं करवाई गई। 488 लाख रुपये (पूर्ववर्ती वर्ष 477 लाख रुपये) की शेष रकम सीईआरसी में प्राप्त की गई। प्राप्त रकम से, 356 लाख रुपये (पूर्ववर्ती वर्ष 356 लाख) विभिन्न न्यायालयों में विवादित रही और चालू देयताओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। इसमें सीईआरसी के आदेश पर आधारित वापसी योग्य ₹ 1 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 1 लाख) शामिल है। प्राप्त

रकम लेकिन विवादित बैंक मे अल्पकालिक नियत जमा के अधीन रखी गई है और सीईआरसी निधि (भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई) जमा की जायेगी या न्यायलय मामलों के परिणाम के आधार पर, जैसा भी मामला हो पार्टी को वापिस की जायेगी। शेष 132 लाख जो अविवादित है उसे सीईआरसी निधि मे अन्तरीत (चालू वर्ष 11 लाख और पूर्ववर्ष 121 लाख) किया गया है। यह विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन से है। भारत के नियन्त्रक एवं महापरीक्षक के कार्यलय से निर्देशो के अनुसार विवादित दंड की रकम से की गई नियत जमा पर 'प्राप्त' और 'उपचित लेकिन प्राप्त नहीं' ब्याज अन्य चालू देयताओं के अधीन प्ररीगणित किया गया है। इस कारण से आय एवं व्यय लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।

6. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

- (i) प्रबंधन की राय में चालू आस्तियां ऋणों और अग्रिमों का कारोबार के सामान्य उपकरण में उनकी वसूली पर तुलन पत्र में दर्शायी गई न्यूनतम सकल रकम के बराबर होता है।
- (iii) वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 16,91,875/- के डिमांड ड्राफ्ट आयोग की रजिस्ट्री में खो गए और केविविआ के कर्मचारी द्वारा धोखे से इसका नगदीकरण करा दिया गया। पुलिस अधिकारी के पास इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय जांच मार्च, 2013 में पूरी हो गई थी और दोषी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया था। पुलिस जांच के निष्कर्षों को देखते हुए इस रकम को न तो आय के रूप में बुक किया गया और न ही हानि के लिए (चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट) प्रावधान को लेखा बहियों में किया गया।

7. कराधान

आयकर अधिनियम 61 की धारा 10 (23) (खखछ) के अनुसार आयोग की आय को आयकर से छूट प्राप्त है।

8. आय एवं व्यय लेखा :

2014–15 तक आय एवं व्यय लेखा में आय सीईआरसी द्वारा वास्तविक रूप से अदा की गई रकम की सीमा तक पता लगाई गई। तथापि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परिक्षक के कार्यलय द्वारा उल्लेख करने पर लेखा नीति में परिवर्तन किया गया और उपचित अधार पर उपगत व्यय की सीमा तक भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता को आय के रूप में माना गया है। लेखा नीति में परिवर्तन के कारण चालू वर्ष मे व्यय पर आय की ना तो अधिकता है और ना ही घाटा है।

9. देयताओं के लिए प्रावधान

वार्षिक लेख लेखांकन के उपचित अधार पर होते हैं। तदनुसार बकाया देयताओं, सांविधिक दायित्वों जैसे पेशन और छुट्टी वेतन, अंशदान, सीपीएफ / ईपीएफ समरूप अंशदान लेखा परीक्षा फीस आदि के लिए प्रावधान किया गया है और उस लेखाओं में प्रदर्शित किया गया है।

10. अनुसूची 1 से 13 को 31 मार्च 2016 के अनुसार तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न भाग के रूप में अनुबद्ध किया गया है।
11. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।

हस्ता / –
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
सचिव

31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां और आस्तियां

प्राप्तियां	2015-16		2014-15		(₹ लाखों में)
	चालू वर्ष	वर्ष	चालू वर्ष	वर्ष	
1. आरप्तिक शेष के लिए			1.	खर्च द्वारा	
(क) बैंक शेष				(क) स्थापना खर्च	
(i) चालू खातों में: कारपोरेशन बैंक – चालू खाता	1017.47	1079.51		(i) बैंक (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)	
(ii) बचत खातों में कारपोरेशन बैंक –बचत खाता (सीएलएसवी) कारपोरेशन बैंक –बचत खाता (सीएनपीएसवी)	0.15	0.15		(ii) बैंक (अधिकारी और स्थापना (iii) भत्ते और बोनस (iv) वृत्तिक और अन्य सेवाओं के लिए	
(iii) सावधि जमा	393.55	356.15		(v) भुगतान (vi) छहटी नकदीकरण	
2. सीईआरसी निधि से जारी	3495.90	3032.00		(vii) यात्रा खर्च (i) विदेश यात्रा (ii) घरेलू यात्रा	
3. आयोग की प्राप्ति के लिए	0.94	0.14		(viii) चिकित्सा और स्वास्थ्य देख रेख (ix) अन्य स्थापना खर्च (i) ट्रस्यून फीस / सीईए (ii) एलटीसी	
(i) समाचारपत्रों की विक्री (ii) कम्पोडियम की विक्री (iii) आयोग द्वारा फीस प्रभार - फाइलिंग फीस - अनुज्ञाति फीस - टैरिफ फीस - वार्षिक पंजीकरण शुल्क - जुर्माना - अपेक्षित ब्यासे / दस्तावेज के बिना प्राप्त फीस	1.75	-		(x) भावित्व निधि में अंशादान (i) ईपीएफ / सीपीएफ में अंशादान - सीपीएफ भैंडिंग अंशादान - ईपीएफ भैंडिंग - एनपीएस भैंडिंग	
(iv) विविध प्राप्तियां (v) अन्य प्राप्तियां (आपटीआई से)	677.00	594.00		(y) कर्मचारी कल्याण खर्च (z) प्रशिक्षण खर्च (j) पारिश्रमिक व्यय	
	3412.92	2804.40		(k) प्रशासनिक खर्च द्वारा	
	5961.87	4390.04		(l) श्रम एवं प्रसंस्करण खर्च (m) विद्युत एवं ऊर्जा (n) मरम्मत एवं रखरखाव	
	58.00	58.00		(o) प्रशासनिक खर्च द्वारा	
	11.00	11.00		(p) श्रम एवं प्रसंस्करण खर्च (q) विद्युत एवं ऊर्जा (r) मरम्मत एवं रखरखाव	
	6.98	6.98		(s) अपेक्षित ब्यासे / दस्तावेज के बिना प्राप्त फीस	
	19.94	17.35		(t) श्रम एवं प्रसंस्करण खर्च (u) विद्युत एवं ऊर्जा (v) मरम्मत एवं रखरखाव	
	0.01	0.03		(w) जारी...	





केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

(₹ लाखों में)

विभा स्तरीय (सीजीईआईएस) - ईपीएफ / जीएसएलआई वसूली - सीपीएफ मैचिंग अंशदान / ईपीएफ / जीएसएलआई/ जीएपीएफ / एनपीएस - डीटीई वसूली - एफ टीई वसूली - एलटीई वसूली - एच.बी.ए. वसूली - अनुज्ञाति कीस की वसूली (आवास लीज) - प्राप्त ग्रेच्युटी - छुट्टी वेतन अंशदान	0.17 0.55 87.36 - 0.81 - 0.22 2.09 0.53 6.32 0.37	0.17 0.23 6.758 - 0.96 1.74 0.22 1.15 0.28	3. किए कए निष्केप (क) प्रतिभूति निष्केप 4. (I) कर्मचारीवृद्धि को अधिम द्वारा (क) अन्य अधिम (खर्च) (II) आकस्मिक अधिमो द्वारा (क) प्रदायकर्ता को अधिम (III) अन्य द्वारा (क) उत्सव अधिम (ख) प्रतिभूति निष्केप प्रतिदाय	2.41 131.30 9.13 2.86 12.66 54.49 0.36 0.10	2.41 131.30 9.13 2.86 12.66 54.49 0.36 0.10
6. अन्य प्राप्तियों के लिए <ul style="list-style-type: none"> - चिकित्सा और स्वास्थ्य देखरेख वसूली - प्राप्त पोस्टन और टेलीफोन - भीड़िया खर्चों की वसूली - एफओआईआर / एफओआर / सामिर - प्राप्त की गई अधिक फीस - डीटीईएस वसूली - टैक्सी वसूली - पीएफएस वसूली - आस्ति के निपटान पर रकम की वसूली - पुराने चेक - आस्ति की बिक्री - वेतन 	- 0.08 - 26.68 3.00 173.34 0.02 0.42 - 0.95 0.08 -	0.01 0.03 - 41.65 3.50 150.24 0.14 1.17 - 0.61 0.30 2.20 0.44	(k) जीपीएफ / सोपीएफ / ईपीएफ आदि/अधिम - विशेषत जीपीएफ वसूली - विशेषत ईपीएफ वसूली - विशेषत सोपीएफ वसूली (ख) अनुज्ञाप्ति फीस (ग) आयकर (वेतन/ग्रेर वेतन) (घ) सीजीईजीआईएस/सीईईआईएस/ जीएसएलआई (ड) भवन निर्माण अधिम (घ) मोटर कार / कम्प्यूटर अधिम (छ) स्कूटर / मॉटर साइकिल अधिम (ज) अन्य वसूलियाँ (जनपीएस)	34.97 28.52 43.76 3.83 0.94 173.34 0.72 150.24 0.75	34.97 28.52 43.76 3.83 0.94 173.34 0.72 150.24 0.75
5. अंशदानों द्वारा <ul style="list-style-type: none"> (क) पेंशन (ख) छुट्टी वेतन (ग) ग्रेच्युटी 	(क) पेंशन (ख) छुट्टी वेतन (ग) ग्रेच्युटी	12.88 11.33 12.09	8.41 8.57 1.94	8.41 8.57 1.94	जारी...
6. नियत आरस्टिंग तथा प्रगति में संकर्म व्यय द्वारा					

		(₹ लाखों में)	
	(क) मशीनरी और उपकरण (ख) पुस्तकालय पुस्तकें (ग) मशीनरी और उपकरण (घ) टिम्स	12.13 0.30 25.78 -	2.60 0.88 40.65 21.46
7. अन्य दृष्टि	(क) वापस ली गई फीस	1.00	-
8. कोविडिआ निधि को अंतरित निधियाँ (भारतीय लोक लेखा)		10463.51	8725.68
9. अंतिम शेष दृष्टि	(i) चालू खातों में: कारपोरेशन बैंक - चालू खाता (सीएलसीए) कारपोरेशन बैंक - चालू खाता (सीएनपीसीए)	1.00 1077.15	1017.47 -
	(ii) बचत खातों में: कारपोरेशन बैंक - बचत खाता (सीएलएसबी) कारपोरेशन बैंक - बचत खाता (सीएनपीएसबी)		0.15 23.85 -
	(iii) सावधि जमा	429.55	393.55
		15663.97	13505.47
			15663.97


हस्ता /—
एकीकृत वित्तीय सलाहकार



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

અનુભાવદા-XIII

संगठन चार्ट
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
(31-03-2016 के अनुसार)





केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001
फोन : +91-11-23353503, फैक्स : +91-11-23753923, वेबसाइट: www.cercind.gov.in